खण्ड-360, अंक-5
गुरूवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(24 फरवरी, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 360 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	821-825
प्रश्नोत्तर	..	827-897
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	897-900
ग्राम बाबा का पुरवा मजरे इब्राहीमाबाद, थाना कोठी, जनपद बाराबंकी के श्री जगन्नाथ नाई के घर पड़ी डकैती तथा हत्या एवं थानाध्यक्ष कोठी द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	900
मैनपुरी जनपद में दैवीय आपदा के कारण किसानों की दयनीय स्थिति तथा लगान माफी की घोषणा के बावजूद वसूली किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	901
18 फर्मों के एक ही मालिक (ठेकेदार) एवं एक अधिशासी अभियन्ता श्री एस0 के0 गुप्ता के कार्यों से राज्य विद्युत् परिषद् में करोड़ों के गोलमाल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	901-902
डी0 सी0 एस0 के पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मऊनाथ भंजन के छात्र सुनील कुमार की पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	902
ग्राम शंकरपुर खुर्द मसमुले बड़गांव, जिला गोंडा में हुए अग्निकाण्ड से क्षति तथा राहत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	903
नियम 301 की सूचना का उत्तर दूसरे विभाग के मंत्री द्वारा दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	903-905
नियम 301 की कतिपय सूचनाओं को न लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	905-907
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	..	907
जनपद सीतापुर में शारदा सहायक परियोजना द्वारा बनी नहर से सीपेज की समस्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	907-912
बलरामपुर, जिला गोंडा में घटित घटनाओं तथा श्री बिन्दु लाल, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा को हवालात में बन्द करने और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में न्यायिक जाँच कराने हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के विषय में वक्तव्य	..	912.916

विषय		पृष्ठ-संख्या
लखनऊ की नयी बस्ती स्थित मस्जिद को गिराये जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य को कार्य-सूची में सम्मिलित न किए जाने पर आपत्ति	..	915-916
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	916-926
उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)		926
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से सम्बन्धित निर्धारित वक्तव्य कार्य-सूची में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	926-927
1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 11-खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)		927-969
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	969-970
मेरठ नगर में पुलिस और पी० ए० सी० द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की कथित हत्या किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा	..	970-1002
नत्थियां	.. ..	1003-1004

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 24 फरवरी, 1983 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 350

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अक्बाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबूल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्वम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुल्तन भैया)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशी नाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदा दीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)

गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गौंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छतर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जैराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
घुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थी सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नन्दू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट श्री (पिथौरागढ़)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
पन्ना लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
पराती लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पार्वती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभु नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शन जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
बंशीधर, श्री (रामपुर)

बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बदेखन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज बिशी मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह यिशरद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)

मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह, एडवोकेट (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)

राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
बृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौडी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरयू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुखान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)

सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोनांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पांडेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पांडेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेम चन्द निमेष, श्री (मेरठ)

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, 24 फरवरी, 1983

तारांकित प्रश्न

नावेल्टी सिनेमा भवन, लखनऊ में पार्किंग हेतु कथित अपेक्षित स्थान

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मान्य उपविधियों के अनुसार प्रत्येक सिनेमा भवन में कार-पार्किंग के लिए भूखण्ड का 30 प्रतिशत, स्कूटर पार्किंग के लिए 10 प्रतिशत और साईकिल पार्किंग के लिए 25 प्रतिशत स्थान अपेक्षित है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नावेल्टी सिनेमा, लालबाग, लखनऊ में पार्किंग के लिए कुल कितना स्थान उपलब्ध है ? यदि उपलब्ध नहीं है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

जी नहीं । लखनऊ विकास-प्राधिकरण के नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है । अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की उप विधियों में उप विधि 45(3) के अनुसार, जो कि बिल्डिगों के कंस्ट्रक्शन के सम्बन्ध में है उसमें सिनेमा का बिल्डिग के बारे में है कि उनमें कार पार्किंग के लिये भूखण्ड का 30 प्रतिशत, स्कूटर पार्किंग के लिये 10 प्रतिशत और साईकिल पार्किंग के लिये 25 प्रतिशत स्थान अपेक्षित है तो मूल प्रश्न का उत्तर न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, आपने जो सिनेमाओं के बारे में पूछा था और आपने जो विकास प्राधिकरण के नियमों का उल्लेख किया है उसमें स्थिति यह है कि यह सिनेमा 1951 के पहले का बना हुआ है । अब जो सिनेमा बिल्डिगों पर प्रतिबन्ध लागू किये जाते हैं, वह इस कारण से इस पर लागू नहीं होते हैं और इस पर सिनेमाग्राफिक रूल्स ही इफेक्टिव होते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह एक तरफ है और दूसरी तरफ उन सिनेमा की बिल्डिग्स के बारे में, जो शासन की ओर से आदेश होते रहे, वह इस पर क्यों नहीं प्रभावी हुए । दूसरी चीज में यह जानना चाहता हूं कि श्री अरुण कुमार जैन का एक पत्र, जिसकी पत्र संख्या है 413/एल0 डी0 ए0/एस जेड जी, दिनांक 30-11-81, उक्त उप विधि के अनुसार उक्त स्थल के बारे में जो अवैधानिकता है, उसे बताया गया है उसमें, वह प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो तदनुसार कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

कौन सा पत्र है ? यह मेरे पास नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

यह पत्र संख्या 413/एल0 डी0 ए0 एच जेड जी, दिनांक 30-11-81 है, जो कि पार्किंग स्थल के बारे में कि 1918 मीटर पार्किंग एरिया होने के लिये दिया गया था। इस पत्र के मुताबिक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, यह पत्र मेरे पास नहीं है लेकिन जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है इस सिनेमा का लाईसेन्स 1951 के पहले का दिया हुआ है और उसके बाद के जो सिनेमाग्राफिक रूल्स बने हैं वो इस पर प्रभावी नहीं हैं चाहे विकास प्राधिकरण हो या कोई और। जिन नियमों का हवाला दिया गया है, वे इस पर प्रभावी नहीं होते हैं।

श्री राज कुमार राय—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पार्किंग के लिये जो स्थान दिये गये हैं, यह सुविधा के लिये हैं। अब मंत्री जी के कहने के अनुसार पार्किंग के नियम 1951 के बाद की बिल्डिंग्स पर लागू होते हैं तो जनता की सुविधा को ध्यान में रख कर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो चीज जनता की सुविधा के लिए आवश्यक है उसके लिये अपने आदेश पूर्व कालिक तिथि से या रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इस पर विचार किया जा सकता है।

मान्यवर, आपने बात बहुत मुनासिब उठाई, यह तो सही है कि इसी सुविधा को देखते हुए इन सब चीजों पर नियंत्रण करने के लिए नियम बनाये गये हैं, लेकिन जो पुराने बने हुए हैं, उनको गिराया नहीं जा सकता है या उनका विध्वन्स नहीं किया जा सकता है।

*2—श्री राजकुमार राय—

[आइवसन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बाबा श्री राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर की बन्दी का कारण

*3—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा श्री राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर दिनांक 13 जून, 1982 से अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो उसे बन्द करने का क्या कारण था ? क्या यह सच है कि नेहरू चिकित्सालय, गोरखपुर से मरीजों को हटाने (डिस्चार्ज करने) तथा नए मरीजों को न भर्ती करने के कारण गम्भीर रूप से बीमार कुछ मरीज मर गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ? क्या इस मामले की जांच करायी जायेगी ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

जी हां। कुछ असामाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुये इस मेडिकल कालेज को दिनांक 14 जून, 1982 से बन्द कर दिया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गौरी देवी—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि वहां पर जो अये दिन झगड़ा होता रहता है, जिससे चिकित्सालय का कार्य प्रभावित होता है, उसके सुधार के लिये सरकार द्वारा कोई स्थायी हल निकाला गया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला यह है, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में जवाब दिया कि इसमें असामाजिक तत्वों का रोल है और दूसरा यह कि जो हमारे होस्टल या कालेज की ओर से हो सकता है, वह किया गया है। विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है जैसे हास्टल के चारों ओर चहारदीवारी बनाई जा रही है, वहां पर एक चौकीदार तैनात किया गया है और पुलिस द्वारा कार्यवाही के लिये कह दिया गया है। वहां पर एक स्थायी पुलिस चौकी कायम होगी, इसी तरह के कदम उठाये गये हैं।

श्रीमती गौरी देवी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना के कारण अस्पताल कितने दिन बन्द था ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, यह 15–20 दिन के करीब बन्द रहा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेडिकल कालेज 15–20 दिन बन्द रहेगा, यह बड़ी गम्भीर बात है। मैं जानना चाहूंगा कि वह कौन से असामाजिक तत्व थे जिनके कारण कालेज को बन्द करना पड़ा और दूसरी यह कि उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, यह जो कालेज बन्द करना पड़ा, वह तो प्रिन्सिपल के आदेश से हुआ। चूंकि वातावरण बड़ा विषाक्त हो गया था इसीलिए इसको बन्द किया गया था। दूसरा जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ हमारा पूरा ध्यान है लेकिन कौन से असामाजिक तत्व थे, वे हमारी जानकारी में नहीं हैं।

श्री विश्वासागर नौटियाल—

मान्यवर, एक प्रश्न और पूछ लेने दीजिये।

कर अधीक्षक, नगर पालिका चन्दौसी के विरुद्ध आरोपों की जांच

*4--श्री रियासत हुसैन--

क्या नगर विकास मन्त्री को विदित है कि कर अधीक्षक, नगर पालिका चन्दौसी, जिसको फरवरी, 1981 में जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा कुछ आरोपों की जांच के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया था, को आरोपों की जांच हुये बिना ही पुनः बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

निरीक्षण पुस्तिका तथा कैशबुक से पता चलता है कि कर अधीक्षक ने 3 फरवरी, 1981 से 8 अप्रैल, 1981 तक पालिका का कोई कार्य नहीं किया था और उनके स्थान पर जलकर निरीक्षक ने कार्य देखा था । पेबिल दिनांक 8 अप्रैल, 1981 से ज्ञात होता है कि इन्हें फरवरी और मार्च, 1981 का वेतन दिया गया पेबिल पर निलम्बन का कोई उल्लेख नहीं है ।

कर अधीक्षक के विरुद्ध आरोपों से सम्बन्धित पत्रावली तत्कालीन प्रभारी अधिकारी के पास थी । उनकी अचानक हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई । अब उक्त पत्रावली उपलब्ध नहीं है ।

लिखित प्रश्न जो है, उसको तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन मैंने इसको देखा है । देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि संदेहात्मक ढंग से इस चीज को छिपाने के लिए यह पत्रावली गायब की गयी है । मैं इसमें आपकी सहायता चाहूंगा कि किस अधिकारी से उसकी जांच करायी जाय, कमिश्नर को भेजा अथवा किसी अन्य अफसर को भेजा जाये ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, सप्लीमेन्टरी का जवाब माननीय मन्त्री जी ने पहले ही दे दिया क्योंकि वे इससे कंविन्स हो गये कि यह मामला गम्भीर है । दो महीने वह आदमी गायब भी रहा और इससे सम्बन्धित फाइल भी गायब है तो मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी कमिश्नर से ही इसकी जांच करायें ।

श्री राम सिंह खन्ना--

मैं इसकी जांच उन्हीं से करा लूंगा ।

*5--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में भूखण्डों के पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जिलाधिकारी द्वारा दिया गया उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र

*6--श्री मोहन सिंह, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा भगवती सिंह विशारद--

क्या यह सही है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् भूखण्डों तथा भवनों के अभिहस्तन एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम, 1979 के विनियम संख्या

42(2) पंजीकृत व्यक्ति अथवा प्रदेशन गृहीता की मृत्यु हो जाने पर सम्बन्धित भूखण्ड/भवन को उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र इण्डेमिनिटी बांड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर एक व्यक्ति के पक्ष में किए जाने का प्राविधान है परन्तु दस हजार से अधिक मूल्य की सम्पत्ति की दशा में जिला जज के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र पर ही प्रदेशन किए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला जज के स्थान पर जिलाधिकारी के उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पर ही ग्रस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकार देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण प्रदेशन विनियमावली, 1979 के विनियम 42(1) के अनुसार उत्तराधिकारी के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, इन्डेमिनिटी बांड, अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्तिक शपथ-पत्र-प्रस्तुत करने पर पंजीकरण परिवर्तन कर दिया जाता है ।

सम्पत्ति का प्रदेशन हो जाने पर प्रविष्टी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में सम्पत्ति के हस्तान्तरण हेतु विनियम 42(2) के अनुसर अन्य प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त रु0 20,000 तक के मूल्य की सम्पत्ति पर जिलाधिकारी द्वारा दिया गया उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र मान्य है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब 20 हजार तक आपके लिये मान्य है तो उसके ऊपर न मानने के क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, इसमें उत्तराधिकारी निश्चित करने का जज साहब को अधिकार है । लेकिन जो बात आपने उठायी है, वह भी मुनासिब है कि जब 20 हजार तक कर सकते हैं तो आगे क्यों नहीं हो सकता ? इसको हम लिखवा लेंगे ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से विधायक पासपोर्ट का प्रमाण-पत्र देते हैं । क्या माननीय मन्त्री जी आवास विकास निगम, जिनके नाम से मकान एलाट होते हैं तो उसका जो उत्तराधिकारी है उनको भी प्रमाण-पत्र देने का अधिकार आप विधायकों को देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप पूछना चाहते हैं कि क्या प्रमाण-पत्र विधायकों की संस्तुति के आधार पर दिया जा सकता है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

माननीय विधायकों की संस्तुति पर गौर किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गयी है और जिनके नाम से मकान एलाट हैं, अभी प्रमाण-पत्र नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । आपको इजाजत नहीं दी गई है ।

किसान सहकारी समिति साखीपार, विकास खण्ड पडरौना, देवरिया में गबन की जांच

*7- श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी समिति साखीपार, विकास खण्ड पडरौना, जनपद देवरिया में 1980-81 से वर्ष 1981-82 तक लगभग 6 लाख से ऊपर रुपये का गबन किया गया है ? यदि हां, तो इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

प्रश्नगत समिति में प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 में 10,793 रु0 के गबन का मामला प्रकाश में आया है । सम्बन्धित सचिव को निलम्बित करके मामले की जांच की जा रही है । चूंकि उक्त सचिव से पूरे अभिलेख अधिग्रहीत नहीं किये जा सके हैं, अतः उक्त अवधि के बाद में कितना गबन हुआ, बताना अभी सम्भव नहीं है ।

(प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के लिए सहकारिता मंत्री का नाम पुकारे जाने पर तथा उत्तर देने के लिए सामुदायिक विकास मंत्री के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जायें । पिछले तीन चार मर्तबे से सहकारिता विभाग के प्रश्नों का उत्तर आप दे रहे हैं । उपयुक्त यह होगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि जब तक मेरे पास यह लिखकर नहीं आयेगा कि प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित मंत्री न देकर दूसरे मंत्री देंगे, मैं मानता हूं कि मंत्रिपरिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी है, तब तक आगे प्रश्नों का उत्तर देने की व्यवस्था मैं नहीं कर सकता हूं । इसलिए आप शासन के लोगों को हिदायत दे दें कि यदि कोई मंत्री, किसी कारणों से चले जायं, बीमार हों अथवा उनका कोई कार्यक्रम हो तो वे पहले अध्यक्ष को लिखकर दे दें, तभी सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा अथवा स्थगित किया जा सकेगा । आज इस प्रश्न का उत्तर देने की मैं आपको आज्ञा देता हूं ।

श्री नन्दकिशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सचिव सस्पेन्ड हैं और वे सारे कागजात लेकर गायब हो गए हैं । क्या उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एफ0 आई0 आर0 कब दर्ज कराई गयी और कौन अधिकारी उसकी जांच कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसकी एफ0 आई0 आर0 20-2-83 को दर्ज करायी गयी है कसिया थाने में ।

श्री राजकुमार राय--

माध्यवर, प्रदेश के लगभग सारे जिलों में इस किस्म की घटनायें होती हैं जब किसी सचिव का स्थानान्तरण होता है या उसके मन मुताबिक जगह नहीं मिलती है तो वह एब्सकोड कर जाता है इससे वितरण को धक्का लगता है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि एक निश्चित समय के अन्दर यदि सचिव नहीं पहुंचता है और एब्सकोड कर जाता है तो उसको सस्पेन्ड करने की या कोई और कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय सदस्य का अच्छा सुझाव है इस पर विचार करेंगे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कागज बरामद नहीं किये गये है उनको बरामद करने के लिए कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

एफ0 आई0 आर0 लाज करा दी गयी है । परगना मैजिस्ट्रेट ने वारंट भी इश्यू कर दिया है ?

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो कार्यवाही हो रही है वह किस स्तर पर है और कब तक यह पूरी हो जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसकी जांच पुलिस को दे दी गयी है और वारंट आफ एरेस्ट इश्यू कर दिया गया है । आशा है कि इसमें शीघ्र ही पुलिस के जरिये से कागज बरामद करने की कार्यवाही पूरी हो जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, दो साल पहले 1981 में यह मामला प्रकाश में आया था जब गबन हुआ तो उसके बाद वह सचिव निलम्बित भी हो गया होगा । यह बात स्पष्ट है कि जब माननीय सदस्य देवरिया ने प्रश्न किया तो उसके बाद एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी । इतने दिन बीच में जब मामला प्रकाश में आया तो

एफ0 आई0 आर0 दर्ज न करने के क्या कारण हैं ? वह कौन से विभागीय अधिकारी हैं जिनसे उप सचिव को संरक्षण प्राप्त है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

परगना मैजिस्ट्रेट के द्वारा पहले ही वारंट आफ एरेस्ट इश्यू कर दिया था। रिपोर्ट 20-2-83 को हो गयी उनको ट्रेस करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री लदन सिंह--

मान्यवर, यह 6 लाख के गबन का मामला है इससे प्रतीत होता है कि यह थोड़ से समय में नहीं हुआ होगा और न एक ही व्यक्ति ने किया होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो उच्च अधिकारी गबन के मामले की देखभाल नहीं कर सके उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इसमें जांच हो रही है जिसमें थोड़ा समय लगेगा।

*8--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*9--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री भगवती सिंह विशारद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*10--श्री हरिवंश सहाय--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

फर्रुखाबाद हेतु स्वीकृत आवास कालोनी के निर्माण का कार्य

*11--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र संख्या 189 का/82 दिनांक 18 अप्रैल, 1982 को फर्रुखाबाद के लिए स्वीकृत आवास कालोनी के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराए जाने के विषय में मुख्य मन्त्री को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

आवास कालोनी हेतु भूमि के अर्जन की कार्यवाही चल रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनकी जानकारी में यह है कि यह योजना 1973 में स्वीकृत हुई थी और आवास के लिए पंजीकरण हुए भी तीन साल हो गये जिसमें लोगों से काफी धन भी पंजीकरण का जमा है। अत उससे असंतोष व्याप्त हो रहा है जिस भूमि का इस योजना हेतु चयन किया गया था उसको अध्याप्त करने में क्या कठिनाई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, 1973 में नहीं बल्कि 1978 में पहली विज्ञप्ति जारी हुई थी और अब इस पर कुछ आपत्तियां आयी हैं। यह भूमि बहुत उपजाऊ है, आलू की पैदावार होती है। इसलिये जो वहां के किसान हैं उनको परेशानी हो जायेगी और उनके लिये उचित नहीं होगा। इसलिये पूर्व मन्त्री जो वहां गये थे और एक कमेटी का इसमें गठन कर दिया है तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद तुरन्त इस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी जो वसूल फर्रुखाबाद के लिये बनाया है वही रामपुर गंगा कालोनी के सम्बन्ध में बनायेंगे ? चूंकि रामपुर गंगा कालोनी के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि वहां की जमीन इतनी उपजाऊ है जितनी कि पंजाब की है, वह छोटा इलाका है, छोटे-छोटे जोतों वाले किसान हैं, आलू की पैदावार अच्छी होती है और यहां का आलू बिहार को भी जाता है। इसलिये क्या रामपुर में उस स्थल पर, जहां आवास कालोनी शासन बनाना चाहता है, वहां की जांच मन्त्री जी करायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, वसूल में किसी का भेदभाव नहीं होता है। एक जगह जो वसूल होगा वही सारे प्रदेश में लागू होता है। इसलिये जहां यह चीज जानकारी में आयेगी वहां छानबीन करके कार्यवाही की जायेगी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जहां भी इस प्रकार की आवास कालोनी बनाने का प्रश्न आता है भूमि के अधिग्रहण की समस्या होती है और कुछ लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो क्या मन्त्री जी अपनी सक्रियता का परिचय देते हुये जो कमेटी गठित किया है, उसे एक निर्धारित समय में आख्या प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा जिससे किसानों को फायदा हो सके ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, हम सभी सहमत हैं कि जो कार्य करना चाहते हैं और जिससे लोगों को भलाई हो, लेकिन मालूम होता है कि उससे बुराई भी हो सकती है, तो उसको देखने के लिये समय देना पड़ता है और उचित भी है। अभी 5 फरवरी, 1983 को मुख्य अभियन्ता वहां गये थे जिलाधिकारी नहीं मिले, इसलिये कहा गया है कि इसमें शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले और संस्तुतियों से शासन को अवगत करायें ताकि इसमें निर्णय जल्दी हो सके।

जिला फैजाबाद के विभिन्न अस्पतालों में सब स्टैंडर्ड दवायें व अन्य सामग्री क्रय करने में अनियमितताओं की जांच

*12--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, फैजाबाद के कतिपय अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 1981-82 में अमान्यता प्राप्त कम्पनियों से सब स्टैंडर्ड दवायें व अन्य सामग्री (जैसे गाज पट्टी) क्रय करने में

व जिला फैजाबाद के विभिन्न सिविल अस्पतालों में उनका वितरण करने में गम्भीर अनियमितताएं और लाखों रुपयों का घोटाला किया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किससे, कब और कितनी शिकायतें पहली अप्रैल, 1981 व 5 जून, 1982 के बीच शासन व विभाग को मिली ? क्या उनकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब, किससे तथा जांच का परिणाम क्या है ?

श्री हरि सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, अस्पतालों में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित यह मामला है, महत्वपूर्ण मामला है । इसलिये मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक जो जांच है, अंतरिम जांच जो है, उसकी आख्या क्या आयी है और पूरी जानकारी मंगाकर सदन में कब देंगे ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, जो चीजें उठायी गयी हैं उनकी जानकारी करने के लिये सूचना एकत्र कर रहे हैं और सूचना आने पर 15 दिन पर पुनः प्रश्न आने पर दे देंगे ।

श्री माधव प्रसाद--

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानकर कि इस गाज-पट्टी के खरीदने के बारे में जो कांड उभारा है, मन्त्री जी के आदेशानुसार जांच हुई है लेकिन उत्तर दिया गया है कि सूचना मंगाई जा रही है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि यह सालभर का मामला है और जांच हो चुकी है, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जांच अधिकारी ने क्या इसमें किया है ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, इसमें जांच के सम्बन्ध में जो विधायक जी ने बताया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इसमें किसी उच्चाधिकारी से जांच कराई गई है ।

*13--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

[9वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों का स्थायीकरण

*14--श्री सुरेन्द्र कुमार---(अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में 22 सालों से अधिक समय से कार्य प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में कार्य करने के पश्चात् भी अभी तक स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी । अतः प्राधिकरण में किसी के 22 साल से अधिक समय से कार्यरत रहने का प्रश्न नहीं उठता । विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों की सेवा नियमावली को अभी अन्तिम रूप न दिये जा सकने के कारण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के किसी कर्मचारी को अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका ।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की महाविद्या आवासीय योजना का शिलान्यास तथा भवनों का निर्माण

*15—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निर्बल वर्ग आवास हेतु मथुरा, वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित हो रही महाविद्या आवासीय योजना का शिलान्यास कब हुआ था ? निर्बल वर्ग के लोगों को अभी तक मकान आवंटित न होने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण की महाविद्या आवासीय योजना का शिलान्यास 15 मार्च, 1981 को किया गया था । ठेकेदार द्वारा 84 भवनों के निर्माण का कार्य मार्च, 1981 में प्रारम्भ कर दिया गया था और जून के अन्तिम सप्ताह में इन भवनों का निर्माण लिन्टल लेविल तक पहुंचा था परन्तु 29 जून, 1981 को भारी वर्षा के कारण भवन क्षतिग्रस्त हो गये और कार्य बन्द कर दिया गया ।

अब योजना का रिकास्ट कर दुबारा ठेका दिया गया है और इस समय कार्य प्रगति पर है । सारे प्रकरण की छानबीन के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री सरदार सिंह—

यह बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें अधिकारियों और ठेकेदारों ने गरीबों और हरिजनों के नाम पर खूब खाया है, तो वह कौन से अधिकारी हैं, जिन्होंने इस बात का निरीक्षण किया था कि गिरने से पहले दीवाल लिन्टर लेवेल तक पहुंच गई थी या इसमें मात्र ठेकेदारों की बात मान ली गई ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जो सूचना मुझे उपलब्ध कराई गई है, उसके आधार पर मैंने आपको बताया है ।

श्री सरदार सिंह—

इसको करीब 3 साल होने जा रहे हैं, तो इसके जो छानबीन अधिकारी हैं, उनके नाम क्या हैं और यह छानबीन कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

यह आपके प्रश्न पूछने के उपरान्त परसों मेरे सामने आया था और मैंने सचिव को आदेश दे दिये हैं कि इसमें उच्चस्तर अधिकारियों को भेजकर जांच कराएं और उसके बाद हमें बताएं । हमने उनसे यह भी कहा है कि यह मामला

गम्भीर हैं, वह बताएं कि ठेकेदार का पेमेन्ट हुआ है या नहीं ? यह विकास प्राधिकरण की बात है, वह अपने को थोड़ा आजाद समझते हैं ।

श्री मोहन सिंह--

इस स्थान को मैंने भी देखा है,बहुत कच्ची मिट्टी की साधारण किस्म की दीवाल बनी थी, जो मामूली बरसात में ध्वस्त हो गई । मंत्री जी कह रहें हैं कि परसों उनको इसकी जानकारी मिली, जब पत्रावली सामने आई, जबकि एक साल पहले मैंने माननीय नगर विकास मंत्री को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था, जिसका उन्होंने उत्तर भी दिया था, जो हमारे पास है, उन्होंने बताया था कि इस कार्य के जो इंचार्ज थे उनको निलम्बित करके इसकी छानबीन शुरू हो गई है । उनका मिला हुआ पत्र भी सदन की प्राप्टी मानी जाना चाहिए । तो क्या इस सम्बन्ध में कोई विभागीय छानबीन या विभाग की ओर से किसी किस्म की जानकारी आपके विभाग में थी ? यदि हां, तो इसमें आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामसिंह खन्ना--

मेरी जानकारी में ऐसी कोई चीज नहीं आई है । जैसा आया है वैसा मैंने आपको बताया है ।

श्री मोहन सिंह--

उस ठेकेदार को, जिसने मामूली तरीके से सीमेंट और बालू लगाकर उसे गिरा दिया, उसको विकास प्राधिकरण की ओर से कितना पेमेन्ट किया गया है ? मेरी जानकारी अनुसार उसे 3 लाख रूपये का पेमेन्ट कर दिया गया है ।

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय, इस योजना की अनुमानित लागत 55.56 लाख थी । यह योजना हुडको द्वारा पोषित की जानी थी जिसके लिए 41.66 लाख रुपये का ऋण हुडको द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसमें से दो किश्तें क्रमशः 8.32 लाख तक 17.10 लाख प्राप्त हो चुकी है । निर्बल आय वर्ग के भवनों का ठेका निविदा मांग कर मेसर्स के0 डी0 अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कं0 को अनुबन्ध संख्या 2, दिनांक 25-2-81 द्वारा रु0 14·05 लाख का दिया गया । ठेकेदार ने 84 भवनों पर निर्माण कार्य मार्च, 1981 में प्रारम्भ कर दिया था । विन्यास मानचित्र के अनुसार ये भवन लोकाइंग क्षेत्र में स्थित थे जून, 1981 के अन्तिम सप्ताह में जब निर्बल आय वर्ग के 84 भवनों का निर्माण लिन्टल लेबिल तक पहुंचा तो 29 जून, 1981 की भारी वर्षा के कारण भवन क्षतिग्रस्त हो गये, और विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया ।

दिनांक 7-4-1981 को प्राधिकरण की बैठक में मथुरा-जनपद में लोना की समस्या को देखते हुए निर्णय लिया गया कि भवनों को लोना की रोकथाम के लिए आवश्यक ट्रीटमेंट दिया जाये । उक्त ट्रीटमेंट से भवन निर्माण लागत में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी आंकी गयी थी । कार्य बन्द होने के कारण समस्त ठेकेदारों ने किये गये कार्य के विरुद्ध क्लेम प्रस्तुत कर दिये जिस पर निर्णय लिया जाना था। इसके पश्चात् साल्टपीटर ट्रीटमेंट के कारण भवनों की लागत होने वाली वृद्धि पर भी निर्णय लिया जाना था । निर्बल आय वर्ग के ठेकेदारों के दावे में निर्णय दिनांक 18-9-82 को लिया गया तथा 81,674·50 रु0 का भुगतान किया गया जिसमें से लगभग 36,300 रु0 की ईंट मिल जायेगी ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय, मैंने उस स्थान को देखा है । माननीय, जिस स्थान पर यह भवन बनाये गये, वहां पहले पूरे नगर का कूड़ा फेंका जाता था और उसी स्थान को निर्बल आय वर्ग आवास बनाने के लिए चयन किया गया । माननीय, वहां पर निर्बल आय वर्ग आवास योजना शुरू करने से पहले क्या उस स्थल का कोई तकनीकी सर्वे आपके विभाग ने कराया था जिससे यह मालूम हो जाता कि वह भवन के योग्य था कि नहीं ।

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय, इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है । मालूम करके बता दूंगा ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय, इस समय जो कालोनी बनायी जा रही है वह पहले ठेकेदार द्वारा बनवाई जा रही या उसके लिये दुबारा टेन्डर मांगकर कोई नया ठेका दिया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय, अगर नया ठेका दिया भी गया होगा और देने का इरादा भी होगा, तो इसकी छानबीन करके मैं कार्यवाही करूंगा ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय, इसे स्थगित करा दें । इसमें बहुत घपला है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय, अभी माननीय मोहन सिंह ने एक प्रश्न किया कि जिस स्थान पर यह भवन बनाया गया, उसका सर्वेक्षण किया गया कि नहीं किया गया । क्या माननीय मन्त्री जी के पास इसकी सूचना है कि नहीं ? 81 हजार 674 रु0 90 पैसे का पेमेंट भी कर दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पेमेंट देने से पहले क्या उन भवनों की कोई जांच कराई गयी थी, जिसकी जांच कराना जरूरी था ? अगर जांच कराई गयी थी और उसमें जिस अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि पेमेन्ट कर देना चाहिए, तभी पेमेन्ट किया गया होगा ? तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उस अधिकारी के विरुद्ध भी क्या कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय, पूरी छानबीन करके पूरी कार्यवाही करेंगे, यह आसान बात नहीं है कि इस तरह की बिल्डिंग बने और जरा सा पानी गिरने के बाद गिर जाय ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

माननीय, जब भवन का ठेका होता है, तो निश्चित रूप से डी0 ओ0 जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की देखरेख में यह काम होता है । वह कौन सा असिस्टेन्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर हैं, जिसकी देख-रेख में यह काम हुआ है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, इसमें इंजीनियर्स वगैरह का नाम नहीं दिया हुआ है ।

मान्यवर, आपकी मंशा यह है कि यह काम गलत हुआ है और गलती करने वाले को दंडित किया जाय । मैं आश्वासन देता हूं कि इसमें मैं जांच कराऊंगा और 15 दिन बाद आपको इसकी सूचना दूंगा ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, 29 जून, 1981 को भारी वर्षा के कारण भवन क्षतिग्रस्त हो गये और कार्य बन्द करा दिया गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि इन मकानों को दोबारा बनवाया जायगा या इनकी मरम्मत करायी जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, सर्वेक्षण कराकर, सारी चीजों को समझ कर वहां भवन बनाना उचित है या नहीं जिसने लापरवाही की है उसको पूरे तौर से दण्डित किया जायगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है । निर्बल वर्ग आवास के लिये निर्बल जमीन पर घर बनाये गये । जो इसी तरह से छोटे पुल या पुलिया ठेकेदार बनाते हैं और वह गिर जाते हैं तो उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन ठेकेदारों ने यह भवन बनाये हैं उनको ब्लैक लिस्ट में करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

हर एक चीज की छानबीन की जायगी इसमें किसी के साथ रियायत नहीं बरती जायगी । यह बहुत ही गंभीर मामला है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि जो आवास गिर गये हैं उसको पुनः बनवाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जो मकान गिर गये हैं उनको उस जगह पर बनवाया जाय या नहीं । इन सब बातों का सर्वेक्षण कराकर जिनकी उदासीनता की वजह से यह हाल हुआ है उन सबको सजा दी जायगी ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मकानों के गिरने के बाद जो इनका लोहा और ईटा था विभाग के अधिकारियों ने उसको बाजार में बिकवा दिया है । मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि मलवे को बिकवा दिया गया है । तो वह धनराशि कितनी है ? क्या उसको विभाग के कोष में जमा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

यह मेरा कर्तव्य है कि जो मेरी जानकारी में आया है तो मुझे अवश्य ऐसा काम करना चाहिये । अगर न करूं तो मुझे दंडित होना चाहिये ।

जनपद फैजाबाद तथा गोंडा की सहकारी समितियों द्वारा नीम की खली की अवैध खरीद का मामला

16--श्री मित्रसेन--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद गोन्डा में वर्ष 1981-82 में सहकारी विभाग द्वारा भारी मात्रा में नीम की खली की अवैध खरीद का मामला प्रकाश में आया है जिसमें कई लाख की आर्थिक अनियमितताएं पाई गयी हैं ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद फैजाबाद तथा गोंडा की सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 1981-82 में क्रमशः रु0 3,73,592 एवं रु0 97,125 मूल्य की नीम की खली की खरीद का मामला प्रकाश में आया था ।

जनपद फैजाबाद में नीम खली प्रकरण में 31 सचिव, 16 सहकारी पर्यवेक्षक 4 सहायक विकास अधिकारी (सह0), 3 बैंक शाखा प्रबन्धक निलम्बित किये गये । इनमें से 28 सचिवों का निलम्बन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा तीन सचिवों का मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । 16 सहकारी पर्यवेक्षक, 3 सहायक विकास अधिकारी (सह0) तथा 3 शाखा प्रबन्धकों के मामले में उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है तथा एक सहायक विकास अधिकारी (सह0) के मामले में मुंसिफ कोर्ट से स्थगन आदेश पारित किया है तथा एक सहायक विकास अधिकारी (सह0) के मामले में मुंसिफ कोर्ट के स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त नीम की खली के व्यवसाय करने वाली फैजाबाद जनपद की सहकारी समितियों के कार्यकलापों, वित्तीय स्थिति एवं व्यावसायिक लेनदेन के संबंध में सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 65 के अन्तर्गत जांच की जा रही है ।

गोण्डा जनपद में 7 सचिव, 1 पर्यवेक्षक, एक सहायक विकास अधिकारी (सह0) तथा एक शाखा प्रबन्धक को निलम्बित किया गया था जिसमें से 3 सचिवों का निलम्बन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया । 2 सचिवों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है । एक सचिव फरार है । एक सचिव तथा एक सहायक विकास अधिकारी (सह0) को बहाल कर दिया गया है । बैंक के शाखा प्रबन्धक ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए है । इसके अतिरिक्त दो सहकारी समितियों के प्रशासकों को हटा दिया गया है । जनपद गोण्डा की जिन सहकारी समितियों द्वारा नीम की खली का व्यवसाय किया गया है उनके दोषी कर्मचारियों व पदाधिकारियों के विरुद्ध सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 68 के प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोग की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस फर्म से नीम की खली की खरीद की गयी क्या वह फर्म रजिस्टर्ड थी ? दूसरी जानकारी मैं यह करना चाहता हूं कि क्या उस खरीदी गयी नीम की खली क

रासायनिक परीक्षण कराया गया ? मान्यवर, जानकारी में यह आया है कि उसका रासायनिक परीक्षण नहीं कराया गया है ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार इसमें संदेह है कि वह फर्म रजिस्टर्ड थी या नहीं थी । दूसरे, इसकी केमिकल जांच नहीं करायी गयी ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, इतने दिन की जांच के बाद अभी भी विभाग संदेह में है कि वह फर्म रजिस्टर्ड थी या नहीं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह संदेह कब तक निश्चित रूप से दूर हो जायेगा कि वह फर्म रजिस्टर्ड थी या नहीं ? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि किनके आदेश से यह नीम की खली खरीदी गयी, कहीं यह भी तो संदेह में नहीं है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जो उत्तरदायी अधिकारी थे, उनका जिक्र मैंने प्रश्न के उत्तर में कर दिया है । मान्यवर, जो-जो अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी थे, उनके खिलाफ ऐक्शन हुआ । लेकिन, मान्यवर, इसमें स्टे हाई कोर्ट से हो गया, निलम्बन आदेश हाईकोर्ट से निरस्त हो गये, उत्तर में सारी बातें उल्लिखित हैं ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश द्वारा कुछ अधिकारियों को दन्डित करने के लिये आपसे अनुमति मांगी है ? यदि, हां, तो उनको अभी तक अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है । लेकिन मैं आपको आश्वासन दूंगा कि इस सम्बन्ध में जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री माधव प्रसाद--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया कि नीम की खली की खरीद-फरोख्त में घोटाला पाया गया, काफी अधिकारी कर्मचारी निलम्बित हुए । श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो अधिकारी निलम्बित थे बहाल हो गये उच्च न्यायालय द्वारा, तो उसका आधार क्या था निलम्बित करने का ? और निलम्बित अधिकारी की प्रोन्नति भी कर दी गई है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

आधार तो पूरा प्रश्न में लिखा है, मैं इसकी अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री जिया राम शुक्ल, 'विकल साकेती'--

जहां तक मेरी जानकारी है साधन सहकारी समितियों को स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार नहीं है । इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने बहाल कर

दिया। तो क्या मंत्री जो कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि साधन सहकारी समितियां जो व्यापार कर वह किसी रजिस्टर्ड फर्म से करें और क्या कोई नियमावली बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

रजिस्टर्ड फर्म से ही व्यापार करना चाहिए और ऐसा ही होता है लेकिन इसमें ऐसा मालूम हुआ कि लोगों ने गलत कम किया इसीलिए कार्यवाही हुई है। और जो अधिकारी रह गये हैं, अगर दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम स्वरूप वर्मा---

किस फर्म से कितनी खली खरीदी गई और किसानों को दी गई या नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

गोंडा, फैजाबाद जनपद में 22 सहकारी समितियों ने इसकी खरीद की है फर्म इन्टरप्राइजेज गोरखपुर से और गोन्डा डिस्ट्रक्ट में 10 समितियों ने 97125 रुपये की खरीद की है और 3 लाख 73 हजार 592 रुपये की फैजाबाद जनपद में खरीद की है।

श्री मारकण्डेय चन्द्र---

साधन सहकारी समितियां जो भी व्यापार करती हैं वह केन्द्रीय समितियों के माध्यम से करती हैं, जो भी आपूर्ति होती है वह केन्द्रीय समितियों के माध्यम से होती है। तो जब ये प्राइवेट फर्म से खरीद रहे थे, क्या इसकी अनुमति किसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार से ली गई थी ? यदि ली गई थी, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और यदि अनुमति नहीं ली गई थी तो इतने दिन तक जो व्यापार हुआ है, हर तहसील में ए0 आर0 होता है, इनका काम है इसको देखना तो उन्होंने कोई जांच की है ? यदि की है, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इसकी अनुमति निबन्धक सहकारी समितियां से लेनी चाहिए थी। उन्होंने नहीं ली है। सम्पूर्ण मामले की जांच हो रही है और जैसे ही कोई अधिकारी, ए0 आर0, या जो भी उत्तरदायी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम स्वरूप वर्मा---

खली किस रेट में खरीदी गई और किसानों को किस रेट पर दी गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

रेट तो नहीं लिखा है। आप अगर चाहें तो कितनी खरीदी गई, आपको बता सकता हूं और टोटल एमाउन्ट बता सकता हूं। 10·500 मेट्रिक टन खरीदी गई 9 हजार 960 रुपये की आप इसको कैलकुलेट कर लीजिये कितने की पड़ी।

श्री मारकन्डेय चन्द्र--

माननीय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि इन समितियों को निबन्धक से अनुमति प्राप्त करनी चाहिये थी। जो नहीं किया। हर तहसील में ए0 डी0 सी0 ओ0 कोआपरेटिव होते हैं, उनको समिति का निरीक्षण करना चाहिये, उसकी रिपोर्ट ए0 आर0 को देना चाहिये। क्या इस अवधि में ए0 डी0 सी0 ओ0 न जांच किया और रिपोर्ट भेजी ? यदि नहीं तो सम्बंधित ए0 डी0 सी0 ओ0 के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जो भी दोषी पाये जायेंगे जांच से मालूम होगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। चाहे वह ए0 आर0 हो, ए0 डी0 सी0 ओ0 हो या कोई भी अधिकारी हो।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि अनरजिस्टर्ड फर्म से, खरीदी गयी, रजिस्ट्रार की परमीशन के बिना क्रय किया, सब स्टैन्डर्ड खरीदा हायर प्राइस पर किसानों को बेंचा, इन सब मामले को पुलिस को देने की कृपा करेंगे ? अब तक पुलिस विभाग को मामला न सौपने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

आपका सुझाव अच्छा है इस पर विचार करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, मेरी सूचना को सही मानते हुये कि जिस फार्म से खरीदा गया और जिस वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर खरीदा गया, उस फर्म का उस वरिष्ठ अधिकारी से नजदीकी रिश्ता पहले से रहा है इसकी जांच नहीं हुई। नमक को यूरिया खाद के नाम पर उसी फर्म ने सप्लाई किया। यह केवल फैजाबाद और गोंडा का ही मामला नहीं है सारे प्रदेश में हुआ है। तो मेरी सूचना को सही मान कर जिस अधिकारी ने यह करिश्मा फैजाबाद में किया और इसी प्रकार के आरोप में उसकी जांच हो चुकी है, उसके विरुद्ध सारे प्रकरण की जांच नये सिरे से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय, मैं कह चुका हूं कि इसकी जांच कराई जायेगी। माननीय सदस्य ने जो संकेत किया है, जांच कराते समय मद्देनजर रखा जायेगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

माननीय, नीम की खली का घोटाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला कांड हुआ। इसकी विभागीय जांच कराई गयी। मेरी जानकारी है कि करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। सारी जानकारी को देखते हुये सी0 बी0 आई0 से जांच कराने का कृपा करेंगे या नहीं ? जिससे पूरा मामला स्पष्ट रूप से सामने आ जाये।

श्री बलराम सिंह यादव---

आपको अपनी सरकार पर भी भरोसा करना चाहिये ।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

स्पष्ट उत्तर दिला दीजिये सी० बी० आई० से जांच करायेंगे या नहीं ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा ।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

मान्यवर, परिपाटी हो गयी है सदन में गलत उत्तर देने की । मैं पूछ रहा हूं कि सी० बी० आई० से जांच करायेंगे ?

(शोर)

स्वास्थ्य विभाग के पटवा डांगर संस्थान हेतु सहायक अभियन्ता पद पर तदर्थ प्रोन्नति हेतु शिकायत

*17---श्री हुक्कर सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के पटवा डांगर संस्थान हेतु सहायक अभियन्ता पद पर कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29-4-80, 18-4-78 व 14-5-79 की उपेक्षा तथा बिना कार्मिक विभाग के परामर्श के तदर्थ प्रोन्नति नवम्बर, दिसम्बर, 1980 में की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त विषय में विधायकों द्वारा नवम्बर, 1981 में की गयी शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरि सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मैनपुरी, जिला सहकारी बैंक की शाखा एटा में गबन तथा पुलिस में दर्ज रिपोर्ट

*18---श्री विष्णु दयाल वर्मा---

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि गत वर्ष जनपद मैनपुरी की सहकारी बैंक की शाखा एटा में लगभग एक लाख रुपया का गबन हुआ था जिसमें वहां के शाखा प्रबन्धक तथा कैशियर निलम्बित कर दिए गये थे ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी हां ।

मैनपुरी जिला सहकारी बैंक लि० की शाखा एटा में रु० 92,795.00 के अपहरण एवं रु० 34,920.00 के अस्थाई अपहरण के मामले प्रकाश में आये थे, जिनके सम्बन्ध में पांच प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई । चार

मामले में सहकारिता विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने विवेचना उपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है तथा एक मामला स्थानीय पुलिस के विवेचनाधीन है ।

श्री विष्णु दयाल वर्मा---

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि 92,795.00 रुपये स्थाई और 34,920.00 रुपए अस्थाई था, कुल टोटल 1 लाख 27 हजार 515 रुपए का गबन हुआ तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसमें से कोई धन वापस हुआ अथवा नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, वापस होने की मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री विष्णु दयाल वर्मा---

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि इसमें 5 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है । तो वह रिपोर्ट क्या है और अपराधियों के क्या नाम हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22-1-1982 को दर्ज करायी गई थी । अभियुक्त इसमें बृज राज सिंह वर्मा दूसरे श्री पुष्पकाल सिंह, सहायक शाखा प्रबन्धक, एटा मैनपुरी थे । दूसरी रिपोर्ट दिनांक 17-12-81 को लिखाई गई थी इसमें ब्रज राज सिंह वर्मा, कोषाध्यक्ष तथा सहायक शाखा प्रबन्धक, एटा, मैनपुरी थे । चौथी रिपोर्ट दिनांक 26-2-82 को लिखायी गयी थी तथा पांचवी रिपार्ट दिनांक 26-12-1982 को लिखाई गई थी जिसमें श्री बृज राज सिंह तथा सहायक शाखा, एटा मैनपुरी अभियुक्त थे ।

श्री विष्णु दयाल वर्मा---

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अपराधी अपहरणकर्ता धन के हैं, उनको जेल भेजा गया अथवा उनको अग्रिम जमानत पर ले लिया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है मैं निश्चित सूचना दे चुका हूं कि इसमें पुलिस की अनुसंधान शाखा ने इसकी विवेचना कर ली है और मामले को न्यायालय में भेज दिया गया है ।

श्री सुरेन्द्र कपिल---

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जो गबन हुआ है यह गबन किस प्रकार का था, पैसा गबन है या फर्जी कर्जा मेम्बरों के नाम पर जुड़ा हुआ है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इतनी विस्तार से जानकारी मेरे पास नहीं है । मैं इतना कह सकता हूं कि यह धन का गबन है ।

*19--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[20वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सड़कों के किनारे लगने वाली मन्डी की तर्ज बाजारी वसूल कराये जाने की कार्यवाही

*20--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

प्रथम सत्र 81 के 5वें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 14-1-81 का शासन को उक्त विषय पर तत्काल कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रश्न कर्ता द्वारा जो 14-1-1981 का पत्र मिला था, वह पत्र क्या है और उसमें आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मूल उत्तर में लिखा है, जी नहीं ।

तारांकित प्रश्न

(माननीय सदस्य की प्रार्थना पर नियम 40 के अन्तर्गत स्थगित प्रश्न)

चित्रकूट होटल के अनधिकृत निर्माण को शमनित करने के प्रकरण पर विचार

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस वर्ष चित्रकूट होटल के अनधिकृत निर्माण के मामले को पहले शमनित (कम्पाउन्ड) करने से इनकार कर दिया किन्तु एक मंजिल तोड़ने के बाद इस मामले को ग्यारह लाख रुपये पर शमनित करने के आदेश दे दिये गये और बाद में शमन शुल्क घटाकर एक लाख अट्ठानवे हजार कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण को उक्त आदेश रिव्यू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश दिया गया था ? यदि नहीं, तो उन्होंने स्वयं ही उक्त रिव्यू कैसे किया ?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री राम सिंह खन्ना--

अनधिकृत निर्माण को शमनित (कम्पाउन्ड) करने के प्रकरण पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधि-नियम, 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत प्राप्त शमन प्रार्थना-पत्र शासन के विचाराधीन हैं ।

अतः शमन शुल्क की धनराशि निर्धारित करने तथा पुनः घटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आवास एवं विकास परिषद् में भवन आवंटन हेतु पंजीकरण तथा आवंटित नीति

**1--श्री राम आसरे वर्मा, श्री गौरी शंकर भैया तथा श्री अकबाल हुसैन--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों ने सन् 1979 में आवास विकास परिषद् में भवन आवंटन के लिए अपना पंजीकरण कराया था और जिनको अभी तक लाटरी द्वारा भवन नहीं आवंटित हो सके ? क्या ऐसे व्यक्तियों को मकान देने के लिए सरकार कोई दूसरी नीति अपनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा 1979 में पंजीकरण करते समय यह स्पष्ट रूप से पंजीकरण के इच्छुक व्यक्तियों को सूचना दे दी गयी थी कि पंजीकरण के उपरान्त भवन भूखंड उपलब्ध होने में कम से कम 3 वर्ष लगने की संभावना है । इस वर्ष आशा से बहुत अधिक 76,080 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया । उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के आवंटन सम्बन्धी नियमों के अनुसार दोर को वरीयता के आधार पर आवंटन किया जाता है । अतः किसी विशेष वर्ष के लिए कोई नीति बनाई जानी सम्भव नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कई साल बीत जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराये हुये, लाटरी पड़ती रहती है, बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें 3-4 साल तक हो जाते हैं जो मामले पुराने पड़ जाते हैं, उनके निस्तारण के सिलसिले में और भूखण्ड आवंटन के सिलसिले में शासन द्वारा नीति निर्धारित करने पर आपत्ति क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय, नीति तो निर्धारित है, लेकिन जितने पंजीकृत हैं सबको मकान और भूखण्ड दे देना सम्भव नहीं है । न तो इतने भूखण्ड ही उपलब्ध हैं और न इतना रुपया ही उपलब्ध है । संसाधनों की कमी के कारण एक दम यह काम नहीं किया जा सकता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा प्रश्न जो था तो मंत्री जी समझे नहीं या मैं समझ नहीं पाया। मेरा प्रश्न यह था कि बहुत से लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, लाटरी पड़ती रही, उसके बाद कुछ ऐसे मामले बच जाते हैं, जो 3-3, 4-4 साल तक पुराने हो जाते हैं, उनका पैसा भी जमा रहता है, तो जिनके मामले पुराने पड़ जाते हैं उनके सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

क्या चीज पुरानी पड़ जाती है पंजीकरण या उसे जो मकान नहीं मिला वह ?

श्री राम आसरे वर्मा--

आवंटन की कार्यवाही।

श्री राम सिंह खन्ना--

उसमें पंजीकृत व्यक्तियों की वरीयता कायम रहती है। जैसे-जैसे उपलब्ध होता जाता है, देते जाते हैं। लाटरी पड़ती ही रहती है।

श्री राज कुमार भार्गव--

मान्यवर, नत्थी (ख) नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष--

नत्थी (ख) 12 बजे के पहले आ सकता है। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को पहले ले लिया क्यों कि तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका था। अब यही नहीं लिया जा सकता।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी, डा0 एस0 पी0 श्रीवास्तव द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं का शिकायती-पत्र

1--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित-पत्र दिनांक 8-10-82 जिसमें हंसराज सह संवाददाता विस्फोट द्वारा बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी, डा0 एस0 पी0 श्रीवास्तव द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

जी हां।

शिकायतों की जांच की जा रही है।

खाद्य विभाग के लेखा संगठन में सम्प्रेक्षक/ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक/मुख्य लेखाकार के पद पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

2--श्री रियासत हुसैन--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य आयुक्त, लखनऊ के लेखा संगठन में सम्प्रेक्षक/ज्येष्ठ/मुख्य लेखाकार के स्थानान्तरण के लिए 10 वर्ष को

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आधार मानते हुए इस वर्ष किये गये ? क्या यह सही है कि ऐसे भी कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं जो इस परिधि में नहीं आते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उनका स्थानान्तरण निरस्त किया जायगा ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

खाद्य विभाग के लेखा संगठन के अन्तर्गत सम्प्रेक्षक ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक/मुख्य लेखाकार के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के जून, 1982 में 10 वर्ष की अवधि प्रशासनिक आधार एवं स्वयं की प्रार्थना पर क्रमशः 11,25 तथा 9 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये थे जिनमें से 3 के स्थानान्तरण निरस्त किये जा चुके हैं ।

जनपद एटा के महारानी लक्ष्मी बाई कन्या इन्टर कालेज नगर पालिका में उपयोग हेतु कुर्सियां तथा डेस्कें

3—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री जाने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या इन्टर कालेज नगरपालिका में वर्ष 1975 में विद्यालय की छात्राओं के उपयोग हेतु फर्नीचर कुर्सी डेस्क की क्या संख्या थी तथा वर्ष जनवरी–फरवरी 1982 में विद्यालय के उपयोग हेतु सही हालत में कितना फर्नीचर शेष था ? क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष 75–76 में तथा जनवरी–फरवरी, 82 की संख्या में कितना अन्तर है ? इसका उत्तरदायित्व किस पर तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका एटा से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1975 में प्रश्नगत विद्यालय में छात्राओं के उपयोगार्थ 475 कुर्सियां तथा 472 डेस्कें थी ।

जनवरी–फरवरी 82 में विद्यालय में उपयोग हेतु सही हालत में 325 कुर्सियां तथा 430 डेस्कें थीं ।

वर्ष 75–76 तथा जनवरी, फरवरी, 1982 की संख्या में 150 कुर्सियां एवं 42 डेस्कों का अन्तर है ।

चूंकि उक्त अन्तर फर्नीचर के प्रयोग में होने के फलस्वरूप ऐसी टूट–फूट जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती है, के कारण है अतः इस निमित्त किसी का उत्तरदायित्व होने तथा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

4—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

[दिनांक 10–2–83 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित]

फैजाबाद मंडल के अन्तर्गत कार्यरत पूर्ति निरीक्षक का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

5—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय फैजाबाद मंडल के अन्तर्गत जिलों में कितने पूर्ति निरीक्षक कार्यरत हैं जिन्हें 6 वर्ष से अधिक एक ही जगह पर काम करते हो गये ? क्या शासन एक ही जगह पर तैनात पूर्ति निरीक्षकों को हटाने पर विचार करेगा ?

श्री वासुदेव सिंह—

फैजाबाद मंडल के अन्तर्गत मात्र दो पूर्त निरीक्षक 6 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण के समय उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

मौजा कोतवालपुरा, वाराणसी की नजूल भूमि के पट्टे के सम्बन्ध में आयुक्त, वाराणसी द्वारा वांछित आख्या

6—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नजूल भूमि खंड 213, 214 मौजा कोतवालपुरा वाराणसी का पट्टा जयप्रकाश गोपाल व विश्वनाथ प्रसाद को दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त वाराणसी ने जिलाधिकारी, वाराणसी से एक पत्र सं0 3405/23-543 (76-79), दिनांक 20-5-78 के द्वारा पूरी आख्या मांगी थी जिस पर अतिरिक्त जिलाधिकारी नगर श्री जे0 एन0 द्विवेदी ने 9-8-78 को आख्या भेजी है ? यदि हां, तो वह आख्या क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां। अतिरिक्त जिलाधिकारी नगर ने इन दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी आख्या में लिखा कि सर्वश्री जयप्रकाश गोयल व विश्वनाथ प्रसाद ने नजूल भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था। जांचोपरान्त कब्जे के आधार पर इनके नाम पट्टा दिये जाने की संस्तुति दी गयी थी। उक्त आख्या में यह भी कहा गया था कि सर्वश्री केदारनाथ यादव तथा खरबन राम द्वारा लगाये गये आरोपों में कोई बल नहीं है।

साधन सहकारी समिति बेहड़ा, बहराइच के सचिव द्वारा धन का अपहरण/दुरुपयोग पर उनके विरुद्ध कार्यवाही

7—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति बेहड़ा, ब्लाक शिवपुर, जिला बहराइच में सन् 1980-81 व 1981-82 में लाखों रु0 गबन फर्जी ऋण वितरण ईंट सीमेन्ट खरीद, खाली बोरी की बिक्री, गेहूं खरीद में घपला खाद में फर्जी वितरण तथा अन्य माध्यमों से एक लाख से ज्यादा गबन तत्कालीन सचिव ने किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

समिति का वर्ष 1980-81 का लेखा परीक्षा दिनांक 22-2-82 को समाप्त करने के पश्चात् लेखा परीक्षा द्वारा निर्गत विशेष आडिट प्रतिवेदन में तत्कालीन सचिव, श्री मोहन लाल शुक्ला के विरुद्ध प्रश्नगत मदों के अन्तर्गत 92,633 रु0 के अपहरण एवं दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। वर्ष 1981-82 का आडिट अभी नहीं हुआ है। उक्त आडिट रिपोर्ट में वर्णित आरोपों के अतिरिक्त वर्ष 1981-82 में अन्य माध्यमों से सचिव के विरुद्ध कोई अपहरण एवं दुरुपयोग की शिकायतें नहीं प्राप्त हुई। विभागीय जांच में 45,957 रु0 का अपहरण/दुरुपयोग पाया गया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29-8-82 को थाना खरोघाट, जनपद बहराइच में दर्ज कराई गयी। तत्कालीन सचिव को दिनांक 12-10-82 को निलम्बित कर दिया गया है।

वाराणसी जनपद को सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से विक्रय हेतु मिट्टी का तेल, चीनी, राशन आदि की आपूर्ति

8--श्री ऊदल--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में जनवरी, 1982 से लेकर 4 जून, 1982 तक कितना मिट्टी का तेल, चीनी, राशन आदि सस्ती दुकानों को बेंचने हेतु दिया गया है ? क्या इसकी आपूर्ति मांग के हिसाब से कम की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

वाराणसी जनपद में जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से बेंचने हेतु दिये गये मिट्टी का तेल, चीनी, राशन आदि का विवरण संलग्न हैं ।

जनपद के उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर ही वस्तुओं की आपूर्ति होती रही हैं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1003 पर ।)

इलाहाबाद जनपद के ग्राम नेवढ़िया तथा ग्राम बरहा में पानी की टंकी का निर्माण

9--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि तहसील मेजा, इलाहाबाद जनपद, ग्राम नेवढिया में एक पानी की टंकी निर्माणाधीन थी, जो कि सन् 1980 में गिर गयी थी ? यदि हां, तो उसके निर्माण कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां । ध्वस्त शिरोपरि जलाशय के बदले में नये शिरोपरि जलाशय के निर्माण का निर्णय लिया जा चुका है तथा निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

10--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मेजा, इलाहाबाद जनपद में ग्राम बरहा में पानी की टंकी का निर्माण पिछले 6 वर्षों से हो रहा है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब पूरा होने की संभावना है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

ग्राम बरहा कलां, तहसील मेजा में टंकी का निर्माण छः वर्ष पूर्व प्रारम्भ न होकर वर्ष 1979 में प्रारम्भ हुआ था । यह टंकी उरवा ग्रा स समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत बनायी जाना है । टंकी का निर्माण कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण हो जाने के बाद ठेकेदार एवं विभाग में कुछ वैधानिक मतभेद हो जाने के कारण निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है । आशा है मार्च, 1984 तक टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा ।

अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर द्वारा स्वास्थ्य निदेशक का दिया गया कथित ज्ञापन

11--श्री छत्तर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला चिकित्सालय अधीक्षक, बुलन्दशहर ने दिनांक 30-7-52 को निदेशक, स्वास्थ्य को चिकित्सालय संबंधी समस्याओं के बारे में कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जी नही, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया ।

बुलन्दशहर की टाउन एरिया स्याना को नगरपालिका बनाने पर विचार

12--श्री छत्तर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि टाउन एरिया स्याना, जनपद बुलन्दशहर का नगरपालिका बनाने संबंधी फाइल कमिश्नर, मेरठ के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय होने की आशा है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मंडलायुक्त की आख्या प्राप्त हो गयी है । शासन द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है ।

बुलन्दशहर की टाउन एरिया स्याना की पेयजल योजना

13--श्री छत्तर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया स्याना, जनपद बुलन्दशहर के लिये पेयजल की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

स्याना, जनपद बुलन्दशहर की योजना की वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है । इस योजना पर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य आरम्भ करना संभावित है ।

जल निगम व स्थानीय निकायों के जल कल विभाग के अभियन्ताओं की शैक्षिक व तकनीकी योग्यतायें

14--श्री दलगंजन सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल निगम के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ताओं की शैक्षिक व तकनीकी योग्यतायें वही हैं जो निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त जलकल अभियन्ताओं की हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं, योग्यता की विभिन्नता का कारण दोनों विभागों में होने वाली कार्य की प्रकृति है । जल निगम में मुख्यतः जलकल निर्माण योजना का कार्य

होता है, जब कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जलकल अभियन्ताओं का कृत्य जल सम्पूर्ति एवं अनुरक्षणीय प्रकृति का है ।

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के रिक्त पद

15--श्री शंकर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पी० एच० सी० केन्द्रों में डाक्टरों के कितने स्थान 1 अक्तूबर, 1982 को रिक्त पड़े हैं ? इन स्थानों की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री लोकपति--

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1 अक्तूबर, 1982 को 372 स्थान डाक्टरों के रिक्त थे । रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयन कराया जा रहा है ।

टाउन एरिया स्याना, बुलन्दशहर का तहबाजारी ठेकेदारों पर बकाया

16--श्री छत्तर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया कमेटी स्याना, बुलन्दशहर का काफी रुपया भूतपूर्व तहबाजारी ठेकेदारों पर बाकी है ? यदि हां, तो उसे कब तक वसूल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां, कुल रुपया 39,266 बकाया है । न्यायालयों के स्थगन आदेश होने के कारण फिलहाल वसूली संभव नहीं है ।

श्री मंगलानी के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

17--श्री छत्तर सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 जून, 1982 को प्रश्नकर्त्ता ने डी० आर० मेरठ श्री मंगलानी के काले कारनामों के संबंध में जांच करने हेतु उन्हें ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं । अपितु प्रश्नकर्त्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक 28 मई, 1982 को प्राप्त हुआ है जिस पर जांच कराई जा रही है ।

प्रदेश के जिला मुख्यालयों में पोस्ट मार्टम की गई लाशों का विवरण

19--श्री मोहन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1982 में प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कितनी लाशों का पोस्ट मार्टम किया गया और इनमें से कितनी लाशें, कत्ल की दुर्घटना की और डकैतियों में मारे हुए लोगों की थीं ? इनको मिलाकर विवरण क्या है और प्रति दिन लाशों का पोस्ट मार्टम का औसत क्या है ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

19-20—श्री राम लाल वर्मा—

[5 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 121-122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ की जनता को एक्स-रे, आपरेशन थियेटर आदि की व्यवस्था पर विचार

21—श्री खैरुल बशर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़, पूर्वी उ० प्र० का बनारस और गोरखपुर के बाद सबसे बड़ा नगर है ? यदि हां, तो वहां की जनता को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक्स-रे की आपरेशन थियेटर तथा मरीजों के रहने के लिए वार्ड्स तथा डाक्टरों के बठने की सुविधाएं कब तक सुलभ करा दी जायेंगी ?

श्री लोकपति—

मऊनाथ भंजन पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान है ।

प्रश्न में उल्लखित सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जायेगा ।

फैजाबाद जनपद में बसखारी बाजार स्थित पेट्रोल पम्प से डीजल, पेट्रोल का वितरण

22—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत बसखारी बाजार में स्थित पेट्रोल पम्प पर वर्षों से डीजल पेट्रोल उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर डीजल, पेट्रोल की व्यवस्था कराकर वितरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत बसखारी बाजार स्थित पेट्रोल पम्प माह जून, 1982 के अन्तिम सप्ताह से भागीदारों के आपसी विवाद के कारण बन्द रहा । उपभोक्ताओं को सुगमता से डीजल उपलब्ध कराने हेतु जनहित में पम्प के निकटस्थ एक पेटी डीजल डीलर्स की नियुक्ति की गई । साथ ही सम्बन्धित पम्प के प्रबन्धक को कड़े निर्देश दिये गये कि वे डीजल का आयात करें । डीजल पम्प धारक द्वारा दिनांक 21-1-83 से डीजल का आयात किया जा रहा है, जिसका वितरण नियमानुसार हो रहा है ।

गोरखपुर महापालिका अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामों को जोड़ने हेतु सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि की मांग

23—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में जिन गांवों को महापालिका के अन्तर्गत ले लिया गया है उनको प्रमुख सड़कों से जोड़ने, पानी

बिजली की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं। प्रशासक, नगर महापालिका, गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 17-2-83 में इन ग्रामों को खड़ंजा निर्माण करके जोड़न की दशा में 56,16,000 रु0 के अनुदान और पक्की सड़कों के निर्माण की दशा में 1,79,40,000 रु0 की मांग की है। शासन के सीमित संसाधनों को देखते हुए सम्प्रति इस मांग की पूर्ति सम्भव नहीं है।

फर्रुखाबाद के भोलेपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना

24—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, फर्रुखाबाद के प्रमुख भाग भोलेपुर के नागरिक जलकर विभाग द्वारा पूर्ति किये जाने वाली जल की सुविधा से आज भी वंचित हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं0 237/क/82 दिनांक 4-5-82 प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां, परन्तु फर्रुखाबाद के भोलेपुर क्षेत्र से सम्बन्धित जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना निर्माणाधीन है।

प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 237/का/82, दिनांक 4-5-82 प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, फर्रुखाबाद को प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, फर्रुखाबाद द्वारा मो0 नक्कारचियान, फर्रुखाबाद के नाले की सफाई

25—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, फर्रुखाबाद द्वारा मो0 नक्कारचियान, फर्रुखाबाद के नाले की वर्षों से सफाई न किये जाने के फलस्वरूप इस मोहल्ले के निवासी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं ? क्या प्रश्नकर्त्ता ने पत्र सं0 259/का/82, दिनांक 12-5-82 द्वारा जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से इस गंभीर समस्या के हल का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो इस नाले की सफाई के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका, फर्रुखाबाद द्वारा मो0 नक्कारचियन स्थित नाले की सफाई समय-समय पर कराई जाती है। प्रश्नकर्त्ता द्वारा जिलाधिकारी से अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी नाले की सफाई करा दी गई थी।

जल निगम के अन्तर्गत पेयजल योजनायें

26--श्री रेवतीरमण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जल निगम के अन्तर्गत जो पेयजल की योजनायें थीं उनकी लक्ष्यपूर्ति में शिथिलता आ गई? यदि हां, तो क्यों? अब नल की जगह क्या हैण्डपाइप लगाए जायेंगे?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं।

छठी पंचवर्षीय योजना में समस्त 35,506 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। किन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में गहरे नलकूपों में "इंडिया मार्क-11" हैंड पम्प लगाकर जल संपूर्ति करने को प्राथमिकता दी गई है। शहरी क्षेत्र, चट्टानी क्षेत्र एवं आवश्यकतानुसार नलों द्वारा जल संपूर्ति की जायेगी।

स्थान पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी में पेयजल का द्वितीय नलकूप चालू करने की योजना

27--श्री ऊदल--

द्वितीय सत्र 1982 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 124 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी में 1 1/2 वर्ष पूर्व जो द्वितीय पेयजल का नलकूप लगाया गया है उसमें जनरेटर सेट लगा कर चालू करने की योजना नहीं है? यदि हां, तो विद्युतीकरण अब तक न करने का कारण क्या है? कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा।

श्री राम सिंह खन्ना--

स्थान पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी में पेयजल का दूसरा नलकूप अप्रैल, 1982 में पूर्ण हो गया था। योजना के अन्तर्गत जनरेटर सेट लगाने का प्रावधान नहीं है। विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सूचित धनराशि नौ माह पूर्व राज्य विद्युत परिषद् के कार्यालय में जमा करा दी गयी थी। किन्तु पावर लाइन खींचने का कार्य अभी तक राज्य विद्युत परिषद् द्वारा आरम्भ नहीं किया गया है। पावर लाइन खींचे जाने एवं उसके उपरान्त विद्युत संयोजन देने के लिए राज्य विद्युत परिषद् से पुनः अनुरोध किया जा रहा है। संयोजन हेतु निश्चित तिथि दिया जाना संभव नहीं है।

श्री भैरव प्रसाद शुक्ला, सचिव, साधन सहकारी समिति, माधोपुर, ब्लाक बेलसर के विरुद्ध थाना कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट तथा स्थानान्तरण

28--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, माधोपुर ब्लाक, बेलसर, जिला गोंडा के ऊपर थाना कोतवाली, गोंडा ग्रामीण में रिपोर्ट की गई, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले में कौन सी कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक--

श्री भैरव प्रसाद शुक्ला, सचिव, साधन सहकारी समिति लि0, माधोपुर, विकास खंड बेलसर के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात गोंडा में श्री सरजू प्रसाद ओझा, प्रशासक, साधन सहकारी समिति, न्याय पंचायत, माधोपुर, विकास खंड बेलसर, जनपद गोंडा द्वारा दिनांक 6-3-1982 को अपराध संख्या 98 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात गोंडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह मामला अभी पुलिस में विवेचनाधीन है।

29--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, माधोपुर, ब्लाक बेलसर, जिला गोंडा के लिए सचिव का स्थानान्तरण दिनांक 5-3-82 को पत्रांक सं0 10037 के द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

श्री बच्चा पाठक--

जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, गोंडा ने अपने पत्रांक 10037/6-स0/कैडर, दिनांक 5-3-1982 द्वारा सचिव, जिला सहकारी बैंक लि0, गोंडा से श्री भैरव प्रसाद शुक्ल, सचिव, साधन सहकारी समिति लि0, माधोपुर, विकास खंड बेलसर के स्थानान्तरित करने हेतु निर्देशित किया था।

सचिव, जिला सहकारी बैंक लि0, गोंडा जो सचिव के स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं, ने स्थानान्तरण के आदेश क्यों नहीं पारित किए की सूचना एकत्र की जा रही है।

30--श्री छत्तर सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

नगरपालिका खैराबाद के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत व जांच

31--श्री भीखा लाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका खैराबाद, जिला सीतापुर के निवासियों ने दिनांक 13-3-1982 को एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री उ0 प्र0 को दिया था जिसमें पालिका के अधिकारियों के अनियमित कार्य तथा धन के गोलमाल करने की शिकायतें थीं। यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं और उनकी जांच किसके द्वारा कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

मुख्य शिकायतों के विवरण संलग्न हैं, निदेशक स्थानीय निकाय को जांच स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0 प्र0 के किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराये जाने के निर्देश दे दिए गये हैं। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1004 पर।)

जनपद जौनपुर में उपभोक्ताओं को चीनी का वितरण तथा आवश्यक वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि

32--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर में माह अक्तूबर, 1982 में उपभोक्ताओं में वितरण हेतु अधिकतर सल्फर चीनी ही दी गई ? क्या सरकार वितरण हैतु दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की मात्रा और गुड़ में शीघ्र वृद्धि करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

जनपद जौनपुर में माह अक्तूबर, 1982 में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर सल्फर चीनी वितरित नहीं की गई बल्कि ग्रेड-सी0-30, डी0-30, ई0-30 सी0-29, डी0-29 एवं ई0-29 की चीनी वितरित की गई ।

चीनी की उपलब्धता को देखते हुए माह फरवरी, 1982 के लिए मैदानी शहरी क्षेत्रों तथा पर्वतीय जिलों में एक किलोग्राम से बढ़ाकर 2 किलोग्राम प्रति यूनिट तथा मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में 250 ग्राम से बढ़ा कर एक किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह की दर से चीनी दिये जाने के आदेश दिये गय हैं तथा मिलों से अच्छी किस्म की चीनी निर्गत करने हेतु प्रदेश की समस्त चीनी मिलों को निर्देश जारी किए गये हैं । खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वर्तमान राशन स्केल में वृद्धि की जानी सम्भव नहीं है । उसका वितरण निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुरूप किया जाता है ।

जौनपुर जनपद को सितम्बर व अक्तूबर, 1982 के प्रत्येक माह में 1070 किलो लीटर और तत्पश्चात माह नवम्बर, 1982 से फरवरी, 1983 तक प्रत्येक माह में वृद्धि करके 1200 किलोलीटर मिट्टी तेल आवंटित किया गया है जिसका वितरण निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुरूप ही किया जाता है ।

जनपद हरदोई की टाउन एरिया मल्लावां को दिया गया अनुदान तथा उसका उपयोग

33--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई को टाउन एरिया मल्लावां को विगत तीन वर्षों में कितना अनुदान दिया गया और उसका उपयोग किन कार्यों में किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना--

टाउन एरिया मल्लावां को विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित अनुदान दिया गया--

	रुपया
1979-80	1,00,000
1980-81	1,70,625
1981-82	1,50,000

उपरोक्त अनुदान का उपयोग टाउन एरिया द्वारा सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु किया गया ।

बौलिया सहकारी समिति लि0, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर लाखों रुपये के गबन की जांच

34--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बौलिया सहकारी समिति लि0, बौलिया ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के सदस्यों की एक दरख्वास्त प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ 25 अगस्त, 1982 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि फर्जी हस्ताक्षर बनाकर लाखों रुपया का गबन किया गया है ? क्या इसकी जांच की गई थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम खेलावन का कोल डिपो लाइसेन्स के नवीनीकरण के सम्बन्ध में पत्र

35---श्री ऊदल---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोल डिपो लाइसेन्स नं0 52, म0 नं0 87/189, श्री राम खेलावन हरिजन (खटिक) वाराणसी का रिन्यूवल 1980-81 व 1981-82 का आपूर्ति विभाग वाराणसी ने नहीं किया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? जबकि रिन्यूवल के सम्बन्ध में सभी फार्म तथा कागजात राम खेलावन ने पूर्ति कार्यालय में जमा किया है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने माननीय खाद्य मंत्री को 13 अगस्त, 1982 को एक पत्र भी लिखा है उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वासुदेव सिंह---

श्री राम खेलावन का कोल डिपो लाइसेन्स संख्या-52 नहीं है बल्कि 141 है जिसके वर्ष 1980-81 के लिए नवीनीकरण हेतु उन्होंने दिनांक 26-3-80 को प्रार्थना-पत्र दिया किन्तु लाइसेन्स का नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया अतः उनका लाइसेन्स स्वतः निरस्त हो गया । वर्ष 1981-82 हेतु ल इसेन्स नवीनीकरण का प्रार्थना-पत्र उन्होंने दिनांक 23-6-81 को दिया । चूंकि इनका वर्ष 1980-81 का लाइन्सेन्स निरस्त हो गया था इसलिए वर्ष 1981-82 के लाइसेन्स के नवीनीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता के खाद्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 13-8-82 पर जिलाधिकारी से आख्या मंगाई गई थी और स्थिति से उन्हें श्री अनूप मिश्र, उप सचिव के पत्र संख्या 5038/उन्तीस-अनु-9, दिनांक 6-12-1982 द्वारा अवगत करा दिया गया था ।

36--श्री जयदीप सिंह बरार--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री रामयश तिवारी, कम्पाउन्डर, आयुर्वेदिक अस्पताल, महाराजगंज, वाराणसी द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र तथा ट्रिब्युनल के फैसले पर कृत कार्यवाही

37--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामयश तिवारी, कम्पाउन्डर, आयुर्वेदिक अस्पताल, महराजगंज, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी जिनको 6 वर्ष पूर्व रिटायर कर दिया गया और जिनके पक्ष में ट्रिब्युनल ने फैसला दिया है, के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ उनके प्रार्थना-पत्र तथा ट्रिब्युनल का फैसला माननीय स्वास्थ्य मंत्री को 23 अगस्त, 1982 को जो भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

जी हां । मामला शासन के विचाराधीन है ।

38--श्री ऊदल--

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कानपुर में मूलगंज चौराहे से स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग हालसी रोड पर कूड़ा उठवाने की मांग

39--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर में मूलगंज चौराहे से पूरब में कूड़ा का ढेर सड़क पर लगाया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने नगर विकास मंत्री को 31 अगस्त, 1982 को पत्र लिखा था ? क्या यह सही है कि नगर महत्पालिका कानपुर क्षेत्र में ज्यादातर जगहों में कूड़ा सड़कों पर ढेर लगाया जाता है ? यदि हां, तो इसको दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मूलगंज चौराहे से स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर हालसी रोड पर स्थायी कूड़ाघर है । इस कूड़ाघर का कूड़ा प्रतिदिन उठाया जाता है और भरसक प्रयत्न रहता है कि कूड़ा नियमित रूप से उठता रहे । माननीय विधायक ने इस सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक 17-9-1982 को लिखा था । नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 175 निर्मित स्थायी तथा 168 अस्थायी कूड़ाघर हैं । सफाई कर्मचारी क्षेत्रों में झाड़ू लगाकर प्रतिदिन 11 बजे से 2 बजे मध्यान्ह तक कूड़ा एकत्र करते हैं । उसी अवधि में रबिश विभाग द्वारा कूड़ा उठा लिया जाता है ।

विधूना टाउन एरिया, इटावा में नलकूप टंकी के निर्माण की योजना तथा चालू न करने हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध जाँच

40--श्री ऊदल--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के 1ले गुरुवार के लिए अता० प्र० सं० 125 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे

कि विधूना टाउन एरिया इटावा में एक नलकूप टंकी का निर्माण पेयजल की सुविधा हेतु जुलाई, 1981 में पूर्ण हो गया था तो स्थानीय निकाय द्वारा उक्त योजना को अब तक ग्रहण न करने का कारण क्या है ? पेयजल की सुविधा नागरिकों को कब तक दे दी जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रश्नगत योजना सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 30-10-1982 को हस्तगत करा दी गई । योजना के हस्तान्तरण होने में विलम्ब का मुख्य कारण कार्य म कतिपय त्रुटियां थी । जिनका निवारण होने के उपरान्त ही योजना हस्तगत की जा सकी है ।

दिनांक 27-11-82 से नागरिकों को पेयजल सुविधा स्थान-स्थान पर स्टैण्ड पोस्ट लगाकर, उपलब्ध करा दी गई है ।

41—श्री ऊदल--

द्वितीय सत्र 1982 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 126 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि योजना को चालू करने के कारणों की जांच के आदेश कब दिये गये और जांच किस अधिकारी ने की ? क्या शासन को रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जांच के आदेश दिनांक 17-8-1982 को शासन द्वारा दिये गये थे । प्रश्नगत जांच सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की गई । जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है, जो परीक्षणाधीन है ।

टाउन एरिया विधूना में प्रकाश, पेयजल एवं सफाई की व्यवस्था

42—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधूना टाउन एरिया जिला इटावा में प्रकाश, पेयजल, सफाई की पूर्ण व्यवस्था नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने तथा उपरोक्त कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

टाउन एरिया विधूना अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से यथासम्भव प्रकाश, पेयजल एवं सफाई की व्यवस्था कर रही है । नागरिकों की सुविधाएं और बढ़ाने तथा कमियों को दूर करने के लिए टाउन एरिया प्रयत्नशील है ।

श्रीमती प्रेमा देवी, ए0 एन0 एम0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरियावां, जिला वाराणसी का बकाया वेतन

43--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमा देवी, ए0 एन0 एम0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरियावां, जिला वाराणसी का 11-1-76 से 3-8-77 तक का वेतन नहीं दिया गया है जबकि बीमारी की मेडिकल सार्टिफिकेट सी0 एम0 ओ0, वाराणसी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित 4-8-77 को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सुरियावां को दिया जा चुका है ? क्या सरकार बकाया वेतन जल्द दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री लोकपति--

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में "यम0 यम0" पद नाम का कोई पद या संवर्ग नहीं है । ए0 एन0 एम0 (आक्जिलियरी नर्स ऐंड मिडवाइफ) के प्रसंग में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

44--श्री रेवती रमण सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

जिला अस्पतालों में स्टैन्डर्ड कम्पनियों से दवाओं का क्रय

45--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जिलों के अस्पतालों में जो दवायें खरीदी जाती हैं वे टेंडर में सब से कम रेट पर क्रय की जाती हैं जिससे कि स्टैन्डर्ड कम्पनियों की दवायें रह जाती हैं ? और फर्जी काम करने वाली कम्पनियों को प्रश्रय मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई समुचित व्यवस्था करेगी ?

श्री लोकपति--

जिला अस्पतालों में दवायें स्टोर परचेज नियमों के अन्तर्गत ऐसी फर्मों से जो उद्योग निदेशक, कानपुर अथवा डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0, नई दिल्ली या नेशनल स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, नई दिल्ली अथवा उ0 प्र0 स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन से विधिवत् पंजीकृत होती हैं, क्रय किया जाता है । अतः फर्जी कम्पनियों को प्रश्रय मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर, जिला इलाहाबाद के उच्चीकरण हेतु भवनों के निर्माण की स्वीकृति

46--श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामनगर, तहसील, मेजा, जिला इलाहाबाद में 30 शैय्यायों का अस्पताल मंजूर हुआ है ? यदि हां, तो उसके बनने में क्या विलम्ब है ?

श्री लोकपति—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर, जिला इलाहाबाद के उच्चीकरण हेतु भवनों के निर्माण की स्वीकृति 28-9-1979 को प्रदान की गयी थी, किन्तु बाद में जानकारी मिली कि स्थान रामनगर विकास खंड का मुख्यालय नहीं है। शासन की नीति के अनुसार अब निर्णय लिया गया है कि रामनगर म कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को विकास खंड मुख्यालय उरवा में स्थानान्तरित कर दिया जाय तथा उसी स्थान पर उच्चीकृत किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण करवाया जाय एवं उरवा में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सालय को रामनगर में स्थानान्तरित कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दिनांक 7-2-83 को जारी कर दिये गये हैं।

धान की वसूली में घोटाला तथा उच्च स्तरीय समिति का गठन

47—श्री रेवतीरमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि धान की वसूली मे 55 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वासुदेव सिंह—

वर्ष 1980-81 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद में कथित हानि के प्रकरण की जांच करने हेतु सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

समिति की रिपोर्ट शासन को अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस प्रकरण पर प्रमाणिक रूप से कुछ कहा जा सकेगा।

जनपद हरदोई में मो0 सराय थोक (पूर्वी) से मोमिनाबाद जाने वाली गली में राड लगाने की मांग

48—श्री जगदीश सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में मो0 सराय थोक (पूर्वी) से मोमिनाबाद जाने वाली गली में वित्तीय वर्ष 1982-83 में नगरपालिका द्वारा कितने बिजली के राड लगवाये गये हैं ? इनके लगाये जाने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गयी ? क्या सरकार मौके की जांच कराकर पूरी गली के प्रत्येक खंभे पर राड लगाने के आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रसंगत गली में विद्युत् विभाग द्वारा मार्ग प्रकाश की लाइन में न बिछाये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 1982-83 में नगरपालिका, हरदोई द्वारा बिजली के राड नहीं लगवाये जा सके। अतः उनके लगाये जाने में किसी प्रक्रिया के अपनाये जाने तथा प्रत्येक खंभे पर राड लगाने के आदेश दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

रमजानपुर ग्राम, जनपद बदायूं को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव

49—श्री फखरे आलम—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि रमजानपुर, तहसील व जिला बदायूं को टाउन एरिया बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक रमजानपुर को टाउन एरिया बना दिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

रमजानपुर ग्राम, जनपद बदायूं को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव शासन द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है ।

लखनऊ नगर महापालिका में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

50—श्री रामलाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्षों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में अनेकों कर्मचारी नगर महापालिका, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनको अब तक नियमित न किए जाने के क्या कारण रहे हैं ? इसको कब तक नियमित किया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

अब तक लखनऊ नगर महापालिका द्वारा 335 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा चुका है तथा शेष कर्मचारियों को जैसे-जैसे स्थान उपलब्ध होंगे नियमित किया जायगा ।

जनपद सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

51—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक (श्री ए0 के0 सिन्हा) जो गत 17 वर्ष से वहां कार्यरत हैं ? जिन्हें 1978-79 व 1979-80 के बहुचर्चित दवा घोटाला कांड से सम्बद्ध बताया जाता है, का अब तक कितनी बार स्थानान्तरण किया गया और रोका गया तथा इतने लम्बे समय तक वहां बनाए रखने का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति—

सम्बन्धित लिपिक मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में जून, 1967 से कार्यरत हैं । दवाओं के कथित घोटाले का मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है । उक्त लिपिक का एक बार स्थानान्तरण किया गया था लेकिन उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण रोक दिया गया था । इस कर्मचारी के स्थानान्तरण के विषय में पुनः नियमानुसार विचार कर लिया जायेगा ।

सहकारी बैंक, बिलग्राम के शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

52--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के वि0 खं0, बिलग्राम के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति, छिबरामऊ से सम्बद्ध ग्राम सांपखेडा के हरिजनों श्री मिही लाल आदि द्वारा सहकारी बैंक, बिलग्राम के शाखा प्रबन्धक (श्री हृदय नारायण मिश्रा) के विरुद्ध हरिजन उत्पीड़न एवं अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित एक शिकायती-पत्र अक्तूबर, 1982 के प्रथम सप्ताह में मुख्य मंत्री को भेजा है ? यदि हां, तो इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक--

श्री मिही लाल आदि का दिनांक 30-9-82 का एक शिकायती-पत्र दिनांक 4-10-82 को प्राप्त हुआ था ।

शिकायती-पत्र की जांच कराई गयी । जांच में शिकायत निराधार पायी गयी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खंडासा, फैजाबाद का उच्चीकरण

53--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खंडासा, फैजाबाद का उच्चीकरण विगत कई वर्षों से विचाराधीन है, किन्तु अभी तक उसका उच्चीकरण का आदेश शासन द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? इसका आदेश कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति--

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

54--श्री मित्रसेन--

[दिनांक 17-2-83 को तारांकित प्रश्न संख्या 17 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद मिर्जापुर में कार्यरत फार्मेसिस्टों का स्थायीकरण

55--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा, उ0 प्र0 के मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर को अपने पत्र संख्या 4 डी(2)/ 15777, दि0 15 दिसम्बर, 1981 द्वारा निर्देशित किया है कि 31 दिसम्बर, 1981 तक गत 3 वर्षों से कार्यरत फार्मेसिस्टों को स्थायी कर दें ? यदि हां, तो अब तक कितने फार्मेसिस्ट स्थायी किए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां । जनपद मिर्जापुर में कार्यरत कुल 54 फार्मेसिस्टों में से 31 का किया जा चुका है। 11 फार्मेसिस्टों को स्थायी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । शेष 12

फार्मेसिस्टों में से 6 फार्मेसिस्टों ने अभी 3 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है अतः इनके स्थायीकरण का अभी प्रश्न नहीं उठता है । अवशेष 6 फार्मेसिस्ट अप्रशिक्षित हैं जिनके विषय में सम्यक विचार अलग से किया जायेगा ।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ की स्थापना तथा भवन निर्माण

56--श्री रेवतीरमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलायेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, लखनऊ का डेढ़ वर्ष पूर्व राष्ट्रपति जी ने शिलान्यास किया था, उसके बनने में क्या देरी है ? और देरी का क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ की स्थापना हो गयी है । लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर उक्त संस्थान के भवन निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया है ।

जनपद जौनपुर में बस स्टेशन के तथा आबादी के मध्य में चीरघर (पोस्टमार्टम) हटाने हेतु कार्यवाही

57--श्री जंगबहादुर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर में पोस्टमार्टम (चीरघर) बस स्टेशन के तथा आबादी के मध्य में स्थित है ? इसके हटाने के लिए नागरिकों ने वर्ष 1980-81 में प्रार्थना-पत्र दिया था जिसके लिए भूमि तलाश की जा रही थी और निर्माण के लिए 44 हजार रु0 की स्वीकृति भी मिल चुकी थी ? यदि हां, तो अब तक चीरघर हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

भूमि प्राप्त करने के लिये जिला अधिकारी, जौनपुर तथा नगरपालिका, जौनपुर से बराबर सम्पर्क स्थापित किया गया किन्तु प्रयासों के बावजूद भी उचित भूमि आबादी से दूर उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

उपयुक्त भूमि के उपलब्ध होते ही चीरघर का निर्माण कराकर पुराने चीर-घर को बन्द कर दिया जायेगा ।

परिवार कल्याण कर्मचारियों का स्थायीकरण

58--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण कर्मचारियों के 90 प्रतिशत स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब से विचाराधीन है तथा अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति--

जी हां, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार 90 प्रतिशत अस्थायी पदों में से 33 प्रतिशत पदों को स्थायी किया जा चुका है शेष 57 प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी किए जाने के सम्बन्ध में जून, 1981 से कार्यवाही की जा रही है ।

59--श्री छत्तर सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पटुवा डांगर वैक्सीन इंस्टीट्यूट, नैनीताल में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री हरीश सिंह के विरुद्ध रिकवरी के आदेश

60--श्री छत्तर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के पटुवाडांगर वैक्सीन इंस्टीट्यूट, नैनीताल में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री हरीश सिंह के विरुद्ध सरकारी सम्पत्ति के दुरुपयोग आदि के कारण सन् 1980 के अन्तिम अथवा सन् 1981 के प्राथमिक महीनों में शासन से कुछ रुपयों की रिकवरी आदेश हुए थे ? यदि हां, तो कुल कितने हजार की रिकवरी होनी थी और कितनी हो चुकी है ? यदि नहीं हुई है, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

श्री हरीश सिंह बिष्ट, सहायक अभियन्ता, राज्य रक्षालय संस्थान, पटवा-डांगर, नैनीताल से 200 रु0 प्रतिमाह की दर से 6,000 रु0 की रिकवरी किए जाने के आदेश दिए गए थे । अब तक इनसे 2,000 रु0 की वसूली की जा चुकी है ।

61--श्री राम लाल वर्मा--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

62--श्री शंकर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टर के कितने स्थान रिक्त पड़े हैं और इनकी पूर्ति के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री लोकपति--

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में 214(103 मैदानी तथा 111 पर्वतीय क्षेत्र) आयुर्वेदिक डाक्टरों के पद रिक्त हैं । इन रिक्तियों को भरने का विषय शासन के विचाराधीन है ।

साधन सहकारी समिति, पिपरवां, ब्लाक महोली, जनपद सीतापुर का स्वीकृत गोदाम का निर्माण

63--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पिपरवां, ब्लाक महोली, जनपद सीतापुर में सहकारी गोदाम विश्व बैंक की मदद से बन रहा है ?

क्या यह सही है कि उस गोदाम के स्थान का चयन उस सोसायटी के मेम्बरों के वोट के द्वारा हुआ था ? यदि हां, तो क्या उस स्थान पर वह भण्डार बन रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

साधन सहकारी समिति, पिपरवां, ब्लाक महोली, जनपद सीतापुर का गोदाम, जो विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत है, अभी बन नहीं रहा है ।

गोदाम निर्माण स्थल का चयन सोसायटी के मेम्बरों के वोट द्वारा नहीं हुआ ।

उक्त गोदाम के निर्माण का स्थान निश्चित न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका है ।

कमलानगर योजना, आगरा के सेक्टरों को नगरपालिका के अन्तर्गत स्थानान्तरित

64—श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित कमला नगर आवासीय कालोनी, आगरा, जिसे बसे हुए 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं के सभी सेक्टरों को अभी तक नगर महापालिका, आगरा को हस्तान्तरित नहीं किया है और इसके कारण वहां के नागरिक जन सुविधाओं से वंचित हैं ? यदि हां, तो सभी कालोनियां कब तक नगर महापालिका को हस्तान्तरित कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

कमलानगर योजना, आगरा में कुल 12 सेक्टर हैं । इनमें से सेक्टर 3, 4, 7 व 8 की सभी सुविधायें वर्ष 1976 में नगरपालिका को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं । शेष सेक्टर 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 व 12 में सड़कों, बिजली, नालियों तथा पार्कों को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का हस्तान्तरण किया जा चुका है । इन सेक्टरों की उक्त सेवाओं के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में नगर महापालिका, जल संस्थान तथा आवास विकास परिषद् के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से योजना का निरीक्षण करके इस सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा मांगी गई धनराशि भी जमा की जा चुकी है । आशा है कि बची हुई सेवाओं का हस्तान्तरण अतिशीघ्र हो जायेगा । कमल नगर योजना, आगरा में सभी नागरिकों को सभी जन सुविधायें, जैसे बिजली, पानी, सड़कें, पार्क, सीवर सभी उपलब्ध है । हस्तान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक खंडासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में साधन सहकारी समितियों के सचिव का कार्यकाल व स्थानान्तरण

65—श्री नत्थूलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ब्लाक खंडासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में साधन सहकारी समितियों के ऐसे कितने सचिव हैं जोकि विगत तीन वर्षों या अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? अब तक उनका

स्थानान्तरण न किए जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार ऐसे सभी सचिवों के तुरन्त स्थानान्तरण किए जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

ब्लाक खंडासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में चार साधन सहकारी समितियों के चार सचिव विगत तीन वर्षों या अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ।

सहकारी समितियों के सचिवों का स्थानान्तरण उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 के नियम 30 के अन्तर्गत बनाई गई विनियमावली के विनियम संख्या 36 के अनुसार किया जाता है । विनियम 36 के प्राविधान के अनुसार किसी सचिव का स्थानान्तरण एक समिति में 5 वर्ष की सेवा के पूर्व सामान्यतः नहीं किया जा सकता है ।

जी नहीं ।

उपरोक्त विनियमावली में स्थानान्तरण का अधिकार जिला प्रशासनिक कमेटी को है । यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण आवश्यक होता है तो इसके लिए जनपद स्तर पर जिला प्रशासनिक कमेटी सक्षम है ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक की वार्षिक बैठक में प्रतिनिधियों को दिये गये स्टील के कथित डिनर सेट

66--श्री भीखा लाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक की 13 जून, 1982 को वार्षिक बैठक में प्रतिनिधियों को स्टील के डिनर सेट भेंट किए गये थ ? यदि हां, तो कुल कितने सेट खरीदे गए थे ? उनकी कुल लागत तथा प्रति सेट लागत क्या थी ? कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे जिनको सेट दिये गये और कितने सेट बाकी बच गये तथा बचे सेटों का वितरण किस-को किया गया ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं ।

मलेरिया, चेचक, हैजा आदि के उन्मूलन से सम्बन्धित विज्ञापन एवं भुगतान

67--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मलेरिया, चेचक, हैजा आदि के उन्मूलन से सम्बन्धित विज्ञापन, जो विभिन्न समाचार-पत्रों को गत वर्ष दिए गये थे, उनका भुगतान 20 अक्तूबर, 1982 तक न किए जाने का क्या कारण है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है ?

श्री लोकपति--

विज्ञापनों का भुगतान उक्त प्रयोजन हेतु निधियां उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका है । प्रश्नगत भुगतान यथाशीघ्र कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

ग्राम रसूलपुर में यूनानी चिकित्सालय की स्थापना की मांग

68--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बल्लीपुर तथा इसौली की दूरी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ग्राम रसूलपुर में एक यूनानी चिकित्सालय की स्थापना करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी नहीं ।

नये अस्पताल खोलने की योजना अब जिला सेक्टर में आती है । अतः जिला योजना समिति ही इसमें निर्णय ले सकती है ।

विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय

69--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या कितनी है और कहां-कहां स्थापित हैं ?

श्री लोकपति--

विकास खंड, शुकुल बाजार, जनपद सुल्तानपुर के ग्राम बाजारपुर में एक यूनानी चिकित्सालय स्थापित है । इस विकास खंड में कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय नहीं है ।

नया सरदारी खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ में श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव द्वारा कथित अनधिकृत कब्जा किये जाने सम्बन्धी पत्र

70- श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सत्र 82 के 2रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 22 मार्च, 1982 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

विषय की नगर महापालिका द्वारा तहसीलदार से जांच कराई गयी । जांच से विदित हुआ कि श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव द्वारा खसरा नं0 592 पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है बल्कि श्री श्रीवास्तव का भवन देवी जी के मन्दिर वाले खसरा नं0 598 से दूर है ।

71—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जिला गोंडा तुलसीपुर महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक के रिक्त पद

72—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीपुर तराई के महिला चिकित्सालय में कितने दिनों से कोई महिला चिकित्सक नहीं है तथा कब तब वहां पर महिला चिकित्सक की व्यवस्था शासन द्वारा कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जिला गोंडा तुलसीपुर महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का पद जून, 1981 से रिक्त है । मुख्य चिकित्साधिकारी, गोंडा को निर्देश दे दिए गए हैं कि उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्साधिकारी की व्यवस्था कर दें ।

राष्ट्रीय बीज निगम शाखा, गोरखपुर द्वारा जमा की गई धनराशि

73—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, 1980 से सितम्बर, 1982 तक चुंगी के रूप में गोरखपुर चुंगी अधीक्षक कार्यालय, गोरखपुर राष्ट्रीय बीज निगम शाखा, गोरखपुर द्वारा कुल कितनी धनराशि जमा की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

चुंगी कार्यालय में विभाग वार हिसाब नहीं रखा जाता है । अतः उक्त कार्यालय द्वारा अपेक्षित सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है ।

मलेरिया विभाग, बदायूं में आई० एफ० डब्लू० एवं एस० एफ० डब्लू० के पद पर नियुक्तियां

74—श्री मो० अबरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग से वर्ष 1981 में जनपद बदायूं में 30 व्यक्ति की आई० एफ० डब्लू० एवं 10 व्यक्ति को एस० एफ० डब्लू० के पद पर नियुक्तियां शासन द्वारा की गई हैं ? यदि हां, तो इन व्यक्तियों में जनपद बदायूं के केवल 2 ही व्यक्ति लिये गये ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बदायूं के व्यक्तियों को उक्त पदों पर क्यों नहीं नियुक्त किया गया ? क्या सरकार उपरोक्त चुनाव रद्द करके जांच कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पटवा डांगर (नैनीताल) संस्थान में तैनात व पदावनत सहायक अभियन्ता श्री सिंह के विरुद्ध समायोजित कार्यवाही न करने के विरुद्ध कार्यवाही

75—श्री छत्तर सिंह तथा श्री असरुर जाफरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के पटवा डांगर (नैनीताल) संस्थान म तैनात व अक्तूबर, 1982 में पदावनत सहायक अभियन्ता (श्री सिंह) के कार्य अवमुक्ति के सम्बन्ध में उन्हें स्वास्थ्य सचिवालय व निदेशालय को प्रेषित विधायकगण श्री किरन पाल सिंह व श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ के पत्र दिनांकित 27-8-82 तथा 23-10-82 व 1-11-82 व अन्य पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों एवं समायोजित कार्यवाही न करने के लिये जिम्मेदार के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कैंसर व टी0 बी0 रोग से ग्रसित सभी स्थायी और अस्थायी सेवकों को चिकित्सा सुविधा

76—श्री राम लाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या कि शासन द्वारा स्थायी व अस्थायी ऐसे कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधायें देने का प्राविधान है जो कैंसर या टी0 बी0 रोग से ग्रसित हैं ? क्या वह सत्य है कि शासन टी0 बी0 आदि से पीड़ितों को 1 वर्ष का पूर्ण वेतन पर विशेष अवकाश प्रदान करने का प्राविधान है ?

श्री लोकपति—

कैंसर अथवा टी0 बी0 रोग से ग्रसित सभी स्थायी और अस्थायी सरकारी सेवकों को चिकित्सा सुविधा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रदान की जाती है । सरकारी सेवक के प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा संदर्भित किये जाने पर यदि ऐसे सरकारी सेवक की चिकित्सा किसी गैर सरकारी अस्पताल में होती है तथा उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ व्यय करना पड़ता है तो नियमानुसार उसका परीक्षण करने के उपरान्त देय मदों पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें कर दी जाती है । ऐसे रोगों से ग्रस्त सरकारी सेवकों को विशेषज्ञ चिकित्सा की यदि आवश्कयकता होती है तथा उनके प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी यदि संस्तुति करते हैं तो रोगियों को प्रदेश के बाहर के विशेषज्ञ चिकित्सालयों में चिकित्सा प्राप्त करने की अनुमति भी दी जाती है तथा जो व्यय होता है उसकी नियमानुसार परीक्षणोपरान्त प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ।

सभी सरकारी सेवकों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में 12 मास तक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश, जो पूर्ण वेतन पर होता है, स्वीकृत किया जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त टी0 बी0 आदि से ग्रसित सरकारी सेवकों को नियमानुसार 18 माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जो बिना वेतन के होता है ।

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा संचालित नर्सरी, माडल मान्टेसरी एवं कश्मीरी मोहल्ला माडेल मान्टेसरी में शिक्षक कर्मचारी व उनका स्थायीकरण

77—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा संचालित नर्सरी माडेल मान्टेसरी, एवं प्राइमरी स्कूलों में कुल कितने शिक्षक कर्मचारी हैं और उसमें से कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी 20-9-82 को सतत सेवायें 3 वर्ष से अधिक हो गयी हैं ऐसे कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उन कर्मचारियों को शासन की नीति के अनुरूप कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा संचालित नर्सरी, माडल मान्टेसरी एवं कश्मीरी मोहल्ला माडल मान्टेसरी में कुल 36 शिक्षा कर्मचारी हैं। उनमें से 20-9-82 को 29 कर्मचारियों की सेवाएं 3 वर्ष से अधिक हो गयी हैं जिनमें से 25 कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है। तीन कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की कार्यवाही महापालिका द्वारा की जा रही है। शेष एक अध्यापिका की नियुक्ति के बारे में शासन द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यथावांछित कार्यवाही की जाएगी। जहां तक प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का सम्बन्ध है, 1972 से प्राइमरी स्कूल उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। अतः उनका सम्बन्ध महापालिका से अब नहीं है।

झांसी नगर की मलिन बस्तियों के सुधार के सम्बन्ध में पत्र

78—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28-9-82 जिसम झांसी नगर की मलिन बस्तियों के सुधार के सम्बन्ध में लिखा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ। शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित माप खंडों के अनुसार न होने से झांसी नगर इस योजना में अभी तक शामिल न हो सका।

सहकारी क्रय विक्रय समिति, स्थाना लि0, जिला बुलन्दशहर में धन का कथित दुरुपयोग

79—श्री छतर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करगे कि प्रश्नकर्त्ता के 17-4-82 के पत्र, जो कि क्रय-विक्रय समिति, स्याना, जिला बुलन्दशहर के धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में था, पर जांच के क्या परिणाम रहे तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

प्रश्नकर्त्ता के शिकायती पत्र दिनांक 17-4-82 पर जांच कराई गयी । जांच के उपरान्त सहकारी क्रय विक्रय समिति, स्याना लि0, जिला बुलन्दशहर में धन का कोई दुरुपयोग नहीं पाया गया । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

साधन सहकारी समिति लि0, बारिकपार, विकास खंड, खुनियांव के सचिव का स्थानान्तरण

80—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, बारिकपार, विकास खंड, खुनियांव, जनपद बस्ती के सचिव का स्थानान्तरण अगस्त, 1980 से 15 अक्तूबर, 1982 तक कितनी बार हुआ और रोका गया ? क्या यह सत्य है कि वह उसी साधन सहकारी समिति के निवासी हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें वहां से स्थानान्तरित करने का विचार करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

साधन सहकारी समिति लि0, बारिकपार, विकास खंड खुनियांव के सचिव का स्थानान्तरण प्रश्नगत अवधि में एक बार उनके गृह विकास खंड के बाहर किया गया । यह स्थानान्तरण एक बार भी रोका नहीं गया । यह खुनियांव विकास खंड के निवासी हैं । चूंकि इनका स्थानान्तरण कर दिया गया है, अतः अग्रतर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

झांसी नगर में अशोक होटल एवं डमरू नटराज खिलौना सिनेमाघरों के बीच नाले को पालिका द्वारा लिये जाने हेतु वैधानिक कार्यवाही

81—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्ताव कर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 31 मई, 1982 तथा जुलाई, 1982 में, जो झांसी नगर में अशोक होटल एवं डमरू नटराज खिलौना सिनेमाघरों के बीच रहने वाले नाले पर मालिकों द्वारा कब्जा विषयक था और जसमें जिला मैजिस्ट्रेट, झांसी को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये लिखा है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

उक्त दोनों पत्र जिला मैजिस्ट्रेट के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये गये थे । जांचोपरान्त यह पाया गया कि यद्यपि प्रश्नगत नाला नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत है किन्तु राजस्व अभिलेखों के अनुसार उसका स्वामित्व निजी भू-स्वामियों का है । अतएव उक्त नाले को पालिका द्वारा लिये जाने हेतु वैधानिक कार्यवाही किये जाने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नगरपालिका, झांसी को निर्देश दे दिये गये हैं ।

नगरपालिका, झांसी में शौचालयों का निर्माण किये जाने सम्बन्धी पत्र

82--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, झांसी द्वारा 6 मार्च, 1982 को नगरपालिका, झांसी के प्रभारी अधिकारी को सार्वजनिक शौचालयों के टूट-फूट के कारण फैल रही बीमारियों की रोकथाम हेतु शीघ्र शौचालयों का निर्माण किये जाने के संदर्भ में पत्र लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

उक्त पत्र में 27 सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत कराना अपेक्षित था जिनमें से पालिका द्वारा 7 की मरम्मत कराई जा चुकी है, 5 की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है तथा 15 की मरम्मत कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों का सी0 डी0 एस0 के अन्तर्गत काटी गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही

83--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों का सी0 डी0 एस0 खाते के नाम से जुलाई, 1976 से अप्रैल, 1977 तक काटी गई धनराशि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24 जून, 1982 सं0 717/डी/2/82 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

सी0 डी0 एस0 के अन्तर्गत काटी गई धनराशि क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के यहां जमा की जाती है । जुलाई, 1976 से अप्रैल, 1977 तक काटी गई धनराशि की वापिसी हेतु क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधि आयुक्त, कानपुर को नवम्बर, 1982 में बिल भेजा गया था । अभी तक उक्त धनराशि क्षेत्रीय निर्वाह निधि आयुक्त, कानपुर से प्राप्त नहीं हुई है जिसको प्राप्त करने के प्रयास बराबर किए जा रहे हैं ।

उ0 प्र0 राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की शिकायतों के बारे में पत्र पर कृत कार्यवाही

84--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य भंडारागार, निगम, लखनऊ के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की शिकायतों के बारे में प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 714 यथा 715, दिनांक 21 जून, 1982 को उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

पत्र संख्या 714 में उल्लिखित चारों केन्द्रों के माह मई, 1982 के वेतन विपत्रों का भुगतान जून, 1982 में हो कर दिया गया था ।

पत्र संख्या 715 के संदर्भ में निवेदन करना है कि भविष्य निर्वाह निधि के सम्बन्ध में यह निगम प्राविडेन्ट फन्ड ऐक्ट के प्राविधानों से मुक्त है । निगम में लागू भविष्य निर्वाह निधि रेग्यूलेशन्स, 1963, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत है तथा आयकर आयुक्त, लखनऊ से मान्यता प्राप्त है, के प्राविधानों के अनुसार भविष्य निर्वाह निधि के सम्बन्ध में काटी गई राशि का विनियोजन निगम में इस कार्य हेतु बने "ट्रस्ट" द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है । इस धनराशि को प्रोवीडेन्ट फन्ड कमिश्नर, कानपुर के यहां जमा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज, पूना के छात्र श्री संजीव नन्द का मेडिकल कालेज, कानपुर को स्थानान्तरण

85--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में आर्म केमिस्ट्स मेडिकल कालेज, पूना से एक विद्यार्थी श्री संजय नन्द का स्थानान्तरण मेडिकल कालेज, कानपुर में हुआ था ? यदि हां, तो उक्त छात्र का स्थानान्तरण किन नियमों के आधार पर किया गया ?

श्री लोकपति--

जी हां । आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज, पूना के एक छात्र श्री संजीव नन्द को मेडिकल कालेज, कानपुर स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी । उक्त अनुमति मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति एवं नियमों के अन्तर्गत दी गई ।

झांसी नगर में स्थित नटराज तथा खिलौना सिनेमा के सामने के नाले की सफाई

86--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में स्थित डमरू सिनेमा तथा अशोक होटल के बीच से नटराज तथा खिलौना सिनेमा के सामने के नाले की सफाई नगर महापालिक के द्वारा कब से नहीं की जा रही है ? सफाई न किये जाने के क्या कारण है तथा सफाई कब तक करा दी जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

प्रश्नगत नाले की सफाई नगरपालिका, झांसी द्वारा माह अगस्त, 1982 में कराई गई थी ।

इस समय नाला साफ है । आवश्यकतानुसार इसकी सफाई करा दी जायगी ।

यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, कोंच, उरई में खाद बेचने का कथित घपला

87--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1977 के यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, कोंच, उरई के भंडारगृह प्रभारी श्री राजनाथ त्रिपाठी ने 50 हजार रुपये की खाद बेच कर घपला किया ? क्या उक्त अधिकारी की जांच कानपुर के क्षेत्रीय अधीक्षक श्री टी0 डी0 एन0 कुशवाहा ने की थी ? यदि हां, तो उन्होंने 11 नवम्बर, 1979 को किन आरोपों की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं ।

निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 50 हजार रुपये की खाद बेचने की बात सत्य नहीं है और न ही इस मामले में श्री टी0 डी0 एन0 कुशवाहा द्वारा कोई जांच की गई है ।

श्री कुशवाहा उस समय कानपुर में क्षेत्रीय अधीक्षक भी नहीं थे ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश भंडारागार निगम, उरई केन्द्रों पर गबन

88--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 भंडारागार निगम, उरई केन्द्रों पर 74 से 77 के मध्य वहां के भंडार प्रबन्धक ने 16 लाख रुपये का गबन किया था ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त घपला 88 भंडार रसीदों के माध्यम से किया गया था ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं ।

निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मामला भंडार गृह द्वारा जारी की गई रसीदें, जो जालौन जिला सहकारी बैंक में बन्धक थीं, पर माल निकासी के विवाद से सम्बन्धित है । यह विवाद उक्त बैंक और भंडार गृह के मध्य है और मामला सिविल जज, उरई के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के पूर्व कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है ।

जालौन जिला के ग्राम कुठौद को ग्राम-सभा से टाउन एरिया कमेटी का स्तर देने का प्रस्ताव

89--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जालौन जिला के ग्राम कुठौद को ग्राम सभा से टाउन एरिया कमेटी का स्तर देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जालौन को कोई आख्या हाल ही में शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो आख्या क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध गबन का कथित आरोप

90--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन दिनांक 24 अगस्त, 1982 के पेज 22 पैरा 2 में यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के प्रबन्धक निदेशक को 2 करोड़ रुपये के गबन का दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो निगम के प्रबन्ध निदेशक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरमहापालिका, लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार

91--श्री राम लाल वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिक, लखनऊ में ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कितने हैं जिनकी महापालिका, लखनऊ म 240 दिन से अधिक सेवायें हो चुकी है तथा इन कर्मचारियों को रेगुलर करने के क्या नियम हैं और क्या इनको उन नियमों के तहत रेगुलर कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर महापालिका, लखनऊ में ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिनकी 240 दिन से अधिक सेवायें पूर्ण हो चुकी हैं, की संख्या 622 है । शासन के आदेशों के अनुसार ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्होंने तीन वर्ष लगातार तथा 240 दिन प्रतिवर्ष की सेवायें पूर्ण कर ली हैं, के नियमितीकरण पर विचार किया जा सकता है । उक्त शासनादेश के तहत अब तक 335 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है ।

झांसी नगर में कमजोर वर्ग के आवास हेतु भवनों का निर्माण

92--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि झांसी नगर में हरिजन कमजोर वर्ग के आवास हेतु शासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

झांसी नगर में कमजोर वर्ग के आवास हेतु परिषद् द्वारा भवनों का निर्माण किया जा रहा है । आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए अलग से कोई आवासीय योजना नहीं चलाई जाती, अपितु परिषद् द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत व 2 प्रतिशत का आरक्षण रक्खा जाता है ।

जनपद देवरिया में काल्पनिक विद्यालयों के नाम पर आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी

93--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1981 में देवरिया जिले में काल्पनिक विद्यालयों के नाम पर आवश्यक वस्तुओं की काला बाजारी करने का मामला प्रकाश में आया था जिसकी जांच जिला अधिकारी देवरिया द्वारा दी गई थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वासुदेव सिंह--

देवरिया जनपद में वर्ष 1981 में 84 विद्यालयों के नाम मिट्टी तेल का कोटा कार्ड बनवा कर मिट्टी तेल की चोरबाजारी करने का मामला प्रकाश में आया था जिस पर पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी । मामले में पुलिस विवेचना के आधार पर 37 विद्यालय काल्पनिक पाये गये । इस सम्बन्ध में पुलिस विवेचना अभी जारी है ।

वर्ष 1981 में उपर्युक्त काल्पनिक विद्यालयों के नाम पर, मिट्टी तेल के अतिरिक्त, किसी अन्य आवश्यक वस्तु की काला बाजारी का मामला प्रकाश में नहीं आया ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाकों में साधन सहकारी समितियों के गोदाम का निर्माण

94--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर में किन-किन ब्लाकों में विश्व बैंक से साधन सहकारी समितियों से सम्बन्धित गोदाम वर्तमान वित्तीय वर्ष में बनाये जा रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि दिवालों आदि की चुनाई में बालू व सीमेन्ट की मात्रा क्रमशः 10:1 है ? यदि नहीं, तो क्या निर्माण कार्य में लगे पदार्थों की जांच प्रविधिक जांच करायी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

वर्तमान वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तगत जनपद गोरखपुर के निम्नांकित 27 ब्लाकों में साधन सहकारी समितियों के ग्रामीण गोदाम या तो पूर्ण कर दिये गये या निर्माणाधीन हैं :

1--सरदार नगर, 2--महाराजगंज, 3--मिठौर, 4--सिसवां, 5--खजनी, 6--गगहा, 7--सहजनवा, 8--पिपरौली, 9--कौड़ीराम,

10--जंगल कौड़िया, 11--धानी, 12--निचलौल, 13--उरवा, 14--घुघुली, 15--पाली, 16--गोल, 17--चरगवां, 18--बडहलगंज, 19--बेलघांट, 20--फरेन्दा, 21--पनियरा, 22--खोराबार, 23--वासगांव, 24--नौतनवा 25--लक्ष्मीपुर, 26--कैम्पियरगंज, 27--भटहट ।

दीवालों आदि की चुनाई बालू तथा सीमेन्ट से नहीं की गयी । इसलिए जांच का प्रश्न नही उठता ।

95--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[दिनांक 17-2-83 को अनारांकित प्रश्न संख्या 111 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद बस्ती में साधन सहकारी व किसान सहकारी समितियों के सचिवों का अपने गृह विकास खण्ड में नियुक्ति का औचित्य

96--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कुल कितने साधन सहकारी व किसान सहकारी समितियों के सचिव अपने विकास खंड व तहसील के अन्तर्गत की समितियों में कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि शासन ने कोई इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि कोई भी सचिव अपने गृह विकास खण्ड में नहीं रह सकता ? यदि हां, तो क्या उसका पालन विकास खण्ड खुनियांव, जनपद बस्ती के साधन सहकारी समिति पारिकापार के सचिव की नियुक्ति में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

बस्ती जनपद के 4 सचिव अपने गृह विकास खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त कर कार्यरत हैं । 26 सचिव अपने गृह तहसील में कार्यरत है, जो नियमानुसार हैं ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिक संघ (चिकित्सा संवर्ग) के गठन का आधार

97--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिक संघ के नाम से केवल एक संघ शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिक संघ (चिकित्सा संवर्ग) किन आधारों पर गठित किया गया ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिक संघ (चिकित्सा संवर्ग) के नाम से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संघ नहीं है ।

स्वास्थ्य संवर्ग में वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों से भिन्न वेतनमान

98--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य संवर्ग में वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का वेतनमान प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों से भिन्न है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

इनके वेतनमान पूर्व में भी समान थे तथा द्वितीय वेतन आयोग ने भी दोनों पदों को समान वेतनमान दिये जाने की संस्तुति की थी ।

स्वास्थ्य संवर्ग में लैब टेक्नीशियन की सहायक मलेरिया अधिकारी के पदों पर पदोन्नति

99--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य संवर्ग में लैब टेक्नीशियन ऐसे भी हैं जिनका मूल पद वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक, मलेरिया निरीक्षक एवं सर्वेक्षण निरीक्षक रहा है ? यदि हां, तो क्या इंटर सी सीनियरटी के अनुसार सहायक मलेरिया अधिकारी के पदों पर पदोन्नति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

उक्त कोटि के प्रयोगशाला प्राविधिक अपने पद पर स्थाई हो चुके हैं और उनका वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक आदि के पदों पर धारणाधिकार (लियन) नहीं है । अतः दूसरे वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षकों आदि के साथ उनके आन्तरिक वरिष्ठता देने का प्रश्न नहीं उठता और वरिष्ठ मलेरिया इंस्पेक्टरों आदि को प्राप्य पदोन्नति के अवसर उन्हें अनुमन्य नहीं होते ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैथालाजिस्ट के अभाव में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का उत्तरदायित्व

100--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4440 (0)/5-0-25/70, दिनांक 14 अगस्त, 1970 के अनुसार जहां पर पैथोलाजिस्ट नहीं होंगे वहां पर प्रयोगशाला प्राविधिक परीक्षण हेतु सक्षम एवं उत्तरदायी होंगे ? यदि हां, तो क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैथालोजिस्ट के अभाव में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को इस उत्तरदायित्व का कोई विशेष भत्ता एवं वेतन देय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । इस शासनादेश के अनुसार प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ अपने निर्धारित कार्यों का सम्पादन प्रभारी पैथालोजिस्ट के पर्यवेक्षण में करते हैं । जहां पैथालोजिस्ट

नियुक्त नहीं हैं वहां वे अपने कार्य हेतु स्वयं उत्तरदायी होते हैं । इससे प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ पर कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं होता है । अतः स्वतन्त्र रूप से अपने कर्त्तव्य पालन हेतु अतिरिक्त वेतन भत्ता देन का प्रश्न नहीं उठता है ।

उन्नाव, लखनऊ एवं कानपुर के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को जिला पूर्ति अधिकारी एवं उप नगर खाद्य अधिकारी के पदों पर पदोन्नति

101--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में उन्नाव, लखनऊ एवं कानपुर के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को क्रमशः जिला पूर्ति अधिकारी एवं उप नगर खाद्य अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की गयी ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या उपरोक्त व्यक्तियों ने नियमानुकूल 5 वर्ष की सेवा अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद पर पूरी कर ली है तथा कनफर्म हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त पदोन्नतियों को निरस्त कर उपरोक्त अधिकारियों को रिवर्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वासुदेव सिंह--

आपूर्ति प्रशासन में रिक्त पदों के कारण उत्पन्न अव्यवस्था को दूर करने एवं अनुसूचित जाति के कोटे को पूर्ण करने हेतु केवल लखनऊ व कानपुर के क्रमशः 1 व 2 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को जिला पूर्ति अधिकारी/उप नगर खाद्य अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया । यह प्रोन्नतियां उपलब्ध अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर कार्यहित में तदर्थ रूप से की गईं ।

इनमें से कानपुर के 2 कर्मचारियों ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद पर 5 वर्ष की सेवा प्रोन्नति के समय पूर्ण कर ली तथा लखनऊ के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष से कम थी । प्रश्नगत कर्मचारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद पर स्थाई नहीं है ।

प्रश्नगत प्रोन्नतियां कार्यहित में तदर्थ रूप से की गई क्योंकि सेवा नियमावली में निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी इस समय उपलब्ध नहीं थे । यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन भी है । उपरोक्त कारणों वश इन अधिकारियों को रिवर्ट करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जिला अलीगढ़ के चिकित्सा भवन निर्माणार्थ भूमि पर अनधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही

102--डा0 धर्मपाल सिंह--

क्या स्वास्थय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ग्राम व पत्रालय मीतई, विकास खंड मुरसान, जिला अलीगढ़ में चिकित्सालय की भूमि श्री रामगोपाल पुत्र श्री चोव सिंह ने दान में चिकित्सालय भवन निर्माणार्थ राज्य सरकार को दी थी ? क्या उक्त भूमि पर श्री शंकर सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह ने नाजायज कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उपरोक्त मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

दान में प्राप्त भूमि पर श्री शंकर सिंह द्वारा अनधिकृत कब्जे की चेष्टा करने की बात प्रकाश में आते ही निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं नें जिलाधिकारी अलीगढ़ को अनधिकृत कब्जा हटाने हेतु पत्र लिखा है तथा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी अलीगढ़ को भी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है ।

राज्य एवं जिला स्तर पर परिवार कल्याण कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच विचार विनिमय हेतु 'सेल' की स्थापना का निर्णय

103--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थय मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य एवं जिला स्तर पर परिवार कल्याण कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु आपसी विचार विनिमय के लिए 'सेल' के गठन की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण एवं मातृ-शिशु कर्मचारी परिषद् के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को लेकर 'सेलों' के गठन की व्यवस्था कर दी गयी है ? जिन जनपदों में अब तक 'सेलों' के गठन की व्यवस्था नहीं की गयी है उनमें 'सेलों' के गठन की अविलम्ब व्यवस्था हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री लोकपति--

जी हां, राज्य एवं जिला स्तर पर परिवार कल्याण कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच स्थानीय समस्याओं को आपसी विचार विनिमय के माध्यम से समाधान करने हेतु राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो के अधिकारियों की संयुक्त समिति की बैठक दिनांक 21-4-80 में राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर 'सेल' के गठन की स्थापना का निर्णय लिया गया था ।

उक्त निर्णय के आधार पर राज्य परिवार कल्याण अधिकारी ने राज्य स्तर पर उक्त 'सेल' का गठन करके अपने परिपत्र दिनांक 23-4-80 में प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों से अपने जनपदों में भी तत्काल उक्त सेल के गठन की स्थापना के निर्देश दिये ।

राज्य परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारी परिषद् ने जब राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो को, जनपदों में उक्त 'सेलों' के गठन न किये जाने की जानकारी दी तो राज्य परिवार कल्याण अधिकारी ने पुनः दिनांक 9-3-81 को यह निर्देश भेजे कि जिन जनपदों में तथा कथित सेल की स्थापना अब तक न की गई हो, वहां सेल का गठन तत्काल करके उनके पदाधिकारियों के नाम ब्यूरो को भेजें । जनपदों से सेलों के गठन का अद्यतनस्थिति की सूचना अभी तक अपेक्षित है जिसे प्राप्त करने हेतु राज्य परिवार कल्याण अधिकारी दिनांक 16-2-83 को तार भेजा है शासन स्तर से भी उक्त सेल के गठन हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं ।

साधन सहकारी समिति, लाही, जिला बाराबंकी में खाद के गोलमाल किये जाने की जांच

104--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साधन सहकारी समिति, लाही, जो कि अब मवैया मझगवां ब्लाक त्रिवेदीगंज, जिला बाराबंकी के नाम से है जिसमें रु0 5,000 की खाद के अपहरण का मामला प्रकाश में आने पर तत्कालीन अतिरिक्त जिला सहकारी अफसर, श्री एन0 बी0 जोशी ने जांच कर 23-5-70 को रिपोर्ट सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बाराबंकी को दे दिया गया था और रिपोर्ट के अन्तिम निष्कर्ष क्रम एक दो तीन के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए सलाह दी थी ? यदि हां, तो क्रम 1, 2, 3 के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बच्चा पाठक---

जी हां ।

प्रश्नगत समिति में रु0 5,000 की खाद के गोलमाल किये जाने के मामले की जांच तत्कालीन अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी श्री एन0 बी0 जोशी द्वारा की गई थी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नवत् कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गयी थी :---

(1) सर्वश्री कृष्ण किशोर त्रिपाठी एवं राम किशोर त्रिपाठी से 15 दिन के अन्तर्गत रुपया 5,000 समिति में जमा करने को कहा जाय और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मामला पुलिस को दे दिया जायगा ।

(2) वित्तीय अनियमितता तथा धन के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी सुपरवाइजर सर्वश्री रामनाथ श्रीवास्तव तथा झगड़ूराम को निलम्बित करके आरोपित किया जाय ।

(3) समिति के एकाउन्टेन्ट को समिति के सदस्यों के साथ धोखा-धड़ी करने तथा समिति के धन में गोलमाल करने के आरोप में पुलिस को सौंप दिया जाय ।

उपरोक्त संस्तुतियों के अनुपालन में अनियमितता के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए चेयरमैन, जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी को लिखा गया । इसी पत्र में समिति के एकाउन्टेन्ट, सरपंच एवं सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सालसी कार्यवाही करने के लिए लिखा गया । पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित कराई गई । किन्तु पुलिस ने विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट लगा कर मामले को दिनांक 26-9-71 को दाखिल दफ्तर करा दिया । सर्वश्री रामनाथ श्रीवास्तव व झगड़ू राम पर्यवेक्षकों के विरुद्ध बैंक द्वारा समय से कार्यवाही न की जा सकी । चूंकि श्रीवास्तव सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा श्री झगड़ू राम की मृत्यु हो चुकी है, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है । तत्कालीन आंकिक श्री राम नरेश दीक्षित जो अब रुदौली में सचिव हैं को निलम्बित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । जांच अधिकारी की आख्या मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

श्री राजा राम वर्मा, फूड इन्सपेक्टर द्वारा मकान खरीदने की विभागीय अधिकारियों को दी गयी सूचना

105—श्री लोकमणि शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजा राम वर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल, फूड इन्सपेक्टर, गोवर्धन मथुरा ने विभाग को इस बात की सूचना दी है कि उन्होंने हैदराबाद, लखनऊ स्थित मकान नं0 509/42 श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री रामपाल वर्मा से 1 जुलाई, 1982 को 40,000 रु0 में खरीदा ? यदि सूचना नहीं दी गयी, तो क्या उनके विरुद्ध क्या जांच कराकर सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

श्री राजा राम वर्मा, फूड इन्सपेक्टर ने मकान खरीदने की सूचना विभागीय अधिकारियों को दे दी थी ।

ग्राम सभा धौहां, जिला मिर्जापुर स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की मांग

106—राम चरण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 18-11-81 को एक पत्र ग्राम सभा धौहां, जिला मिर्जापुर में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़ से उप केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव मांगा था, जो उन्हें प्राप्त हो चुका है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर अपने स्तर से उक्त प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा निदेशक को स्वीकृति हेतु भेज रहे हैं जिसके प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जल निगम विभाग, मिर्जापुर को जिला प्लान या राज्य सरकार से प्राप्त हुई धनराशि

107—श्री रामचरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जल निगम विभाग, मिर्जापुर को वर्ष 1981-82 में जिला प्लान से या राज्य सरकार से अलग-अलग कितना धन प्राप्त हुआ और वह कहां-कहां और कितना-कितना व्यय किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वर्ष 1981-82 में जिला प्लान पद्धति लागू नहीं थी, अतः जल निगम विभाग मिर्जापुर को वर्ष 1981-82 में जिला प्लान के अन्तर्गत कोई धनराशि

नहीं मिली । राज्य सरकार द्वारा जल निगम को दी गई धनराशि में से जल निगम, मिर्जापुर को जो धनराशि प्राप्त हुई एवं जो व्यय विभिन्न मदों में किये गये उनका विवरण निम्न प्रकार है--

प्राप्ति		लाख रु0 में
1--वर्ष 1980-81 की अवशेष	..	16.567
2--वर्ष 1981-82 में जल निगम से प्राप्त	..	167.092
योग	..	183.659
व्यय		
1--ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य पर	..	150.167
2--नागर पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य पर	..	2.973
3--पेयजल कार्यों के रख-रखाव पर व्यय	..	13.191
4--अधिष्ठान पर व्यय	..	26.543
योग	..	192.874
उपरोक्त में सम्मिलित विभागीय शुल्क	..	19.974
शुद्ध व्यय	..	172.900

108--श्री राम चरण सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

हरि की पौड़ी से लेकर गऊघाट तक गंगा नहर के किनारे लगी अवध गुमटियों को हटाये जाने विषयक कार्यवाही

109--श्री रामचरण सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार में हरि की पौडी से लेकर गऊघाट तक गंगा नहर के किनारे लगी गुमटियों को हटाये जाने विषयक एक पत्र प्रश्नकर्ता ने दिनांक 6-7-82 को उन्हें लिखा था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां । इस सम्बन्ध में नगर पालिका द्वारा स्थल का सर्वेक्षण कराये जाने पर कुल 87 खोखे (गुमटियां) अनधिकृत रूप से रखे पाये गये जिनमें से

23 खोखे (गुमटी) हर को थोडो विस्तार योजनान्तर्गत विस्थापित हुए दुकानदारों के हैं। उन दुकानदारों को विकल्प के रूप में नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानें आवंटित किये जाने का कार्य प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने पर उक्त खोखे (गुमटियां) हट जायेंगे। शेष अनधिकृत रूप से लगाये गये खोखों को भी शीघ्र ही हटाने की प्रभावी कार्यवाही पालिका द्वारा की जावेगी।

नगरपालिका मुजफ्फरनगर की अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र

110--श्री नकली सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मई, 1982 के अन्तिम सप्ताह में नगरपालिका मुजफ्फरनगर की अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्हें मिला ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच कराई गई ? उनमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां, प्रश्नकर्त्ता का पत्र मई, 1982 में नहीं अपितु जून, 1982 में प्राप्त हुआ था।

जी हां, प्रारम्भिक जांच कराई गई। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं।

उ0 प्र0 जल निगम में संगणकों की प्रोन्नति

111--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या नगर विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में उपलब्ध संगणकों की प्रोन्नति वर्ष 1972 से नहीं की जा रही है ? जबकि निगम में रिक्त स्थान उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश जल निगम में संगणकों की प्रोन्नति वर्ष 1972 के बाद भी की गई, किन्तु दिनांक 27-4-78 के बाद से उक्त प्रोन्नतियां इसलिए प्रभव नहीं हो पाई हैं क्योंकि उक्त दिनांक से उ0 प्र0 जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली, 1978 लागू हो गई और उस विनियमावली में सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के लिये संगणकों को अर्ह नहीं बनाया गया है।

जिला अस्पताल, गाजियाबाद हेतु बजट का आवंटन

112--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब से जिला गाजियाबाद का सृजन हुआ है तब से जिला अस्पताल गाजियाबाद को सरकारी अनुदान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सरकारी अस्पतालों को बजट का आवंटन किया जाता है न कि सरकारी अनुदान दिया जाता है। जिला अस्पताल, गाजियाबाद के लिए भी बजट का आवंटन किया जाता है।

झांसी नगर में सीवर लाइन बिछाने की कथित योजना

113--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर की गन्दगी को दूर करने के लिए सीवर लाइन बिछाए जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसे कब से लागू किया जायेगा ? और कब तक वह नगर में बिछ जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं।

झांसी नगर में जल आपूर्ति पर्याप्त न होने के कारण-सीवर सफल नहीं हो सकेंगे। अतः अभी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

परिवार नियोजन के कार्यों हेतु सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद को दी गई कथित धनराशि

114--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में परिवार नियोजन के कार्यों के लिए 7,500 रु० सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद को दिया गया था, जिसका विवरण अस्पताल की रेगुलर कैश-बुक में अंकित नहीं किया गया तथा वर्ष की समाप्ति पर एक पृथक् कैशबुक में चढ़ाकर विवरण दिया गया ? यदि हां, तो इस वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1981-82 में परिवार नियोजन के कार्यों के लिए सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद को कोई धनराशि नहीं दी गई थी। अतः उस धनराशि को सिविल अस्पताल की कैशबुक में अंकित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारिता विभाग, गाजीपुर में सचिव एवं सहायक सचिवों के विरुद्ध जांच

115--श्री रामनारायण सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में गाजीपुर जनपद में सहकारिता विभाग में कितने सचिव एवं सहायक सचिवों के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के वाद पंजीकृत हुए थे और विभाग द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कौन सी प्रशासनिक कार्यवाही की गई ? क्या यह सच है कि सहायक निबन्धक, सहकारिता, गाजीपुर में दोषी व्यक्तियों को आज भी कार्यरत रखा है ? क्या सरकार इस भ्रष्टाचार की जांच मुख्यालय के गुप्तचर विभाग से कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वास्थ्य संवर्ग में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को निःशुल्क आवासीय भत्ते के प्रकरण पर विचार

116—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 32 के 1 ले गुरुवार के अता० प्र० सं० 65 के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि स्वास्थ्य संवर्ग प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को आवासीय भत्ते का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक शासन द्वारा इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

जी हां, स्वास्थ्य संवर्ग में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का निःशुल्क आवासीय सुविधा दिए जाने का प्रकरण भी इस सामान्य विषय के लिए गठित एक उच्चस्तरीय समिति के विचाराधीन है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

117—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय महिला अस्पताल, डुमरियागंज में महिला डाक्टर का रिक्त पद

118—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के डुमरियागंज तहसील में स्थित राजकीय महिला अस्पताल डुमरियागंज में पिछले कितने वर्षों से महिला डाक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है तथा अस्पताल खाली पड़ा हुआ है ? इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

दिनांक 1 अगस्त, 1978 से इस अस्पताल में महिला चिकित्सक का स्थान रिक्त है । इसका कारण महिला डाक्टरों की कमी है ।

साधन सहकारी समिति, डोकम अमया, जिला बस्ती द्वारा चीनी व मिट्टी के तेल का वितरण

116—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 82 से अक्तूबर, 82 तक विकास खण्ड भनवापुर, जनपद बस्ती की डोकम अमया न्याय पंचायत की किन-किन ग्राम सभाओं में साधन सहकारी समिति डोकम अमया द्वारा चीनी और मिट्टी का तेल वितरण किया गया ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त न्याय पंचायत के किसी भी गांव को चीनी या मिट्टी का तेल नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बासुदेव सिंह--

साधन सहकारी समिति, डोकम अमया, न्याय पंचायत, डोकम अमया, विकास खण्ड भनवापुर, जिला बस्ती द्वारा न्याय पंचायत डोकम अमया में माह जून तथा जुलाई, 1982 में चीनी व मिट्टी के तेल का कोई कोटा नहीं उठाया गया ।

उक्त समिति द्वारा चीनी तथा मिट्टी के तेल न उठाये जाने के कारण माह अगस्त, 1962 में न्याय पंचायत डोकम अमया के सभी ग्राम सभाओं की चीनी का कोटा तथा 5 ग्राम सभाओं का मिट्टी का तेल का कोटा साधन सहकारी समिति, विस्कोहर को दिया गया । इस समिति ने उक्त न्याय पंचायत की माह अगस्त, सितम्बर व अक्तूबर, 1982 की चीनी उठाई और उसका वितरण किया । माह अगस्त, 1982 में इस समिति ने मिट्टी का तेल नहीं उठाया । इस समिति ने सितम्बर व अक्तूबर, 1982 के प्रत्येक माह में 800 लीटर मिट्टी का तेल उठाकर उसका वितरण किया, किन्तु यह मात्रा कम होने के कारण सभी कार्ड धारकों को मिट्टी का तेल न मिल सका । उक्त न्याय पंचायत के शेष 5 ग्राम सभाओं में मिट्टी के तेल का वितरण प्रश्नगत अवधि में व्यक्तिगत दुकानदार द्वारा किया गया ।

पिपराइच, गोरखपुर में सेनिटरी इन्सपेक्टर का निलम्बन एवं बहाली

120--श्री केदार नाथ सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिपराइच, गोरखपुर में नव नियुक्त सेनिटरी इंस्पेक्टर को माह जनवरी, 1982 से निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उसे अभी तक आरोप-पत्र न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति---

जी हां ।

इनके विरुद्ध प्रारम्भिक जांच कराई जा चुकी है । जांच में केवल फर्जी लाइसेन्स बनाने का आरोप बन पाया है ।

श्री सिंह को बहाल करने के आदेश निदेशक को दे दिए गए हैं ।

सेनिटरी इंस्पेक्टर्स को अपने गृह जनपदों में तैनात किये जाने का औचित्य

121--श्री केदार नाथ सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कितने सेनिटरी इंसपेक्टर अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं ? क्या शासन की नीति के अनुसार इन्हें गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री लोकपति---

सामान्यतयः सेनेटरी इंस्पेक्टर्स को उनके गृह जनपद में तैनात किए जाने की नीति नहीं है । किन्तु अपवाद स्वरूप प्रदेश में इस समय लगभग 85 सेनेटरी इंस्पेक्टर्स अपने गृह जनपद में तैनात हैं ।

चिकित्साधिकारी, शिवली के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को उनके पास के समस्त रिकार्ड सील करने सम्बन्धित पत्र

122--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय चिकित्सालय, शिवली, कानपुर के तत्कालीन फार्मेसिस्ट श्री मूलचन्द सोनी द्वारा चिकित्साधिकारी शिवली के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 13-5-82 को तथा 13-7-82 को मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर को प्रेषित किये गये ? यदि हां, तो उनमें लगाये गए आरोप क्या हैं तथा उन पर कार्यवाही क्या की गयी ?

श्री लोकपति--

केवल दिनांक 13-5-82 का पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्राप्त हुआ जिसमें उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर न करने दिये जाने तथा स्टोर की चाभी न दिये जाने की शिकायत की गयी थी । उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय) ने आख्या मांगते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, शिवली को शिकायत के बिन्दुओं का निराकरण करने के निर्देश 17-5-82 को भेज दिये थे ।

123--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह भी सही है कि 22-7-82 को उक्त फार्मेसिस्ट द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उसके पास से समस्त रिकार्ड लेकर सील कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा अपने भ्रष्टाचार को छिपाने हेतु कोई हेरफेर न किया जा सके ? यदि हां, तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति--

जी हां । किन्तु इसके पूर्व 30-6-82 को उक्त फार्मेसिस्ट का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर झींझक हो चुका था । स्थानान्तरण के उपरान्त यह अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये । अतः उनके पास के स्टाक बुक और इंडेन्ट रजिस्टर को सील कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की ग्राम सभा नौमलिकपुर सोसायटी के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

124--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की ग्राम सभा नौमलिकपुर सोसायटी के सचिव के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र ग्रामवासियों की ओर से जो प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित था, अक्तूबर, 1982 के उत्तरार्द्ध में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

125-127--श्री राम चरण सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

साधन सहकारी समिति पियरा बुधेल, जनपद देवरिया में सामग्री के वितरण में अनियमितता की जांच

128--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खंड बनकटा के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति पियरा बुधेल में वर्ष 1981-82 में कौन-कौन सी सामग्री कब और कितनी मात्रा में वितरण हेतु दी गयी ? क्या उन वस्तुओं का सही वितरण क्षेत्रीय जनता में किया गया ? क्या इस समिति के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो वह अनियमितता क्या है और जांच में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर की नगरपालिका खैराबाद, लहरपुर को स्वीकृत अनुदान तथा व्यय

129--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में नगरपालिका, खैराबाद और नगरपालिका, लहरपुर दोनों में कितनी ग्रान्ट सरकार के द्वारा 1981-82, 1982-83 में उ० प्र० सरकार द्वारा दी गयी और उसका प्रयोग किन-किन मदों में कितना-कितना किया गया, धन के उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी की ? यदि हां, तो किसके द्वारा और क्या रिपोर्ट आई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

प्रश्नानुसार नगरपालिका, खैराबाद को वर्ष 1981-82 में 4·13 लाख रु० तथा 1982-83 में 1,63,000 का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया है । उक्त स्वीकृत सड़क अनुदानों से कस्बे में खड़ंजा तथा पानी के निकासी हेतु पक्की नालियों का निर्माण कराया गया और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बिलों का भुगतान किया गया । इसी प्रकार नगरपालिका, लहरपुर को वर्ष 1981-82 में 2·78 लाख तथा 1982-83 में 2·25 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया था । उक्त स्वीकृत सड़क अनुदान से सड़कों की मरम्मत तथा नालियों आदि का निर्माण किया गया । कराये गए निर्माण कार्यों का भुगतान जिलाधिकारी के अनुमोदन से नियमानुसार किया गया ।

नगरपालिका खैराबाद ने वर्ष 1981-82 में स्वीकृत अनुदान का अंशदान सहित सड़क निर्माण कार्यों पर पूर्ण व्यय कर लिया है तथा 1982-83 में स्वीकृत अनुदान द्वारा कराये जाने वाले कार्य प्रगति पर है । इसी प्रकार

नगरपालिका लहरपुर ने वर्ष 1981–82 में स्वीकृत सड़क अनुदान का अंशदान सहित 2,12,953 रु0 का उपयोग निर्माण कार्य में कर लिया है तथा 80,797 रु0 शेष है । वर्ष 1982–83 में स्वीकृत 2,25,000 रु0 का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है ।

इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1981–82 में लहरपुर नगर-पालिका के स्कूल भवन की मरम्मत हेतु 3,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया था । उपयोगावधि समाप्त होने के कारण अनुदान का उपयोग नहीं हो सका है ।

मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का वेतनमान

130––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित बाल विकास योजना में कार्य करने वाली लेडीज हेल्थ विजिटर का वेतनमान शासनादेश संख्या 904/26–2–81–560(2)–78, दिनांक 19 जून, 1981 के अन्तर्गत 280–460 रु0 स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या जनपद गोरखपुर में इस योजना में कार्यरत लेडीज हेल्थ विजिटर को यह वेतनमान दिए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी––

जी हां ।

जी नहीं ।

समन्वित बाल विकास परियोजना हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही है और उनके द्वारा सीधे स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के पद पर नियुक्त करने की व्यवस्था नहीं है । उक्त परियोजना में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के मातृ एवं शिशु कल्याण अनुभाग द्वारा की जाती है। मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का वेतनमान 250–7–285–द0 रो0–9–375–द0 रो0–10–425 है । अतः उक्त परियोजना में स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की तैनाती वेतनमान 250–425 में की जाती है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि0 लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण हेतु विशेष अर्हतायें

131––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक, जिला लखनऊ के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु बैंक द्वारा प्रस्तावित विशेष अर्हतायें निबन्धक द्वारा स्वीकृत की गयी हैं ? यदि नहीं, तो बैंक के स्थायी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? जबकि वर्ष 1978–79 में पी0 सी0 एफ0, भूमि विकास बैंक व पी0 सी0 यू0 में अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु इमरजेंसी रिक्रूटमेन्ट कराते हुए निबन्धक ने विशेष अर्हताय निर्धारित की थीं ।

श्री बच्चा पाठक--

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि0, लखनऊ ने चतुर्थ श्रेणी के अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कोई प्रस्ताव निबन्धक को नहीं भेजा है ।

चतुर्थ श्रेणी के अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स में

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों हेतु आरक्षित सीटें

132--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सी0 पी0 एम0 टी0 1982 के टेस्ट में लिए जाने वाले छात्रों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के कोटे में एम0 बी0 बी0 एस0 के कितने छात्र लिए गए और कुल कितने छात्र भर्ती किए गए ? उपयुक्त कोटे में न्यूनतम प्राप्तांक क्या रहा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स में 8 सीटें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित हैं । उक्त सीटों के समक्ष स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के 5 पुरुष अभ्यर्थी तथा 3 महिला अभ्यर्थी एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स में भर्ती किए गए हैं । उक्त श्रेणी के अन्तर्गत चयनित अन्तिम पुरुष अभ्यर्थी ने 796 तथा अन्तिम चयनित महिला अभ्यर्थी ने 830 अंक प्राप्त किए हैं ।

अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर दिया गया वैकल्पिक वेतनमान

133--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल फैकल्टी द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखने वाले कितने चिकित्सा संवर्ग में अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर वैकल्पिक वेतनमान प्रशिक्षित का दिया गया ? क्या प्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बिना पैथालाजिस्ट के कार्यरत हैं को इस प्रकार की छूट देकर कोई वैकल्पिक वेतनमान दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

हरदोई नगरपालिका व संडीला नगरपालिका को दिया गया अनुदान तथा व्यय

134--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि हरदोई नगरपालिका व संडीला नगर-पालिका को कितना-कितना धन वर्ष 1982-83 में उपलब्ध कराया गया तथा शासन ने इसे किस मद से दिया ? इस धन का उपयोग कहां-कहां किया गया

क्या सरकार व्यय किए गए धन की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

पालिकावार वांछित सूचना निम्नवत् है :--

हरदोई--

1--प्रश्नगत पालिका को वित्तीय वर्ष 1982-83 में 2,39,000 रु0 का साधारण सड़क अनुदान तथा 1,00,000 रु0 बाढ़ सहायता अनुदान अवमुक्त किया गया है । निम्न निर्माण कार्य हो चुके हैं :--

1--सड़क नाली--सा0 नि0 वि0 कार्यालय के सामने से जयपाल सिंह के मकान तक ।

2--सड़क नाली-सिविल लाइन बाबूराम की बगिया में जनता जूनियर स्कूल के सामने से रामकृष्ण के मकान तक ।

3--सड़क नाली--मो0 नबी पुरवा से धर्मशाला रोड तक ।

4--सड़क नाली--खंजाची टोला अब्दुल्ला के मकान स्वीपर कालोनी तक ।

5--सड़क नाली--सिविल लाइन अस्पताल रोड से चोरघर पुरवा तक ।

निम्न निर्माण कार्य प्रगति पर है :--

1--पैच मरम्मत--पोस्ट आफिस तिराहे से कचहरी गेट तक ।

2--पैच मरम्मत--मंगलीपुरवा तिराहे से रेलवे स्टेशन रोड तक ।

3--पैच मरम्मत--कार्यशाला चौराहे से धर्मशाला चुंगी तक ।

4--पैच मरम्मत--अस्पताल चौराहे से श्रीराम बाजपेयी स्मारक तक ।

5--सड़क नाली--मो0 अशराफ टोला बगिया में नवनिर्मित सड़क से उग्रनाथ श्रीवास्तव के मकान होते हुए ओम नरायन श्रीवास्तव के मकान तक ।

6--सड़क नाली--प्राइवेट बस स्टैंड रोड से पालिका कांजी हाउस तक ।

7--सड़क नाली--मो0 सुभाष नगर में श्री ललितकान्त के मकान से महेश प्रसाद के मकान तक ।

8--सड़क नाली--मो0 बंशी नगर में ग्रामीण अभियन्ता आफिस के सामने से बंशी नगर नाला तक ।

9--सड़क नाली--मोहल्ला शिवपार में सण्डीला रोड से प्राइमरी स्कूल तक ।

10--सड़क नाली--मो0 बहरा सौदागर में लखनऊ रोड से सोहन लाल टन्डन के मकान तक ।

11--सड़क ऊंचा थोक साड़ी रोड से लाल बहादुर शास्त्री स्कूल तक ।

12--सड़क नाली--कचहरी रोड आनन्द सिनेमा के सामने से होमगार्ड तक सड़क ऊंची करके बनाना ।

सड़क निर्माण के सम्बन्धित व्यय बिलों का भुगतान प्राविधिक उच्च अधिकारियों के जांच के उपरान्त ही किया जाता है । अतएव पुनः प्राविधिक जांच की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

सन्डीला--

प्रश्नगत पालिका को वित्तीय वर्ष 1982-83 में रु0 60,000 की बाढ़ सहायता अनुदान जनवरी, 1983 में अवमुक्त किया गया है जिसके आगणन तैयार किए जा रहे हैं । अतः धन के व्यय होने तथा प्राविधिक जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री आर0 एल0 गुप्ता, भूतपूर्व सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर, रायबरेली का वेतन भुगतान

135--श्री राम आसरे वर्मा---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर0 एल0 गुप्ता, भूतपूर्व सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर एन0 एम0 ई0 पी0 यूनिट (दक्षिण), रायबरेली के दिनांक 1-6-62 से 13-7-62 तक के अवकाश वेतन 200 रुपए की प्रतिभूति वापस करने एवं जी0 पी0 फंड का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक (मलेरिया) द्वारा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली को अपने पत्र सं0 माल एवेन्यू (× बी) 75/1186 दिनांक 3-2-76 द्वारा कोई निर्देश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो उनके अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां, संयुक्त निदेशक (मलेरिया) ने इस विषय में दिनांक 3 फरवरी, 1976 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली को निर्देश भेजे । मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली के कार्यालय में यह पत्र उपलब्ध नहीं है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली के कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार श्री आर0 एल0 गुप्ता के वेतन दिनांक 14 जुलाई, 1952 से आहरित करके भुगतान किया गया था । उनके अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं है कि श्री गुप्ता 1-6-62 से 13-7-62 तक कहां तैनात रहे । रायबरेली में इनकी तैनाती के दौरान इनके वेतन से प्रतिभूति एवं जी0 पी0 फण्ड की कटौती नहीं की गयी । प्रतिभूति के सम्बन्ध में उक्त कार्यालय में कोई रिकार्ड, पास बुक अथवा बचत पत्र उपलब्ध नहीं है ।

रसूलपुर, जनपद आजमगढ़ चिकित्सालय में पांच शैय्यायें बढ़ाने की मांग

136--श्री राजकुमार राय---

द्वितीय सत्र 1982 के 1ले गुरुवार के अतः0 प्र0 सं0 144 के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रसूलपुर, जनपद आजमगढ़ चिकित्सालय में पांच शैय्याएं कब तक बढ़ा दी जायेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पांच अतिरिक्त शैय्यायें क्रय करने हेतु इन्डेन्ट कर दिया गया है तथा आशा है कि ये शैय्यायें रसूलपुर स्थित चिकित्सालय में निकट भविष्य में आ जायेंगी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देसही, देवरिया में आउटडोर व इनडोर में चिकित्सा व दवा का वितरण तथा मरीजों से पैसा लेकर चिकित्सा किये जाने की जांच

137--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देसही, देवरिया, जिला देवरिया में वर्ष 1981 व 1982 में कितने मरीजों की आउटडोर व इनडोर में चिकित्सा की गयी व कितने रुपये की दवा मरीजों को उपरोक्त वर्षों में बांटी गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देसही, देवरिया में वर्ष 1981 में 18,594 आउटडोर मरीजों तथा वर्ष 1982 में 12 इनडोर तथा 17,122 आउटडोर मरीजों की चिकित्सा की गयी, 1981 में कोई इनडोर मरीज नहीं था । उक्त प्रत्येक वर्ष में रु0 12,000 आवंटित धनराशि की दवा का प्रयोग हुआ है ।

138--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि उपरोक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र में कोई दवा बिना पैसा लिये मरीजों को नहीं दी जाती व मरीजों से सुई लगाने के लिए भी दो-दो रुपये फी मरीज लिये जाते हैं, सम्पूर्ण मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं । अतः सी0 आई0 डी0 से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

इलाहाबाद के अर्ध-कुम्भ मेला के समय सड़कों पर व्यय की गई धनराशि

139--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के गत 1982 के अर्ध कुम्भ मेला के समय कितनी धनराशि नगर के किन-किन सड़कों पर व्यय की गई ? इन सड़कों पर कब से कब तक कार्य हुआ ? और किन-किन ठेकेदारों को कितनी-कितनी धनराशि कब दी गई ?

श्री रामसिंह खन्ना--

इलाहाबाद के गत 1982 के अर्ध कुम्भ मेला के समय व्यय की गयी धनराशि एवं सड़कों का विवरण अनुसूची† में संलग्न है ।

इन सड़कों पर नवम्बर, 1981 से जुलाई, 1982 तक कार्य हुआ ।

ठेकेदारों को अक्टूबर, 1981 से जून, 1982 तक दी गयी धनराशि एवं उनके नाम अनुसूची† में संलग्न है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

यह प्रक्रिया है और आपकी पीठ से बार-बार यह निर्देश हुये हैं कि माननीय सदस्यों को सन्तोषकारक उत्तर माननीय मन्त्री की ओर से दिया जाना चाहिये । एक विशेष बात देखने को मिली कि सहकारिता मन्त्री सदन में अनुपस्थित रहते हैं और उनके विभाग से सम्बन्धित करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले आते हैं, तब कोई दूसरे मन्त्री खड़े होकर असन्तोषजनक रूप से उत्तर देते हैं या उनको टालने का प्रयत्न करते हैं । यदि कोई विशेष स्थिति है तो नियमावली का नियम 35 देखें ।

विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में तद्विषयक प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष प्रश्न को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर सकेंगे ।

तो मान्यवर, कोई विशेष या कोई अप्रत्याशित परिस्थिति थी माननीय मंत्री जी को आपको उससे सूचित कराना था तदनुसार इतने महत्वपूर्ण प्रश्न स्थगित किये जा सकते थे, लेकिन उन्होंने न तो ऐसी कोई सूचना दी आपको और जिन दूसरे माननीय मंत्री को अपनी जगह बैठाला उन्होंने भी उन प्रश्नों के कोई संतोष जनक उत्तर नहीं दिये, जबकि कई प्रश्न इतने महत्वपूर्ण थे । एक तो नीमखली खरीद के घोटाले से संबंधित था, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई ठोस उत्तर नहीं आया बल्कि हर एक प्रश्न के टालू उत्तर दे दिये गये तो इससे मान्यवर, हम लोगों का प्रश्न करने का मकसद हल नहीं हो पाता है, दूसरा एक मान्यवर, मैनपुरी के घोटाले से संबंधित था । इस प्रश्न के उत्तर में भी कोई संतोषजनक स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके, इसलिए मान्यवर, आप की व्यवस्था इस ओर चाहता हूं कि नियम 35 के अनुसार यदि पालन नहीं किया जायेगा तो इससे माननीय सदस्यों का प्रश्न करने का मकसद है, वह पूरा नहीं हो सकेगा ।

---

† छापी नहीं गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

हमने जब सहकारिता मंत्री से संबंधित यह प्रश्न आया था तो हमने वही सब बातें कहीं थी जिन्हें माननीय मोहन सिंह जी द्वारा उठावा गया है। इसलिए मैं शासन से फिर कहता हूं कि वे इस बात की ओर ध्यान दें जब भी इस प्रकार की कोई परेशानी हो तो सदन में उसकी सूचना यथा समय नियम 35 के अनुसार भेजें और यह नियम अब भी पूरी तरह लागू है इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं हुई है ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है हमारे जो प्रश्न स्वीकार होते हैं, उसमें सिर्फ सप्ताह अर्थात् 8वां मंगल पड़ा होता है, उस पर दिवस नहीं होता है, तो इससे हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि 8वां मंगल कौन सा दिन होगा, यदि साथ ही इसके दिवस भी प्रश्नों पर डाल दिया जाय तो हम लोग आसानी से समझ सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर विचार करेंगे ।

ग्राम बाबा का पुरवा मजरे इब्राहीमाबाद, थाना कोठी, जनपद बाराबंकी के श्री जगन्नाथ नाई के घर पड़ी डकैती एवं हत्या तथा थानाध्यक्ष कोठी द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 5 के अलावा शेष अस्वीकार हुयीं, कुछ में 200 शब्दों से अधिक थे और कुछ अन्य कारणों से अस्वीकार हुयी हैं और जो स्वीकार हुयी हैं वह सर्वश्री राम सागर लल्लू सिंह चौहान, अकबाल हुसैन, सत्यपाल सिंह तथा खैरुल बशर की हैं ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, जनपद बाराबंकी के थाना कोठी अन्तर्गत ग्राम बाबा का पुरवा मजरे इब्राहीमाबाद के श्री जगन्नाथ नाई के घर दिनांक 20-21 फरवरी, 1983 की रात एक शस्त्र डाकुओं के गिरोह ने हमला करके परिवार के मर्द व औरतों को बुरी तरह घायल कर दिया और डकैती के दौरान गृह स्वामी श्री जगन्नाथ नाई को मौत के घाट उतार दिया । घर के सदस्य श्री झब्बू द्वारा थाने में रपट लिखवाने जाने पर वहां के थानाध्यक्ष श्री बिन्द्रा सिंह ने रपट नहीं लिखाने दिया । उल्टे पुलिस ने परिवार के सदस्य को बुरा भला कहा और घटना पर पर्दा डालने के लिए पुलिस भेज कर लाश को बिना परीक्षण कराये दफना दिया इस सनसनीखेज घटना की जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को तार दे दिये गये हैं किन्तु अब तक किसी ने मौके पर जाकर घटना की कोई जांच नहीं की है । जिससे थाना कोठी के पूरे क्षेत्र का सम्पूर्ण जनता में क्षोभ व भय एवं असुरक्षा व दुष्कर्मी पुलिस के विरुद्ध आक्रोश का वातावरण व्याप्त हो गया है । इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित कर तत्काल घटना की जांच करके आवश्यक कार्यवाही एवं दोषी थानाध्यक्ष श्री विन्द्रा सिंह को दन्डित करने की मांग करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैनपुरी जनपद में दैवीय आपदा के कारण किसानों की दयनीय स्थिति तथा लगान माफी की घोषणा के बावजूद वसूली किय जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैनपुरी के सम्पूर्ण किसानों की दयनीय स्थिति के संबंध में आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में कुछ आवश्यक तथ्य लाना चाहता हूं ।

माननीय, मैनपुरी जनपद का किसान विगत तीन वर्षों से भयंकर बाढ़, सूखा तथा ओला वृष्टि से भयंकर तबाही का शिकार हुआ है और इस आदरणीय सदन में उठाये गये प्रश्नों तथा जिलाधिकारी की आख्याओं के फलस्वरूप गिरे हुये मकानों के लिये तथा अन्य प्रकार की सहायतायें वितरित की गयीं हैं । सरकार ने स्पष्ट घोषणा की थी कि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान जिन किसानों का हुआ है उनका लगान और आबपासी म फ कर दिया जायगा ।

मुझे बहुत वेदना के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि मैनपुरी जनपद के लिये लिखित आदेश कुछ और हैं मौखिक आदेश कुछ और हैं और जिला प्रशासन से मौखिक आदेशों का परिपालन कराया जा रहा है । परिणामस्वरूप हजारों किसान तहसीलों की हवालात में बंद हैं और उनके साथ दंडात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

अतः श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आदरणीय सदन में मैनपुरी जनपद के बारे में समय-समय पर घोषित नीति के आधार पर लगान तथा आबपासी म फ की जाय, बैंक देयों की दुबारा किस्तें कर दी जायं ।

(श्री अकबाल हुसैन का नाम पुकारे जाने पर ।)

एक सदस्य--

एक सूचना हमने भी दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

पहले जिनकी मैंने स्वीकार की है वह हो जाने दें ।

(व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन इस समय नहीं हैं इसलिये श्री सत्यपाल सिंह कृपया अपनी सूचना पढ़ें ।

18 फर्मों के एक ही मालिक (ठेकेदार) एवं एक अधिशासी अभियन्ता श्री एस0 के0 गुप्ता के कार्यों से राज्य विद्युत् परिषद् में करोड़ों के गोलमाल के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं :

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्य पाल सिंह—]

राज्य विद्युत् परिषद् में करोड़ों के घाटे के दोषी लखनऊ में कुछ ठेकेदार लोगों की इंजीनियर्स से सांठगांठ भी है। श्री विनोद कुमार सिंह, ठेकेदार आलमनगर, लखनऊ की फर्म मेसर्स विनोद एंड कं0 एवं मेसर्स सिंह ट्रेडिंग कारपोरेशन आलमनगर, लखनऊ की सहभागी 18 फर्मों की सूचना श्री एस0 के0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता, विद्युत् निर्माण खंड (लेस) (1) लखनऊ ने अपने कार्यकाल में लगभग 45 लाखके वर्कआर्डर, पेपर आर्डर टेंडर खड तथा उपखंडों से स्वयं तथा उपखंड अधिकारियों पर दबाव डालकर दिये हैं जो कि परिषद् के नियम के विरुद्ध हैं।

अधिशासी अभियंता, श्री एस0 के0 गुप्ता के अधीन उपरोक्त तथाकथित फर्मों के अलावा कोई दूसरी फर्म इस खंड में कार्य नहीं कर रही है जबकि इससे पहले 20 फर्म विभिन्न मालिकों की काम रही थी जिससे परिषद् को कंपटीशन के कारण अधिक हानि नहीं होती थी परन्तु श्री गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता ने श्री विनोद कुमार सिंह ठेकेदार से मिलकर इस खंड को प्रतियोगिता से वंचित कर दिया है। उदाहरण के लिये उपखंड अधिकारी प्रथम खंड के अंतर्गत वर्क आर्डर नं0 48, 49, 50, दिनांक 24 जून, 1982 एवं 14 जुलाई, 1982 के देखे जा सकते हैं, जो कि चार्ज लिस्ट में रिक्त दर्शाये गये हैं तथा बैंक में इस्तेमाल किये गये हैं।

उपरोक्त 18 फर्मों के एक ही मालिक एवं अधिशासी अभियंता जो कि इस प्रकार के लाखों के घोटाले के नायक हैं, के विरुद्ध सारे ठेकेदारों एवं उपरोक्त खंड के कर्मचारियों में भीषण असंतोष व्याप्त है। क्योंकि कर्मचारियों से ही दबाव डालकर यह सारे घोटाले कराये जाते हैं। अतः तुरन्त स्टेट विजीलेंस द्वारा जांच एवं कार्यवाही की मांग करता हूं।

डी0 सी0 एस0 के0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मऊनाथ भंजन के छात्र सुनील कुमार की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, दिनांक 12-2-83 को दिन में लगभग एक बजे डी0 सी0 एस0 के0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मऊनाथ भंजन के एक बहुत ही होनहार छात्र, श्री सुनील कुमार बी0 ए0 भाग 1 को स्थानीय थाने के सब इंस्पेक्टर रमाशंकर सिंह ने अपने सहयोगी सिपाहियों के साथ कृष्ण चित्र मंदिर के प्रांगण में अकारण ही लाठी डंडों से बर्बरता पूर्वक मारा और मारते हुये थाने ले गये। थाने में सब इंस्पेक्टर मोहनलाल और उनके सहयोगी इंसपेक्टरों ने भी बुरी तरह घायल करके बूट की ठोकरों से मारकर अचेतनावस्था में हवालात के अन्दर बन्द कर दिया। बन्द करने के एक घंटा बाद छात्र सुनील कुमार के चोटों की डाक्टरी जांच करायी गयी है। घायल छात्र श्री सुनील कुमार, श्री श्रीनाथ भूतपूर्व विधायक कांग्रेस (ई0) के पुत्र हैं। स्थानीय पुलिस की इस अमानुषिक व्यवहार से सभी छात्रों में घोर असंतोष और अक्रोश व्याप्त है।

लोक महत्व की अतिलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत करा के मैं मांग करता हूं कि दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल निलम्बित करके न्यायिक जांच करायी जाय तथा घायल छात्र, जो कि एक अनुसूचित जाति का है, इसलिये इसे उचित मुआविजा दे कर उपचार की व्यवस्था की जाय।

ग्राम शंकरपुर खुर्द मसमुले बड़गांव, जिला गोन्डा में हुए अग्निकांड से क्षति तथा राहत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सम्मानित सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं कि दिनांक 18-2-83 को दिन में जब तेज तूफानी हवा चल रही थी तब ग्राम शंकरपुर खुर्द मसमुले बड़गांव थाना पचपेड़वा, तहसील बलरामपुर, जनपद गोंडा में आग लग गई और कुछ ही क्षणों में पूरा गांव जल कर स्वाहा हो गया। इस भीषण अग्निकांड में सभी ग्रामवासियों के कपड़े तथा खाद्यान्न तथा बिस्तर व खाना पकाने के बर्तन सब कुछ जल कर नष्ट हो गया हैं। इस तराई के क्षेत्र में बसे हुए ग्राम शंकरपुर में जो लोग जो भी कपड़ा अपने तन पर पहने हुये हैं, वहीं उनके पास हैं और सभी लोग पेड़ों के नीचे आश्रय लिये हुए हैं और किसी तरीके से भूखे रहकर जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। बच्चों में विषम स्थिति होने के कारण विद्यालय में पढ़ना भी बन्द कर दिया हैं। उनकी पुस्तकें तथा अन्य सामग्री भी जल गयी हैं। अभी तक उनको जिन्दा रखने के लिये सरकार द्वारा कोई राहत भी नहीं दिया गया हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि क्षति को देखते हुये इस गांव के बावन परिवारों को जिनका सब कुछ जल कर नष्ट हो गया हैं, सरकार अविलम्ब राहत पहुंचाये और युद्ध स्तर पर राहत की व्यवस्था की जाय।

नियम 301 की सूचना का उत्तर दूसरे विभाग के मंत्री द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी हैं। इसके बारे में इस सदन में कई बार यह मामला उठाया जा चुका हैं कि नियम 301 के तहत जो अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये जाते हैं उन पर यह सरकार विशेष ध्यान नहीं देती हैं, सदा उपेक्षा बरतती हैं। इसकी मिसाल में आपके सामने रखना चाहता हूं कि नियम 301 के परिपालन के सम्बन्ध में आपके करण में 14 (1) को कृपा करके आप देखने का कष्ट करें। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ हैं कि "दी गयी सूचनाओं का उत्तर कोई मंत्री सदन में देने के लिए बाध्य नहीं हैं, किन्तु यदि वे चाहें तो सदन में भी उत्तर दे सकते हैं। सम्बन्धित मंत्री, ऐसी सूचनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराकर सम्बन्धित सदस्य को आपने हस्ताक्षर से 7 दिन में उत्तर देंगे। यदि 7 दिन में सूचना न दी जा सके तो मंत्री सम्बन्धित सदस्य को कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तरिम उत्तर देंगे। परन्तु उसका अन्तिम उत्तर अधिक से अधिक एक महीने के अन्दर अवश्य माननीय सदस्य को भेज देंगे।" यह अपनाने के लिए लिख दिया गया हैं लेकिन आज मेरे द्वारा जो सूचना दी गयी थी उसका उत्तर मुझे प्राप्त हुआ हैं उस पर माननीय गुलाब सेहरा के हस्ताक्षर हैं। सूचना का विषय यह हैं कि इस सरकार ने जो मुठभेड़ों के दौर चालू हुए हैं, उसमे गलत तरीके से काम किया हैं। और पुरस्कार ले लिया, लेकिन वही प्रदीप जब एक न्यायालय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—]

में हाजिर हो गया । तो यह मामला गृह मंत्री जी से सम्बन्धित है । इसका उत्तर गृह मंत्री जी की ओर से दिया जाना चाहिये, लेकिन उनके स्थान पर गुलाब सेहरा ने दिया है । वह राज्य मंत्री हैं और वह गृह विभाग के भी नहीं हैं । इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी ओर से उत्तर देने के लिए उनको अधिकृत किया है, उनकी जवाइन्ट रेसपान्सिबिलिटी है । कोई भी मंत्री किसी का उत्तर दे सकता है लेकिन यह मैनडेटरी है जैसा कि माननीय अध्यक्ष पीठ से घोषणा की जा चुकी है कि सम्बन्धित मंत्री द्वारा ही अपने हस्ताक्षर से पत्र को जारी किया जाना चाहिये । इसी प्रकार का मामला एक वर्ष पूर्व भी उठा था उस समय गृह मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी जी थीं और उनकी ओर से एक दूसरे राज्य मंत्री की ओर से पत्र मिला । उस समय भी अध्यक्ष पीठ से आदेश हुए थे कि यह गलत है और वह पत्र वापस हुआ था और उनको निर्देशित किया गया था कि वह स्वयं अपने ही हस्ताक्षर से जारी करें । आपके निर्देशों की अवमानना इस मंत्रि मंडल के द्वारा की गयी है । इस अवमानना को रोकने के लिए आप उचित और कड़ी व्यवस्था करने की कृपा करें ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, इस सम्बन्ध में आपका ध्यान संविधान के आर्टिकिल 164 (2) की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें लिखा है—

"164 (2) दि काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स शैल बि कलेक्टिवली रेस्पान्सिबुल टू दि लेजिस्लेटिव असेम्बली आफ दि स्टेट ।"

तो मंत्रि मंडल जो है उसको सामूहिक रूप से इस सम्मानित सदन के सामने जवाब देना होगा और उसका उत्तरदायित्व होगा । जो प्रश्न उठाया गया है, इसमें माननीय गुलाब सेहरा से दस्तखत होने से सम्बन्धित है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र आपको भेजा था जिसमें इस बात का जिक्र था कि उनकी तरफ से जो माननीय मंत्रीगण जवाब देंगे । उस पत्र में सूची दी गयी थी और उसमें यह सूचना दी गयी थी कि जब वह उपस्थित न हों तो कौन मंत्रिगण जवाब देंगे । जो पत्र आया और जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को लिखा गया है, उसमें गुलाब सेहरा जी के हस्ताक्षर हैं क्योंकि गृह विभाग के उत्तर देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको अधिकृत किया है और लिखा है कि सदन की जो कार्यवाही है वह गुलाब सेहरा देखेंगे ।

मान्यवर, जो नियमावली है वह संविधान के अधीन रहकर ही बनायी गयी है । तो यह मान्यवर, कलेक्टिव रेसपान्सिबिलटी है । कोई भी मंत्री किसी भी मंत्री का उत्तर दे सकता है । आप स्वयं जानते हैं कि अगर कोई मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं होता है और कोई पत्रावली आती है आपके विभाग में तो उस पर कोई भी मंत्री हस्ताक्षर कर सकता है । यह मान्यवर, मोहन सिंह जी भी जानते हैं, यह मंत्री रह चुके हैं । यह एक पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी का सदन है । सारी काउन्सिल आफ मिनिस्टर है वह एक कलेक्टिव रेसपान्सिबिलटी से काम करती है । कोई मंत्री किसी की तरफ से उत्तर दे सकता है । तो जो यह प्रश्न उठाया गया है । कि किसी मंत्री को दूसरे मंत्री की ओर से पत्र भेजने का अधिकार नहीं है, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बन सकता है । संविधान के आर्टिकिल 164

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(2) को देखते हुए यह कलेक्टिव रेसपान्सिबिलटी है । उसको देखते हुए यह बात बिल्कुल सिद्धान्त रूप से सही ह कि कोई भी मंत्री किसी मंत्री की तरफ से किसी के पत्र का उत्तर दे सकता है । यह परिस्थिति और भी स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात के लिए कुछ माननीय मंत्रीगण को अधिकृत किया है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बहुत ही योग्य और विद्वान हैं उन्होंने यह प्रश्न अनावश्यक रूप से उठा दिया । यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री अध्यक्ष --

मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और मेरे पास माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र भी है जिसमें उन्होंने गुलाब सेहरा जी को गृह विभाग से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया है, उसको भी देखा है । क्योंकि गुप्ता जी ने एक साल पहले का विवरण दिया है कि एक साल पहले इस प्रकार का प्रश्न सदन में आया था । फिलहाल मैं इस प्रश्न पर अपनी रूलिंग रिजर्व रखता हूं और सब चीजों को देखकर अपना निर्णय दूंगा । एक साल पहले क्या कार्यवाही हुई थी, अध्यक्ष द्वारा क्या निर्णय लिया गया था, इसलिए मैं इसे रिजर्व रखता हूं ।

नियम 301 की कतिपय सूचनाओं को न लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री गोपीनाथ वर्मा--

नियम 301 के सम्बन्ध में एक प्रश्न व्यवस्था का उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष --

अब हमने दूसरा चैप्टर ले लिया है ।

(व्यवधान)

*श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, नियम 301 में आप केवल 5 सूचनायें लेते हैं और मान्यवर, आप इस सम्बन्ध में बड़े उदार हैं हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं । हमारे कहने का मतलब यह है कि आपकी इस उदार नीति होने के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाते हैं ।...

श्री अध्यक्ष--

मैं ऐसा नहीं करता हूं ।

*श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, कल भी अविलम्बनीय लोक महत्व की चार सूचनायें ही ली गईं और आज भी चार सूचनायें ही हो सकीं ।

श्री अध्यक्ष--

जब वे उपस्थित नहीं थे तो मैं क्या कर सकता हूं । बाद में वे आ गये थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री धनीराम वर्मा--

माननीय, मैंने पहले भी इंगित किया था। अत्यन्त लोक महत्व की जितनी भी सूचनायें हैं और ऐसे विषय हैं जो अविलम्बनीय लोक महत्व के हैं उनके सम्बन्ध में आपके कार्यालय को पूर्णतया जानकारी कर लेनी चाहिये। मैंने जो सूचना दी थी वह हमारे औरैया क्षेत्र के हरिजनों की भूमि और भवन को हड़पने के सिलसिले में दिया था। मैं उसे आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता था, माननीय, इसके अलावा हमारे पास कौन सा माध्यम है जिससे हम अपनी बात को सदन को अवगत करा सकें ? हमें आप बोलने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं। मैंने आपकी बात सुन ली। आपको अधिकार नहीं है।...

(व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत मैं कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं।

*श्री गोपीनाथ वर्मा--

मेरी सूचना अविलम्बिनीय लोक महत्व की थी।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप सभी लोग बोलते रहें। जब कई सदस्य एक साथ बोलते हों तो कार्यवाही कैसे चलेगी ? कृपया बैठ जायं। 19-19 और 20-20 सूचनायें आती हैं। मेरा कार्यालय उनको पूरी तरह से देखता है। उसके बाद आधे घन्टे तक, यहां आने से 5 मिनट पहले तक हम लोग उन्हें अच्छी तरह से देखते हैं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं हो सकती कि सबसे महत्वपूर्ण या किसी माननीय सदस्य की सूचना यहां पर न ली जाय। जो सबसे महत्वपूर्ण होगी उसको लिया जायेगा। जो नियमों में है कि हम 5 सूचनायें ही लेंगे तो इसे आप नियमों में तबदीली करा के पांच के बजाय 10 कर दें और दस के बजाय 20 कर दें। लेकिन आज जो नियम है वह केवल 5 सूचनाओं को ही लिए जाने का है। मैं चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री और विरोधी दल के नेता इसलिए कोई कमेटी बना दें। मैं रोजाना इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। आप लोग कृपा करके बैठ जायं।

श्री विजय सिंह राना--

5 सूचनाओं के अलावा भी यहां पर सूचनायें ली गई हैं:

श्री अध्यक्ष--

नहीं ली गई हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब सदन उठ रहा होता है कुछ दिन के लिए, उस दिन आखिरी दिन था, इसलिए उस दिन 7-8 सूचनायें विशेष परिस्थिति में ली गई थीं। उसके अलावा कभी भी 5 सूचनाओं से ज्यादा यहां पर स्वीकार नहीं हुई हैं। आप बैठें। माननीय,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमुना प्रसाद जी और माननीय वर्मा जी आप लोग बैठें। मैं आज्ञा नहीं दूंगा।...

(व्यवधान)

कोई चीज नहीं लिखी जायेगी। इस तरह से नहीं चलेगा। आप लोगों के लिए बजट पर बहस के लिए समय कम बच रह पाता है। कृपया बैठ जायं। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। आपको बैठ जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983

[12.30 अपरान्ह से]

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 1983 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 16 फरवरी, 1983 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 फरवरी, 1983 को वापस प्राप्त हो गया है।

जनपद सीतापुर में शारदा सहायक परियोजना द्वारा बनी नहर से सीपेज की समस्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

(श्री अम्मार रिजवी के खड़े होने पर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यही होना था तो कल क्या हर्ज था?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

प्रदेश सरकार द्वारा शारदा सहायक परियोजना वर्ष 1968 में स्वीकृत की गई थी जिसका पुनरीक्षण वर्ष 1972 व 1976 में किया गया। वर्ष 1976 में पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार सीतापुर, बाराबंकी व लखनऊ जनपद में पोषक नहर का निर्माण किया गया। सीपेज से सीतापुर जनपद में प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः पोषक नहर के कि0 मी0 34 से 56 एवं कि0 मी0 72 से 95 तक है। उक्त लम्बाई में जनपद सीतापुर में सीपेज से लगभग 3200 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है जिसमें से 300 हेक्टेयर क्षेत्र पोषक नहर के दांये किनारे पर व 2900 हेक्टेयर क्षेत्र बांए किनारे पर है। इसके अतिरिक्त किवानी व घाघरा नदी के बीच में लगभग 3000 हैक्टेयर क्षेत्र में जलप्लावन की समस्या है। यह समस्या किवानी नदी में पानी ले जाने की पर्याप्त क्षमता न होने के कारण है।

पोषक नहर सीतापुर जनपद में कि0 मी0 26.3 से कि0 मी0 102 तक पड़ती है। इस भाग में पोषक नहर अनेकों प्राकृतिक छोटे-बड़े नालों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी--]

काटती है, जिसके पानी के निकास हेतु 11 साइफन बनाए गए हैं। पोषक नहर के निर्माण स्वरूप भूगर्भ जल-स्तर बढ़ा है जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भूगर्भ जलस्तर के बढ़ने से भी निचले भागों में जलप्लावन की समस्या में वृद्धि हुई है।

इस समस्या के निदान हेतु सीतापुर जनपद में लगभग 102 कि0 मी0 लम्बी ड्रेनों का निर्माण किया गया है जिससे लगभग 1550 हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ है। दिवानी नदी को घघरा नदी से कट बनाकर दो स्थानों पर मिलाने का प्रस्ताव है। ग्राम अरुवा व ग्राम लालपुर के मध्य 1.3 कि0 मी0 कट का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा दिवानी साइफन से लहरपुर तम्बौर मार्ग के उत्तर में लगभग 5.5 कि0 मी0 लम्बे कट के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था की जा रही है जिसके उपरान्त इस कट का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त कई अन्य ड्रेनों का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है इसी जनपद के ग्राम मुहैदाबाद में भूगर्भ जल स्तर लगभग जमीन के धरातल तक आ गया था जिसके निदान हेतु फिल्टर व सरफेस नालियों का निर्माण किया गया है जिससे स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त तीन नलकूप निर्माणाधीन हैं। शासन ने इस समस्या के और तीव्र गति से निदान करने हेतु दिसम्बर, 1982 में एक नए ड्रेनेज खण्ड की स्थापना की है। इस समस्या के निदान हेतु शासन सतर्क है एवं प्राथमिकता के आधार पर इस बारे में कार्यवाही की जा रही है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह जो वक्तव्य हमारे सामने प्राप्त हुआ है इसमें हम कितने भी प्रश्न करें लेकिन स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि वस्तुस्थिति हम लोगों ने आंखों से देखी है और उनको इस वक्तव्य में इतना छोटा कर दिया गया है जैसे वहां कोई समस्या है ही नहीं और जो एरिया बताया गया है उससे ज्यादा क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। माननीय मंत्री जी जो सिंचाई मंत्री जी की ओर से वक्तव्य पढ़ रहे हैं उनके क्षेत्र की भी यह समस्या है। पता नहीं कैसे उनको इस झूठे वक्तव्य को पढ़ने का साहस हुआ....।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जिससे सही स्थिति सामने आ जाय जैसा मेरा आरोप है माननीय मंत्री जी स्वयं इसे स्वीकार करते हैं हृदय से चाहे विभाग का जो भी वक्तव्य हो....।

क्या सदन की कोई कमेटी बनाने को मंत्री जी तैयार हैं जो मौके पर चलकर देखे और अपनी रिपोर्ट सदन को दे जिससे वास्तविक स्थिति की जानकारी आदरणीय सदन को हो सके ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, दूसरी बात कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने दिया उसमें भी कहा था कि लाखों एकड़ जमीन ले ली गई है, जिससे उसमें खेती का काम नहीं हो रहा है लेकिन लगान आप ले रहे हैं। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग के भी मंत्री हैं इसलिए जानते होंगे कि दो तरह से जमीन ली जाती है, इसलिए शासन जब तक उस जमीन को कृषि योग्य न बना दें, चूंकि वह जमीन एक्वायर कर ली गई है जिससे फसल का नुकसान हो रहा है, इसलिए किसानों को जमीन का मुआवजा क्या मंत्री जी देंगे ? मेरी इन दो बातों का मंत्री जी जवाब देंगे ।

*श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, जहां तक कमेटी सदन की बनाने की बात है तो गुप्त जी और हम दोनों एक जिले से आते हैं, दोनों प्रभावित हैं, इसलिए हम दोनों चलकर किसानों की समस्या को देख सकते हैं और सर्वेक्षण कर सकते हैं । जहां तक दूसरा प्रश्न है तो यह प्रश्न इससे पहले भी इन्होंने उठाया था और जब वहां गये थे और मुख्य मंत्री जी जब गए थे तो भी यह आये थे, इसलिए शासन ने इस सम्बन्ध में आदेश 20 दिसम्बर को कर दिए हैं, और सीतापुर में 103, फैजाबाद में 11 और बाराबंकी में 79 गांव जो प्रभावित हैं वहां पर किसी प्रकार का लगान आदि न लिया जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मुआवजे के बारे में मंत्री जी और बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं आपको दुबारा आज्ञा देंगे ।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

माननीय, हमारा क्षेत्र सीपेज से प्रभावित है । हमारे क्षेत्र में जो मंत्री जी ने सीपेज से प्रभावित क्षेत्र बताया है वह एक ब्लाक में है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में लहरपुर, बिस्वां, महमूदाबाद और सकरा ब्लाकों में सीपेज का प्रभाव है । माननीय, नहर के दोनों तरफ 7–7 किलोमीटर तक जबरदस्त पानी भरा है, वहां रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, मकान गिर गए हैं, इसलिए क्या वहां के निवासियों के मकानों की व्यवस्था करने, जिन किसानों की फसल पैदा नहीं हुई सीपेज से उनको मुआवजा देने एवं वहां लगान माफ करने की सरकार कृपा करेगी ? इसके साथ ही क्या मंत्री जी सदन की कमेटी बनायेंगे जो सर्वेक्षण करे जिससे सीपेज वहां न हो ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, श्री हरगोविन्द वर्मा ने कहा कि इनके क्षेत्र में सीपेज की समस्या है तो इससे हम दोनों ही भुक्तभोगी हैं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त इससे अलग हैं । माननीय, जो कमेटी की बात कहीं तो उच्च अधिकारियों की बैठक सीतापुर में इस सिलसिले में बुलाई है, उसमें विधायकों को भी बुलाया जायेगा ताकि हम सब बैठकर इस समस्या के निराकरण पर विचार कर सकें और जो वह कह रहे हैं उससे इंकार नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी]

मान्यवर, दूसरी बात जो कही मुआवजा के सम्बन्ध में तो एन0आर0ई0पी0 में आदेश दिये हैं कि अभी थोड़े दिन हुए, जो राहत कार्य हैं, वह उन क्षेत्रों में कराये जायं । जहां पर सीपेज हुआ है, वहां पर ड्रेन्स बनाना है तथा पानी निकालने के लिए जो भी हो सकता है करना है । जो और चीजें कही हैं, जो भी चीज राहत देने के लिए हो सकती है, वहां पर होंगी । जो सम्भव सहायता वहां के पीड़ित लोगों की हो सकती है, वह वहां के लिए शासन द्वारा की जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार भार्गव--

इस सीपेज की गम्भीरता के बारे में गुप्त जी ने बताया है और मन्त्री जी भी उसके मुक्तभोगी हैं । मुझे एक सवाल करना है और एक सुझाव देना है, जो यह इतने वर्षों से समस्या चली आ रही है, और आपने एक जगह बरूआ और लालपुर के बीच में कट बनाया है, तो जो एक कट आपने बनाया है, वह लोकसभा के सदस्य की जमीन बचाने के लिए बनवाया गया है । उससे हमारे गांव मगोली तथा कई अन्य गांवों में पानी भर जएगा । तो क्या आप मेरे इस सुझाव पर कार्यवाही करेंगे कि जो प्रभावित क्षेत्रों के गांव प्रधान हैं उनको बुलाकर सम्बन्धित अधिकारियों और मंत्री जी के साथ एक मीटिंग की जाए और उसके निर्णय अनुसार कट बनाए जाएं ? जो लगान वसूली की गई है वहां पर लोगों ने कोआपरेटिव आदि से लोन लिया है और उसकी वसूली जारी है और उसमें कुर्की आदि भी हो रही है, तो वहां पर ऋण की वसूली क्या आप स्थगित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय विधायक जी उस क्षेत्र से आते हैं, मैंने उनके बारे में कहा है, एक मीटिंग में उनसे परामर्श किया जायेगा । जो वसूली के बारे में बात है, शासन की ओर से लगान वसूली के स्थगन के आदेश हो चुके हैं, पर पैसे की वसूली के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं । जो शासन के ऋण वसूल किये जा रहे हैं, वह नहीं होंगे, उसके आदेश हो चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह केवल स्पष्टीकरण के बारे में है, केवल स्पष्टीकरण के बारे में प्रश्न करें ।

श्री मित्रसेन--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि फैजाबाद और बारबंकी जनपद के भी कुछ गांव प्रभावित हैं । फैजाबाद के 11 गांवों की जो सूचना मंत्री जी के पास है वह गलत है । तो क्या मंत्री जी इसके लिए कोई कमेटी बनाकर जांच करायेंगे या कि किसी अधिकारी द्वारा पुनः जांच करायेंगे कि वास्तव में कितने गांव वहां पर सीपेज से प्रभावित हैं ? बाराबंकी के सम्बन्ध में उनके पास सूचना गलत है । जिनके बारे में वह गिना रहे हैं, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं, गादी से मकान गिर रहे हैं । तो फैजाबाद और बाराबंकी में सीपेज से

प्रभावित गांवों की मंत्री जी पुनः जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह इतना गम्भीर मामला है, कमेटी में देर लगेगी । माननीय सदस्य स्वयं सूची हमारे पास भेज दें, उसमें हैं, तो उसको शामिल कर लिया जाएगा ।

श्री सतीश अजमानी--

क्या लखीमपुर-खीरी जनपद भी सीपेज से प्रभावित है, तो कितने गांव और कितना क्षेत्र उससे प्रभावित है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, शारदा सहायक पोषक नहर जो है, वह हमारे क्षेत्र से निकलती है । मान्यवर, उसके अगल-बगल के गांव उससे प्रभावित हैं । मान्यवर, 8.8 किलोमीटर से लेकर, पूरा हमारा जिला उस सीपेज से प्रभावित है । उसके प्रभाव से मकान गिर गए हैं और पानी खेतों में भरा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा है कि एक सदन का कमेटी बना दी जाय, जो सीपेज से प्रभावित क्षेत्र हैं, उसके सम्बन्ध में वह कमेटी जांच करके रिपोर्ट दे ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 210 किलो मीटर बाराबंकी में प्रभावित है, 1139 हेक्टेयर जमीन प्रभावित है और 89 गांव रेवन्यू से इक्जम्प्ट किये गये हैं ।

(नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, आजमगढ़ में तमाम सीपेज की समस्या है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, केवानी नदी से पानी न निकलने से जो तीन हजार हेक्टेयर का नुकसान होता है, अगर इसको नहरीकरण करा देंगे, तो यह जो कट लगाने की समस्या है, वह भी न आएगी । क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सीपेज को वहां पर समाप्त करने के सम्बन्ध में जो भी प्रस्ताव होगा, उस पर विचार किया जाएगा । वक्तव्य में मान्यवर, यह बात कही गई है कि केवानी नदी से वहां पर अवरोध उत्पन्न हो जाता है ।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मुझे भी मौका दे दिया जाय, आजमगढ़ में सीपेज की बहुत बड़ी समस्या है ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि वहां पर खाद्यान्न योजना चलाई जा रही है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सीपेज का प्रभाव वहां कब-कब हुआ है ? अप्रैल और मई के महीने में दो महीने के लिए वह नहर बन्द होती है, तो मान्यवर, किस समय और कैसे वहां पर काम हो पायेगा ? तो माननीय मंत्री जी इसका भी जवाब दे दें, तो अच्छा होगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, ड्रेनेज तो हमेशा बनाई जा सकती हैं । लेकिन यह मार्च और अप्रैल के महीने में जब यह बन्द रहती है, तो और भी काम किया जा सकता है । जो ड्रेन्स हैं, उनके लिए भी काम किया जा सकता है । मान्यवर, ड्रेनेज और नालियों का काम तो हमेशा किया जा सकता है ।

बलरामपुर, जिला गोण्डा में घटित घटनाओं तथा श्री बिन्दु लाल, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा को हवालात में बन्द करने और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में न्यायिक जांच कराने हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के विषय में वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

दिनांक 3 दिसम्बर, 1979 को बलरामपुर में छात्रों तथा उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बलरामपुर स्थित अनेक सरकारी कार्यालयों को जलाने, अभिलेखों को क्षतिग्रस्त करने, आग लगाने तथा लूटपाट करने की घटनायें घटित हुई थीं । इस मामले में श्री बिन्दु लाल, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा को दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 को गिरफ्तार किया गया था । श्री बिन्दु लाल ने बलरामपुर थाने में पुलिस-कर्मियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की शिकायत करते हुये विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 25 जनवरी, 1980 को विधान सभा में न्यायिक जांच करने को कहा था । उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 1980 को विधान सभा में एक वक्तव्य भी दिया गया था, जिसके पश्चात् प्रश्नोत्तर के दौरान तत्कालीन राज्य मंत्री द्वारा न्यायिक जांच कराये जाने की बात दोहराई गई थी । उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त घटनाओं की जांच हेतु शासन द्वारा इसके पूर्व दिनांक 21 दिसम्बर, 1979 को ही आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को प्रशासनिक जांच किये जाने के आदेश दिये जा चुके थे । न्यायिक जांच के आदेश नहीं हुए ।

श्री बिन्दु लाल द्वारा उठाये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में वर्तमान सरकार ने न्यायिक जांच के लिये कोई आदेश नहीं दिये और मण्डलायुक्त की जांच प्रचलित रही । श्री बिन्दु लाल द्वारा उठाये गये अतिरिक्त बिन्दुओं पर भी जांच आयुक्त द्वारा ही की गई ।

जांच से यह निष्कर्ष निकला है कि दिनांक 3 दिसम्बर, 1979 को बलरामपुर में जो आगजनी व तोड़ फोड़ आदि की घटनायें हुई थीं, उनमें केवल विद्यार्थी ही नहीं, अपितु अवांछनीय तत्व और राजनैतिक दलों के कतिपय व्यक्ति, जो स्थानीय प्रशासन से किन्हीं कारणों से क्षुब्ध थे, भी सम्मिलित थे । जांच में श्री बिन्दु लाल को गिरफ्तारी में कोई कदाशय नहीं पाया गया, क्योंकि वे भारतीय दण्ड विधान की धारा--395/ 397 436/ 307/ 188 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग संख्या --530/79 में नामजद अभियुक्त थे । यह अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है । थाने में उपस्थित पुलिस अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा उन्हें गाली दिये जाने और मारे पीटे जाने के आरोप जांच से सही नहीं पाये गये ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब विशेषाधिकार का प्रश्न इस सदन में उठाया गया तो मुख्य मंत्री जी ने 29 जनवरी, 80 को न्यायिक जांच करने का आश्वासन दिया था । उसके बाद वक्तव्य 29 जनवरी को दिया गया । उसके बाद जो भारसाधक मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यायिक जांच की जायगी । अब कहा जा रहा है कि न्यायिक जांच का वर्तमान सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया । तो प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या इस सदन में दिये गये आश्वासन को तोड़ा जाय तो विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है कि नहीं ? अगर बनता है तो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है । यह सदन के समक्ष, आपके संज्ञान में आ चुका है । मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें और इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेजें कि कौन व्यक्ति दोषी है, जिसने इस सदन में दिये गये आश्वासन को तोड़ा है ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं जो प्रश्न उपस्थित करना चाहता था उसको माननीय भीखालाल जी ने उपस्थित कर दिया । मैं उनका आभारी हूं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गुलाब सेहरा जो इधर बैठा करते थे और तथ्यों को कहने में पारंगत थे । उन्होंने स्वयं इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की थी । प्रोसीडिंग मान्यवर, पढ़ लें । सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया । मान्यवर, सरकार के आदेश नहीं बदला करते हैं, सरकार और व्यक्ति बदला करते हैं । एक सरकार ने विपक्ष की भावना का आदर करते हुये इसकी घोषणा की थी और उसके बाद न्यायिक जांच न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपने पहले मुझको पुकारा था पर माननीय भीखालाल जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया इसलिये मैं बैठ गया था । मान्यवर, यही बिन्दु मैं भी उजागर करना चाहता था । इस सरकार का विरोध पक्ष को देखने का कैसा एक घिनौना उदाहरण सामने आया है । सरकार ने जुडीशियल इन्क्वायरी

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

का आर्डर दिया । आर्डर अपनी जगह पर है । लोकदल की सरकार थी और बिंदु लाल मेरे दल से सम्बन्धित थे । लेकिन उस समय शासनदल ने, मुझे याद है कि गुलाब सेहरा जो इधर बैठा करते थे । उस समय आपने मान्यवर, चर्चा में भाग लिया था । तो न्यायिक जांच कराने का आदेश वापस नहीं लिया गया है, तो जब तक आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो वह स्टैंड करता है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि या तो तथ्यों को छिपाया गया है और बयान में जान-बूझकर गुमराह करने की चेष्टा की गयी है। जुडीशियल इन्क्वायरी का आर्डर कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के तहत हुआ है तो क्या उसको वापस आपने ले लिया है । आपने वापस नहीं लिया है । थोड़े दिनों पहले मैंने मुख्य मंत्री जी से मिलकर उनको एक ज्ञापन दिया था कि इन कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें चलाये जा रहे हैं । उनके खिलाफ गवाहों ने अपने एफीडेविट लगा दिया है लेकिन मुकदमें चलाये जा रहे हैं केवल विरोध पक्ष को प्रताड़ित करने और उनको परेशान करने की दृष्टि से यह कार्य किया जा रहा है । मैं भी इसी व्यवस्था के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या इस तरह का व्यवहार एक आश्वासन रहते हुये, उसको बदलने का हक सरकार को है ?

श्री रियासत हुसैन —

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इसमें सिर्फ इतना कहना है कि 21 दिसम्बर, 1979 को आयुक्त के लिए जांच के आदेश हुए, मजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी के आदेश हुए, उससे संदेह नहीं हुआ । फिर जब इसको सदन में उठाया गया, तब 25 जनवरी, 1980 को जुडिशियल इन्क्वायरी के आदेश दिये गये और फिर 4 दिन के बाद 29 जनवरी को जब फिर यह प्रश्न आया, तो माननीय मंत्री जी ने फिर दोहराया कि जुडिशियल इन्कवायरी इसमें करायी जायेगी । इसके माने यह हुए कि 4 दिन के गेप में प्रशासन से पूछ कर, मालूमात कर माननीय मंत्री जी ने दोबारा सदन म कहा कि जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जायेगी ।

मान्यवर, अब प्रश्न यह है कि उसमें आज तक जुडिशियल इन्कवायरी नहीं हुई । केवल कमिश्नर साहब की इन्क्वायरी पर काम हुआ । मान्यवर, सारे मुकदमात कोर्ट में चले गये । तो अब केवल प्रश्न इतना उठता है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में यह बतायें कि 4 दिन के अन्दर जिस अधिकारी ने उनको यह सूचना दी कि इस सम्बन्ध में जुडिशियल इन्कवायरी करायी जायेगी, तो क्या उन्होंने ऐसी गलत सूचना देने के लिए उस अधिकारी के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया ? और नहीं लिया, तो फिर वह जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी के ऊपर स्वयं आती है । मान्यवर, इस तरह से यह सदन की अवमानना का प्रश्न है, इसके ऊपर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, इसमें दो बिन्दु हैं । दो बार इस सदन में माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यायिक जांच करायी जायेगी, तो यह आश्वासन सदन की सम्पत्ति बन गया लेकिन किसी प्रकरण पर सरकार की तरफ से नहीं कहा गया, कारण नहीं बताया गया कि हम इसकी जांच नहीं करायेंगे । यदि ऐसा था, तो उस आश्वासन को वापस मांगने के लिए कोई कार्यवाही करते । मान्यवर, सदन में आश्वासन है कि न्यायिक जांच करायेंगे, लेकिन आप दूसरी जांच करा रहे हैं, न्यायिक जांच नहीं बिठा रहे हैं । इस तरह से यह सदन के

विशेषाधिकार की अवहेलना है। इसलिए सारे सदन से आपके जरिये से प्रार्थना करूंगा कि विशेषाधिकार की कार्यवाही सरकार के विरुद्ध की जाय।

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने कहा, क्या भाषण दिये गये थे, क्या आश्वासन दिये गये थे, तमाम चीजों को देखते हुए मैं उस पर विचार करूंगा और उसके बाद ही कोई निर्णय दे सकूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपका निर्णय हमें शिरोधार्य है। केवल इतना चाहूंगा कि जो बयान इन्होंने यहां पढ़ दिया है, उसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाय। मान्यवर, इसको स्थगित करा दें, नहीं तो यह बयान जिन्दा रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

जो निर्णय उसके बाद में दूंगा, वह अंतिम निर्णय दूंगा। तो जो बयान आ गया है, उस पर कार्यवाही होने दीजिए।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, निर्णय से पहले हमें भी सुन लीजिए।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, थोड़ा उधर भी सुन लीजिए, कोई हर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया है।

लखनऊ की नई बस्ती स्थित मस्जिद को गिराये जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य को कार्य सूची में सम्मिलित न किये जाने पर आपत्ति

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, लखनऊ के मुताबिक नवाबउल्ला मस्जिद को गिराने के सम्बन्ध में कल जिक्र था, लेकिन मान्यवर, इसका एजेन्डे में जिक्र नहीं है। मान्यवर, क्या मंत्री जी कुछ बतायेंगे कि क्या मामला है?

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

श्रीमन्, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ मकानात एवं एक मस्जिद गिराये जाने की कार्यवाही के सिलसिले में कल यहां नियम 56 में सूचना आयी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

माननीय मुख्य मंत्री जी, थोड़ा तेज बोलें ।

श्री श्रीपति मिश्र—

धीरे-धीरे तेज हो जायेगा । बात तेज की नहीं है । श्रीमन्, उसमें ऐसा है कि उस सम्बन्ध में जो सूचनायें हमारे पास हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं लेकिन मैं इन सूचनाओं से आश्वस्त नहीं हूं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें और जानकारी हासिल कर हाउस को बताऊं ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरी प्रार्थना यह है कि उन सूचनाओं को सदन के सामने न रखें जब तक कि पूरी सूचना न आये वरना क्या फायदा है हम लोगों में उत्तेजना फैलेगी ।

श्री श्रीपति मिश्र—

तो मैं चाहूंगा कि जो सूचनायें अभी आई हैं और जो सूचनायें विभाग से, जानकारी के बाद आयीं, जो माननीय सदस्यों ने, विरोधी दल के लोगों ने भी दी हैं, उन सारी सूचनाओं को देखते हुए विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करके मैं आदरणीय सदन के सामने पूरी बात रखने का आश्वासन देता हूं और अगर यह पता चल गया, स्टैब्लिश हुआ कि वह स्थान जो गिराये गये, कोई व्यक्ति शर्मा करके हैं इंजीनियर विनोद कोई हैं, ऐसा भी कहा गया कि कोई मस्जिद का कुछ हिस्सा था, अगर ऐसी बात आयी तो निश्चित रूप से सरकार आश्वासन देती है कि इस तरह की किसी कार्यवाही से अगर किसी धार्मिक स्थान की क्षति हुई है तो हम उस क्षति की पूर्ति करेंग ।

(तालियां)

श्री फखरे आलम—

मैं चाहता था कि सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाय कल, इसकी डेट फिक्स कर दी जाय, मुख्य मंत्री जी कल इस पर वक्तव्य दे दें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इन सबकी महत्ता को देखते हुए मैं केवल श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री हरी किशन श्रीवास्तव, श्री रियासत हुसैन, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री भीखा लाल, श्री मोती लाल देहलवी, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री भगवानदीन, श्री फखरे आलम की हैं, इसको सुनूगा । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो नियम 56 में दिया है उस विषय को नियम 51 की सूचना में स्वीकार कर लिया है । श्री सन्त बक्स रावत जी ने जो दिया है, वो नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाया जा जा चुका है । श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की सूचना के विषय पर आज वक्तव्य है । श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री राम सागर की नियम 301 में मैंने स्वीकार कर लिया है । श्री खैरुल बशर और श्री मित्र सेन की सूचना पर कल के लिए वक्तव्य निर्धारित है । श्री गोपी नाथ वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा के विषय पर चर्चा लगी हुई है । मैं राजेन्द्र अग्निहोत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

माननीय, हमारे जिले का मामला है ...

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय, मैं एक बहुत ही दुखद घटना सदन के सामने रखने जा रहा हूं। एक वर्ष पहले माननीय मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न पर आश्वासन दिया था कि वहां के जो डाक्टर, पशु के हैं, त्यागी हैं, उसको गो-बध कराने में जो दोषी पाया गया था, उसका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। इस आश्वासन के बाद भी, आज भी, उस डाक्टर का वहां से स्थानान्तरण नहीं हुआ है। उसके कारण लगातार इस प्रकार की घटनायें जालौन जनपद के कोंच नामक स्थान पर घटती जा रही हैं और इसकी शिकायत वहां की आम जनता ने, शासन के ध्यान में लाकर, जिला प्रशासन के ध्यान में लाकर, थाने में रपट लिखाई गईं, लेकिन वहां के प्रशासन ने इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के कार्यकर्त्ताओं ने प्रशासन को सूचना दी कि यदि हमारी शिकायत पर आप किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते हैं तो 23 फरवरी को हम एक आम सभा करेंगे। यह सब प्रशासन को सूचना थी। लाउडस्पीकर द्वारा एक हफ्ते से और सभा के 24 घन्टे पहले से उसका प्रचार किया जा रहा था। इसके हैंड बिल्स बांटे गये थे। दोनों दलों के कार्यकर्त्ताओं को जानकारी थी। आम सभा के लिए प्रारम्भिक अनुमति की आवश्यकता होती है जो प्रशासन द्वारा प्राप्त हो चुकी थी। आम सभा प्रारम्भ हो चुकी थी। मंच पर नेता और वक्ता आ चुके थे। आम सभा में महिलायें, बच्चे और पुरुष सभी थे। अचानक 25-30 पुलिस कर्मी वहां के इन्सपेक्टर के साथ आते हैं और मंच पर खड़े हो जाते हैं। माइक को तोड़ देते हैं, लाठी और जूतों से मारना प्रारम्भ कर देते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को पीटा, महिलाओं को पीटा। गन्दे तरीके से दुर्व्यवहार करते हुये लाठी से प्रहार किया और 50 निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार कर ले गये।

माननीय, जालौन के अन्दर, कोंच के अन्दर, यह एक अमानवीय घटना घटित हुई है। सारे जालौन जनपद में आतंक है। आन्दोलन की धमकी दी जा रही है। समाचार आया है कि जालौन और कोंच की बाजारें बन्द हैं और लोगों ने कल से सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी है। उस क्षेत्र के विधायक शंकर सिंह जी वहां उपस्थित थे, इन्होंने मुझे बताया। आपको भी बतायेंगे। माननीय, पुलिस प्रशासन ने ऐसा चित्र उपस्थित किया है ? जिस पर सरकार का हमारी दी हुई सूचना पर सिर झुक जाना चाहिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि कार्य को स्थगित करके इस घटना पर चर्चा करायें।

(श्री शंकर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

निर्णय किया गया है, एक ही माननीय सदस्य बोल सकेंगे।

श्री शंकर सिंह--

आपका माननीय, निर्णय स्वीकार है। आप स्थिति तो देखें। इतनी महत्व-पूर्ण घटना हुई...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह—

मेरे जनपद का मामला है । ऐसा नहीं कि मैंने दिया न हो । मैंने नियम 56 में अलग से दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मेरा नाम ही नहीं पढ़ा गया । मेरा अलग से है । दो मिनट का अवसर आप जरूर दीजिये । मेरे जनपद का मामला है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

परिपाटी न बनायें माननीय, विशेष परिस्थितियों में अवसर दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

सभी लोग खड़े होंगे । आपको निर्णय देना हो तो आप कैसे तय करेंगे ? यह परिपाटी बन जायेगी । आप स्वयं निर्णय कर लें ।

श्री शंकर सिंह—

मेरे जनपद का मामला है । नियम 56 में देता नहीं तो और बात होती । थोड़ा सा कहना चाहता हूं । एक प्रश्न उठा है । आज से नहीं तीन साल से यही समस्या सामने आ रही है । हमारे जनपद में उरई, कालपी, जालौन नगर है । तीनों से 100 जानवर से अधिक बाहर नहीं जाते । लेकिन कोंच नगर एक ऐसा नगर है जिससे बीस हजार से अधिक जानवर महाराष्ट्र, बंगाल भेजे जाते हैं । छोटी तहसील है । कहां से इतने जानवर पैदा होते हैं । निश्चित रूप से हृष्ट-पुष्ट और दूध देने वाले जानवर जाते हैं । कोंच के बल पर महाराष्ट्र में, बम्बे में फैक्ट्रियां चल रही हैं । विदेशों को मांस भेज जा रहा है । इस सदन की पिछले 15 रोज की कार्यवाही अगर आप देखें तो गो हत्या को लेकर कम से कम हमारे 15 प्रश्न होंगे । सभी अतारांकित में चले गये । मान्यवर, कमिश्नर ने लिखा, आयुक्त ने लिखा कि यह जो डाक्टर कोंच में हैं इनका स्थानान्तरण कर दिया जाये । डिप्टी डायरेक्टर ने लिखा परन्तु इन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया । मान्यवर, उस सभा में उपस्थित राजनैतिक दलों में, केवल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, मैं वापस लौटकर आ रहा हूं सर्वदलीय सभा थी कांग्रेस (आई) के भी माननीय नेता उपस्थित थे, एक दर्जन घायल हुए हैं तथा कई लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, 50 के लगभग लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, सभा में कोई उत्तेजना नहीं थी । कोई कानून नहीं तोड़ा था । शान्तिप्रिय ढंग से, प्रजातंत्र में इतना

अधिकार तो है ही । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि तुरन्त इसमें शासन से वक्तव्य दिलवायें तथा चर्चा करवायें ।

श्री अध्यक्ष—

श्री हरी किशन, श्री रियासत हुसैन, श्री भीखा लाल, श्री मोती लाल, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री भगवानदीन, श्री फखरे आलम से मुझे इस प्रश्न पर सूचनायें मिली हैं । मैं एक ही सदस्य को बोलने की इजाजत दूंगा ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए दो बातें इसकी पृष्ठ भूमि में बोलना आवश्यक हो गया ताकि इसकी जानकारी वर्तमान मुख्य मंत्री जी को भी हो जाय । मान्यवर, हमारे जनपद कानपुर शहर में एक आश्रम शोभन नाम से है वहां एक हनुमान गढ़ी हायर सेकेन्डरी स्कूल है । कुछ दिन पूर्व लगभग 100 आदमियों ने जिनके पास लाठी, रिवाल्वर तथा बन्दूक थे, वहां पहुंच कर लगभग 10 लाख की कीमत की बिल्डिंग में आग लगा दी, उसका फर्नीचर फेंक दिया गया तथा उसमें भी आग लगा दी गयी । तत्काल सहायता के लिए पी० ए० सी० बुलवाई गई तथा कानपुर नगर से फायर ब्रिगेड बुलाई गई । इस प्रकार यह इतना बड़ा काण्ड हुआ, जिसका दूसरा उदाहरण कानपुर में नहीं है । युवक कांग्रेस के कुछ लोगों ने जनपद कानपुर में जिलाधिकारी से मिलकर कानपुर क्षेत्र से, एक फर्जी एफ० आई० आर० दर्ज करवाई कि प्रिंसिपल और अध्यापकों ने आग लगवाई । जब यह बात श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कानों में डाली गई तो उनके कहने से 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भेजी गई । सी० आई० डी० ने जांच की और इस काण्ड में सम्पूर्ण हाथ बाबा और अन्य आदमियों का पाया गया । माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जब चले गये तो उन अपराधियों को यह आभास हो गया कि अब उनको सरकार का संरक्षण मिलेगा, इस कारण उन्होंने जो बचा हुआ आधा स्कूल का भाग भी गिरा दिया और 20 लाख रुपये की लागत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया । अध्यापकों की स्त्रियां जो वहां पर रहती थीं उन्हीं के सम्मुख उनके मास्टरों को पकड़ कर आग में झोंकने का प्रयास किया गया और जब मास्टरों की औरतें उनको पकड़ने गयीं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया । इसकी सूचना कलेक्टर, आई० जी० तथा डी० आई० जी० को दे दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

आप ग्राह्यता के बारे में बतायें ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

स्कूल और भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है । जिलाधिकारी भी अभियुक्तों की मदद कर रहे हैं । गवाहों के गवाही देने में अपनी जान का खतरा है । जिलाधिकारी यह कह रहे हैं कि कोई जाकर पुलिस की गवाही मत दीजिये । दूसरे स्कूलों में भी जाकर इन लोगों ने अध्यापकों को पीटा है । वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और स्कूल है वहां भी इन लोगों ने मास्टरों को मारा और यहीं से 15 किलोमीटर की दूरी पर 6-7 स्कूलों को और जलाने की योजना बनाई गई है तथा मास्टरों को मारने की योजना बनाई गई है जिला कलेक्टर और पुलिस के बीच ठन गई है । पुलिस ने पर्चियां काटी हैं जिसमें उल्लेख है कि इतने एम० एल० ए० और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस तरह से सिफारिशें की हैं । यदि इस स्थिति पर तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा तो स्थिति भयावह

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव—]

हो जायेगी । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े कांण्ड की पूर्ण फाइल शासन के पास मौजूद हैं । कार्यवाही रोक कर आज इस पर चर्चा करायी जानी चाहिये । यह इतना महत्वपूर्ण है कि नेता विरोधी दल, उप नेता, लोकदल, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने तथा जनता पार्टी के नेता ने इस पर हस्ताक्षर कर आपके सामने दिया है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लोकमहत्व को समझते हुए कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की अनुमति देने का कष्ट करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जो तथ्य माननीय सदस्य ने बताये हैं, पूरी छानबीन करायेंगे । इस समय पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिए इस वक्त कहना मुश्किल है लेकिन माननीय सदस्य ने जो-जो आशंका व्यक्त की है, उनका समाधान किया जायगा और किसी प्रकार स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों की बातों को मैंने सुना और इसके अन्तर्गत जो सूचनायें दी गयी हैं, मैंने सबको अस्वीकार किया है । जो राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की सूचना है....

(घोर व्यवधान)

श्री अकबर अहमद—

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें, यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया मसला है । शासन इसकी परवाह नहीं कर रहा है....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

(श्री मोहन सिंह के खड़े होने पर)

मोहन सिंह जी, आप बैठें । अगर मैं इस तरह सुनता रहा तो कोई अन्त नहीं होगा ।

(घोर व्यवधान)

आप लोग बैठें । मैं आज्ञा नहीं दूंगा । जो आप लोगों ने नियम बनाये हैं, उसी का पालन किया जा रहा है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, वैसे नियम 56 में जो विषय आपके सामने आते हैं, आपको पूर्ण अधिकार है सुनने का या न सुनने का, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रार्थना है । प्रार्थना यह है कि जब विधायक के ऊपर कोई व्यक्तिगत मामला हो तो जैसे आप उदार प्रवृत्ति का परिचय देते हैं, आपसे आशा

करता हूं कि जैसे मेरे ऊपर व्यक्तिगत अटैक हो तो मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन के सामने जाऊंगा तो मेरी बात सुनी जायगी । शासन पक्ष क्या कहेगा, वह बाउन्ड नहीं है, यहां आपकी पीठ से संरक्षण मिलना चाहिये । सही तथ्य हो, गलत तथ्य हो इस पर कोई निर्णय नहीं होने जा रहा है । एक जनता की बात आती है एक व्यक्तिगत विषय की बात आती है । परम्परा भी ऐसी है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने अधिकारों के साथ इसका भी इस्तेमाल करें कि माननीय सदस्य के साथ जो चीज होती है, उसको आपको सुनने का अधिकार है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

निवेदन यह है कि इस सदन की परम्परा रही है कि अध्यक्ष पीठ ने हमेशा उदारता बरती है । कभी किसी माननीय सदस्य ने अपने ऊपर आये हुये संकट के बारे में अध्यक्ष पीठ से फरियाद करनी चाही तो नियमों को शिथिल करते हुए सुना है । माननीय अकबर अहमद जो कहना चाहते हैं, वह व्यक्तिगत फरियाद आपके माध्यम से सदन को सुनाना चाहते हैं । मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि विशेष परिस्थिति में इसे सुनने की कृपा करें । यह सदस्य के हित में और आपके संरक्षण के हित में होगा ।

श्री फखरे आलम—

नियम 56 में माननीय अकबर अहमद साहब ने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है, अकबर अहमद साहब को कहने की इजाजत दें ताकि उन पर जो मुसीबत ढायी गयी है, उसको वह सदन के संज्ञान में ला सकें ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी क्या ग्राह्यता है और क्यों स्वीकार होना चाहिये, इस पर केवल एक मिनट में आप बतायें ।

श्री अकबर अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इस विधान सभा के सदस्य, अकबर अहमद उर्फ डम्पी सुरेश दत्त पालीवाल और अन्य लोगों के साथ जो अत्याचार इस पुलिस प्रशासन ने किये हैं, बर्बर लाठी चार्ज द्वारा जिसके कारण गम्भीर चोटें आयीं मान्यवर, हुआ यह कि तारीख 23 जनवरी, को एक जुलूस में हम लोग शांतिपूर्वक आ रहे थे चारबाग से, उस दिन मान्यवर, कोई दफा 144 नहीं लगी थी और न ही इसकी कोई सूचना हम लोगों की दी गई, पर यह आरोप लगाते हुए कि धारा 144 का उल्लंघन किया गया है, बरबरता से लाठी चार्ज शुरू कर दिया गया साथ में मेरी बहन भी थी उसे भी तथा 10 साल का भान्जा एवं छोटे भाई की बीबी को पुलिस वाले गिरफ्तार करके पी० ए० सी० ट्रक में बैठाकर आलमबाग थाने ले गये ।

(शोर एवं व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

एक-एक करके माननीय सदस्य बोलेंगे तब कोई बात समझ में आ सकती है, मैंने माननीय अकबर अहमद को 1 मिनट में अपनी बात कहने का अवसर दिया है इसलिए आप लोग शांत रहें ।

श्री अकबर अहमद—

ोमन्, इस लाठी चार्ज के कारण कई साथियों के गम्भीर चोटें आयीं 242 ह र्ता गिरफ्तार कर लिए गए । मान्यवर, ए0 डी0 एम0 सि ो के यह श ब्द जिसे मैंने स्वयं अपने कानों से सुना कि "मारो सालों को एक भी बचने न पायें"

(शेम-शेम की आवाजों के साथ शोर)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय विधायकों को संरक्षण आपसे प्राप्त है, लेकिन क्या जब कोई माननीय सदस्य कानून को तोड़े या अपने हाथ में ले लें ?

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

यह झूठ है, पहले बात सुनिए ।

श्री अकबर अहमद—

झूठ बोलना कोई नैतिकता की बात नहीं है, एक माननीय सदस्य के साथ ज्यादती हो और बेइज्जती की जाये और उस पर उसकी बात न सुनी जाये ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, कानून को अपने हाथों में लेकर और तोड़ने के बाद यदि पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी । क्या ऐसे कानून तोड़ने वाले को भी संरक्षण प्राप्त होगा ? इस सदन का आपके माध्यम से और ऐसे कानून तोड़ने वाले की बात भी आप सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य कानून तोड़ेंगे तो उन पर उसकी कार्यवाही होगी ।

श्री अकबर अहमद—

मान्यवर, 23 जनवरी को किसी भी प्रकार की कोई दफा लागू नहीं थी, इसका जजमेंट मेरे पास उपलब्ध है यदि आप कहें तो इसकी प्रति आपको भिजवा दूं ।

(शोर)

मैं इसका दृढ़ता पूर्वक इंकार करता हूं कि उस रोज दफा 144 की घोषणा नहीं हुयी थी और न ही इसकी सूचना न्यायालय के समक्ष कोई थी ।

(व्यवधान)

माननीय, जो आज हम इधर बैठे और कल उधर बैठते थे, इसके पीछे भी एक कहानी है ।

(शोर)

माननीय, पुलिस ने जिस बर्बरता का प्रदर्शन जुलूस पर किया है, जिसकी वजह से प्रथम सूचना रिपोर्ट में आप देख लें और न्यायालय का जजमेंट भी हमारे पास मौजूद है, उसमें साफ दिया गया है कि पुलिस वालों ने ज्यादती की है इसलिए इनको कड़ाई से सजा दी जाय और माननीय, जब एक बार संजय गांधी मंच का अधिवेशन हुआ तब भी ए0 डी0 एम0 सिटी ने इसी प्रकार का प्रदर्शन किया था और 41 कार्यकर्ताओं ....

(व्यवधान)

माननीय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह प्रशासन और आपकी पुलिस व्यक्तिगत रूप से किसी रंजिश के कारण बिना किसी कसूर के सब को फंसायेगी तो क्या होगा ? वहां पर डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 ने कहा कि सबको फंसा दिया जाय ।

(व्यवधान)

जो 41 कार्यकर्ता जेल के रेकार्ड्स में दर्ज हैं वे कहां गायब कर दिये गये ?

(शोर व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम—

मेनका गांधी के खिलाफ कुछ करके दिखायें ?

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली ...

श्री अध्यक्ष—

आपको इसकी ग्राह्यता के बारे में कुछ कहना है ? उसे बाद में लेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, 9 फरवरी को इसी सदन में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है । आपकी प्रक्रिया नियमावली के अनुसार भी किसी ऐसे विषय पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती जिस विषय पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो ।

श्री मोहन सिंह—

इस पर चर्चा कब हुई थी ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस पर बाकायदा चर्चा हो चुकी है । वह किसी भी तरह से हुई हो, सदन के संज्ञान में वह बात आ चुकी है, उस पर माननीय सदस्यों ने विचार-विमर्श किया है । उस समय दफा 144 लगी हुई थी, 26 जनवरी का रिहर्सल

[श्री अम्मार रिजवी]

होने वाला था अतः इसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को किसी भी प्रकार ग्राह्य नही किया जा सकता, आपने उनको सुन लिया, इतना ही पर्याप्त है ।

(शोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपा कर बैठें ।

(व्यवधान)

नियम 56 के अन्तर्गत जो भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनको मैंने अस्वीकृत कर दिया है ।

(शोर-व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, सदन के संचालन के सम्पूर्ण नियन्त्रण की जिम्मेदारी आपकी है । आपके बाद दूसरे नम्बर पर जिम्मेदारी माननीय नेता सदन की आती है । अभी जब माननीय अकबर अहमद बोल रहे थे तो माननीय नेत सदन अपने पक्ष के माननीय सदस्यों को उकसा रहे थे कि वे श्री अकबर अहमद के खिलाफ बोलें । क्या यह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मोहन सिंह जी की बड़ी इज्जत करता हू और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसके बाद भी उनकी इज्जत करता रहूंगा ।

(शोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपा करके बैठें ।

श्री खैरुल बशर--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि व्यवस्था के नाम पर माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर अव्यवस्था की बात करते हैं । व्यवस्था कायम करने के बारे में जो पद्धति है, उसे कृपया आप लोग देखें और सदन की गरिमा को बनाये रखें ।

श्री खैरुल बशर--

कोर्ट ने धारा 144 के बारे में जो निर्णय किया है और इस धारा के संबंध में जो माननीय मन्त्री जी ने अपने विचार रखे हैं इसके बारे में आप अपना निर्णय दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

अब यह हो चुका है, आप कृपया बैठिये ।

श्री मित्रसेन--

नियम 56 में मेरी एक सूचना थी जो मैंने खैरुल बशर के साथ दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक राजेन्द्र अग्निहोत्री और शंकर सिंह की सूचना का संबंध है मैंने इनके विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । इसके बाद जहां तक श्री रियासत हुसैन और साथ के अन्य सदस्यों की सूचना का संबंध है, मैंने इसको शासन को भेज दिया है फिलहाल उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए परन्तु इस पर भी यदि वे सन्तुष्ट नहीं हुए तो फिर इस पर चर्चा की जायेगी । शेष अन्य सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत जो थीं, उनको मैंने अस्वीकार किया है ।

श्री अकबर अहमद--

मान्यवर, मेरा इतना गम्भीर मामला है इस पर न्यायालय में भी निर्णय हुआ और आप इसको सुन नहीं रहे हैं । इसको आप गम्भीर समझें यह गम्भीर मामला है और न्यायालय का निर्णय आपके सामने है । आप मुझे सुन नहीं रहे हैं इसके प्रतिरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री अकबर अहमद तथा श्री कुंवर सिंह नेगी सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरी तरफ से एक सूचना थी, उसका पहलू बिल्कुल बदला हुआ है । अभी सचिवालय के दो कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गये हैं । जब कि इसी सदन में सचिवालय काण्ड के बारे में कह दिया गया था कि पूरी तरह से शान्ति कायम हो चुकी है मान्यवर, 17 गार्ड्स को निलम्बित किया गया था । आज 12 बजे से दो कर्मचारी आमरण अनशन पर इस सम्बन्ध में बैठ गए हैं, उसके बाद भी शासन पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सचिवालय में शान्ति कायम है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको 25-2-83 को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है, जब वह विषय आये तब आप कहियेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

इस सचिवालय की छाप पूरे प्रदेश के कर्मचारियों पर पड़ती है इसलिए मैं कह रहा था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें ।

उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि उक्त नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के परन्तुक (ख) को निलम्बित करते हुए उपाध्यक्ष, विधान सभा के चुनाव हेतु माननीय अध्यक्ष कोई अन्य तिथि मार्च, 1983 के द्वितीय सप्ताह में नियत करें और चुनाव की पूरी प्रक्रिया पुनः अपनायी जाय ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 311 के अन्तर्गत उक्त नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के परन्तुक (ख) को निलम्बित करते हुए उपाध्यक्ष, विधान सभा के चुनाव हेतु माननीय अध्यक्ष कोई अन्य तिथि मार्च, 1983 के द्वितीय सप्ताह में नियत करें और चुनाव की पूरी प्रक्रिया पुनः अपनाई जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से सम्बन्धित निर्धारित वक्तव्य कार्य-सूची में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं....

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी को बोल लेने दें ।

श्री भीखा लाल—

शुरू करने से पहले ही मैं कहना चाहता हूं कि जो आज की कार्यवाही से सम्बन्धित है । उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, 8 तारीख को बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था और कहा था कि सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाये कि बातचीत के द्वारा समझौता किया जाये जिससे बिजली की हड़ताल न हो । शासन ने कार्यवाही नहीं की और आपने आदेश दिया कि शासन की ओर से बयान आना चाहिए आपके कार्यालय से सूचना मिली कि 24-2-83 को इस पर वक्तव्य होगा

मान्यवर, आज के एजेन्डा में कहीं पर इसका जिक्र नहीं है और न लिखा ही है। मैं जानना चाहूंगा कि कैसे मुझको सूचना मिली जबकि एजेन्डा में नहीं रखी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है, मेरे पास विद्युत मंत्री जी का पत्र आया था और उन्होंने उसमें यह प्रार्थना की थी कि वक्तव्य के लिए थोड़ा समय चाहिए। वह समय चाहते थे और वह आपस में बातचीत करना चाहते थे, उसको मैंने स्वीकार कर लिया था और उस पर वक्तव्य की अन्य तिथि बाद में सूचित कर दी जायेगी।

श्री भीखा लाल—

मुझे नहीं सूचित किया गया। अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाय तो सम्बन्धित सदस्य को अवश्य सूचित कर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष —

ठीक है।

1983–84 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 11–खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,08,68,84,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वर्ष जो चालू वर्ष है अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में निश्चय ही कमी आयी। यह बहुत अधिक कमी नहीं थी, थोड़ी कमी थी। उसके वितरण की व्यवस्था सुचारु रूप से करनी थी। वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के पूर्व मैं माननीय सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त एक आशंका का निवारण करूंगा क्योंकि वह हमारे विभाग से सम्बन्धित है और मैं उस समय नहीं था। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कुमायूं, गढ़वाल, झांसी और वाराणसी मंडलों में जो आवंटन किया जाता है उसमें कुछ अनियमिततायें होती हैं और पक्षपात होता है। तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि कुमायूं की कुल जनसंख्या 23 लाख है जो प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या का 2·1 प्रतिशत है। इस मंडल को 38,00 मीट्रिक टन गल्ला दिया गया जो कुल आवंटन का 5·4 प्रतिशत है। अतः कुमायूं मंडल के किसी भी माननीय सदस्य को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से गढ़वाल मंडल की आबादी 24·3 लाख है। यह हमारे प्रदेश की जनसंख्या का 2·2 प्रतिशत है। उसको 6400 मीट्रिक टन गल्ला पहुंचाया जोकि हमारे कुल आवंटन की मात्रा का 9 प्रतिशत है। इसी तरह से झांसी मंडल की आबादी 54 लाख है जोकि प्रदेश की आबादी का 5 प्रतिशत है और उसको 9900 मीट्रिक टन गल्ला दिया। यह कुल आवंटन का 14 प्रतिशत

[श्री वासुदेव सिंह---]

हुआ । वाराणसी मंडल की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है जो प्रदेश की जनसंख्या का 11 प्रतिशत है । उसको हमने 12 हजार मीट्रिक टन गल्ला दिया जोकि पूरे प्रदेश के आवंटन का 17 प्रतिशत है । इसलिए मैं पहले माननीय सदस्यों की शंका समाधान करना चाहा ।

(इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, हमारा विभाग खाद्यान्न गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल तथा सीमेन्ट आदि से सम्बन्धित है । अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसी को भी यह शिकायत नहीं होगी कि यहां पर चीनी की कमी है ।

(व्यवधान)

यह इतना बड़ा प्रदेश है, 57 जिले हैं जोकि 1/6 हिन्दुस्तान है और कई देशों से बड़ा हमारा यह प्रदेश है, कहीं वितरण प्रणाली में दूषण हो सकता है और ऐसी बात नहीं है कि यह निरापद हो लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यहां पर चीनी की बहुतायत है । आज हम दो किलो प्रति यूनिट देने के लिए तैयार हैं और अगर माननीय मोहन सिंह जी चाहेंगे तो हम और देने के लिए तैयार हैं । चूंकि वे एक प्रतीक हैं और विरोध की मूर्ति हैं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं । आपकी बात को सही मानेंगे ।

जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है नवम्बर 1981 में प्रदेश के जिलों को 49 हजार किलो लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया गया । उसको बढ़ाकर इस वर्ष 70675 किलो लीटर कर दिया गया । मान्यवर, एक बात और हुई है । हमारी जनसंख्या अधिक है और मैं मानता हूं कि जनसंख्या के आधार पर हमको कुछ और अधिक भारत सरकार से आवंटन मिलना चाहिए । इस दिशा में जो प्रयत्न हो रहे हैं, उसके ऊपर वहां विचार हो रहा है । लेकिन मैं इस माननीय सदन का ध्यान एक तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जो दूसरे सूबों को मिट्टी का तेल भारत सरकार से मिलता है उसके हिसाब से जो हमको मिलना चाहिए उतना हमें नहीं मिलता है । जो राष्ट्रीय औसत है वह 65 किलो लीटर एक लाख की आबादी के ऊपर पड़ता है । मान्यवर, दिल्ली को 1 लाख की आबादी के ऊपर 193.50 किलो लीटर तेल उपलब्ध कराया गया, गुजरात को 111.70 किलोलीटर, महाराष्ट्र को 118,70 किलोलीटर, पंजाब को 89·80 किलोलीटर, तमिलनाडु को 70·70 किलोलीटर, पश्चिम बंगाल को 64·50 किलोलीटर, कर्नाटक को 59·40 किलोलीटर, आंध्र प्रदेश को 56 किलोलीटर, हरियाणा को 55·00 किलोलीटर तथा उत्तर प्रदेश को 37·80 किलोलीटर तेल उपलब्ध कराया गया ।

श्री धर्मवीर सिंह--

यह आंकड़े देकर आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

इससे हम यह बताना चाहते हैं कि 49 हजार किलोलीटर जो मिट्टी का तेल हमको मिलता था उसे हमने बढ़वा दिया है यह दलील देकर ....।

भारत सरकार संवेदनशील है । हमारे सम्बन्ध उससे बहुत सुन्दर हैं ।

(व्यवधान)

हमारे तर्क से वह सहमत है ।

मान्यवर, जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है उसमें दोहरी सीमेंट नीति चली है । पहले दोहरी नीति नहीं थी जनवरी से अक्तूबर, 1981 तक उस वक्त हम को 6·92 लाख टन सीमेंट उपलब्ध हो रहा था। इस वर्ष 8 लाख टन से अधिक सीमेन्ट उपलब्ध कराया गया है । इसलिए भारत सरकार की सराहना के कुछ शब्द कहेंगे कि उन्होंने हमारी सीमेन्ट की आवश्यकता को पूरा किया । हमने देखा कि जो उपाय हमने किये हैं उससे नान-लेवी सीमेंट के भाव अब नीचे आ रहे हैं भले ही मंथर गति से, लेकिन नीचे की तरफ रुझान है और इस वर्ष के अन्त तक उम्मीद है 60 रु0 से नीचे ले आयें । हमको जो सीमेंट मिलता है उसमें से हमने छोटी-छोटी मरम्मत के लिए पहाड़ी क्षेत्र में 6 बोरी और मैदानी क्षेत्र में तीन बोरी तक परमिट पर लेने का प्रावधान कर दिया है ।

जहां तक गेहूं, धान, चावल का सम्बन्ध है उसमें कोई कमी नहीं है । हमने पिछले साल 4 लाख 3 हजार टन चावल की खरीद की थी यानी 17-2-82 तक 4 लाख 3 हजार टन तथा 17-2-83 तक 4·77 लाख टन चावल इकट्ठा किया । इसमें भी हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं ।

गेहूं के बारे में आप जानते हैं । जब पश्चिमी जिलों के लोगों ने कहा तीसरी श्रेणी भी ले ली जाय तो मैंने कैबिनेट की अनुमति की प्रत्याशा में कह दिया कि ले लें । माननीय मुख्य मंत्री जी उससे सहमत हो गये और एलान कर दिया । उससे मेरठ और मुजफ्फर नगर के लोग कितने खुश हुए उससे आप सब परिचित होंगे । यह जरूर है कि गेहूं की थोड़ी कमी महसूस हुई और इसके दाम बढ़े, तीन रुपये तक हुए । तो उससे माननीय सदस्य चिंतित हुए । मैं उनकी चिंता में शरीक हुआ और कोशिश की गयी जिसका मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया है । इसलिए अधिक समय नहीं लूंगा

इस वक्त हमको पहले से अधिक गेहूं और चावल की पूर्ति हो रही है । इसमें भी हम अगर औसत लगायें तो भारत सरकार ने जनसंख्या के आधार पर आवंटन की व्यवस्था नहीं की है । गेहूं और चावल हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को ज्यादा मिलता है । इस प्रकार हमें 30 हजार टन चावल और 40 हजार टन गेहूं मिला है । जो आंकड़े हैं वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । चावल और गेहूं का आवंटन आंध्र प्रदेश जन संख्या 5·35 करोड़ आवंटन 41 हजार मी0 टन । एक लाख आबादी पर 77 मी0 टन, बिहार--6·98 करोड़ जनसंख्या 29 हजार मी0 टन एक लाख आबादी पर 55 मी0 टन, गुजरात--आबादी 3·04 करोड़ आवंटन 42·00 मी0 टन एक लाख आबादी पर 124 मी0 टन, कर्नाटक--आबादी 3·70 करोड़ आवंटन 13,000 मी0 टन, एक लाख पर 35 मी0 टन, केरल--आबादी 2·54 करोड़ आवंटन 1,14,00 मी0 टन, मध्य प्रदेश--आबादी 5·21 करोड़ आवंटन 40,000 मी0 टन, एक लाख पर 77 मी0 टन, महाराष्ट्र--जनसंख्या 6·27 करोड़ आवंटन एक लाख पर 112 मी0 टन, उड़ीसा--जनसंख्या 2·62 करोड़ आवंटन एक लाख पर 65

[श्री वासुदेव सिंह---]

मी0 टन, राजस्थान---3·41 करोड़ एक लाख पर 76 मी0 टन, पश्चिम बंगाल---5·4करोड़ आवंटन 2,10,00 मी0 टन यानी 388 मी0 टन एक लाख पर, उत्तर प्रदेश मात्र 50 मी0 टन एक लाख पर । मैंने इस ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और भारत सरकार सहमत है । हमने दिसम्बर की जो मात्रा थी, उसका जनवरी, फरवरी में ढाई गुना बढ़ोत्तरी किया है जिससे गेहूं और चावल की कोई कमी नहीं है । इस महीने में 70 हजार मीट्रिक टन गेहूं चावल मिला है और 20 हजार मी0 टन की मांग और किया है । अगले महीनें के लिये मार्च में 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं का मांग किया है । तो जो दे रहे हैं उससे दूने से ज्यादा मांग किया है । इसलिये इसकी भी समस्या नहीं है ।

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मैं नहीं कहता कि दोष नहीं है । हम भी इससे संतुष्ट नहीं हैं । सहकारिता के माध्यम से वितरण हो रहा है तो सचिव और विभाग के स्टाफ का जो रवैया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं लेकिन दोनों विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इसमें सुधार करने का प्रयास हम कर रहे हैं । मान्यवर, इस वर्ष लगभग 21 हजार दुकानें हैं जिसमें लगभग 11 हजार दुकानें सहकारी क्षेत्र में और शेष निजी क्षेत्र में हैं । इसके बारे में मैं सदन को सूचित कर चुका हूं और अब ब्यौरे में जाना मैं उचित नहीं समझता हूं । इधर आपने देखा होगा कि एक नई कल्पना वितरण में जोड़ रहे हैं और वह यह कि चलती-फिरती दुकानें । लखनऊ में व्यापारियों का जो झगड़ा हुआ और उन्होंने हड़ताल किया तो कुल 18,87,060 रुपये के मूल्य का गेहूं, आटा, दाल और चावल, जिसमें 2,953 क्विंटल गेहूं, 2 हजार क्विंटल आटा, 2,506 क्विंटल चावल और 120 क्विंटल दाल के 5-5 किलो के पैकेट बांधकर, बेचा गया है । इस प्रयोग से हमको प्रेरणा मिली । इसलिये मैं सदन को बताना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं, किन्तु इसमें मेरी जीभ न पकड़ी जाय यदि यह स्कीम लागू न हो, कि हमारे विभाग को पूरे साल में कई करोड़ रुपये परिवहन पर खर्च करना होता है गेहूं, चावल आदि लाने में तो इसमें दो करोड़ रुपया ट्रान्सपोर्ट को जाता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि कुछ ट्रक विभाग में खरीद लिये जायं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्थान पर चलती-फिरती दुकानों से सामान जनता को दूर गांवों तक हम उपलब्ध करा सकेंगे । लेकिन यदि मैं न करा सकूं तो मेरी जीभ न पकड़ी जाये । इससे सम्पूर्ण प्रदेश में इतनी ट्रकें हो जायं कि किसी जगह कोई कमी और अभाव न रह सके और ट्रक से माल वितरण की व्यवस्था कर सकें ।

मान्यवर, आवश्यक वस्तु निगम का जो काम है उसके बारे में आप जानते हैं । लेकिन कुछ जो अपराध प्रवृत्ति थी अपने विभाग में और प्रदेश में मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं । यह जनवरी तक का है । पुस्तिका में अप-टू-डेट कर दिया है । आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए हमने जनवरी, 1982 से लेकर अब तक 34,218 छापे मारे हैं, 2,278 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 1,143 लाइसेन्स निलम्बित किये गये और 937 लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं और 6 करोड़ 80 लाख रुपये की सामग्री पकड़ी गई है । 1980-81 में केवल 4·35 करोड़ रुपये की सामग्री पकड़ी गई थी । अब एक जनवरी 1983 से 17-2-83 तक हम बता दें । 2,388 छापे डाले गये, 151 लोग गिरफ्तार किये गये, 39 लाइसेन्स निलम्बित किये गये, 41 लाइसेन्स निरस्त किये गये और 55 लाख 20 हजार रुपये मूल्य की सामग्री पकड़ी गई ।

इसी सम्बन्ध में आप कहेंगे कि जो हमारा चोरबाजारी निवारण आवश्यक वस्तु अधिनियम हैं, उसके अन्तर्गत क्या हुआ, तो इसके अन्तर्गत हमने 148 व्यक्तियों को तिरुद्ध किया और इसका परिणाम अच्छा हुआ । इस बारे में हर जिलेवार सूचना प्राप्त हुई हैं । इससे जमाखोरी की प्रवृत्ति पर काफी रोक लगी है, हालांकि अभी इस दिशा में और काफी परिश्रम करने की आवश्यकता हैं ।

अब आप कहेंगे कि जनता और दूसरे लोगों पर कार्यवाही तो की, लेकिन आपने अपने विभाग में क्या किया, तो मैं उस बारे में बताना चाहता हूं, हमने ऊपर से लेकर नीचे तक यानी जिला पूर्ति अधिकारी से लेकर नीचे तक के अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की हैं । जिला पूर्ति अधिकारी--5, उपसम्भागीय विपणन अधिकारी--5, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी--5, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक--22, वरिष्ठ निरीक्षक--6, हाट निरीक्षक--21 तथा पूर्ति निरीक्षक--9, यानी कुल 73 विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध सक्रिय कार्यवाही की गई हैं । 47 हमने निलम्बित किये हैं....

(व्यवधान)

डी0 एस0 ओ0 (जिला पूर्ति अधिकारियों) के पास ऐसा कोई काम नहीं रहा कि उसको भ्रष्टाचार का मौका मिले । हमने धीरे-धीरे सारे बेईमानी के अवसरों को काटा हैं । 3 आर0 एफ0 सी0 को हमने हटाने का फैसला किया हैं । मैं नहीं कहता कि वे सभी दूध के धोये हैं, लेकिन जो पहले बेईमानी थी, उसको हमने कम किया हैं । दूसरी चीजों की कार्यवाही भी 29 के खिलाफ किया हैं । जब कई आर0 एफ0 सी0 को हटाया, तो कितनों को हटाते

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, जब राम, कृष्ण, गौतम और गांधी जो इस चीज को नहीं मिटा पाये तो बासुदेव सिंह कैसे मिटायें। प्रश्न केवल इतना हैं कि यह दाल में नमक की तरह रहे या नमक में दाल की तरह । मेरे जेब में ताकत नहीं हैं कि मैं कह दूं कि सम्पूर्णतया भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, लेकिन इसको कम से कम कर दूंगा ।

एक सदस्य--

फैजाबाद के बारे में भी बता दीजिये ।

श्री वासुदेव सिंह--

मैं वहां का स्वयं रहने वाला हूं, उसका कोई नुकसान नहीं होने पाया । खाद्य निगम के बारे में यह हैं कि अप्रैल-सितम्बर, 1982 में 194,95 करोड़ के व्यय के विरुद्ध 235.56 करोड़ की आय हुई ।

अब बाट-माप के बारे में भी थोड़ा उल्लेख कर दूं । यह जो बाट-माप विभाग हैं, इसको जो मैट्रिक प्रणाली हैं, उसको लागू करने के लिए 1972 में जो रिपोर्ट भारत सरकार की मैत्री कमेटी की थी, उसमें कहा था कि 1,500 करोड़ रु0 की आर्थिक हानि उठाये जाने का अनुमान लगाया गया हैं जन-बेश तौलने में और अभी यह हाल ही में बम्बई में आयोजित विचार गोष्ठी में जिसमें अन्य के अलावा तीन केन्द्रीय मन्त्री सर्वश्री भगवत झा आजाद, बीरभद्र सिंह एवं शिवराज पाटिल सम्मिलित हुए थे, यह तथ्य उद्घाटित किया गया कि बढ़ते हुए मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में यहां मिलावट से लगभग 1,700 करोड़ रुपये की प्रति वर्ष

[श्री वासुदेव सिंह---]

उपभोक्ताओं को क्षति हो रही है, वही माप-तौल की हेरा-फेरी से कम से कम 4,000 करोड़ रुपये की प्रति वर्ष क्षति उठानी पड़ रही है । माह अप्रैल, 1982 से लेकर जनवरी, 1983 तक विभिन्न प्रकार के बाट--माप के अनियमितता के 27,089 मामले पकड़ गये हैं, जिनसे विभाग को समझौता द्वारा रु0 12,83,009 की आय प्राप्त हुई है । विभाग द्वारा चलाये गये विशेष प्रचलन अभियानों में पेट्रोल/डीजल पम्प, गन्ना क्रय केन्द्र शूगर फैक्ट्री आदि से सम्बन्धित जो आय हुई वह रु0 79,85,901·87 हुई है । डीजल, पेट्रोल के पम्प, दवाइयों, हर चीजों के ऊपर हमारी नजर है ।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, पेट्रोल लखनऊ शहर में 9 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है ।

श्री वासुदेव सिंह---

यह डीजल और पेट्रोल जो है, इसका दाम बढ़ गया, यह दाम इसलिए बढ़ गया कि अगर कुछ चीजों का दाम बढ़ जाता है, तो उसका दूसरी चीजों पर भी असर पड़ता है ।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन लखनऊ में महंगा हो गया है ?

श्री वासुदेव सिंह---

यह तो बड़े लोगों के इस्तेमाल में आता है ।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, इसको मध्यम श्रेणी के लोग भी इस्तेमाल करते हैं ।

श्री वासुदेव सिंह---

अब मैं थोड़ा सा मिट्टी के तेल के बारे में बता दूं । नवम्बर, 1981 में प्रदेश के जिलों को लगभग 49,000 किलो लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया गया था, जिसे बढ़ा कर नवम्बर से फरवरी तक 70,675 किलो लीटर कर लिया गया है । इसका 35,126 वितरण बिन्दुओं द्वारा वितरण हो रहा है । परिणामतः मिट्टी के तेल की उपलब्धि में कोई कठिनाई नहीं है । मिट्टी के तेल पर दोहरी व्यवस्था 14, 15 फरवरी की रात से लागू हो गयी है । इन चन्द शब्दों के साथ संक्षेप में मैंने अपने निभाग की कार्यवाही का विवरण दिया है । बात किराया नियंत्रण की रह गयी है । उसके बारे में अभी तक जो निर्णय है वह यह है कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लोगों के लिए मकान खाली करवा देने की सुविधा देने का निर्णय हुआ है और उस पर शासन का मतैक्य है । लेकिन चूंकि इसमें और भी बातें थीं जिसके बारे में विवाद है इसलिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का सम्बन्ध है उनके मकानों को रेंट कन्ट्रोल की सुविधा दी जायगी । यदि मकान होंगे तो वह उनको मिलेंगे । जो उन पर कब्जा किये हैं. . . .

श्री सरदार सिंह––

मान्यवर, इस श्रणी में प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जैसे इंजीनियर हैं, आई० ए० एस० हैं तो इनका पूरी सर्विस में ट्रांसफर होता रहा है। अब उनके मकान खाली नहीं हो रहे हैं तो क्या ऐसे लोगों को इस परिभाषा में रखेंगे और उनके मकान खाली कर दिये जायेंगे ?

श्री बासुदेव सिंह––

इस विषय को अभी छोड़ रहा हूं आप सब अपना दृष्टिकोण सदन के सम्मुख रखेंगे ही मैं उसको नोट करूंगा और अन्त में जवाब दूंगा। सारी बातों पर शासन का ध्यान है और आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं, आपके मूल्यवान सुझाव सदन के निर्देश और आदेश जो होंगे, जो मार्गदर्शन होगे उसके अनुरूप खाद्य व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रदेश के आधार पर सुदृढ़ करने का प्रयत्न होगा ऐसी कामना है, ऐसी इच्छा है और यह हमारा अरमान है।

श्री ए० सी० ग्राइस––

हमारा एक स्पष्टीकरण है। यह एक्सर्विसमेन आदेश कब से लागू होगा ?

श्री वासुदेव सिंह––

मान्यवर, ग्राइस साहब हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। जबसे कहेंगे तब से सोचेंगे। आपने कोई सुझाव तो दिया नहीं। मैं आशा करता हूं कि ग्राइस साहब अपने लिखित सुझाव भेज देंगे। उस पर शासन विचार करेगा।

श्री शंकर सिंह––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11––खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहन सिंह––

अधिष्ठाता महोदय, खाद्य विभाग का बजट है और खाद्य सामग्री कुछ है नहीं।

श्री वासुदेव सिंह––

मान्यवर, सारे प्रदेश को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस सदन की जिम्मेदारी तो मान्यवर, आपकी है।

श्री शंकर सिंह––

मान्यवर, हमारे साथी माननीय मोहन सिंह जी ने जिस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है प्रदेश की स्थिति भी कमवेश वही है। अगर प्रदेश का पेट माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के आंकड़ों की घुट्टी से भर जाता है तो फिर प्रदेश में खाद्य समस्या नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन आंकड़ों की घुट्टी और आंकड़ों के जाल फरेब से पेट नहीं भरता है। अगर सरकार की

[श्री शंकर सिंह—]

नीति के अन्दर हम झांक कर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि जो खाद्य समस्या है वह बड़ा गम्भीर है और भयंकर रूप धारण कर चुका है। प्रदेश के सामने जो खाद्य समस्या है उसके लिए पूर्णतः हमारी सरकार और हमारे सामने बैठे हुये भाई, मन्त्री जी, उनके अधिकारी जिम्मेदार हैं। मान्यवर, होता गया है। अगर ध्यान से देखा जाय तो सरकार की कोई नीति नहीं है कोई उपलब्धियां नहीं हैं। जिन वस्तुओं का यह वितरण करते हैं, चाहे गहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे चीनी हो अगर भगवान की कृपा रही तो फसल अच्छी हो गयी, उत्पादन अच्छा हो गया, बाजार में वस्तुओं की कमी नहीं रही तो सारी वाहवाही सरकार लूट लेती है। इसके अलावा इनकी कोई उपलब्धि नहीं है।

मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि चीनी की कहीं कमी नहीं है और कहा है कि पूरे प्रदेश को हम प्रति यूनिट 2 किलो चीनी दे सकते हैं, लेकिन आज से दो साल पहले इसकी क्या स्थिति थी। मान्यवर, आज से दो साल पहले दो सौ ग्राम, ढ़ाई सौ ग्राम भी चीनी नहीं दे पाये थे। आज दो किलो प्रति यूनिट देने की बात कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि गन्ने का उत्पादन बढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ किसान की हालत क्या है, किसान अपना गन्ना लिए मारा-मारा फिर रहा है, कोई मिल उसका पूर्ण गन्ना लेने को तैयार नहीं है। किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। लेकिन, चीनी विदेशों को निर्यात होना शुरू हो गई। आज माननीय मंत्री जी उसका यश लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रति यूनिट 2 किलो चीनी देने की बात तो कह गये, लेकिन उन्होंने गेहूं के बाबत नहीं कहा।

उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है। पूरे प्रदेश में गेहूं बोने का क्षेत्र ज्यादा है लेकिन गेहूं की हालत क्या है तीन रुपये साढ़े तीन रुपये किलो बिक रहा है शहरों में और गांवों में तो यह ढूंढ़े से भी उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर आपने दूरदर्शिता से काम लिया होता, गांवों में भंडारण की सही व्यवस्था होती, किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाया होता, तो क्या आज यह स्थिति होती। मान्यवर, आज स्थिति क्या है गेहूं के भंडारण के लिए गांवों में भंडार गृह नहीं हैं, जो भी भंडार गृह बनते हैं वे शहरों में ही बनते हैं, जबकि आप गेहूं गांवों से इकट्ठा करते हैं। मान्यवर, जब इनके सामने गेहूं खरीदने का प्रश्न आता है तो यह देहातों में जाकर दुकानें खोलते हैं। मैंने देखा कि आपने अभी पिछले दिनों गेहूं की खरीद के लिए चार हजार सेन्टर देहातों में खोले। इस तरह से देहातों से गेहूं खरीदा और उसके बाद उसे शहरों के भंडारों में लाकर रख दिया फिर उसका यहां से वितरण करायेंगे। मान्यवर, कभी-कभी यहां से गेहूं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा चला जाता है, लेकिन जब वहां उठान न होने पर वापस लौटकर प्रदेश को आवंटित होता है, तो उस पर कितना खर्च आता है, यह खर्च किसके सिर पर आता है, आखिरकार तो यह उपभोक्ता के ही सिर पर आता है और किसान को उचित मूल्य दे नहीं सकते।

मान्यवर, मेरी मांग है कि भंडार गृहों को देहातों में बढ़ावा दिया जाय। दूसरे जब आप किसान से गेहूं खरीदते हैं, तो चाहे लक्ष्य कुछ भी रहे, लेकिन उसे उसकी उपज का सही मूल्य मिलना चाहिये। मान्यवर, अभी इन्होंने 13 लाख 89 हजार 9 सौ 29 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, जबकि लक्ष्य इनका 25 लाख मीट्रिक टन का था, तो यह लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पायें। इसके पूरा न

होने के क्या कारण हैं। कहते हैं कि गेहूं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सका। यह तो तभी उपलब्ध हो सकता है जब आप किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दें, जब उसे उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा, तो भी वो उसे अधिक क्षेत्र में बो सकेगा। लेकिन आज हो क्या रहा है किसान बेचारा अपना गेहूं दे रहा है 140 रुपये में या 142 रुपये में, इसमें जो उसकी उत्पादन लागत है, वह भी पूरी नहीं हो पाती है। आपने खाद्यान्न के दाम बेतहाशा बढ़ा रखे हैं, किसान बेचारा परेशान सा है, तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, पूरे प्रदेश को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मान्यवर, आज गेहूं वाले प्रदेश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है।

मैं अब धान के बाबत कुछ कहना चाहूंगा। आपके आंकड़े कहते हैं कि जनवरी, 1983 तक जो आपकी धान की खरीद हुई है, वह केवल 3 हजार 3 सौ 33 मीट्रिक टन हुई है। चाहे आपने खुले बाजार से इसकी खरीद की हो, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से इसकी खरीद की हो, लेवी से मिल गया हो या अलग से मिल गया हो, तो इतनी कम खरीद के क्या कारण हैं। आप किसान को केवल 122 रुपये या 130 रुपये उसका मूल्य दे रहे हैं। आज मान्यवर, स्थिति यह है कि चीनी के सम्बन्ध में भले ही कुछ कर लें लेकिन धान के सम्बन्ध में एक बात कहनी है कि 60 प्रतिशत की लेवी लगाई है। बड़ी मिलों पर लगा लें लेकिन अगर छोटे किसानों पर लगायें तो वह अपनी हलर मशीन चला नहीं सकता। छोटे-छोटे गांवों में जो छोटी छोटी हलर चक्कियां लगी हैं, उनको तो कम से कम लेवी से मुक्त करें। क्योंकि इससे आपका भला तो होगा नहीं लेकिन छोटे-छोटे जो उद्योग हैं, आम किसान जो चावल निकालना चाहता है, अपने प्रयोग के लिए, उसके लिए समस्या पैदा होगी।

जो वितरण प्रणाली है, उस पर जो इनकी नीति है, उसी पर सारा दारोमदार है, वह धुरी है। जो वितरण प्रणाली है, अगर उसमें दोष है तो चाहे जितना भंडारण आप कर लें, चाहे जितना गेहूं रख लें, आवश्यकतानुसार चीजें पहुंचा ही नहीं सकते। 20 हजार से कुछ ज्यादा ही दुकानें खुल गई हैं। आधी सहकारी क्षेत्र में हैं बाकी निजी क्षेत्र में। जबकि नीति है इनको सहकारी संस्थाओं से ही ज्यादा वितरण करायेंगे। देहातों में जो दूकानें हैं सहकारी है लेकिन शहरों में जो दूकानदार हैं, निजी व्यवसायी हैं और वही सस्ते गल्ले की दूकानों के स्वामी है और उन्हीं के जरिये से बिकता है। सही जगह तक माल पहुंचता नहीं। साथ ही साथ ब्लैक हो रहा है। फर्जी राशन कार्ड भर दिये जाते हैं और सारा का सारा गल्ला ब्लैक हो जाता है। इसी सदन में एक बार नहीं कई बार आया है कि इस प्रदेश का गेहूं नेपाल और चीन को जा रहा है। मंत्री जी के सामने भी समस्या आयी और उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्रदेश में कहीं से निकल जाता होगा लेकिन हम रोक-थाम के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। अपने खाने के लिए तो है नहीं लेकिन दूसरे प्रदेशों में ही नहीं दूसरे देशों तक जा रहा है। यह कहां से आ रहा है? आपने जो आवंटन किया है, उसी आवंटन का गेहूं ब्लैक में जाकर बिकता है और वही दूसरे देशों में जाता है।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मैं बता दूं नेपाल का भाव और उत्तर प्रदेश का भाव अगर माननीय सदस्य देख लें तो, कैसे ब्लैक होता है?

(हंसी)

श्री शंकर सिंह—

मंत्री जी अगर कोई ऐसी व्यवस्था करा दें कि नेपाल जाकर वहां का भाव हम पता लगा लें, कि नेपाल में उत्तर प्रदेश से सस्ता है गेहूं तो मैं मान जाऊंगा। जो वितरण प्रणाली है, उसमें शहरों के लिए तो व्यवस्था कर दी, आप कहते हैं कि सम्पूर्ण प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाना चाहते हैं और आज मान्यवर, इसकी कसौटी है, प्रदेश में गहूं उपलब्ध नहीं है, तो इनका कर्तव्य हो जाता है प्रदेश के दूरस्थ गांवों में आवश्यकता है, जिन व्यक्तियों को, ऐसे वर्गों को विशेष रूप से गेहूं पहुंचाया जाय या मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि हैं, की ही व्यवस्था करा दें।

हमारे यहां, मेरे जनपद में, जितने केन्द्र हैं या तो नगरों में हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स, टाउन एरियाज में हैं। बुन्देलखण्ड के माननीय सदस्य बैठे हैं, सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में, ग्रामीण क्षेत्र में एक भी दूकान ऐसी नहीं है जो गेहूं या कोई मोटा अनाज, देहात में, ग्रामीण व्यक्तियों को सप्लाई करती हो। केवल इनकी जो लिमिट है वह शहरों तक, नगरपालिकाओं तक, टाउन एरिया हैं, यहीं तक सीमित होकर रह गई है। मैं समझता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और प्रान्त के दूसरे भागों में स्थिति इसी प्रकार की होगी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपको 70 हजार मीट्रिक टन गेहूं मिल रहा है, पहले तो इतना मिलता नहीं था, पूरे साल भर में 40 हजार मीट्रिक टन मिलता था, बाद में 50 हजार हुआ, अब 70 मांगा है, तो वितरण क्यों नहीं हो रहा है। आदेश जरूर कर दिया गया कि हर कार्ड होल्डर को 8 किलो प्रति यूनिट गेहूं, 8 किलो प्रति यूनिट चावल दिया जाये। एक चीज आपने स्वीकार की कि जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से वितरण नहीं हो पाया। जिस हिसाब से शहरी क्षेत्र को आवंटित किया गया, शहरी क्षेत्र के कार्ड होल्डरों को ही पूरा नहीं हो सकता। देहाती क्षेत्र की तरफ से तो आपने आंख ही फेर ली है। नजर चाहे जिधर हो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ उनकी नजर नहीं है, यह निश्चित है। आपकी थोड़ी भी नजर ग्रामीण क्षेत्र की तरफ होती तो जो 30 हजार मीट्रिक टन आटे के लिए फ्लोर मिल को दे रखा है, वह न देते।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 28 हजार मीट्रिक टन आवंटित किया है। 11 करोड़ प्रदेश की आबादी है। 84 प्रतिशत आबादी ग्रामों में रहती है। अगर मोटे हिसाब से देखा जाये, तो 9 करोड़ की आबादी गांवों में रहती है। 56 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। यह आबादी 6 करोड़ के करीब पड़ती है। एक तिहाई अपना स्वयं इन्तजाम कर लेंगे, दो करोड़ निकाल दीजिए। चार करोड़ बचे। एक करोड़ और निकाल दीजिए। कम से कम तीन करोड तो ऐसे हैं, जिनको अपनी रोजी-रोटी रोज हाथ चलाकर कुछ न कुछ मेहनत करके पूरी करनी पड़ती है। रोज फावड़ा चलाकर, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं। देहातों में कहीं गेहूं उपलब्ध नहीं। सरकार दुकानों की व्यवस्था करा नहीं सकी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में जो आवंटन हुआ वह 28 हजार मीट्रिक टन है। केवल 28 हजार मीट्रिक टन प्रति माह से अगर माननीय मन्त्री जी तीन करोड़ लोगों का पेट भर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आपने खाद्य समस्या हल कर ली। यदि ऐसा नहीं है तो इन तीन करोड़ व्यक्तियों को किसके सहारे पर छोड़ दिया। इसे अवश्य माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे। इसी तरह से चावल का है। देहात में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, न गेहूं और न ही चावल। देहातों में भूसा तक उपलब्ध नहीं है। जानवर मर

रहे हैं। आप कहें कि इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पूर्ति तो आपको ही करनी है और कहां से पूर्ति की जायेगी। आप बताते हैं कि चीनी आप दो किलो प्रति यूनिट दे सकते थे।

एक चीज हमारी समझ में नहीं आती कि ग्रामीण जनता और शहरी जनता में यह भेद-भाव क्यों। जब एक किलो शहर में देते थे तो ग्रामीण जनता को मात्र 250 ग्राम आज आपके सामने कमी नहीं है पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्र में जितने यूनिट हैं, दो किलो प्रति यूनिट दे रहे हैं। गांव में प्रति राशन कार्ड एक किलो दे रहे हैं। चीनी की कमी नहीं है? कहीं तो देहाती क्षेत्र के निवासियों और शहरी क्षेत्र के निवासियों को समानता दी जाये। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि जिसको जितनी आवश्यकता है वह मिल रहा है। मैंने गेहूं के सम्बन्ध में बता दिया कि 40 हजार मीट्रिक टन मिला था, इस महीने में बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त दूसरी चीजों की आवश्कता होती है, ईधन है, मिट्टी का तेल है, आवश्यकता के अनुसार इनकी पूर्ति होना चाहिये।

मान्यवर, प्रदेश में उसकी पूर्ति नहीं करा पा रहे हैं। आपके स्वयं के आंकड़े यह कहते हैं। आपको जो घरेलू ईंधन की आवश्यकता है उसके अनुसार आपको 144 रैक्स कोयला प्रति वर्ष की है लेकिन प्राप्ति कितनी है। इनको अप्रैल, 1982 से नवम्बर, 1982 तक केवल 34 रैक कोयला मिला है, उनके स्वयं के आंकड़े ये कहते हैं। आवश्यकता का केवल 35 प्रतिशत ये उपलब्ध कर सके हैं। भट्टियों के लिये भी कोयले की आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता 150 रैक्स प्रति महीने है लेकिन आप अप्रैल, 1982 से नवम्बर, 1982 तक केवल 38 रैक्स प्राप्त करा सके हैं जो कि आवश्यकता का 3.17 प्रतिशत है।

मान्यवर, आज हर छोटा आदमी या गरीब आदमी चाहता है कि वह भी एक कमरे का मकान बना ले मगर कोयला नहीं है, तो ईंट नहीं है तो उनका पूरा प्रयास मकान बनाने का समाप्त हो जाता है। जब इनके पास रैक्स नहीं हैं तो ये सप्लाई कहां से कर सकते हैं। न कोयला घरेलू उद्योगों के लिये और न भट्ठों के लिये जो आपने निश्चित कर रखा है उससे कहीं अधिक मूल्य का ब्लेक मारकेट में आम उपभोक्ता को मिल रहा है।

मान्यवर, इसी तरह से मिट्टी के तेल के बारे में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 75 हजार किलो लीटर की आवश्यकता है लेकिन आप उपलब्ध करवा सके 50 हजार किलो लीटर, तो इससे सिद्ध होता है कि आप आपूर्ति नहीं कर सके हैं। फिर भी माननीय मन्त्री जी घोषणा करते हैं, दावा करते हैं कि मिट्टी के तेल की कोई समस्या नहीं है।

मान्यवर, सीमेन्ट की बात आती है। यह कई वर्षों से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पिछले साल आपने दोहरी नीति के कारण फैक्टरी पर 166.6 लेवी लगायी। आपके कन्ट्रोल का जो सीमेन्ट है उसको मान्यवर, पिछले साल आपका बहाना रहा कि प्रदेश और देश का सारा सीमेन्ट एशियाड, 1982 में जा रहा है। देश की शोभा को बढ़ाना था, उसकी प्रेस्टिज का प्रश्न था। पूरे विश्व में प्रतिष्ठा का प्रश्न था तो इस प्रकार सारा का सारा सीमेन्ट प्रतिष्ठा की नींव को मजबूत करने और उसके पिलर्स में चली गई लेकिन अब आवश्यकता नहीं है वहां, और वहां से यह सीमेन्ट डाईवर्ट हो रहा है आज फिर भी सीमेन्ट 75-80 रुपये बोरी फ्री मारकेट में मिलता है।

[श्री शंकर सिंह—]

मान्यवर, आपका एक सीमेन्ट सावल सीमेन्ट है, यह 25–30 रुपये प्रति बोरी मिलता है लेकिन देखने में इसमें कोई अन्तर नहीं मालूम पड़ता है कि यह असली सीमेन्ट है या नकली सीमेन्ट है । बहुत से विक्रेता बढ़िया सीमेन्ट के एवज में इस घटिया किस्म के सीमेन्ट को बेचते हैं । दीवालें टूट गई, छतें गिर गयी और लोगों की जानें चली गई लेकिन आपने कोई ऐसा कारगर कदम नहीं उठाया ईस घटिया किस्म के सीमेन्ट को रोकने के लिये ।

(2.30 बजे अपराह्न से)

पहली चीज है घटिया किस्म की सीमेन्ट का प्रयोग । क्या शासन अपने स्तर से इस बात को भारत सरकार को लिखने का कष्ट करेगा कि जो फैक्ट्रियां घटिया किस्म का सीमेन्ट बनाती हैं, उनका लाईसेन्स समाप्त किया जाय ? अगर भारत सरकार तक आपकी आवाज नहीं पहुंचाती है तो कम से कम यह सुनिश्चित कर लें कि आपके प्रदेश में जो घटिया सीमेन्ट आता है, उसका एक बोरा भी न आने पाये । पहले तहसील स्तर पर सीमेन्ट का आवंटन होता था, अब आपने बताया कि ब्लाक स्तर पर कर दिया है । वहां यह हो गया है कि पैसा देकर परमिट लीजिये । हम लोगों के पास क्षेत्र की समस्यायें आती हैं । क्या आप अपनी विभागीय नीति में जन प्रतिनिधियों का इसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं कर सकते हैं, जो परमिट बनाये जायं तो हम यह देख सकें कि किसको आवश्यकता थी, किसको नहीं थी । आज स्थिति यह है कि डी0 एस0 ओ0 के यहां सीमेन्ट का परमिट मिलता है । आप 10 रु0 प्रति बोरा दीजिये और चाहे जितना सीमेन्ट ले लीजिये ।

आपके यहां आपूर्ति करने के लिये राशनकार्ड व्यवस्था है । एक बार आपने बताया था कि 50 लाख राशनकार्ड फर्जी हैं । आज भी आपने इस विषय में कुछ कहा था । मैं पूछना यह चाहता हूं कि यह घोषणा कितने वर्षों तक होती रहेगी, कितने दिनों तक यह घोषणा करते रहेंगे कि 50 लाख 60 लाख राशनकार्ड फर्जी हैं और हम कायवाही करने जा रहे हैं । माननीय मन्त्री जी की घोषणा हो जाती है लेकिन बजट पास हो जाने के बाद कुछ नहीं होता है । इसमें बड़ी धांधली है । शहर का आदमी तो डी0 एस0 ओ0 के यहां तक जा सकता है लेकिन देहात के आदमी के लिये राशनकार्ड बनवाना बहुत ही दुर्लभ है । ब्लाक स्तर पर उनसे कहा जाता है कि राशनकार्ड हैं नहीं, डी0 एस0 ओ0 के यहां मिलता नहीं है । जब देहात का आदमी किसी प्रकार से राशनकार्ड नहीं ले पाता है, तब पंचायत के सेक्रेटरी, ग्राम सेवक से कहता है कि आप जैसे चाहें बनवा दीजिये । एक-एक राशनकार्ड में 20 से 25 रु0 तक लेकर तब राशनकार्ड बनाये जाते हैं और यहीं पैसा लेकर एक साथ 2–4 फर्जी बना दिये जाते हैं । इसमें आपके विभाग के कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ है । पंचायत में रजिस्टर रहता है, ब्लाक स्तर पर भी आपकी मशीनरी है । ग्राम स्तर पर जो पंचायत रजिस्टर है, उसके हिसाब से आप उसको वहीं गांव में ही राशनकार्ड दे दीजिये । उसको न ब्लाक हेडक्वार्टर पर दौड़ाइए और न डी0 एस0 ओ0 के यहां दौड़ाइए । इससे फर्जी राशनकार्डों से भी बचत हो जायगी ।

माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार की बात कही और यह भी कहा कि हम इसको देखते हुए भी समाप्त नहीं कर सकते हैं और यह सही भी है आप जैसे कर्मठ और ईमानदार तथा हर हालत में जनता का खयाल रखने वाले आप मन्त्री हैं, लेकिन साथ ही हम एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं

कि यह भ्रष्टचार चलता कहां से है, अगर वहीं पर से इस पर कुछ अंकुश लगाया जाय तो स्थिति कुछ काबू में आ सकता है, यह भ्रष्टाचार पनपता है ऊपर के अधिकारियों से, जिन्हें देखकर नीचे के कर्मचारी भी करते हैं। सेक्रेट्री फूड श्री मनोहर सुब्रामनियम को देखिए जिनके खिलाफ कई मामले गबन के चल रहे हैं। जिनके बारे में आपने स्वयं 10 फरवरी को कौंसिल में "टाईम्स आफ इन्डिया" में बयान दिया है, जिससे मैं पढ़ता हूं "एबाउट दि पैडी स्कैन्डल आफ उन्नीस सौ अस्सी-इक्यासी दि फूड मिनिस्टर मि0 वासुदेव सिंह, टोल्ड दि विधान परिषद् दैट दि रिपोर्ट कन्सर्निंग दि इन्क्वायरी हैड नाट यट बीन रेसीव्ड। फिर आगे आपने कहा है (ए हाई--लेविल कमेटी हेडेड बाई दी चीफ सेक्रेटरी वाज सेट अप टू प्रूव इनटू दि मैटर) और मान्यवर, इनके खिलाफ हर लेबल तक शिकायत है, चाहे वह देश का प्रेसीडेंट हो या प्रधान मन्त्री या सेंट्रल फूड मिनिस्टर, पर आज तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

मान्यवर, एक सूचना माननीय दुर्गा प्रसाद जी ने दी गोरखपुर के जिला-पूर्ति अधिकारी के खिलाफ जाली परमिट बनाये जाने के बारे में इस पर उनक निलम्बन भी हुआ, पर फिर वह उसी जगह अपने पद पर कार्यरत हैं, गोरखपुर के गोरखपुर में, और मान्यवर, एकाध बात में अपने जिले से सम्बन्धित भी बत दूं, मैं जिला जालौन से आता हूं, 31 दिसम्बर, 1980 वर्ष के आखिरी दिन की बात है, उन दिनों चीनी के दाम अपने पीक पर थे यानी 12, 13 और 14 रु0 किलो के हिसाब से बिक रही थी। एफ0 सी0 आई0 द्वारा कालपी तहसील का पूरा कोटा जो 596 बोरे का था वह कालपी नगर के थोक व्यापारियों को आवंटित कर दिया जाता है अधिकारियों के आदेश से जो लगभग 600 क्विंटल चीनी थी। उसके बाद कालपी तहसील के 90-95 कोटा होल्डर्स को यह सूचना दी जाती है कि अपना-अपना कोटा आकर उठा लीजिए तुरंत। इस छोटी सी सूचना पर कुछ कोटेदार आ पाते हैं और कुछ नहीं आ पाते क्यों कि एक दिन के अन्दर ही सूचना भेजी जाती है, इनको एक छोटी सी स्लिप दे दी जाती है और कहा जाता है कि अपना कोटा उठा लाओ। अब जब वह कोटा उठाने जाता था तो उसके 100 रुपये फी बोरा के हिसाब से दे दिया जाता था, अगर किसी का कोटा 8 बोरे का होता था तो उसे 800 रुपये मिल जाते थे। इस प्रकार फिर उन बोरों को ब्लैक में बेचा जाता था और वह रुपया सब लोगों में, तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों में तथा इस विभाग के लोगों में बट जाता था। मान्यवर, उस समय 800 रुपये फी बोरा चंचत ब्लैक में था। उसमें 5 लाख रुपया इस तरह से कमाया गया और वह रुपया आपस में बांटा गया। यह एक ट्रान्जेक्शन की बात मैंने की है, इस तरह के प्रदेश में अनेक ट्रान्जेक्शन्स हुये होंगे। कालपी के विभिन्न नेताओं ने शासन को कई प्रार्थना-पत्र भेजे, शिकायतें कीं, पर किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मैंने नियम 301 की अन्तर्गत भी सूचना दी, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज दो वर्ष इसे हो चुके हैं, पर आज तक जांच तक नहीं हुई। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की कमर अगर पहले 45 इंच चौड़ी थी तो रिश्वत के बल पर वह 55 इंच हो गई। यह तो मैंने एक उदाहरण भ्रष्टाचार का आपको दिया, ऐसे कितने ऐसे उदाहरण भ्रष्टाचार के आपके विभाग में मिलेंगे।

[श्री शंकर सिंह]

आज मान्यवर, न तो बिना पैसे दिये कोई परमिट मिलता है, न ही बिना पैसे दिए लाइसेंस मिलता है । जो आप सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरण करवा रहे हैं, वह भी ठीक नहीं है क्योंकि सहकारी संस्थाओं में कितना धपला और गबन आदि है, वह सभी जानते हैं । जब सहकारिता विभाग स्वयं अपना हिसाब किताब सही नहीं रखता है तो यह काम वह कैसे सुचारु ढंग से कर पायेगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस वितरण प्रणाली की कोई ऐसी योजना बनायें जिससे कि देहात और शहर की जनता को सही उसका लाभ मिल सके । आज हालत यह है कि अगर कोई अधिकारी किसी भ्रष्ट कर्मचारी की शिकायत करता है तो शिकायत करने वाला अधिकारी ही उलटे दंडित कर दिया जाता है । जो भ्रष्ट होता है वह लखनऊ के चक्कर लगाकर अपना काम करवा लेता है ।

आपने कहा कि चलती फिरती दूकानें चलायेंगे । जब स्थायी दूकानों की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कैसे करेंगे । यह स्कीम भी आपकी ठीक चल नहीं पायेगी । होगा यह कि माल ट्रक में लद कर जायेगा, दिखा दिया जायेगा कि ट्रक नदी में गिर गया या लूट लिया गया, और वह माल ब्लैक में जाकर बिक जायेगा । इसलिए यह व्यवस्था भी चल नहीं पायेगी । इसमें भ्रष्टाचार होगा ।

इसके अलावा आपका परिवहन निगम अपना स्वयं का काम तो मेन्टेन कर नहीं पा रहा है, करोड़ों का उसमें घाटा है, आपसे यह काम कैसे होगा । इस पर भी विचार करने की जरूरत है । इसलिए मेरा कहना यह है कि इन चलती फिरती दूकानों का सरदर्द आप न लें । कोई और योजना बनायें ।

आपने ए० डी० एम० सिविल सप्लाई के लिए कहा कि हमारे पास उनके लिए कोई काम नही है । तो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं फिर माननीय मन्त्री जी उनको क्या सोच कर अपने विभाग में रखे हुए हैं इन पी० सी० एस० अधिकारियों को । मैं पूछता हूं आखिर फिर ये सफेद हाथी क्यों आप पाले हुए हैं । आप उनको छुट्टी दें, उनको जहां जाना चाहिये आप जाने दें । जब आपके पास उनके लिए काम नहीं है तो फिर क्यों रखे हुए हैं, क्या फायदा ? इतनी बात कह कर मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया । मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों हमारे कटौती के प्रस्ताव को मानेंगे और उसका समर्थन करेंगे ।

*श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया । मान्यवर, यह भोजन-पानी की समस्या है । श्रीमन्, सचमुच में यह बहुत अहम् समस्या है और इसीलिए कहा गया है कि "आगम सोची सदा सुखी" जो भविष्य के बारे में आगे से सोचता है या जो भविष्य के लिए प्लान बनाये रहता है, वह सदा सुखी रहता है । इसीलिए हमारी सरकार ने अपने पास खाद्यान्न का स्टाक रख रखा है । हमारी सरकार प्रयास करती है कि उसके पास खाद्यान्न का सारा स्टाक रहे जबकि मैंने देखा है कि खाद्यान्न योजना के नाम पर अनाज फेंक दिया गया । सारा का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सारा अनाज मिट्टी में बहा दिया गया जिसके कारण अन्न की इतनी क्राइसिस आई । परन्तु आज भीषण बाढ़ और सूखे के बावजूद भी हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि खाद्यान्न की समस्या पर पूर्ण नियंत्रण रखे हुए हैं । इस प्रदेश के हर नागरिक के लिए, उसके जीवन यापन के लिए जो आवश्यक सामग्री हैं उसको मुहैय्या करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है ।

मैं सुन रहा था जब श्री शंकर सिंह कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे, वे गेहूं की परेशानी के बारे में बतला रहे थे । मैं आपको बतलाता हूं कि जो ठीक डेज किसानों के लिए होते हैं जिनमें किसानों के पास अनाज नहीं होता है, वह सरकारी राशन की दूकानों पर निर्भर करते हैं । वह समय है जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना । तो गत दो-तीन सालों में इन महीनों में जो खाद्यान्न की दशा या स्थिति रही है उसके आंकड़े मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जनवरी 1981 में 35 हजार मैट्रिक टन गेहूं मुहैय्या किया गया, फरवरी, 1981 में 40 हजार मैट्रिक टन गेहूं मुहैय्या कराया गया । जनवरी, 1982 में फिर 40 हजार मैट्रिक टन गेहूं को मुहैय्या कराने का प्रबन्ध किया गया । जनवरी, 1983 में 75 हजार 578 मैट्रिक टन गेहूं की इस सरकार ने व्यवस्था की और मान्यवर, फरवरी जो कि महीना अभी चल रहा है तो इस फरवरी, 1983 में 95 हजार 859·9 मैट्रिक टन गेहूं मुहैय्या किया गया इस प्रदेश के नागरिकों के जीवनयापन के लिये ।

हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि हमें क्या स्थिति मिली थी 1980 में लेकिन हर साथी जानता है कि उस समय आवश्यक वस्तुओं को आप छोड़ दें, आप उनके लिए नमक तक नहीं मुहैय्या करा पाये थे, नमक ही मार्केट से गायब था । हर जिले में नमक के लिए, मिट्टी के तेल के लिए हाय-हाय मची हुई थी । मुझे याद है कि जब हम लोग वोट मांगने के लिए जाते थे तो वहां लोग कहते थे कि हमें नमक और मिट्टी का तेल तो दे नहीं सकते और हमसे वोट मांगते हो । मान्यवर, वे लोग यही समझते थे कि हम लोग ही शासन में हैं । परन्तु जब उनको समझाया जाता था कि हम शासन में नहीं हैं इसीलिए यह सब मचा हुआ है, तब उनकी समझ में बात आई । उन बेचारों को यह पता ही नहीं था कि हम 1977-80 तक सत्ता में नहीं थे ।

अभी हमारे साथी जब कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे तो उन्होंने इस बात को नहीं कहा । परन्तु अब ये चीजें प्रचुर मात्रा में बाजार में आ गई हैं । यह बात नहीं कि सदा ये चीजें उपलब्ध रही हैं परन्तु कभी इन चीजों की कभी भी थी कि इसकी भी कभी कमी थी। 1981 का सूखा आपको याद होगा कि 7 आदमियों की जानें जौनपुर में गयी थीं । हमारी प्रधान मंत्री ने एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा की और लोगों को सान्त्वना दी । हम लोगों ने भी जगह-जगह पर दौरे किये । लेकिन इस समय देखें 1982 का वर्ष सूखा और बाढ़ दोनों से प्रभावित हुआ है लेकिन कोई भी आदमी नहीं मरा, यह हमारी सरकार की व्यवस्था है ।

श्री कुबेर भन्डारी—

आपके यहां पर क्या ज्यादा नमक की आवश्यकता पड़ती है ?

श्री प्रभू नारायण सिंह—

हमें इस देश और प्रदेश को चलाना है इसलिए हम कोई दुर्व्यवस्था नहीं होने देंगे कि कोई आफटर थाट हो । इसलिए हमारे पास जो आधुनिकतम आंकड़े

श्री प्रभू नारायण सिंह--]

हैं वह यह बतलाते हैं कि अगर हमने शहर के नागरिकों के लिए व्यवस्था की है तो सुदूर ग्रामीण अंचल में भी व्यवस्था की है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार ने सहकारिता के माध्यम से दुकानों को चलाया है । दोनों व्यवस्थाओं को मिला-जुलाकर वितरण की व्यवस्था को चालू किया है । वितरण व्यवस्था ठीक चल सके, इसीलिए इसको सहकारिता के माध्यम से कराया जा रहा है। मैं सलाह दूंगा कि दोनों विभाग एक ही व्यक्ति के पास होने चाहिए ।

माननीय खाद्य मंत्री जी यह आपके द्वारा ही चलायी हुई व्यवस्था थी जब आप सहकारिता विभाग के भी मंत्री थे । मैं चाहूंगा कि इन दोनों विभागों में सामंजस्य होना चाहिए । किसी को शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होगी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है । चाहे चोरबाजारी हो, चाहे मुनाफाखोरी हो, सभी के विरुद्ध विभागीय अभियान चलाया गया है । अगस्त, 1982 में 3·75 करोड़ रुपये मूल्य की आवश्यक वस्तुयें बरामद की गयी, 252 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । एक बात माननीय मैं और कहना चाहता हूं कि इस मुनाफाखोरी के विरुद्ध अगस्त 1982 तक 138 दुकानों के लाइसेंस निलम्बित किये गये, 156 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये, साथ ही 379 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट की गयी और 1 लाख 82 हजार 583 रुपये की जमानत की धनराशि जमा की गयी । माननीय, वितरण व्यवस्था में हर स्तर पर सुधार हुआ है, कहीं पर कोई हाय तोबा नहीं मची है । चीनी के लिए, मिट्टी के तेल के लिए कोई दिक्कत नहीं है । सीमेंट के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गयी है कि किसी को परेशानी नहीं होगी । एक राशन कार्ड पर 3 बोरी सीमेंट देने की तत्काल व्यवस्था कर दी गयी है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट पेश किया गया है, इन शब्दों के साथ उसका स्वागत करता हूं ।

श्री मित्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट पर आपने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । वस्तुस्थिति अपनी जगह पर है, सत्ता पक्ष के लोगों के भाषण से ऐसा लगता है कि यह अपनी टोपी और कुर्सी के साथ जब बैठते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रह जाता वितरण प्रणाली जो है वह कितनी दूषित है और लोगों को सही माने में आवश्यक वस्तुएं पहुंच नहीं पाती हैं । सबसे पहली बात यह है कि हमारी नीति दोहरी नीति है और दोहरी मूल्य नीति है । किसी जमाने में इसी सरकार ने कहा था कि हम थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करेंगे । आज इसी सरकार ने इस नीति का परित्याग कर दिया और धीरे-धीरे इसी बात पर चलकर यह नीति उन्हीं लोगों के हाथ में रह गई जो कि देश और प्रदेश का शोषण करते हैं । आज अगर हम इन चीजों को देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेन्ट की दो नीतियां हैं मूल्य के सम्बन्ध में । कार्ड पर या परमिट पर 38 रुपये से 40 रुपये तक मिलती है औ खुली बाजार में 62 रुपये में मिलती है । मैं पूछना चाहता हूं कि किन लोगों को यह बाजार वाली सीमेन्ट खरीदनी पड़ती है । उन्हीं लोगों लेनी पड़ती है जिनको परमिट नहीं मिल सकता है क्योंकि परमिट तो बड़े-बड़े लोगों को जिनकी पहुंच है उन्हीं को मिल पाती है । गरीब आदमी को बाजार से ही सीमेन्ट लेनी पड़ती है । मिट्टी का तेल 2 रुपया 15 पैसा है लेकिन गांवों में वही मिट्टी का तेल साढ़े तीन रुपये से 4 रुपये तक मिल रहा है । 2 रुपये 15 पैसा आपका शेड्यूल्ड रेट है उसे आप गांवों की गरीब

जनता को नहीं दिला सकते हैं । गेहूं, चावल, चीनी की भी यही हालत है । गेहूं का जो रेट है वह 3 रुपये से लेकर 3 रुपये 20 पैसे तक है ।

आप कहते हैं कि गांवों में सहकारी समितियों के माध्यम से आप वहां गेहूं पहुंचा रहे हैं । मेरे क्षेत्र में दो-चार ब्लाकों को मैं जानता हूं वहां जितनी भी सहकारी समितियां हैं कहीं भी गल्ले का वितरण ये समितियां नहीं कर रही हैं । न्याय पंचायतों से जो समितियां सम्बद्ध हैं उनमें भी यह वितरण की व्यवस्था नहीं की गई है। मोटा कपड़ा भी वहां पर नहीं पहुंच पाता है । इस तरह से न तो खाद्यान्न वहां पहुंच पा रहा है और न कोई चीज पहुंच रही है । मालूम होता है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुये जो लोग हैं वे आंख मूंद कर जनता की जो वास्तविक दिक्कत हैं उनको अलग रखकर यहां पर बात करते हैं । ऐसा लगता है कि वे महज सत्ता पक्ष में रहने के कारण उनके मुंह बंधे हुये हैं और अगर वे कहीं खिलाफ में बोलेंगे तो हो सकता है उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हो जाय और उनकी पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दे । जनता ने आपको यहां पर अपना प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजा है तो सरकार के सामने आपको सही सुझाव देने चाहिए लेकिन आपके सामने मजबूरियां देखने को मिलती हैं । इंदिरा गांधी का एक भय सा आपके ऊपर छाया हुआ है । इसके अलावा हर चीज की हालत यही है । जहां तक कोयले की नीति का सवाल है आपने कहा था कि हम 18 सौ रैक उत्तर प्रदेश को देंगे एक वर्ष में । लेकिन सारी रेकें उत्तर प्रदेश के बजाय बाहर, हरियाणा और पंजाब को आपने भेज दिये हैं । आपने केन्द्रीय सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और बिचौलियों के सामने हमारी सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है । हमारे यहां जो सुब्रामनियम साहब खाद्य के सचिव थे उन्होंने कहा था कि हम जिलों में कोयले का आवंटन संघ के माध्यम से करेंगे और उन्हीं को कोयले की एजेन्सी दी जायेगी जिन्हें संघ संस्तुत करेगा । लेकिन मान्यवर, संघ की संस्तुति के बाहर एजेन्टों को लाइसेन्स दिये गये और इस तरह से कोयले का सही आबंटन नहीं हुआ। जो पहले शासनादेश थे उनको देखा जाय तो जाहिर होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रेलवे मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के सामने सरेन्डर कर दिया ।

यह सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम का नारा देती है । इसमें चार चीजें कही गई हैं । पहली चीज है कि 54 प्रतिशत आवासीय भवनों का निर्माण करना चाहिए, सड़कों का निर्माण करना चाहिए और बहुत सी ऐसी चीजें उसमें कही गई हैं । आज भट्टों को कोयला नहीं मिल पा रहा है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि ईंटों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं । इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर है, खाद्य विभाग पर है । खाद्य विभाग ने जो वायदा किया था उसको कहीं भी पूरा नहीं किया है । इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोहरी मूल्य नीति की मार से गरीब जनता मर रही है जिसको यह सरकार महसूस नहीं करती है । हमारे मंत्री जी बहुत सुलझे हुए हैं । उन्होंने बहुत से आंकड़े पेश करने की कोशिश की । एक आंकड़ा जो हमें पाजन हौल में मिला वह मिट्टी के तेल के बारे में है । दिल्ली को 12 सौ मी0 लीटर और हमारे प्रदेश को 4200 मी0 ली0 मिट्टी तेल का आवंटन हुआ है । हमारे प्रदेश का औसत भी और प्रदेशों से कम है । हमारी सरकार केन्द्र सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पायी है इसका अनुमान इससे आप लगा सकते हैं कि जहां दूसरों को 65 औसतन मिला है वहां हमें औसतन मात्र 37 प्रतिशत मिला है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवश्यक वस्तुओं को सहकारी समितियों द्वारा वितरण प्रणाली आपने अपनाई है उसको

[श्री मित्र सेन---]

प्रभावी ढंग से लागू करें, इसको आपको संशोधित करना पड़ेगा जनता को इसके लिए गारंटी देनी पड़ेगी ।

एक चीज और कहना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्रों में जो आवंटन नीति अपनाई है वही देहाती क्षेत्रों में क्यों नहीं अपनायी गयी है । वहां पर आपने उपभोक्ता भंडारों को न कपड़े का लाइसेंस दिया है और न गल्ले का लाइसेंस दिया है आखिर सहकारिता की नीति में वह उपभोक्ता भंडार भी आते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मित्रसेन---

मैं समाप्त कर रहा हूं । आवश्यक वस्तुओं का वितरण सहकारी क्षेत्र में करना है तो उसके लिए पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों को बैठ कर आपको सोचना होगा और फिर से नयी नीति अपनानी होगी । लेकिन इस दोहरी मूल्य नीति से गरीब जनता मारी जा रही है इस प्रकार इसको सरकार रोक नहीं पायेगी ।

*श्री लाल प्रताप सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शंकर सिंह जी ने विस्तार से वितरण प्रणाली के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में तथा दूसरी समस्याओं के बारे में विस्तार से अपने विचार रखें मैं उनकी एक बात से सहमत हूं जो उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और जो खाद्यान्न की सप्लाई है उस नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । क्योंकि वहां पर एक सेक्शन ऐसा है जो गरीबी की रेखा से नीचे है उसके पास और कोई जरिया नहीं है वह रोज खरीद कर खाता है जो बाजार पर ही निर्भर रहता है अगर उसको अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो यह इंतजाम अधूरा रह जाता है । कोई भेदभाव शहरी और देहाती जनता में उसके एप्रोच पर नहीं होना चाहिये । तो इस पर व्यापक नीति अपनानी आवश्यक है । यह सभी लोग महसूस करते हैं ।

यह बात सही है कि चीनी की कोई कमी नहीं है कहीं पर कुछ कम और कहीं पर कुछ ज्यादा । मगर मेरा अनुभव है जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो लोग एक शिकायत करते हैं कि चीनी की क्वालिटी खराब आती है कारण क्या है यह मैं नहीं बता सकता हूं । क्वालिटी खराब क्यों रहती है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि खाद्यान्न सप्लाई में सुधार हुआ है लेकिन यह कहना कि कोई कमी नहीं है तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है साथ ही साथ सप्लाई विभाग का ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण इन समितियों पर भी होना चाहिये क्योंकि जो डुवेल सिस्टम चल रहा है और सप्लाई विभाग के लोग कहते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का, स्थानान्तरण करने का, जिसके परिणामस्वरूप प्रबन्ध में कठिनाई होती है, इसलिए ऐसा होना चाहिये कि सप्लाई विभाग का इन समितियों पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण हो ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, सहकारी समितियों के अधिकारियों से मिलें तो वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं रहता है और अपना पैसा लगाकर या उधार लेकर सामान को उठाते हैं तो जो व्यक्ति अपना पैसा लगायेगा या उधार लेकर लगायेगा तो वह भ्रष्टाचार न करे तो असंभव है, आखिर वह देगा कहां से ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठ जायं, कोरम का अभाव है ।

(गणपूर्ति की घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी) ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो मैं कह रहा था कि सहकारी समितियों की जब यह हालत है तो भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है, इसलिये इसको देखने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, चीनी वितरण पहले जब प्राइवेट बड़े लोगों के हाथों में था तो बहुत ही असंतोष था और चीनी देहातों में पहुंचती ही नहीं थी इसलिए अब इसमें सुधार हुआ है लेकिन फिर भी यह कहा जाय कि अब भ्रष्टाचार नहीं है तो ऐसी बात नहीं है, इसलिये और सुधार की आवश्यकता है ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे विचार से और दुकानें इस संबंध में बढ़ाई जायं चूंकि जनता परेशान रहती है, शिकायतें आती हैं कि 5-10 किलो के लिये 3-3, 4-4 दिनों तक जनता दौड़ती रहती है और पता चलता है कि दुकान पर गल्ला या चीनी नहीं है जिससे वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब चीजें मिलती नहीं हैं तो बेकार में क्यों दौड़ा जाय। इसलिये इस पर सोचने की आवश्यकता है कि समय से दुकानें खुलें और बंद हों, दुकानों पर समय से गल्ला और चीनी मिलने की व्यवस्था हो । हमारे भ्रष्टाचार के संबंध में जो बात आई सामने, वह तो अपनी जगह पर जैसा सामाजिक हमारा स्तर है, व्यवस्था है, उससे हम सभी लोग गुजर रहे हैं । एफ0 सी0 आई0 पर शायद आपको कोई कंट्रोल भी नहीं है । उसमें बहुत कुछ भ्रष्टाचार का अड्डा है । उसको कैसे आप दूर करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है । देखते-देखते मामूली लोग, मामूली क्लर्क ने इतना धन कमा लिया 2-3 साल के अन्दर, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है । उनका रहन-सहन देखा जाय, तो यह मालूम होता है कि सिवाय भ्रष्टाचार के और कौन सा तरीका है, जिसके माध्यम से इनको इतनी लखजरी पैदा हो गयी ।

अब मैं आपसे सीमेंट के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, अभी सीमेन्ट के संबंध में बात कही गयी । उसमें भी आपूर्ति में सुधार हुआ । एक चीज के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन प्रधानों को भी अगर सम्भव हो अगर प्रैक्टिकल देखा जाय और व्यवहारिक हो, तो यह जो सीमेन्ट ब्लाक को भेजते हैं, इनमें प्रधानों को भी एशोसियेट कर दीजिए । एक-एक न्याय पंचायत से प्रधान आ जायं, वह बैठकर तकसीम कर दें, तो इसमें शायद [illegible] दूर हो जाय और जो अप्लीकेशन्स हैं, उनको वे देख लें, क्योंकि बी0 डी0 ओ0 भी बहुत परेशान हो जाते हैं जो चारों ओर से मांगने के लिये आप जाते हैं ।

[श्री लाल प्रताप सिंह---]

अन्त में रेंट कंट्रोल के संबंध में आपने कहा, उस पर बहुत व्यापक रूप से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और उस नीति को बदलने की बहुत कुछ जरूरत है । इसमें बहुत कुछ असंतोष है और भी बहुत कुछ दिक्कतें हैं । तो उसको आपको देखने की जरूरत है । अन्त में मैं आप से निवेदन करूंगा, अभी डेढ़-दो साल पहले हमारे जिले में इतनी भीषण बाढ़ आई थी और ऐसे-ऐसे इन्टीरियर इलाके में जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता था, अधिकारियों ने बड़े परिश्रम से उन इलाकों में गल्ला पहुंचाने की कोशिश किया और लोगों को गल्ला पहुंचाया और दिया । अन्त में मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह कमी तो हमारी तभी दूर होगी, जब उत्पादन बढ़ेगा, तभी हम अपनी तकलीफों को दूर कर सकते हैं।

*श्री सूबेदार सिंह---

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका अनुगृहीत हूं, आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, प्रस्तुत बजट पर माननीय शंकर सिंह जी की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी बहुत साहसिक ढंग से, ओजपूर्ण स्वर में अपने विभाग की जो स्थिति को रखा है और कुछ साथियों ने जो उधर से और विचार रखे, अगर उन सबको सही मान लिया जाय, तो यह समझा जा सकता है कि देश में और प्रदेश में राम राज्य आ गया और कुछ करना शेष नहीं है । लेकिन अगर आप देखें तो हालत इसके बिल्कुल विपरीत है और देश कहां से कहां से कहां जा रहा है, शायद इसका एहसास सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों को नहीं है । मुझे फख्र है इस बात का कि हमारे माननीय मंत्री जी उस पीढ़ी के हैं, जिनका समय इस देश के, देश भक्तों में रहा है, इस देश के शहीदों से रहा है, उन लोगों की भावनाओं से रहा है जो कि इस देश का निर्माण करना चाहते थे । लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उन भावनाओं से अवगत होने के बावजूद भी जो वांछित चीजों की आवश्यकतएं हैं, उनका कोई माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उल्लेख नहीं किया । मैं आपके सामने 14 अगस्त, 1946 के एक प्रस्ताव को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जबकि वित्त मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द थे, उससे आपको स्पष्ट होगा कि उस समय के हमारे देश के नेताओं की क्या भावनायें थीं :

'दिस असेम्बली इज आफ दी ओपीनियन दैट लिक्वीडेशन आफ कैपटिलिज्म इन आल इट्स फार्म्स इसेंसियल फार दि वेल बीइंग आफ दि सोसाइटी एन्ड ट्रस्ट्स दैट नेसेसरी स्टेप्स टू ब्रिंग दि सोशलाइजेशन आफ प्रिंसिपल मीन्स आफ प्रोडक्शन एक्सचेंज एन्ड डिस्ट्रिब्यूशन विल बी टेकेन एज सून एज पासिबिल ।'

श्री अधिष्ठाता--

इसका हिन्दी अनुवाद कर दीजिए ।

श्री सूबेदार सिंह--

तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि देश से पूरी तरह से पूंजीवाद का विनाश करना चाहिए और

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्पादन, विनियोग और वितरण प्रणाली का समाजीकरण इस तरह से करना चाहिए, ताकि समाज का उत्थान हो सके और वह प्रगति की ओर बढ़ सके।

अब मान्यवर, आप देखें प्रदेश और देश में जो उत्पादन, विनियोग और वितरण की स्थिति है, उससे भयावह वह हो नहीं सकती है। किसान को अपने उत्पादन पर जो लाभ मिलता है, यदि बारिश सही हो जाये, बिजली, बीज और खाद आदि आवश्यकतानुसार समय पर मिलता रहे, उसे केवल ढाई प्रतिशत मुनाफा अपने उत्पादन पर मिलता है। लेकिन जो कारखाने का उत्पादन है, उस पर मिनिमम जो आपने प्राफिट दे रखा है वह 25 प्रतिशत है और अधिक से अधिक 200 प्रतिशत है। इतना उनको मुनाफा होता है, तो यह जो विशाल अन्तर है कारखाने के और कृषि के उत्पादनों में, उसको देखें तो वह जमीन आसमान की असमानता है। जो सीमेन्ट का बोरा आप मार्केट में परमिट से 39 रुपए का और खुले मार्केट में 65 रुपये का बेच रहे हैं, मेरे अपने हिसाब से कारखाने में मात्र वह 13 रुपए का पड़ता है। कारखाने में उनका उत्पादन मूल्य क्या है और मार्केट में उसका क्या लेते हैं, इसका हिसाब आप जोड़ कर देखिए। आप सही वितरण अपनाने और राहत देने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि आज जैसी अन्यायपूर्ण वितरण प्रणाली हो नहीं सकता है। आप ऐसे समाजवादी व्यक्ति से हम आशा करते हैं कि आप इस पर ध्यान देंगे कि कृषि उत्पादन और कारखाने के उत्पादन में लाभ का जो प्रतिशत है, वह न्यायपूर्ण ढंग से तय किया जाए ताकि असमानता समाप्त हो सके।

आपने कहा कि चीनी की बहुतायत है, शिकायत तो रियासत हुसैन साहब ने कर दिया। शिकायत न होती और आपने कुछ प्रबन्ध किया होता, लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जिस भाव से आप गन्ना खरीदते हैं उस भाव से चीनी की कीमत देखें, तो उसका मूल्य 1 रुपए 30 पैसे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार की पूरी साजिश पूंजीपतियों के साथ है और यह पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं किसान को नुकसान पहुंचाकर, यह उसे और गरीब बनाना चाहते हैं। मैंने कुछ आंकड़े आपके सामने पेश किए।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं बिलकुल नहीं बोला हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने चोरबाजारी रोकने की बात की है अगर आप सही मानों में रोकना चाहते हैं तो हम आपके 100 फीसदी साथ हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मान्यवर, आपका जो पूर्ति विभाग है वह 75 फीसदी उसमें जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वह चोरबाजारियों के साथ हैं, मिले हुए हैं। आप कैसे रोक सकते हैं। आप एक भी जिलापूर्ति अधिकारी का नाम बता दें जिसको आप ईमानदार समझते हैं। आपका जो आवरण है ढांचा है वह पूरा चोरबाजारियों, बेईमानों के साथ है जो प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं और समाज में, कष्ट पैदा कर रहे हैं।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। आप अपने डिपार्टमेन्ट का जो ढांचा है उसको देखें। क्लास-1 में जो हरिजनों का उसमें

[सूबेदार सिंह--]

अनुपात है वह केवल 1·5 प्रतिशत है । क्लास-2 में 3 प्रतिशत है तथा क्लास-3 में 9 प्रतिशत है । जबकि इसको 18 प्रतिशत होना चाहिए । पिछड़े वर्ग के बारे में जो 15 प्रतिशत का आरक्षण है तो वह क्लास-1 में शून्य है । क्लास-2 में 5 परसेन्ट है तथा क्लास-3 में 3 परसेन्ट है । तो क्या यह ढांचा जो है वह समाजवादी ढांचा है । इससे बड़ा दोषपूर्ण ढांचा और नहीं हो सकता है ।

इन शब्दों के साथ जिन बातों की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है और जिन कमियों के बारे में कहा है उनको मंत्री जी पूरा करने की कोशिश करेंगे । हम लोग आपको आश्वासन देते हैं कि हम पूरी कुर्बानी के साथ आपका साथ देंगे । इन शब्दों के साथ माननीय शंकर सिंह जो ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो खाद्य विभाग का बजट रखा है उस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं ।

मैंने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,

खाक हो जायेंगे हम उनको खबर होने तक ।

मान्यवर, आज एक ऐसी चीज का बजट हमारे सामने रखा गया है जिसके सम्बन्ध में कहने में मुझे जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है इस देश के कम से कम 85 प्रतिशत लोगों के मुताल्लिक वह है ।

एक सदस्य--

शेर के सम्बन्ध में कहिए ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

शेर और शेरनी दोनों आपके सामने हैं, दोनों पर विचार होगा । मान्यवर, भोजन की समस्या का सबसे बड़ा समाधान जो है वह खाद्य है । जीवन निर्वाह के लिए जब तक खाद्य न हो तब तक जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है । अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मंत्री जी के भाषण से ऐसा लगा कि देश में रामराज्य स्थापित हो गयी है । उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । निश्चित रूप से इसको मानना होगा कि रामराज्य की स्थापना है । आप उन पुराने इतिहास के पन्नों को उलटिए और देखिए । आजादी के पूर्व इस देश में एक ऐसी भी व्यवस्था थी, जिसमें लोग अन्न के दानों के लिए मोहताज रहा करते थे । लेकिन यह कांग्रेस की देन है, महात्मा गांधी की देन है, इंदिरा गांधी की देन है कि आज कम से कम 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत लोगों को दोनों वक्त का भोजन समय से मिल जाता है ।

एक सदस्य--

तो यह आपकी देन है ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र---

देन तो आपकी भी है और देन हमारी भी है। माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से आपने खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था में प्रगति की है, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से यह कहते हुए जरा भी शंका नहीं हो रही है कि आज खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था काफी लुंज-पुंज हो गयी है। श्रीमन्, मुझे इस बात से, एक शब्द से बड़ी तकलीफ होती है कि जब हम सदन में बैठते हैं तो मात्र कुछ भी कहने से पहले भ्रष्टाचार का शब्द सामने आ जाता है। सारे भ्रष्टाचार के आरोप अधिकारियों पर ही थोपे जाते हैं। चाहे इस पक्ष का बैठने वाला हो, या उस पक्ष का बैठने वाला हो, यदि आप भ्रष्टाचार का समापन करना चाहते हैं इस देश से, इस प्रदेश से, तो इसको समाप्त करने की पूरी नैतिक जिम्मेदारी हमारी आपकी, हम दोनों की है। हम आप मिलकर भ्रष्टाचार की व्यवस्था को समाप्त करें, ताकि भ्रष्टाचार का नाम तक न रहे। लेकिन किसी अधिकारी पर चाहे जितने बड़े आरोप लगते हैं, जब उसको भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित करने की बात आती है, उसकी तनख्वाह रोक देने की बात आती है, तब मान्यवर, माननीय सदस्य ग्रुपों में उसके लिए जाते हैं एक ग्रुप उसकी खिलाफत करता है, तो दूसरा उसकी प्रशंसा करता है कि कितना अच्छा अधिकारी है। फिर यदि ऐसा है, तो क्यों भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मत कीजिए, छोड़िए भ्रष्टाचार की बात को।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान पूर्वांचल के गोरखपुर और देवरिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इस गवर्नमेंट के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, पता नहीं कि वे कौन सी व्यवस्था आपने दी, कौन सा कानून आपने अपनाया है कि बिहार के नाम पर कम से कम डेढ़ सौ किलोमीटर पहले ही गल्ले को रोक दिया जाता है। अगर उसमें पुलिस अधिकारी को कुछ रुपया मिल जाता है, तो वे बिहार नहीं शो करता है, उत्तर प्रदेश दिखाता है। और अगर यदि उसे पैसा न मिले तो वे उसे रोक लेगा। मान्यवर, देवरिया जनपद में कप्तानगंज स्थान है जहां गल्ले का बहुत बड़ा व्यापार होता है। इसके मान्यवर, बिहार तक कुछ हिस्सा है, जो यू0 पी0 से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, 4-5 नदियों के बीच में यह बसा हुआ है। तो उसमें जो गल्ला खरीदते हैं, गल्ला खरीद कर ले जाते हैं तो उसमें मान्यवर, आपके अधिकारी एक तरफ रह जाते हैं और पुलिस के अधिकारी एक तरफ हो जाते हैं, यहां पर यह स्थिति है, तो वहां इस नीति में परिवर्तन की जरूरत है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस नीति में परिवर्तन करें और कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि स्मगलर जाति के लोग, जो वहां स्मगलिंग द्वारा गल्ले का व्यापार करते हैं, उन पर रोक लग सके। लेकिन जो दो किलो या 2 मन गल्ला अपने खाने के लिए ले जाता है, उस पर कोई रोक को इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वे खाने के अन्न के बगैर मर जाय।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार के पास बहुत सी चीजें हैं, गेहूं है, मिट्टी का तेल है, कपड़ा है, चीनी है आपने यह सारी चीजें कोआपरेटिव सेक्टर में दे दी हैं, यह बड़ी अच्छी बात है हमारी सरकार की हमारे मंत्री जी की नीयत है कि सहकारिता के माध्यम से जन-जन तक खाद्यान्न सुलभ करायें मिट्टी का तेल सुलभ करायें, कपड़ा सुलभ करायें। लेकिन मान्यवर, मेरी जानकारी में आया कि कोआपरेटिव के लोग मिट्टी का तेल नहीं उठाते तो

[डा0 बृज किशोर मिश्र--]

उससे स्थिति यह होती है गांव वालों को मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता है। मान्यवर, आप कोआपरेटिव वालों को आदेश दें । (3·30 बजे अपराह्न) वह मिट्टी के तेल का वितरण सही रूप से करें या छोटे-छोटे व्यापारियों को मिट्टी के तेल का लाइसेंस दें ताकि गांवों के लोगों को मिट्टी का तेल सुलभ हो सके। अन्त में मैं माननीय खाद्य तथा रसद मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय शंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव की, जो उन्होंने रखा है, घोर-घोर निन्दा करता हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, दो दिन पहले सहकारिता मंत्री जी का वक्तव्य छपा कि खाद्य विभाग की गलत नीति की वजह से और गलत व्यवस्था की वजह से उनकी बदनामी हो रही है, सहकारिता समिति की दूकानों द्वारा वितरण हो रहा है, वह ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है जिसके लिए उन्होंने खाद्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया और मंत्री जी की घोर आलोचना की है। जब मंत्री जी आपके एक सहयोगी आप की व्यवस्था से असन्तुष्ट हों और उन्होंने आपकी कड़ी आलोचना की हो तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की आपकी व्यवस्था है। इससे क्षुब्ध हो कर, वे इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं।

आपकी वितरण प्रणाली बिल्कुल ही असफल हो गई है। आपने कहा कि सब जगह सब चीजें उपलब्ध हैं। मैं आप को बता दूं कि पर्वतीय क्षेत्र में, वहां से हमारे पास सूचनायें आ रही हैं, नियमित रूप से न तो खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है, न चीनी, न मिट्टी का तेल उपलब्ध हो रहा है। पहाड़ों की स्थिति भिन्न है। वहां पर हम मांग कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सबसिडी आप दें। चीनी पर, कुछ चीजों पर सबसिडी है। मैं समझता हूं 10 रुपया मैक्सिमम दी है परन्तु वहां पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां 40-45 किलोमीटर पैदल, बकरियों की पीठ पर, घोड़ों, खच्चरों पर ले जाना पड़ता है। इसलिए वे महंगा राशन खायें क्योंकि वे दूर अन्तराल में बसे हैं। क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि उन अन्तराल में बसे लोगों को सस्ता, पर्याप्त मात्रा में, अच्छी चीजें उपलब्ध करायें। मिट्टी के तेल की ट्रांसपोर्ट सबसिडी के बारे में मामला आपके विभाग में पड़ा हुआ है। पर्यावरण की बात कर रहे हैं। वन संरक्षण अधिनियम की वजह से हमारे क्षेत्रों में रोक लगा दी गई है पेड़ों की कटाई पर। नन्दा देवी को राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया है। वहां पर आने-जाने तक को रोक लगा दी गई है। पेड़ों की कटान पर सम्पूर्ण रोक लगा दी गई है। ईंधन की इतनी बड़ी समस्या है, पर्यावरण के इतने हामी हैं, तो आपको वहां पर मिट्टी के तेल को सस्ती दरों पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायें, यह आपका कर्त्तव्य है।

सीमेन्ट के बारे में, पहाड़ों पर, मैं कह दूं आपका सीमेन्ट जो पहाड़ों में जाता है, वह फैक्ट्री से ट्रक द्वारा ही ले लाया जा सकता है। जो बहुत महंगा पड़ता है। कम से कम रेल हेड तक सीमेन्ट रेल द्वारा पहुंचाये जाने की अवश्य व्यवस्था करायी जाये। जो खुले बाजार की सीमेन्ट है, बहुत महंगी बिक रही है, 100-150 रु0 से ज्यादा में। गरीब जनता के लिए बहुत मुश्किल है कि वह उसका उपयोग कर सके। पिछले साल मैंने सुझाव दिया था कि

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से छोटे-छोटे होटल लग रहे हैं, सरकार से ऋण ले कर, सरकार अनुदान भी दे रही है। लेवी सीमेन्ट की उपयुक्त व्यवस्था नहीं की है उन छोटे होटलों के लिए। मैंने जब पिछली बार आपसे निवेदन किया था तब आपने आश्वासन दिया था कि वहां की स्थिति को देखते हुए वहां के पर्यटन के विकास के लिए, वहां के लोगों की आजीविका के लिए, जो छोटे होटल बन रहे हैं उनको लेवी की सीमेन्ट उपलब्ध करायेंगे। एक और समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां थराली, नारायणगढ़ और देवाल तीन विकास क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हल्द्वानी नजदीक पड़ता है बजाये ऋषिकेश और कोटद्वार के। आप राशन जो भेजते हैं वह ऋषिकेश से भेजते हैं जो महंगा पड़ता है। यदि आप हल्द्वानी से दिलायें तो राशन काफी सस्ता पड़ सकता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने खाद्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट को स्वीकार करता हूं और समर्थन देता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो खाद्यान्न के वितरण की व्यवस्था है वह दो तरीके से चलाई जा रही है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्ट, कोआपरेटिव सेक्टर हैं। इस व्यवस्था में बहुत सी खराबियां पदा हो रही हैं और इसी कारण आज भ्रष्टाचार और ब्लैक की बात सामने आती है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि सारा वितरण व्यवस्था आप ससकारी विक्रेताओं को दे दें तो मैं समझता हूं कि इसमें जो चोर बाजारी और दूसरी अनियमिततायें हैं, उनमें रोक लग सकती है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण वहां पर अन्न नहीं के बराबर पैदा होता है। वहां अधिक से अधिक राशन देने की आवश्यकता है। आपने जैसे नैनीताल को 600 मीट्रिक टन गहूं दिया और अल्मोड़ा को 800, पिथौरागढ़ को 1,000 मीट्रिक टन, वहां की व्यवस्था औ परिस्थितियों को देखते हुए बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 200 मीट्रिक टन एक जिले में बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक मिट्टी के तेल का प्रश्न है, दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता। इस पर ध्यान देने का आवश्यकता है। मान्यवर, इन दूर दराज के क्षेत्रों में चीजें पहुंचे इसकी व्यवस्था कराने की कृपा की जाये।

जो सीमेंट के वितरण की व्यवस्था है, मेरे साथी ने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था। सीमेंट का उत्पादन जो है उसकी कीमत इतनी नहीं है जितनी आज बाजार में हम लोगों से ली जाती है। इसका उपयोग गरीब लोग नहीं कर पाते हैं। इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका वितरण क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से वहां के सभापतियों की संस्तुति के आधार पर किये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जो अनाज आता है उसका किराया इतना अधिक होता है कि मजबूरन कम उठाना पडता है या दूसरी तरह से बेईमानी का रास्ता निकालना पड़ता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव नारायण सिंह नेगी—]

अगर उस पर सबसिडी दी जाय तो मैं समझता हूं कि यह मामला हल हो सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के किसान खुले बाजार से जो गल्ला खरीद कर लाते हैं, टनकपुर, हल्द्वानी या रामनगर से तो आर0 एफ0 सा0 वाले उनको अनुमति नहीं देते हैं तो इस प्रकार जो किसान अपने उपयोग हेतु गल्ला लाते हैं उनको बिना रोक-टोक के लाने दिया जाय।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर भी लाना चाहता हूं कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का जो वितरण डीपो हल्द्वानी में है तो वह वहां से उस तारीख को इन स्थानों पर नहीं पहुंचता है अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं। रैक्सोड आयल और पाम आयल जो हल्द्वानी में है वह भी जिला उपभोक्ताओं के माध्यम से वितरित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मंत्री जी के विभाग की एक बहुत बड़ी खूबी रही है। उनके यहां हर चीज की इफरात है, हर चीज बहुतायत में है। यहां स्पष्टवादिता की भी इफरात है। हर चीज वह साफ-साफ कह देते हैं परन्तु कमी है उस चीज की जिसकी जनता को जरूरत है। मिसाल के तौर पर जब शक्कर 15-16 रुपए मूल्य की बिक रही थी तो उनके यहां शक्कर नहीं थी, जब गेहूं पौने तीन सौ, तीन सौ रुपए प्रति कुंतल बिक रहा है तो उनके पास गेहूं नहीं है और मिट्टी तेल जब साढ़े तीन रुपया बोतल बिक रहा है तो मिट्टी तेल नहीं है। चूंकि चीनी की इस वक्त इफरात है तो उनके दुकानों से खरीदने वाला कोई नहीं है तो इस जिस चीज की जरूरत होगी किसान या गरीब आदमी को वह इनके पास होगी नहीं और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसकी इफरात है। गेहूं की कमी है क्यों सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास आप जाते हैं—गेहूं, गेहूं, गेहूं वह गेहूं आपको क्यों देगा। 25 लाख टन जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने आपको परचेजिंग का बांधा था तो आपने कितना खरीदकर उनको दिया। क्यों नहीं दिया जा सका सिर्फ इसलिए कि आपने परचेजिंग एजेन्सियां समय से शुरू नहीं की थी। आपने उस वक्त परचेजिंग सेन्टर शुरू किए जब किसान अपने शादी व्याह आदि के खर्च को पूरा करने के लिए अपना गेहूं बेच डालता है। मान्यवर, मेरे पास एक-एक तारीख मौजूद है कि कौन-कौन सी परचेजिंग सेन्टर कब काम करना शुरू किया, मैं यहां भी आपको बता दूंगा। मुडी ब्लाक मुरादाबाद में आपने कौन से तारीख को आर्डर किये उसने कब परचेजिंग शुरू की ठीक एक महीने बाद तो फिर आपको कहां से गेहूं मिलता। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आपको 25 लाख टन दिया लेकिन आपने उसे नहीं दिया लेकिन आप फिर कहते हो कि हमको 70-75 लाख टन दिया जाय, आप मांगते फिर रहे हैं, जिन स्टेट्स ने उनको दिया है उनको मिलेगा।

मान्यवर, बिजली का मसला है। दिल्ली के अन्दर बिजली की भी इफरात है। दिल्ली के अन्दर ही तेल की भी इफरात। दिल्ली में 193.50 प्रति लाख और यू0 पी0 के अन्दर कुल 37.80 एक लाख के ऊपर। दिल्ली में बिजली की भी कमी नहीं। यू0 पी0 के गांवों में देहातों में जहां खाना खाते समय के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी अगर आदमी चाहे तो उसे आधे घंटे के लिए भी जलाने के लिए तेल नहीं है। क्यों नहीं है ? आपके पास की आपकी जो सोसायटी हैं उनसे तेल वितरण हुआ। पहले एक-दो हजार की आबादी पर दुकानें थीं, अब 12-14 ग्राम पंचायतों के ऊपर दो दुकानें हैं। कौन आदमी ऐसा होगा जो 5-6 मील जायगा केवल एक बोतल तेल लेने के लिए। उसके यहां गांव में जब साइकिल पर तेल वेजन वाला आता है तो वह 3.50 रु0 के भाव से वहां तेल लेता है क्योंकि अगर वह इतनी दूर जायगा तो उसकी दिन भर की मजदूरी मारी जायगी। हर जिले से यह परेशानी आपको लिखकर भेजी गयी हैं कि तेल व्यवस्था 1000 की आबादी पर हर गांव में कीजिये, लेकिन अभी तक आदेश आपके यहां से नहीं गये।

पिछले साल 132 रु0 का गेहूं का परचेजिंग भाव था और 12 महीनों में हाइएस्ट कीमत 180 रु0, 175 रु0 तक गयी यानी 50 रु0 का वेरियेशन हुआ। इस साल देख लीजिये 142 रु0 का भाव था और शहर के अन्दर 300 रु0 का भाव और देहात में 185 रु0 का भाव रहा। इस प्रकार 122 रु0 से 125 रु0 का मार्जिन हो गया। पिछले साल भी गेहूं परचेज किया और केवल 50 रु0 का फर्क पड़ा, इस साल 125 रु0 का फर्क पड़ा। इसी प्रकार व्हीट और राइस। आपने कहा चावल बहुत है, गेहूं बहुत है, सीमेंट भी है लेवी का, लेकिन जसा कहा गया सीमेंट की दो कीमतें हैं-रेल वाली और ट्रक वाली। ट्रक वाली सीमेन्ट का भाव 40 रु0 से लेकर 60 रु0-62 रु0 तक है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रियासत हुसैन---

बस मान्यवर, एक मिनट और लूंगा।

अब रही करप्शन की बात। आपको याद होगा मैंने एक पत्र भी लिखा था मुरादाबाद के विषय में। वहां पर ब्रिज कोल्ड स्टोरेज के नाम से बी0 डी0 ओ0 ने 1450 बोरे सीमेन्ट ले लिया, लेकिन वहां पर बुनियाद भी नहीं खुदी। मैंने वहां जा कर देखा तो बोरे रखे थे। आपके ही इन्सपेक्टर ने बताया कि 234 बोरी सीमेन्ट पकड़ा गया है। जब गिनती की गयी तो सागौन की बोरियां लिखी हैं। यह कह कर बी0 डी0 ओ0 के साथ रियासत की जा रही है कि प्राइवेट स्टाक था, नमूना लेने का और जांच करने का अधिकार ही नहीं है।

मान्यवर, अब मैं रेंट कन्ट्रोल की बात पर आता हूं हालांकि अब ज्यादा समय नहीं है केवल इस सम्बन्ध में एक ही सुझाव दूंगा वह यह या आप काम्प्रेहेंसिव बिल लाकर इसे करें या किसी और तरह से क्योंकि आये दिन यह रेंट कंट्रोल से सम्बन्धित उठती हुयी समस्याओं को देखते हुए कि जो टेनेन्ट किसी भवन में यदि 10 साल से रह रहा है तो उस मकान का स्वामित्व उसे दे दिया जाए, यदि किसी मिलेट्रीमैन का भवन है तो उसे जरूर आप इवजेम्ट कर दें परन्तु यदि वह साधारण किसी आदमी का है तो उस पर लागू होना चाहिए, मैं इस सम्बन्ध में अभी कुछ और कहता परन्तु इतना वक्त नहीं है, खैर जो भी दो तीन सुझाव दिये हैं। उम्मीद है माननीय मंत्री जी उस पर अवश्य ध्यान देंगे। धन्यवाद

*श्री शेर बहादुर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे जो माननीय खाद्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, खाद्य विभाग एक बहुत ही आवश्यक विभाग है, जिससे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन की आवश्यक चीजों की प्रतिपूर्ति होती है, लेकिन थोड़ी सी अव्यवस्था इसमें जरूर है, वह यह कि चीजों की प्रतिपूर्ति तो होती है खाद्य विभाग से और उनका वितरण करता है सहकारिता विभाग, इस दोहरी नीति के कारण कुछ अव्यवस्था जरूर है, जिस लिए हमारे विरोध पक्ष के साथी कहते हैं कि यह गड़बड़ी है और वह गड़बड़ी है। मान्यवर, साथ ही आपके माध्यम से अपने उन माननीय सदस्यों को केवल ढाई वर्ष पूर्व का समय याद दिलाना चाहता हूं कि जब सन् 1980 में कांग्रेस ने फिर सत्ता संभाली है, उससे पहले क्या स्थिति थी इन आवश्यक चीजों की आपूर्ति की, उस समय में और आज में बहुत फर्क है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि इस पर संतोष करके बैठना नहीं है, अभी भी कुछ कमियां हैं फिर भी सहकारिता विभाग ने उन कमियों को दूर करने में काफी हमारी मदद की है, उस समय प्राइवेट कोटे की स्थिति क्या थी और जबकि आज प्राइवेट कोटों में वह गड़बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कसर आज जरूर है इन कोटों के अलावा न्याय पंचायतों में भी जो इस समय एक-एक या दो-दो दुकानें हैं, जबकि एक न्याय पंचायत में 8-8, 10-10 व 12-12 गांव सभाएं होती हैं, जिनमें एक-एक या दो-दो दुकानें पर्याप्त नहीं हैं इनकी संख्या और बढ़ाई जाए, इसके लिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरे मान्यवर, आजकल मिट्टी के तेल की व डीजल की कोई विशेष समस्या नहीं है, इसी तरह कोई भी समस्या चीनी के बारे में भी नहीं है, आप अपने समय की बात को याद करें जबकि लोग फैजाबाद व बाराबंकी आदि जनपदों से यह चीजें मुगलसराय तक लेने जाते थे, आज वह समस्या नहीं है, थोड़ी खाद्यान्न की समस्या अवश्य है, वह भी ओपेन मार्केट के रेट बढ़ जाने के कारण और पर्याप्त कोटा वितरण के दुकानों पर समय पर न होने के कारण है। यदि इस आपूर्ति का प्रबन्ध सुनियोजित ढंग से प्रत्येक न्याय पंचायतों में कुछ दुकानें और बढ़ा दी जायं यदि फिलहाल उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए तो स्थिति में सुधार आ सकता है और खाद्य समस्या की आपूर्ति हो सके। देहात में जिन स्थानों पर बाढ़ और सूखे के कारण फसल नष्ट हो गयी है वहां पर भी ग्रामीण जनता के लिये अन्न की समस्या हल करना चाहिये।

आपकी तरफ से एलान तो यह हुआ है कि नगरपालिकाओं में 8 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गल्ला मिलेगा, पर मेरे यहां अकबरपुर तहसील और जलालपुर तहसील में आज भी एक और दो किलो प्रतियूनिट से ज्यादा गल्ला नहीं मिल पा रहा है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि जो आदेश हो उनका पालन हो। मेरे यहां अधिकतर बुनकर रहते हैं, वहां किसान नहीं हैं, इसलिये वहां की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

एक व्यवस्था आप यह करने का कष्ट करें कि हर ब्लाक स्तर पर मिट्टी के तेल का एक होलसेल विक्रेता हो ताकि लोगों को बहुत दूर तक न जाना पड़े। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री खैरुल बशर--

मैं अधिष्ठाता महोदय, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया । मैं माननीय शंकर सिंह जो द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं बुनियादी तौर पर सहकारिता और समाजवाद में विश्वास करता हूं, पर यह वर्तमान सरकार जो न तो सहकारिता का पोषक है और न ही समाजवाद की । यह सरकार तो पूंजीपतियों और बड़े-बड़े भू-स्वामियों और इजारेदारों की सरकार है । इस सरकार ने प्रदेश में जितने भी भ्रष्ट आदमी हो सकते हैं उनको सहकारिता विभाग में रख दिया है और सबसे भ्रष्ट आदमी के हाथों में यह विभाग दे दिया है । इस कारण इस विभाग द्वारा जितना भी अधिक से अधिक अत्याचार जनता के साथ हो सकता है, वह किया जा रहा है ।

मैं जहां रहता हूं वहां के बारे में जानता हूं और यह कह सकता हूं कि सहकारिता विभाग गल्ले और खाद्य का समस्या को हल करने में 100 प्रतिशत फेल रहा है । मऊ नगरपालिका में 10 सर्व दलीय लोगों ने अपनी मीटिंग करके जिसमें आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, एक प्रस्ताव पास करके आपके पास भेजा और शिकायतें कीं पर अ ज तक कुछ नहीं हुआ । एक दूकानदार को 200 बोरे गेहूं मिला और उसने सारा का सारा बाजार में ब्लैक में बेच दिया और 18 हजार रुपया जेब में रख कर हम लोगों के सामने सीना तान कर चल रहा है । आजमगढ़ के 9 विधायकों में से 8 विधायकों ने भी शिकायत की, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

श्री वासुदेव सिंह--

उस दूकानदार का नाम बता दीजिये ।

श्री खैरुल बशर--

मेरी डायरी में वह नोट है, मैं आपको लिख कर भेज दूंगा ।

मेरा कार्ड है, और मुझे अपने कार्ड पर ही अगस्त के महीने से लेकर आज तक केवल एक माह में 14 किलो गेहूं ही मिला है इसलिये कि हमारे यहां दूकानदारों का पता ही नहीं है । पता नहीं कि दुकानदार है, दुकान का कहीं पता नहीं और दूकान खोलेंगे भी या नहीं यह भी पता नहीं । हमारे नगर का एक आदमी दक्षिणी छोर पर जो रहता है उसे जाना पड़ता है उत्तरी छोर या पूर्वी छोर पर और पूर्वी और उत्तरी छोर के आदमी को आना पड़ता है दक्षिणी छोर पर । एक-एक मोहल्ले के तीन-तीन स्थान बंटे हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं इसलिये सारा का सारा गल्ला चोर बाजारी में बिक रहा है ।

आप कहते हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तो मंत्री जी फिर क्या कारण है कि आज गेहूं 3 रु0 बिक रहा है ? मैं स्वयं तीन रुपए में गेहूं खरीद कर खा रहा हूं । मान्यवर, मऊनाथ भंजन में 70 फीसदी जनता किसानों की है और ये सभी के 70 फीसदी लोग भूमिहीन हैं ।

जहां तक कोयले की सप्लाई का सम्बन्ध है, सीमेन्ट की सप्लाई का सम्बन्ध है सीमेन्ट का राशन होने के बाद 1982 में सीमेन्ट एक बार आया है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री खैरुल बशर--]

जहां भी देखिये दुकानों पर सीमेन्ट बांटा जा रहा है। घोर भ्रष्टाचार और अत्याचार के कारण जनता कठिनाई में पहुंच चुकी है। मैं कहता हूं कि खाद्य और सहकारिता विभाग से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाइये जिससे कि यह घोर भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

*श्री भोला पाण्डेय--

श्रीमन्, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिये मौका दिया उसके लिये मैं हृदय से आभारी हूं और हृदय से मंत्री जी द्वारा पेश किय गये बजट का समर्थन करता हूं। श्रीमन, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, माननीय खाद्य मंत्री की ओर इशारा करते हुए कह रहे थे कि इनका सहयोग नहीं मिल रहा है नहीं तो वे इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं। उनके व्यवहार से क्षुब्ध होकर माननीय मंत्री जो ऐसा कह रहे थे परन्तु उनके द्वारा जो चीजें वितरित करायी जाती हैं वह मात्र अपने अधिकारियों व कर्मचारियों से क्षुब्ध होकर कह रहे थे क्योंकि वे उनके निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं था कि खाद्य विभाग से या वितरण प्रणाली में कोई अव्यवस्था है।

मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि 1977 के पहले जनता और तमाम जन प्रतिनिधि बड़े गौरव से इस बात को कह सकते थे और सुन कर बड़ा अच्छा लगता था और आम जनता से इसका सम्बन्ध था। उस समय आपातकालीन स्थिति में सुबह 9.55 पर दूकानों पर सब चीजों की सूची टंग जाया करती थी कि वहां पर कौन-कौन सी चीजें उपलब्ध हैं। परन्तु यह जनता का दुर्भाग्य था कि उसके बाद जनता पार्टी वालों की सरकार आयी उसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विधायक अपनी संस्था के, प्रभावी होकर आ गये और जनमानस पर छा गये। मंत्री जी से मैं निवेदन कर दूं कि यही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग आज भी खाद्य विभाग में अधिकारियों के रूप में प्रभावी हो गये हैं और चीजों का घोटाला कर रहे हैं और आपके विभाग को बदनाम कर रहे हैं। इसलिये आप सही तरीके से पोस्ट मार्टम करा कर सही रूप से अपने निर्देशों के अनुपालन की व्यवस्था करें।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे पोस्ट मार्टम कराने की बात तो क्या मंत्री जो आपके विभाग का पोस्टमार्टम होगा या आपके विभाग के अधिकारियों का जिन्दा हो ?

श्री बासुदेव सिंह--

जिस दिमाग में यह बात आई है, उस दिमाग का पोस्टमार्टम कराने की बात है।

श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, आज बाजार में डीजल और मिट्टी का तेल तो उपलब्ध है परन्तु सीमेन्ट का अभाव है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बहुत बडा दुर्भाग्य है, जो वितरण प्रणाली होनी चाहिए वैसी व्यवस्था सहकारिता विभाग द्वारा नहीं की जा रही है । मान्यवर, मैं बलिया से आता हूं । मैं आप से कहता हूं कि आप इस चीज को देख लें और निरीक्षण कर लें किसी भी गांव में 3-4 महीने से राशन नहीं पहुच पाया है । सीमेंट की इसी तरह से जो व्यवस्था है वह दुहरी नीति की व्यवस्था है । जो वितरण प्रणाली की व्यवस्था है जब तक नहीं दी जायेगी तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता है । युवक कांग्रेस संस्था कम कर रही है, उसको निगरानी करने का काम दिया जाना चाहिए और इस बारे में आधिकारिक आदेश जारी किए जाने चाहिये जिससे आवश्यक वस्तुओं का वितरण सही प्रकार से हो सके और वह जन मानस में पहुंच सके । यह बात न्याय संगत नहीं है कि सामग्री उपलब्ध हो और लोगों को सामग्री वितरण प्रणाली के कारण उपलब्ध न हो ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गांव में मिट्टी के तेल की सख्त जरूरत है और वह वहां पर पहुंच नहीं पाता है । सहकारी समितियां जो हैं वह मिट्टी के तेल को खरीदती ही नहीं हैं । मान्यवर, जो प्रणाली पहले थी कि राशन कार्ड पर मिट्टी का तेल वितरित किया जाता था, यह नई व्यवस्था तो उससे भी बदतर हो गई है । सहकारिता के आधार पर वितरण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है । मान्यवर, मूलभूत समस्या वितरण की है । इस पर विचार करना चाहिए । शासन अपनी इस व्यवस्था पर फिर से विचार करे । सहकारिता अगर अपने को अक्षम महसूस करती है तो उसके द्वारा वितरण समाप्त कर दिया जाना चाहिए और कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे लोगों को वस्तुए सुलभ हो सकें । इन शब्दों के साथ माननीय खाद्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री धर्म वीर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, यह विभाग जिस पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदेश की 11 करोड जनता की जिन्दगी उनके स्वास्थ्य और उनके सरवाइवल का सवाल है । मान्यवर, इस विभाग को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है एक तो यह सामग्री परचेज करता है, दूसरा उसको स्टोर करता है और तीसरे उसका वितरण करता है । खरीद मान्यवर, एफ० सी० आई०, आर० एफ० सी० और सहकारिता के द्वारा की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और एफ० सी० आई० के द्वारा किया जाता है और अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने बहुत से छापे मारे और बडी गिरफ्तारियां कीं, लाइसेंस कैंसिल किए और अनाज तथा अन्य सामग्री को बहुत बड़ी तादाद में पकड़ा ।

मान्यवर, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विभाग की हालत जो है वह बहुत ही खराब है । मैं चाहूंगा कि शासन के द्वारा कठोर कदम उठाये जाने चाहिए । जहां तक परचेज की बात है मैं कहना चाहता हूं कि गेहूं की खरीददारी में बड़ी बेईमानी होती है । जो नम्बर एक का गेहूं होता है वह किसान से नहीं लिया जाता है और अगर लिया भी जाता है तो ग्रेड दो के दाम उसको दिए जाते है । किसान मजबूर होकर अपना गेहूं व्यापारी को बेच देते हैं और वही गेहूं व्यापारी अधिकारियों से मिल कर नम्बर एक गेहूं के दामों में बेच देते हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान फसल बोता है तो बोते समय

[श्री धर्मवीर सिंह---]

उसको इस बात का पता नहीं रहता है कि फसल कटने पर उसको क्या कीमत मिलेगी, इसलिए मेरा सुझाव है कि कीमत बुवाई से पहले ही डिक्लेयर कर देनी चाहिए । ताकि किसान अपना नुकसान और फायदा देख ले । आज स्थिति यह है कि गेहूं 3 रुपये किलो बिक रहा है और कहीं तो वह भी उपलब्ध नहीं है । इस स्थिति को तभी आप दूर कर पायेंगे जब आप प्रोडक्शन बढ़ायेंगे और प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा। जब आप किसानों को समता मूल्य देंगे और उसका एलान कर देंगे ।

मान्यवर, इनके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती । जो गेहूं या खाद्य पदार्थ ये किसानों से खरीदना चाहते हैं उनका लक्ष्य इसलिए पूरा नहीं होता । आज 36 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारे देश को दूसरे मुल्कों से गेहूं मंगाना पड़ रहा है । यह बड़ शर्म की बात है । बजाए इसके कि ये अपने किसानों का क्षमता बढ़ायें, दूसरे मुल्कों से गेहूं मंगाते हैं । यहां का किसान सक्षम है आप उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं फायदा पहुंचाने की आप कोशिश नहीं करते हैं, उसके लिए हृदय से प्रयास आपकी तरफ से होना चाहिए । मान्यवर, इसी देश में एक बार हरित क्रांति आ चुकी है और किसानों ने अधिक अन्य पैदा किया भी है ।

स्टोरेज के बारे में कहना चाहता हूं । जो अनाज आप खरीदते हैं उसके स्टोर करने के लिए आपके पास कोई साधन न होने के कारण वह वैसे ही वहां पर पड़ा रहता है और उसके ऊपर आप तिरपाल डालकर रखते हैं । जब वह स्टोर में ले जाया जाता है तो खुली हुई वैगनों में जाता है । बारिश के समय में वह भीग जाता है और भीगा हुआ गेहूं आप आटा मिल को देते हैं । जब उसे कोई नहीं लेता है तब उसे आप पिसवाते हैं और इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं रहता है । वह आटा जानवरों के खाने के लिए भी नहीं रह पाता है । इसी वजह से मैंने यहां पर स्वास्थ्य की बात भी कही थी कि सड़ा हुआ आटा और गेहूं आप गांवों में लोगों को खाने के लिए भेजते हैं जिस का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

मान्यवर, मैं वितरण प्रणाली के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा गांवों में मिट्टी का तेल शहरों के मुकाबले में मंहगा पड़ता है, शहर के मुकाबले में । चीनी की जहां तक बात है जो चीनी आप गांवों में भेजते हैं वहां दुकानों में जो आपकी चीनी जाती है वह केशर और काले रंग की चीनी होती है । वहां पर गांवों में लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं हैं, गरीब आदमियों को सीमेंट मिल ही नहीं पाता है ।

मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि मेरठ में जो कोयला आया था उसमें सारा का सारा कोयला पहले ही बांट दिया गया और बाद में जो पत्थर और रोड़ा बचा रहा उसके लिए कोयला एजेन्ट्स को दबाव देकर कहा जाता है कि तुम उसे उठवा लो । मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है लेकिन मुझे ऐसे संकेत मिले हैं उसे मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं । उसके ऊपर भी आपको यथोचित कार्यवाही करनी चाहिए । मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री दामोदर शर्मा---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत खाद्य बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं बजट का

समर्थन करते हुए माननीय खाद्य मंत्री जी को कुछ सुझाव देन चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश के खाद्य सचिव ने फरवरी 1982 में एक अधिनियम के तहत यह कहा था कि आसाम और मेघालय का जो कोयला है वह प्रदेश के किसी भी जिले में जा सकता है और उस पर जिलाधीश की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं थी। मेरा स्पष्ट आरोप है कि पिछले महीने का 18 तारीख को दो रेक कोयले के मुरादाबाद में उतारे गये और उसमें आसाम क कोयला था लेकिन आपके अधिकरी जो वहां पर उस समय थे उन्होंने कहा कि आप मेरठ के डी0 एस0 ओ0 से लिखवाकर लायें, तभी आप यहां उतार सकते हैं अन्यथा नहीं उतार सकते हैं। मेरठ के डी0 एस0 ओ0 ने और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिखकर भी दे दिया मगर मुरादाबाद के अधिकारियों ने उसको 10 दिन तक रोके रखा जब तक उनको मोटी रकम नहीं मिल गयी तब तक कोयले के उस रेक को नहीं रिलीज किया। तो यह भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है। यह मैंने इसलिए माननीय मंत्री जी को बताया कि हमारे साथी माननीय धर्मवीर सिंह ने कहा कि मेरठ में कोयला नहीं है और रद्दी किस्म का है तो यह इसी कारण हुआ है। मेरा अनुरोध है कि असाम कोल माइंस का कोयला किसी जिले में जा सकता है और जिलाधिकारी ने लिख दिया है तो क्यों वहां पर 10 दिन तक उसे रोके रखा गया।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रदेश के अन्दर जो सहकारी समितियों के द्वारा जनवितरण प्रणाली चल रही है उसमें 11, 12 गांवों में चीनी मिट्टी तेल और चावल गेहूं आदि एक जगह बंटवाई जा रही है। अगर वह समान उन्हीं सहकारी समितियों की एजेंसी से गांव-गांव में बंटवाया जाय तो लोगों को सुविधा होगी। उन समितियों का एक सेल्समैन प्रत्येक गांव में जाकर बैठे और वहां पर बैठ कर बांटें। आज गेहूं और आटे की हालत यह है कि गरीब आदमी उसको खरीदने में सक्षम नहीं है उसके भाव बहुत बढ़ गये हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने जनता मोबाईल स्टोर के जरिये गेहूं और चावल का वितरण करना शुरू किया है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक गांव में सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण का प्रबन्ध करें। जिस एक न्याय पंचायत में केवल एक सोसायटी है उसमें 14 से 20 तक के गांव लगे हुए हैं उसमें ऐसा कर दें कि प्रत्येक गांव में उन समितियों का सेल्समैन जाकर बैठे।

मेरा एक और अनुरोध है कि प्रदेश के अन्दर हजारों भट्टे नहीं कई हजार ईंट के भट्ठे बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। अगर उसमें कोई विधायक लिख कर देता है कि यह बिना लाइसेंस के है तो उसमें एक दो अधिकारी जाकर छापा मार लेंगे मगर जो घूस में बड़ी रकम दे देगा उसका लाइसेंस पहले से बना दिया जायेगा। तो ऐसे मामलों में अधिकारी लोग पहले से उसका लाइसेंस दिखा देते हैं। मेरा अनुरोध है कि पूरे प्रदेश के अन्दर जितने भी भट्टे चल रहे हैं उनकी जांच करा ई जाय।

मान्यवर, इस महकमें के अन्दर एक मार्केटिंग इन्सपेक्टर होता है जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वह हर चीज का सैम्पल लेता है। वह किसी चीज का सैम्पल भर सकता है। मेरा अनुरोध है कि वह जो घूस खोर हैं उनकी हालत यह है कि वह बड़े व्यापारियों का सैम्पल नहीं भरते हैं एक गरीब आदमी जो खोखे में बैठा होता है उसका सैम्पल भर कर ले जाते हैं क्योंकि उससे उसको घूस नहीं मिलता है। तो इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी जन वितरण प्रणाली से

[श्री दामोदर शर्मा---]

लोगों को सुविधा हुई है। इसी तरह से सीमेन्ट को जो फ्री सेल का है उससे भी उससे भी लोगों को सुविधा मिला है भले ही उसके दाम जरूर बढ़े हैं लेकिन प्रचुर मात्रा में वह मिल रहा है। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री हरिवंश सहाय---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर जो माननीय शंकर सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मन्त्री जी ने अपने भाषण में एवं अन्य माननीय सदस्यों ने आपके भाषण में कहा है कि दालों का बहुतायत है और उसी तरह खाद्यान्न सामग्री जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और डीजल है जिसके लिए लोग दौड़ नहीं करते हैं लेकिन इनके दाम दिन दूने रात चौगुने बढ़ती जा रही हैं। मान्यवर, पिछले एक महीने के अन्दर हमारे क्षेत्र भाटपार रानी, देवरिया में, जो कि बिहार बार्डर से लगा है, गेहूं 180 रु0 क्विंटल था और बिहार में 250 रुपये क्विंटल था, लेकिन इस समय हमारे क्षेत्र में 300 रुपये और बिहार में भी 300 रुपये क्विंटल बिक रहा है। इसका एक कारण है कि मान्यवर, सारा गेहूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पंजाब, हरियाणा और पूर्वांचल का सारा गेहूं फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश होते हुये बिहार जा रहा है और वहां से मुजफ्फरपुर जिले से ट्रकों पर लद कर चीन को जा रहा है।

मान्यवर, हमारे यहां देवरिया में नदावर बैरियर है जिसके माध्यम से गल्ला आसाम जाता है, तो वह ट्रकों का नम्बर नोट करते हैं, और दूसरे ही दिन वह ट्रक चावल-गेहूं भरकर वापस आ जाता है। एक दिन मैंने बैरियर वाले से कहा कि जो ट्रक गेहूं लादे हुये आसाम जाता हो उसका नम्बर नोट करना और लौटने पर पूछना कि इतनी जल्दी आसाम गेहूं डाल कर कैसे आ गये यही उसने किया और एक दिन मुझे बताया कि ट्रक वाले ने बताया कि गेहूं मुजफ्फरपुर उतार देते हैं और हम आसाम नहीं जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने पिछले सप्ताह यहां सदन में प्रश्न उठाया और एक दर्जन पत्र मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में दिये लेकिन मन्त्री जी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

मान्यवर, गोरखपुर मण्डल के अधिकारियों से बात किया, परसों कमिश्नर से मिला था उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी हो गयी है कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से चीन को स्मगलिंग हो रही है और इसकी छानबीन हो रही है लेकिन छानबीन जब तक होगी तब तक उत्तर प्रदेश का सारा खाद्यान्न आसाम होते हुये चीन को चला जायेगा और इसी लिए 300 रुपये क्विंटल गेहूं यहां बिक रहा है इसके पहले जब भयंकर सूखा यहां पड़ा था तो 300 रुपये क्विंटल में गेहूं बिका था और तब से 10 साल बाद ऐसा अब समय आया है कि जब 300 रुपये में गेहूं बिक रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार कर और इसकी जांच करायें कि कैसे इसको रोका जा सकता है।

मान्यवर, उचित वितरण प्रणाली के ऊपर कहना चाहता हूं कि इसमें खाद्य विभाग का कोई कन्ट्रोल नहीं है। मान्यवर, एक दिन डी0 एस0 ओ0 आफिस के कर्मचारियों से मैं मिला तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के पास साधन नहीं है जिसके माध्यम से चावल, गल्ले या तेल में जहां गड़बड़ी हो रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं वहां छापा मार सकें । इसलिए सुझाव है कि जबकि समी विभागों में जोपें हैं, तो डी० एस० ओ० आफिसों में भी जहां जोप नहीं है दूर क्षेत्रों में छापा मारने के लिए तो वहां जोप की व्यवस्था की जाय ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया और इस बजठ पर बोलते हुये मुझे सुझाव स्वरूप कुछ बातें कहनी हैं, इस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अंश यदि कोई है तो वह है वितरण--वितरण प्रणाली । कोई कितना भी समृद्धशाल देश हो जाए, कितना ही प्रदेश में खाद्यान्न या कच्चा माल हो जाए--ज्यादा से ज्यादा हो

(इस समय 4 बज कर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जाए, किन्तु यदि उसका सही वितरण नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार को जन्म मिलेगा और जो तस्कर हैं वह लाभ उठायेंगे । सही वितरण प्रणाली स्थापित हो जाए तो सभी को उससे लाभ मिलेगा और गरीबों तक भी पहुचेगा । जो बजट रखा गया है, अनुभव यह बताता है कि बहुत अर्से बाद वितरण प्रणाली में सुधार हुआ नजर आता है क्योंकि आज सीमेन्ट भी मिल रही है, मिट्टी का तेल भी मिल रहा है और शक्कर भी मिल रही है । बीच-बीच में कुछ दिक्कत आई है, जिसे फर्जी व्यापार करने वाले और तस्करी करने वालों ने पैदा किया है ।

अभी रियासत हुसैन ने कहा है कि जब शक्कर की कीमत बढ़ी तो आपके यहां से शक्कर उपलब्ध नहीं हुई, इसी तरह से आज मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, और इस तरह से आज गेहूं नहीं मिल रहा है । इस सम्बन्ध में मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि शक्कर की किल्लत उत्तर प्रदेश में तब आई उसका एक मात्र कारण जनता पार्टी थी, जिसने गन्ने को जलवाया और गन्ने की पेराई नहीं होने दी थी । जिसके कारण उन दिनों शक्कर की किल्लत हुई थी । अभी एक डेढ़ महीने पहले राशन की दुकानों पर गेहूं उठाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब शीतलहरी का प्रकोप शुरू हुआ, तो बाजार में गेहूं के मूल्य डेढ़ रुपये के ढाई और तीन रुपये पहुंच गये । इसके पीछे किनका हाथ है, इसे सरकार को देखना होग ।

सीमेंट के बारे में एक सुझाव दूंगा, दोहरी नीति आपकी हर जगह है । जो रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं उनको तो आप लेवी वाली सीमेंट देते हैं और जो प्राइवेट वाले हैं उनको आप ओपेन मार्केट वाली देते हैं । लेकिन कभी कभी देहातों में गरीब लोग मन्दिर या मस्जिद बनवाते हैं, आप डी० एस० से पता लगवा लें और इन लोगों को भी लेवी की चीनी देने का प्रावधान करें, क्योंकि देहात के मंदिर और मस्जिद रजिस्टर्ड नहीं हैं । बड़ी-बड़ी संस्थाओं के मठ मन्दिर रजिस्टर्ड हैं तो वह लेवी की सीमेंट लेकर उसका दुरुपयोग भी करते हैं, ब्लैक भी करते हैं, लेकिन छोटे लोग जो इसके लिए 10-20 बोरी सीमेंट लेना चाहते हैं उनको नहीं मिल पाती है, इसलिए उनको भी लेवी की सीमेंट दी जाए । इस प्रदेश का किसान तो सबसे सीधा व्यक्ति है, जो अपनी मजदूरी की कीमत, उपजाए हुए गल्ले की कीमत स्वयं नहीं लगाता है गन्ना किसान पैदा करता है, लेकिन उसकी कीमत व्यापारी लगाता है । जब उसकी उपज पैदा होगी तो उस समय उसकी कीमत घट जाएगी, लेकिन जब वह किसानों के पास से व्यापारियों के यहां चला जाएगा, तो उसकी कीमत दुगुनी-तिगुनी हो जाएगी । इसके देखने के लिए ही शासन ने किसान का गेहूं और चावल स्वयं खरीदने का प्रावधान किया है, लेकिन उसमें कभी कभी समय से कार्यवाही न होने के कारण किसान नुकसान उठा जाता है और सरकारी खरीददारी में गंदे और करप्ट लोगों के कारण किसानों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है ।

(4·30 बजे अपराह्न से)

[श्री मुईद अहमद--]

मान्यवर, जहां तक चावल और गेहूं की उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की बात है, इसमें सत्यता है। आज चावल या गेहूं ट्रक का ट्रक लोग बाहर लेकर चले जाते हैं, उनको इसलिए नहीं पूछा जाता है कि ऐसे बड़े व्यापारियों से उनको बड़ी धनराशि मिलती है और छोटे लोगों से कोई धनराशि नहीं मिलती है।

मान्यवर, एक बात सुझाव स्वरूप में और कहना चाहता हूं कि रेंट कंट्रोल में थोड़ा संशोधन करके उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज 20--25--30 सालों से रेंट कंट्रोल के मकान में लोग रह रहे हैं, उनको अगर मालिकाना हक न दिया जाय, तो कम से कम उनके लिए इतना अवश्य होना चाहिए कि मकान मालिक उनको प्रताड़ित न कर पावे। मान्यवर, अभी भी, आज कल मकान मालिकों को इतनी छूट है कि वह किरायेदारों को प्रताड़ित करते हैं। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री शंकर सिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

मान्यवर, मेरा लिस्ट में छठा नम्बर है।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैंने माननीय शंकर सिंह को पुकार लिया है, अब समय नहीं है। आप कृपा करके बैठिये।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

मान्यवर, आपकी लिस्ट में हमारा छठवें नम्बर पर नाम है....

श्री अध्यक्ष--

अब समय नहीं है। आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरदेव, कृपा करके बैठिये आप । यह लिखा नहीं जायगा ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरदेव जी, यह कोई तरीका नहीं है, आप बैठ जाइये । यह लिखा नहीं जायगा । माननीय हरदेव जी, बैठिये ।

श्री शंकर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया । मान्यवर, इस पक्ष के सभी माननीय विधायकों ने तो मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया ही, मान्यवर, सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी खुले रूप में मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है । मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव की यह सबसे बड़ी सफलता है कि सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, उनमें से अधिकतर साथियों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है । मान्यवर, जो थोड़े-बहुत साथी लोग जो मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सके, उसका कुछ कारण है। मान्यवर, सत्ता दल की एक समस्या है निकट भविष्य में मन्त्री पदों की भी आपूर्ति होनी है, इस भय से सत्ता पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात नहीं कह सके हैं । मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष के वयोवृद्ध माननीय सदस्य श्री लाल प्रताप सिंह जी का अवश्य उल्लेख करूंगा उन्होंने जो सुझाव मैंने दिये थे उनका समर्थन तो किया और साथ ही उन्होंने अपने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये । मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उनके सुझावों पर जरूर गौर करें । उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को किसी भी कीमत पर उनका खाद्य समस्या सरकार को हल करने चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की खाद्य तथा आवश्यक वस्तुओं की जरूरतों को सरकार को सबसे पहले पूरा करना चाहिये । मंत्री जी ने जो बातें कहीं उससे स्पष्ट हो गया है कि आपके पास इतना खाद्यान्न नहीं है और आवश्यक वस्तुयें नहीं हैं जिससे आप प्रदेश की सम्पूर्ण जनता की आपूर्ति कर सकें । अब आपका यह सोचना होगा कि कौन सा वर्ग ऐसा है जिसकी आपको शतप्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिये । आप जिस वर्ग की आपूर्ति कर रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनकी अगर आप आपूर्ति न भी करें तो भी वह काम चला सकते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि जब तक आप पूरे प्रदेश का आपूर्ति न कर सकें तब तक आप ग्रामीण

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री शंकर सिंह—]

क्षेत्रों में एसे वर्ग की आपूर्ति करें जिसके पास ढाई एकड़ से कम की जोत है । इसके अलावा जो छोटे-छोटे कामगार हैं, गांव के रोज मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले लोग हैं उनकी आपूर्ति आप शत-प्रतिशत करें ।

इसी तरह से शहरों में आप कर सकते हैं, जिस वर्ग की आय 500 रुपये से कम है उनको आप आपूर्ति करें और बड़ी इनकम वाले जो लोग हैं उनको आप छोड़ दें । हमारे एक सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि भूख की कोई समस्या नहीं है । जिसने गरीब को नजदीक से देखा है, जिसको सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है वह जानता है कि प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा भुखमरी के कगार पर है । हमारे बुन्देलखंड में, बांदा में, हमीरपुर, जालौन में आदमी भूख से मरे हैं । बुन्देलखंड में आज स्थिति यह हो गयी है कि लोग भूख से मर रहे हैं । पूर्वी अंचल में भी स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है । आप जब तक कमजोर वर्ग के लिये आपूर्ति नहीं करते हैं तब तक गरीबों को राहत नहीं पहुंचायी जा सकती है । जिस तरह से जनता शासन में राहत कार्यों को गांव के स्तर पर पहुंचाया गया था उसी तरह से आज हर एक गांव के स्तर पर गांव के व्यक्तियों को जिन्दा रखने के लिये राहत कार्य चलाने की आवश्यकता है तभी गांव के लोग जिन्दा रह सकेंगे ।

मान्यवर, मिट्टी के तेल की बात आयी है । आपने इसमें दोहरी नीति अपनायी है गरीब को सस्ते मूल्य पर देंगे और जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं उनके लिये दूसरे मूल्य रखे गये हैं । लेकिन आपकी इस नीति का फायदा कौन उठायेगा । जो बड़ा वर्ग है उसको ही आपकी नीति से फायदा होगा । पेट्रोल पम्प के मालिक ही मिट्टी के तेल के डीलर्स हैं । असली हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल मिलना बन्द हो गया है । पेट्रोल के डीलर्स ने सस्ते मूल्य के तेल को हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल में मिलाना शुरू कर दिया है । इससे उन्होंने अपना मुनाफा बढ़ा लिया लेकिन मान्यवर, उससे जो किसानों के पम्पिंग सेट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, मशीनें हैं, वे सब चौपट हो गयी हैं ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि हम मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, लेकिन मान्यवर, कृषक वर्ग को, गरीब वर्ग को मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है, उसे यह ब्लैक में लेना पड़ा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मिट्टी के तेल की जो दोहरी नीति है, उसे खत्म कर एक ही नीति रखें । मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि गरीब वर्ग को यह शासन मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये ।

रेंट कंट्रोल के बाबत भी माननीय सदस्यों ने कहा । मैं भी उसमें इतना अवश्य कहूंगा कि जो बड़े-बड़े नगर हैं चाहे लखनऊ नगर हो या कानपुर नगर हो, जितने सरकारी अधिकारी हैं आपके, उनमें अधिकांश को सरकारी भवन आवंटित किये गये, उनमें वे रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनमें से अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी कोठियां खड़ी कर ली हैं और उनको प्राइवेट लोगों को किराये पर दिये हुए हैं और खुद रह रहे हैं सरकारी भवनों में, इस तरह से वे लोग अपनी निजी कोठियों से हजारों रुपए किराये के रूप में वसूल रहे हैं और अधिकांश ने तो इनको अपने प्रभाव से सरकारी कार्यालयों को दे

रखा है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के, जिन्होंने अपने नाम से, अपने निकट सम्बन्धियों के नाम से, भवन बनवा रखे हैं और किराये पर उठाये हुए हैं उनसे आप सरकारी भवन वापस लेकर, उन्हें उनके निजी आवासों में रहने के लिए निर्देशित करें।

मान्यवर, जो हमारे मिश्रा जी हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि वितरण व्यवस्था लुन्ज-पुन्ज हो गयी है। भ्रष्टाचार की बातें कही गयीं। मान्यवर, भ्रष्टाचार के लिए एक स्वर से कहा गया कि भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में सर्वत्र व्याप्त है। मान्यवर, मुझे भी जानकारी मिली है कि बुलन्दशहर के एक क्रय केन्द्र का सात ट्रक खाद्य निगम से गोदामों में न पहुंच कर दिल्ली के बाजार में बेच दिया गया, जिसकी लगभग 4 लाख रुपए कीमत आती है। कई विधायकों ने आपके पास शिकायत भेजा एक सम्मानित सदस्य हैं, जिनका इस सम्बन्ध में यहां पर प्रश्न भी है। लेकिन मान्यवर, इतने बड़े घोटाले के बाद भी सम्बन्धित लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस तरह से हमारे विधायक साथी लोग सब सर्वसम्मति से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। आप अपूर्ति ठीक तरह से नहीं करा पा रहे हैं तो कौन सी अटक रह जाती है कि यह जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है, उसको न माना जाय।

इन शब्दों के साथ मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय अध्यक्ष, महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने, इस पक्ष के सदस्यों ने, उस पक्ष के सदस्यों ने अपने बहुत से बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उन पर मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा। कुछ ऐसा है कि मान्यवर, रचना तो कष्ट-साध्य होती है, लेकिन आलोचना सरल होती है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इतनी जबरदस्त गैर जानकारी है। तो मैं समझता हूं कि हमारे विभाग को चाहिए की हर सदस्य को अपने विभाग की गतिविधि की पूरी-पूरी जानकारी समय-समय पर दी जाया करे।

मान्यवर, कहा गया चीनी में भ्रष्टाचार है, तो यह कैसे हो सकता है? आप करके दिखाइये। मिट्टी का तेल है, सीमेंट है, तो जो भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करने की चेष्टा है, उसे धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। एक चीज जो यह कहा जाता है कि कुछ हो नहीं रहा है, मान्यवर, 1943 में 36 लाख आदमी मर गये, अंग्रेजों के जमाने में बिना खाये। 1901 में यहां की आबादी 21 करोड़ थी। अब हमारे देश की ही 70 करोड़ के करीब हो गयी है। यह कहा जाना चाहिए कि कुछ न कुछ कारगुजारी इस कांग्रेस शासन ने, केन्द्र ने, उत्तर प्रदेश ने और हर प्रदेश ने की है। इस देश की बढ़ती हुई आबादी की जो चुनौती है किसी तरह उससे कोशिश करके उससे निपट रहें हैं। हम खुद कह सकते हैं कि जो हमारे गांवों में हरिजन थे, जिन्दगी में कभी एक बार भी अपने घरों में पूड़ी का दर्शन नहीं कर सकते थे, ठाकुर और ब्राह्मणों के यहां से मिले तो बात अलग है। कोई मेहमान आता था तभी अच्छा भोजन बनता था, हलुआ आता था और ताकुन आता था और लाखों लोग पटरा हो जाते थे ..

(एक सदस्य द्वारा खड़े होकर व्यवधान करने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठें । जो बोलने वाले हैं उनके बीच से आप चले जाते हैं । संसदीय परम्पराओं का ज्ञान आप प्राप्त करें ..

श्री कुबेर भंडारी—

मंत्री जी नाराज हो रहे हैं ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । आप देखें जब वह खड़े हैं, आप को नहीं खड़ा होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह—

आकार रहित सिद्धान्त और सिद्धान्त रहित आकार दोनों निष्प्रयोजन होते हैं । इच्छा मेरी समाजवाद की प्रबल हो सकती है, लेकिन समर्थ कांग्रेस में इन्दिरा जी में है । मैं समझता हूं जो हमारे साथ कांग्रेस में आये हैं वह समाजवादी हैं जो बाहर हैं वह जनसंघी हैं । जो इंदिरा जी के साथ आ रहे हैं वह समाजवाद के साथी आ रहे हैं जो दूसरी जगह हैं वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जनसंघ में हैं । कम्युनिस्ट पार्टी को मैं छोड़े देता हूं ।

(हंसी)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । खाद्य मंत्री जी ने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ कर बाकी को उन्होंने सबको ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात को मैंने सुन लिया है । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री वासुदेव सिंह—

इसलिए मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि व्यवस्था क्या होती है ? संसदीय परम्परा क्या है ? मैं समझता हूं मान्यवर, कुछ क्लास चलावें तभी लोगों का फायदा हो सकेगा ।

(हंसी)

श्री कुबेर भंडारी—

और उसका क्लास प्रोफेसर साहब लिया करें ।

श्री वासुदेव सिंह—

खाद्य निगम के बारे में जो आन्तरिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर दिया है और उसका काम बढ़ रहा है । 28 जिलों में बढ़ गया है । साथ ही साथ, हमने

जो न्यूनतम वेतन भोगी चौकीदार हैं, 265 की संख्या में, 10 वर्षों से कार्यरत थे स्थायी नहीं हुए थे, एक कलम से स्थायी कर दिया इसके अलावा 659 पद जो अस्थायी थे उनको हमने स्थायी कर दिया। इसी थोड़े समय के अन्दर ।

कहा गया कि विधायकों, राज्य कर्मचारियों के प्रति हमदर्दी प्रदर्शित हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल्याण निगम, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, इसके पहले 3 भंडार गृह थे, अब 12 और हो गये हैं--मेरठ, मुरादाबाद, देहरादून, बरेली, नैनीताल, झांसी, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद और गोरखपुर में राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ खोल दिये गये हैं, जिससे कुल 40 हजार राज्य कर्मचारी और लगभग लखनऊ में 41 हजार 5 सौ राज्य कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं ।

रियासत साहब ने सवाल किया था। ठीक है, जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर लिख कर दे देंगे, कार्यवाही जरूर करूंगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल हालर से कूटे जाने वाले चावल पर लेवी नहीं है। हमेशा के लिए वह लेवी समाप्त कर दी गई है। हमारी उदारता की नीति हो गई है। जितने भी हालर चाहें लोग लगवा सकते हैं। इससे उन को सुविधा होगी ।

माननीय रियासत साहब ने जो प्रश्न पहले उठाया था, उसका उत्तर मैं आज दिये देता हूं। ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 28 हजार मीट्रिक टन गेहूं जो लिया गया था उसमें 17 हजार मीट्रिक टन गेहूं भारत सरकार ने ले लिया है। मैं सूचित करूंगा कि 3, 4 दिनों में जिलों में वह हम लौटा देंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि शहर और गांव में चीनी की दर में एक रूपता होनी चाहिये। देहाती क्षेत्रों में भी अब दो किलो प्रति यूनिट चीनी दिये जाने के आदेश हो गये हैं और बंट भी रही है। त्यौहारों में जैसे होली आ रही है, मुसलमानों के त्योहार, ईस्टर आयेंगे, तो उसमें जितनी लेना चाहे चीनी मिल सकती है। विशेष परमिट की हम व्यवस्था कर रहे हैं। रेल द्वारा साफ्ट कोक प्राप्त होता है। प्रदेश में कोयले की कमी नहीं है। जहां रेल हेड नहीं है, जैसे पहाड़ी अंचलों में, ट्रक से जायेगा, उससे दाम तो ज्यादा हो ही जायेंगे। जैसे नेगी जी ने कहा यह स्वाभाविक है ।

लेवी सीमेन्ट के बारे में कहा गया। मान्यवर, लेवी सीमेंट विकास कार्यों के लिये है। ऐसे कार्यों के लिए प्राथमिकता है। विकास का केन्द्र बिन्दु हम विकास खंड को बनाना चाहते हैं। समय कुछ लग सकता है। लेकिन हम विकास खंड को सारा सामान मुहैया कर देंगे और वहां से वितरित होगा। चाहे सारे गांव का पैसा लेकर एक साथ ट्रैक्टर से डिग्गी से ले जायें। वितरण की इस नई व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। लेवी सीमेंट के बारे में निर्बल वर्ग की बात उठायी गयी। मरम्मत के लिये मैदानी क्षेत्रों में 3 बोरी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 6 बोरी देने की व्यवस्था है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

पर्वतीय क्षेत्र में बकरियों की पीठ में खच्चरों पर सामान 50-50 किलो मीटर दूर ले जाना पड़ता है। वहां रेट कम कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री वासुदेव सिंह--

मेरी बात सुन लें । इसके बाद माननीय सदस्य यदि कहीं भी मिल लेंगे तो इनको पूर्णरूप से संतुष्ट कर दूंगा ।

रेल द्वारा स्लैक कोल के बारे में रेल मंत्री ने निर्णय लिया है कि उत्तर भारत को जो स्लैक कोल जाता है उसका 47 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को दिया जायेगा । अब शिकायत नहीं होनी चाहिये । पहले भी हमने कहा कि चाहे साफ्ट कोक हो या स्लैक कोक हो जितना चाहें है, इसकी कमी नहीं है बहुतायत है ।

मान्यवर, अभी उत्तर प्रदेश को दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में 23 स्लैक कोल के रेक्स का आवंटन किया गया है इस बारे में भी कोई दुश्चिन्ता नहीं होनी चाहिये । माननीय श्री कुंवर सिंह नेगी जो चिन्तित हैं पहाड़ी क्षेत्र के लिए और श्री जसवन्त सिंह बिष्ट जो बहुत उत्सुक दिखायी पड़ते है तो मैं बहुत संक्षेप में मान्यवर, आपके माध्यम से एलान करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या की तुलना में 3-4-गुना खाद्यान्न, चीनी और तेल आदि का आवंटन किया गया है । ट्रांसपोर्ट पर सबसिडी के बारे में माननीय श्री नेगी जी ने सवाल उठाया था, ट्रांसपोर्ट पर तो सबसिडी पहले से ही मिल रही है । धीरे-धीरे अंशिक रूप से करेंगे ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, गोदामों से 60-60 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है ।

श्री वासुदेव सिंह--

आंशिक रूप से ट्रांसपोर्ट पर सबसिडी दी जाती है । पूर्ण रूप से दिये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजा गया है विचार के लिये और हम भी उस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैंने एक निवेदन किया था कि पर्वतीय क्षेत्र में छोटे-छोटे होटलों तथा छोटे-छोटे लोगों को लेवी का सीमेन्ट देने पर विचार करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, पर्वतीय लोग जो चाहें वह हम उनको देंगे । पहाड़ तो हमारा सिर है । इसलिये पहाड़ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे ।

श्री कुबेर भन्डारी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हजरतगंज और लालबाग में कुछ फर्जी यूनिट की दुकानें पकड़ी गयीं थी । माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी समाप्त कर दिया जायेगा । जानकारी मिली है कि वे दुकानें अभी भी चल रही है--मोहन शर्मा आदि की ।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य कहेंगे कि किसी को और बांटा है तो उसको भी अवश्य बांट देंगे ।

(व्यवधान)

श्री वासु देव सिंह--

जो हमको मिला था, हमारे कार्यभार ग्रहण कराते समय शासन को मिला था । ये लोग कहते हैं कि कम मिला है । उससे पहले नमक नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिलती थी, डीजल नहीं मिलता था किसी चीज का पता नहीं था वह पूर्ववर्ती शासन का दुष्परिणाम है । उसे पूर्ववर्ती शासन के दुष्परिणामों को हमें भोग रहे हैं । लेकिन हम बहुत आगे गये हैं । क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये हैं, सारे प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करगे ।

श्री कुबेर भन्डारी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि लखनऊ शहर में कुछ अवैध दुकानें पकड़ी गयीं थीं, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जमाने में और वह अभी भी चल रही हैं । मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी समाप्त कर दिया जायेगा । और वो श्री मोहन शर्मा आदि की हैं जिसकी सिफारिश श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने की हुई हैं ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,08,68,84000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री लल्लू सिंह चौहान, श्री ख्वाजा हलीम और श्री रियासत हुसैन व श्री अकबर हुसैन की ।

मैंने इनको पूरे तरीके से देखा है और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना को स्वीकार किया है । श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की सूचना नियम 56 में सुनी जा चुकी है तथा श्री प्रदीप कुमार यादव की नियम 301 में स्वीकार की जा चुकी है । शेष को अस्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

इससे पहले कि यह मेरठ वाली चर्चा आरम्भ हो, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि...

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, आपने जो सूचना नियम 51 में स्वीकार की है, उस पर मन्त्री जी से यह तो पूछ लें कि स्टेटमेन्ट कब देंगे ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, 7 या 8 मार्च को उत्तर दे देंगे ।

मेरठ नगर में पुलिस और पी० ए० सी० द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की कथित हत्या किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या--11 के सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं कि सदन में इस प्रकार का वातावरण रखें जिससे प्रदेश का भला हो और सरकार का भला हो...

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, सरकार का भला हो ?

श्री अध्यक्ष--

जब मैं बोल रहा हूं, तब आप चुप रहें ।

ऐसी सम्भावनायें हों कि प्रदेश का भला हो सके । मैंने तय किया है कि जो प्रस्तावक हैं, उनको 10 मिनट और बाकी माननीय सदस्यों को 5 मिनट तथा माननीय मन्त्री जी को 10 मिनट दूं । डेढ़ घन्टे का समय है, इसलिये मैंने यह समय निर्धारित किया है ।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है, इतना इम्पार्टेंट मामला है मेरठ का और मुख्य मन्त्री जी सदन में नहीं हैं । मेरी मांग है कि मुख्य मन्त्री जी को बुलवा लिया जाय ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इसका समय बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष---

अभी समय बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, आपसे आपके कक्ष में कुछ तय हुआ था, क्या आपने इरादा बदल दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसके बारे में सोचा विचारा और निर्णय यह लिया है कि जो कार्य-वाही है, इसी प्रकार से चलती रहे ।

(व्यवधान)

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मद संख्या 11 में शब्द "कथित हत्या" लिखा हुआ है, तो क्या इससे पूर्व कोई सूचना सदन को हुई है कि इतने व्यक्ति मारे गये या नहीं, यह व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । अन्त में जब शासन की तरफ से उत्तर दिया जायगा तब सब बातें आएँगी । पहले से कोई बात नहीं दी जा सकती है ।

श्री मंजूर अहमद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को अभी हाल में हुए मेरठ कांड से अवगत कराना चाहता हूं उससे पहले कि मैं यह चर्चा शुरू करूं, एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि--

"यह दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है,

चुप हू तो नदामत है और बोलूं तो बगावत है ।

मान्यवर, यह घटना 6 सितम्बर, 1982 की ही नहीं है, मैं इस सिलसिले में बताना चाहता हुं कि सन् 1962 में भी मेरठ में रायट हुए उसके बाद जब सन् 1967 में चुनाव हुए तो वहां से जनसंघ पार्टी जीती फिर 1968 में कम्युनल रायट कराया गया तो 1969 में जनसंघ पार्टी वहां से चुनाव जीती । सन् 1973 में बहुगुणा जी के जमाने में वहां रायट हुए फिर 1974 में वहां से जनसंघ जीती और लगातार इन ताकतों के जरिये वहां ऐसे कांड होते आ रहे हैं, जिनकी न कोई नीति है और न सिद्धांत, सिर्फ उनका काम है एक दूसरे को लड़ाना और वोट हासिल करना ।

मान्यवर आदमी आदमी या जात-जात आपस में नहीं लड़ते, आदमी बदमाश द्वारा मारा जाए या पुलिस या पी० ए० सी० की गोली से या लाठी से मारा जाए, इनके पीछे कोई ताकतें लड़ाने वाली जरूर होती हैं, इसके लिये मैं बराबर लिखता आ रहा हूं उन संबंधित नेताओं व अधिकारियों को और आज फिर इसी बात को दोहराता हूं 11 नवम्बर की बात है सन् 1981 को दिन में ईदगाह की दीवार ढाई गयी साजिश के साथ जानबूझ कर उधर दूसरी ओर से गढ़ का मेला वापस लौट रहा था, जिससे वहां दंगा भड़के और माइनरटीज के जजबात भड़कें, और फिर वहां दंगा हो जाए, मगर उसी दिन अधिकारियों ने उस दीवार को चिनवा

[श्री मंजूर अहमद--]

दिया लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, इसकी शिकायत हुई मुख्य मंत्री आदि को । वह शिकायती पत्र उन्हीं अधिकारियों के पास पहुंच गया, जिनकी शिकायतें थी उस पर कुछ भी नहीं हुआ । जब मुरादाबाद का रायट हुआ वहां तो मेरठ में भी फिरकापरस्त ताकतें सक्रिय हो गयी थीं । हमने उसी समय उस वक्त के माननीय मुख्य मंत्री को अवगत कराया कि यहां मेरठ में भी झगड़े की योजना बनाई जा रही है । और यह अखबार हैं, जिन अखबारों के बारे में देश की प्रधान मंत्री, केन्द्रीय सूचना मंत्री ने भी मेरठ के अखबारों की निन्दा की है । यहां पर बैठे भूतपूर्व सूचना मंत्री, उन सब को लिख कर पत्र दिया और वहां पर बाला जी देवरस के आने की खबर के साथ उन अधिकारियों के नाम व पद भी दिये कि फलां-फलां अधिकारी इस मामले से सबंधित हैं, एक पुलिस विभाग का अधिकारी दूसरा गृह सचिव व मुख्य मंत्री को शिकायत की तथा एक आई० पी० एस० व एक पी० सी० एस० अधिकारी थे । इस शिकायत पर भी कुछ नहीं हुआ इतिफाक से यह प्रार्थना-पत्र भी उन्हीं सम्बन्धित अधिकारियों के पास पहुंच गया और कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ।

यह झगड़ा 6 सितम्बर, वाला नहीं है यह हिन्दू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, जानबूझकर राजनीतिज्ञों ने झगड़ा कराया है, पहले जो दंगे कराये जाते थे । चाहे वह सन् 1946 का हो सन् 1947 का हो, 1962, 1968 और 1973 को उन सबको देखा है । मैंने ऐसे मोहल्ले के मोहल्ले खाली होते हुए कभी नहीं देखे । मान्यवर, इसके लिए अगर कोई सोचे कि इस बीमारी का दल से ऊपर उठ कर सोचें, और संगठन से ऊपर उठ कर यदि नहीं सोचा गया तो हमारा देश खतरे में पड़ जायेगा हमारे देश की स्वतंत्रता को खतरा है, लोकतंत्र नहीं रह सकता है ।

मुझे बड़ी तकलीफ है जो लोग धर्मनिरपेक्षता का नारा लगाते हैं, जिन नेताओं की जिम्मेदारी है लोगों को धर्मनिरपेक्षता की तरफ ले जाने की कि सेक्यूलरिज्म बना रहे तो अगर इसी तरह से आप खामोश बैठे रहे और आपके अधिकारी बैठे तमाशा देखते रहे तो लोग गोलियों के शिकार होते रहेंगे । मान्यवर, एक नहीं मैं तारीखवार आपको बता सकता हूं मृतकों की संख्या वहां के अखबारों में अलग-अलग मेरठ के हालात को खराब किया ये अखबार हैं मेरठ समाचार, प्रभात अखबार तथा युवा रिपोर्टर, इन्हीं अखबारों ने अपनी प्रमुख भूमिका निभायी है, सूचना मंत्री भारत सरकार ने निन्दा की परन्तु उत्तर प्रदेश से आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं तो कांग्रेस के मैनीफेस्टो के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी झगड़ा हो गया यह 6 सितम्बर का यह झगड़ा नहीं, जिस समय माननीय मुख्य मंत्री ने शपथ लिया तो मैंने गृह सचिव से और मुख्य मंत्री को सारे मेरठ के हालात से अवगत कराया लिखित भी और जबानी भी । फिर भी वहां की हालत खराब हुई, 6 सितम्बर को रामभूल को चाकू से घायल कर दिया गया वहां के अधिकारियों की मौजूदगी में, थाने के बिल्कुल निकट और उसको मारने के बाद वहां की जनता को 20 तारीख तक कर्फ्यू में बन्द कर दिया जैसे पशुओं को बन्द कर दिया जाता है । शासन की नीतियों के विरुद्ध यह काम किया गया और लगातार उन्हीं अधिकारियों को ईनाम दिया जायेगा ।

एक अधिकारी का ट्रांस्फर किया गया तो उसे पी० ए० सी० में प्रमोशन दे दिया । एक एस० पी० (सिटा) थे तो उन्हें कम्पनी कमांडेन्ट बना दिया । एक मिश्रा जी थे ए० डी० एम० (सिटी) उसका ट्रान्सफर किया और चकबन्दी

में भेज दिया और फिर चकबन्दी से बदल कर माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा बरेली में एडीशनल डाईरेक्टर इन्डस्ट्रीज नियुक्त कर दिया। वह मुख्य अधिकारी जिन्होंने वहां पर गोलियां चलवाईं, मकानों को लूटा है कि झगड़ा हो जाय मगर झगड़ा एक या दो दिन तक का होता है, इतना लम्बा नहीं चला करता है, यह तो किसी निश्चित प्रोग्राम के तहत किया गया। एक अधिकारी एस० ओ० पी० का ट्रान्सफर किया गया उनकी जांच हो रही है और उसको सी० आई० डी० में भेज दिया। डी० एम० का ट्रान्सफर करके स्पेशल सेक्रेटरी राजस्व बना दिया गया। जब तक आपके प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तब तक मान्यवर जो झगड़ा है वह समाप्त नहीं हो सकता है।

यह झगड़ा हिन्दू और मुसलमान का झगड़ा नहीं है, मैंने 100-100 मृतकों की लिस्ट माननीय मुख्य मंत्री जी को दी है। दे चुका हूं। उनका आज तक कोई उत्तर नहीं है जांच नहीं हुई। 1962 में 1968 में और 1973 में लोगों ने मकान नहीं बेचे। अब किशन पान्डे मोरीपान्डा ने हरिनगर में मकान बच दिये हैं। ऐसी रोक लगानी चाहिए। मंत्री व अधिकारियों की मौजूदगी में गोली चली। 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी जयन्ती के दिन भी गोली चली। दिन में मान्यवर, गोली चली और दिन में ही लाशों को उठाकर पुलिस वाले ले गये। मैंने चिट्ठी लिखी कि फला अधिकारी फला ट्रक में लाशों को ले गये हैं और गंगा नदी में बहा दिया।

श्री अध्यक्ष—

आप का समय समाप्त हो गया। अब आप बैठें।

श्री मन्जूर अहमद—

मुझे तो 10 मिनट का भी समय नहीं मिला। मान्यवर, अधिकारियों से शिकायत की गयी और अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, उनको पता हुआ कि उनकी शिकायत कर दी गयी है। 14 फरवरी को मौलाना मजहरी का कत्ल हो गया, अधिकारी मौजूद थे वहां पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। सलीम कुरैशी लड़के का कत्ल हो गया और बाल्मीकि मुल्जिम था लेकिन फिर भी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिए। फिर 4 सितम्बर को मोहम्मद हनीफ, नन्दराम की चौक, में चाकू मारा। तो मान्यवर, 6 सितम्बर से लेकर 30 सितम्बर तक के बीच में 30 आदमी मारे गये, उनका कत्ल हुआ। मगर कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी, यह बड़ी गम्भीर बात है मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। इसकी जांच कराई जाय। सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाली यह कांग्रेस है। मोमिन काफरेन्स उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन, हाफिज रफीक अहमद अनसारी और उनके परिवार के लोगों को लूट लिया गया 50 आदमियों को बन्द कर दिया गया 7 तारीख को।

श्री अध्यक्ष—

आप का समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्य को दुबारा मौका मिलेगा। तब अपनी बात कह दें।

श्री मन्जूर अहमद –

मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हू । सब्बीर के 7 लड़कियां हैं और 22 साल का एक लड़का था, उसको मारा गया उसके बाप को जेल में में बन्द कर दिया गया । सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं इनके विभाग में एक जूनियर इन्जीनियर थे, मि0 जफर उनको मारा गया । जियाउर रसीद, जो स्टेनो हैं, हाइडिल में उनको भी मारा गया और उसके घर को लूट लिया गया लेकिन विभाग ने कोई उनकी सहायता नहीं की । सरकारी कर्मचारी हैं या सी0 डी0 ए0 के कर्मचारी हैं होमगार्ड के सिपाही सब्बीर को मार दिया गया....

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य का समय समाप्त, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

(श्री गुलाब सेहरा के खड़े होने पर)

श्री ख्वाजा हलीम––

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया है ।

श्री अध्यक्ष––

पहले माननीय मंत्री जी को अधिकार है कि वे संक्षेप में अपनी बात कहें । नियमों के अनुसार ही काम करना है ।

श्री मुहम्मद आजम खां––

अगर आप इस तरह से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम बाहर चले जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष––

आपको अवसर मिलेगा । नियमों के अनुसार ही चलना है ।

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)––

श्रीमन्, भाई मंजूर ने अपनी बात कही । मेरठ का दंगा वास्तव में दुर्भाग्य-पूर्ण था । इसको शासन की ओर से भी हमने महसूस किया कि यह दंगा एक सुनियोजित षडयंत्र के रूप में किये गये । श्रीमन्, इस दंगे में तीन चीजें विशेष रूप से सामने आती हैं । पहले तो यह एक साम्प्रदायिक दंगा होता है उसके बाद वह हरिजनों के उत्पीड़न में तबदील हो जाता है और फिर उसके बाद पी0ए0 सी0 के साथ लड़ाई होती है । तो मान्यवर, इसमें ऐसा लगता है कि इसमें एक बड़े जानकार और एक बड़ा दिमाग इसके पीछे लगा हुआ है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हम कहते हैं कि ये साम्प्रदायिक दंगे हुये––

यूं तो मौत बसा करती है श्मशानों में
घोर सन्नाटा लिये दूर बियाबानों में
फिरकापरस्ती खाती है जब जवां जिस्मों को
मौत ठहर जाती है बस्ती और मकानों में ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय, हम मानते हैं कि यह एक सुनियोजित तरीके से दंगा हुआ। आल-इंडिया प्रेस ने इस मेरठ के दंगे पर अपने विचार दिये हैं---नवभारत टाइम्स ने कहा--बुखारी के कारण मेरठ के दंगे भड़के। यह 4-10-1982 का है। स्टेट्समैन 5-10-1982 ने कहा--मेरठ रायट्स प्री-प्लैन्ड। अमृत प्रभात 7-10-1982 कहता है--मेरठ दंगों का दोष कौन ? और स्वतन्त्र भारत 27-11-1982 कहता है--मेरठ के साम्प्रदायिक दंगों के पीछे कौन ?

अमृत प्रभात ने लिखा है कि भाजपा ने यह आरोप भी लगाया है कि मौलाना बुखारी ने मुसलमानों पर दबाव डाला कि अधिकारियों के कहने पर विवादास्पद मन्दिर के सम्बन्ध में जो समझौता दोनों समुदायों के बीच हुआ था उसे स्वीकार न करें। "दि बेस्ट--13-9-1982 ने कहा कि बुखारी द्वारा मस्जिद में जहरीला भोजन देने पर लोग हिंसा पर उतर आये। मेरठ के एक अखबार में तो यहां तक कहा गया कि बुखारी को इन दंगों को भड़काने के पीछे गिरफ्तार करना चाहिए।

(व्यवधान)

माननीय, इससे मालूम होता है कि यह दंगे एक सुनियोजित षडयंत्र करके किये गये। श्रीमन आप आश्चर्य करेंगे कि सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे जनता रिजीम में हुये हैं। मेरे पास 24 सितम्बर, 1978 तक की फिगर्स हैं। 437 दंगे जनता रिजीम में हुये और अलीगढ़ में तो साल भर तक दंगे होते ही रहे, ये किस मुंह से बात करेंगे। हम जानते हैं कि वे लोग बात कर रहे हैं जो अपने गरेबां को खुद हाथ डालकर नहीं देख रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह--

यहां पर मेरठ की बात हो रही है यह बाहर की बात क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें।

श्री हुकम सिंह--

बात वह कर रहे हैं आप हमको क्यों कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत रहें।

श्री गुलाब सेहरा--

मेरा विनम्र आग्रह है कि इस सदन का एक गौरव है हम लोग इन दंगों का विश्लेषण करें और ऐसा कोई हल निकालें जहां पर मानव-मानव एक हो और उसमें जाति का कोई आधार न हो। बहुत से लोग जोर शोर से कहते हैं

श्री गुलाब सेहरा--]

वहां पर पी० ए० सी० ने बहुत उत्पीड़न किया, यहां पर कोई एक सैकुलर फोर्स बननी चाहिये । मैं उनका बताना चाहता हूं कि पी० ए० सी० में किसी जाति विशेष का आरक्षण नहीं है केवल शैड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण है इसलिए उसमें अल्पसंख्यक भी भर्ती हो सकते हैं जो कोई 5 फीट 6 इंच का है, मिनिमम अर्हता पूरी करता है, भर्ती हो सकता है । जो सैकुलर फोर्स की बात करते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि एक नया आदमी भर्ती होने जाता है उसका जांच कैसे करेंगे कि यह सैकुलर है या नहीं ? सैकुलर होने की जांच करने के लिए पहले कोई मशीन ईजाद करनी पड़ेगी जिससे व्यक्ति को तुरन्त पहचान लिया जा सके ।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, अपने इलैक्शन मैनिफैस्टो में आपने अकलियत से वोट मांगने के लिए झूठ बोला

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री गुलाब सेहरा--

वहां लोगों ने डिमांड की शासन से कि पी० ए० सी० ने कुछ उत्पीड़न किया है तो हमने तुरन्त उसी दिन एक डी० आई० जी० के नेतृत्व में एक छोटा सा कमीशन बना दिया ताकि पी० ए० सी० के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो उसकी जांच हो । उसके अलावा हमने अल्पसंख्यक भाइयों को संतुष्ट करने के लिये सी० आई० डी० की इन्क्वायरी रख दी । मुरादाबाद में दंगा हुआ मेरठ में दंगा हुआ तो हमने पहले अल्पसंख्यक वर्ग का पूरा ध्यान रखा और उनकी भावना का आदर करते हुए कहा इसमें बड़े से बड़े व्यक्ति द्वारा इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी हो जाय और उसमें शासन तन्त्र भी शामिल होगा किसी को उसमें बख्शा नहीं जायेगा तो इससे ज्यादा साफ मंशा हमारी और क्या हो सकती है । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन दंगों के पीछे एक क्रमबद्ध इतिहास है उस पर हमें विचार करना चाहिये । आप आश्चर्य करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय ने वहां पर काले झंडे लगाये उसके दूसरे दिन रातों रात मेरठ में 20 हजार झंडे तैयार हो गये और मेरठ शहर रंग दिया गया । तो इसके पीछे किसका हाथ है ? इसके पीछे अगर लम्बे हाथ नहीं थे तो 20 हजार झंडे कैसे चार बजे तक लग गये । उसमें किन्हीं राजनीतिक लोगों का हाथ था जिनके घर में वे बने और जो बाजार में रातों रात लग गये ।

मैं मानता हूं कि अल्पसंख्यकों को प्रशासन से शिकायत थी जिसके लिए उन्होंने काले झंडे लगाये लेकिन जिनको कोई शिकायत नहीं थी उन्होंने 20 हजार झंडे लगाकर वातावरण को उत्तेजित किया, वातावरण में आक्रोश उत्पन्न किया । वह झंडे पीले रंग के आर० एस० एस० के थे तो इसके पीछे कोई सुनियोजित षडयंत्र न हो और कोई दिमाग न हो और क्या हो सकता है ? जिसमें पूरे मेरठ शहर को पाट दिया । भाई मन्जूर ने एक बात उठाई है मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का 90 वर्ष पुराना इतिहास है, हमने अल्पसंख्यक और सर्वहारावर्ग की हमेशा रक्षा करने का व्रत लिया है इसमें हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी तो वह हम करेंगे । उसके लिए हम तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, मेरठ में जो कुछ हुआ उसके सम्बन्ध में मैं सिर्फ दो रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं एक तो 'आन-लुकर' के दिलीप अवस्थी और दूसरी रिपोर्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज श्री कृष्णा अय्यर हैं जिन्होंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है इन दो रिपोर्ट को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं....

[5.30 बजे अपरान्ह से]

उससे पता चल जायेगा कि वहां पर क्या हुआ । मेरठ में जो कुछ हुआ है वह उससे बदतर हुआ है जो बेरूत में हुआ था । पी० ए० सी० के जवानों ने 450 मकानों पर हमला किया और कहा कि बेरूत से बदतर करके छोड़ेंगे, आज हर घर में एक ऐसा आदमी मौजूद है जो सारी जिंदगी अपाहिज बनकर अपनी जिंदगी गुजारेगा । पी० ए० सी० के जवान बिल्कुल बेकाबू हो गये थे, वह असमइदरी कर रहे थे, लोगों का कत्ल कर रहे थे और सामने आने वाली हर चीज लूट रहे थे। पी० ए० सी० के जवानों के रवैये से खौफजुदा होकर उनके साथ आने वाले सिविल आफिसर वहां से फरार हो गये । एक अक्तूबर को पी० ए० सी० की वहशियाना कार्यवाही के बाद 6 मोहल्लों में से 100 से ज्यादा लाशें पी० ए० सी० के तीन ट्रकों पर लादकर वहां से हटाई गईं, ट्रक मेरठ--बागपत रोड पर गये थे। चार हजार राउन्ड चलाये गये थे और सिर्फ कम उम्र बच्चों को निशाना बनाया गया था । उनकी उम्र 12 से 25 के बीच थी । कहा जाता है कि लाशों के बीच एक दर्जन औरतें और लड़कियों की लाशें थी। एक सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर के लड़के को कोतवाली में लाकर मारा गया, उसकी 16 साल की लड़की की असमइदरी की गई । यह श्री दलीप अवस्थी ने और लुकर की रिपोर्ट में लिखा है ।

मान्यवर, इसके अलावा सुप्रीमकोर्ट के भूतपूर्व जस्टिस श्री वी० के० कृष्णा अय्यर के उस पत्र की एक प्रति वादियों ने अपने पिटीशन के साथ दाखिल किया है जिसे उन्होंने भारत के गृह मंत्री को लिखा था । न्यायमूर्ति अय्यर ने मेरठ के दंगाग्रस्त इलाके का दौरा करने के बाद कहा था कि--

"माई प्राइमा फेसिया फीलिंग इज स्ट्रांग दैट दि पी० ए० सी० हैड गाट इन टू दनैरो लिविंग स्पेसेज आफ दि हडल्ड मुस्लिम फेमिलीज एन्ड शाट सेवेरल मेल्स इन कोल्ड ब्लड ।"

मान्यवर, हिन्दी में कह रहा हूं कि--प्राइमा फेसी में जो बातें मन पर गहरा असर डालती हैं वे यह हैं कि पी० ए० सी० ने परेशान हाल घबराये हुए मुसलमानों की घनी बस्ती में जाकर बड़े ही ठंडे दिमाग से जानबूझकर मुस्लिम जवानों का कत्ल किया है ।

मान्यवर, श्री मंजूर अहमद ने प्रस्ताव किया है और उन्हीं की एक सुप्रीमकोर्ट में रिट फाइल किया है जिसमें कहा है कि यह हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा

श्री ख्वाजा हलीम--]

नहीं था बल्कि इसको पी० ए० सी० ने झगड़ा किया है। रिट में जो लिखा उसको मैं पढ़ रहा हूं--

"दि पिटिशनर्स एलेज्ड दैट इन आल 75 वेयर गन्ड डाउन बाई दि पी० ए० सी० दिस इज ए किलियर प्रूफ दैट बाई एन्ड लार्ज हिन्दू एन्ड मुस्लिम मासेस डिड नाट यूज दि डैगर आर दि गन टु किल इंच अदर बट दि हिन्दू कमोनलिस्ट सक्सेजफुली यूज्ड दि पैक्ट टू यूज दि गन नाट फार डेफेंडिंग दि सेकुलर डेमोक्रेटिक फंडामेन्टल्स आफ दि स्टेट बट टू डान इन ब्लड मेम्बर्स आफ दि मुस्लिम कम्युनिटी इन मेरठ।"

तो मान्यवर, सुप्रीमकोर्ट में उ० प्र० सरकार के खिलाफ याचिका दायर हो गई है। गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया है लेकिन अभी तक सरकार ने जवाब नहीं दिया है। इस प्रकार श्री मन्जूर अहमद ने पहले कहा है कि पी० ए० सी० ने मारा था लेकिन आज वह कह रहे हैं कि पी० ए० सी० ने नहीं मारा बल्कि जनसंघ पर आरोप लगा रहे हैं।

मान्यवर, आज तक इन 34 सालों में किसी अधिकारी ने यदि दंगे में हिस्सा लिया तो उसको तरक्की इस सरकार ने की है और यही बात श्री मंजूर अहमद ने कही है कि तरक्की हुई है और तरक्की इसलिए सरकार ने की है चूंकि उसकी मंशा के मुताबिक काम वहां हुआ। यह कमीशन जो बैठा है, इस कांड का दुनियां को पता चल गया कि बेरूत से ज्यादा शर्मनाक कांड हुआ है मेरठ में, इसलिए यह आयोग बैठाकर दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए कमीशन बठाया गया है। कमीशन की किसी ने मांग नहीं की है।

इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मेरी सरकार से तीन मांगें हैं जिनको वह सुनकर माने तभी कमीशन सफल होगा अन्यथा कमीशन का बायकाट किया जाय। तीन मांगों में पहली मांग है कि कमीशन की मुद्दत 3 महीने होनी चाहिए जैसा कि श्री अम्मार रिजवी ने मुरादाबाद में कहा था कि तीन महीने के बाद कमीशन का काल समाप्त कर देंगे लेकिन कई महीने हो रहे हैं किन्तु कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आयी है। आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। इन्होंने बनारस की रिपोर्ट गायब कर दी है और जो पहले अलीगढ़ में कमीशन बैठा था, उसकी जांच को वापस ले लिया। तो यह केवल अपने अफसरों को बचाना चाहते हैं कमीशन के माध्यम से और यही इनकी नीयत है कमीशन बठाने की। यदि यह वास्तव में सही तौर से जांच के लिए और पीड़ित लोगों की मदद के लिए और सही अंजाम पर पहुंचने के लिए कमीशन बिठाया गया है, तो पहले तो यह अपने सम्बन्धित अफसरों को सस्पेंड करें और उनको केस दौरान कोई सरकारी इमदाद न दें यह जांच में जितना रुपया आप अपने अधिकारियों पर उनके बचाने में खर्च करते हैं, उसे आप मजलूमों की मदद के लिए दें क्योंकि वह लोग लुट चुके हैं, बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यह कहां तक सही है कि जो लुटे हुए और बुरी तरह से बर्बाद लोग हैं वह हजारों रुपया खर्च करके कोर्ट में जाएं। अपने अधिकारियों को आप लाखों रुपया बचाने पर खर्च करेंगे, उनको अच्छी से अच्छी कानूनी सलाह मिल जायगी, उच्चतम न्यायालय का वकील मिल जाएगा। आपमें इतनी भी शर्म नहीं है कि बेरूत के मसले पर रक्षा मंत्री शेरोन के बारे में बेगिन ने जो रिपोर्ट मानी है और अपने रक्षा मंत्री को बरखास्त किया है आप उतना भी नहीं कर सकते। कमीशन के सिलसिले में एक शेर है--

'तुम ही मुंसिफ, तुम ही हाकिम, तुम ही मुल्जिम ठहरे,'
अकरबा करे करें अब कत्ल का दावा किस पर।

यह सारे लोग जो आपके प्रशासन और पी० ए० सी० को दोष दे रहे हैं और कत्लेआम की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, क्या वह सब झूठ बोल रहे हैं। वे सब सही बात कह रहे हैं आप आपने अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करें, उनको बचायें नहीं ताकि आइन्दा ऐसा कांड कभी न हो सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठ जाइये।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, आज एक गम्भीर मसले पर यह सदन चर्चा कर रहा है, मेरठ के अन्दर जो मृत्यु का ताण्डव नृत्य हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि अगर देश में कोई धर्मनिपेक्षता का कायदा कानून है और सेक्यूलिरिज्म को मानने वाले लोग हैं, तो इस देश की नेता केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, जिसका हन्ड्रेड परसेंट सेक्युलरिज्म में विश्वास है। जो लोग जाति और मजहब के नाम पर चुनाव के दौरान या ऐसे मौकों पर प्रदेश और देश के अन्दर लोगों को गुमराह करते हैं और जिसकी साजिश कुछ ऐसे लोगों से जुड़ी हुई है, उनकी बहुत बड़ी साजिश मेरठ में थी, जिससे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उसके ही कारण जो कुछ हुआ वह सब एक साजिश का टुकड़ा है। मैं 6 दिसम्बर के पूर्व की स्थिति से सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

एक मीटिंग कोतवाली में 9 अगस्त को हुई, जिसमें मैं मौजूद था और उस मीटिंग में मंजूर अहमद नहीं थे, मैं और सिटी कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट मौजूद थे, उसमें यह तय हुआ कि मन्दिर और मजार का जो झगड़ा है, केवल एक व्यक्ति ही, मन्दिर पर पुजारी रखा जायेगा जो जल चढ़ाने का काम करेगा और जब जल चढ़ाता था, तो जन्माष्टमी के दिन कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतों ने इकट्ठा होकर जल नहीं चढ़ाने दिया।

(व्यवधान)

तीन-चार हजार लोग चले गये। नहीं भी गये तो उसका एक तूफान बनाया गया जो रामभूल शर्मा का कत्ल हुआ और जो शुरूआत हुई मन्दिर से, उसका भी एक साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया गया और साजिश के तौर पर उसका मर्डर किया गया।

मेरा तो मुख्य मंत्री जी से निवेदन है और सदन में मांग है कि आज तक यह लोग पकड़े गये हैं या नहीं, जिन्होंने उसका कत्ल किया है। जो लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को सताया गया है, मैं सत्यता के साथ कहना चाहता हूं कि हरिजनों और ब्राह्मणों की गिरफ्तारियां भी वहां काफी हुई हैं। जो लोग कहते कि ज्यादा लोग मरे हैं। ऐसा नहीं है। किसी राजनीतिक दबाव के कारण यह गिरफ्तारियां की गई हैं और जो कहते हैं कि वहां के जिलाधिकारी और एस० पी० प्यारेलाल का स्थानान्तरण कर दिया वे जनसंघ के लोग नहीं थे।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री बाला साहब देवरस हैं . . .

(व्यवधान)

आई० पी० एस० अधिकारी अटलबिहारी बाजपेयी हैं, वह लोग भूल जाते हैं कि प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मेरठ में शान्ति स्थापित की है।

[श्री दामोदर शर्मा--]

इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री माननीय श्रीपति मिश्र जी ने दो दफा उस शहर का विजिट किया, उसके बाद आश्वासन दिया था कि उन लोगों को, जो रायट पीड़ित लोग हैं, मैं एक-एक लाख रुपया मदद दूंगा और मदद उनको दी गई। बी0 बी0 एस0 एफ0, एस0 एफ0 सी0 आर0 पी0, में जो दूकाने जल गई थीं, उन लोगों की दूकानें जो कि जल गई थीं, उनको बनवाया। श्रीमती इंदिरा गांधी 5-6 फरवरी को वहां आईं। उन्होंने रायट अफेक्टेड एरिया को देखा तथा अल्प संख्यकों के हितों की बात सुनी और उनको मदद देने का आश्वासन दिया। मैं वह कोटेशन सुना देना चाहता हूं, 7 फरवरी के टाइम्स आफ इंडिया के अखबार में जो छपा था :

"व्हाइल मिसेज गांधीज विजिट टू दी सिटी वाज हेल्ड बाई मिस्टर दामोदर शर्मा ऐन्ड सईद जकीउद्दीन, यूथ कांग्रेस (आई0) एम0 एल0 एज0। मिस्टर मंजूर अहमद, कांग्रेस (आई0) एम0 एल0 ए0 फ्राम दि मेरठ सिटी कांस्टीटुएन्सी, सेड सच ए हरोड विजिट वुड नाट हेल्प रेस्टोर कान्फीडेन्स एमंग दि पीपुल अफेक्टेड बाई राइट्स।

ही सेड मिसेज गांधी डिड नाट विजिट प्लेसेस व्हेयर सम ट्रेजिक इंसीडेन्ट हैड आक्कर्ड। ही सेड दैट दि विडोज आफ सेवेरल परसन्स किल्ड इन दि राइट्स रेटेड इन वेन एलांग विद देयर चिल्ड्रेन ऐट फिरोज बिल्डिंग टू टेल मिसेज गांधी देयर टेल्स आफ वो एन्ड सफरिंग।

ए मेमोरेंडम साइन्ड बाई मिस्टर मन्जूर अहमद ऐन्ड सम अदर्स, हैन्डेड ओवर टु मिसेज गांधी डिमांडिंग इम्मीडिएट रिमोवल आफ दि पी0 ए0 सी0 फ्राम दि सिटी, रेंजिग आफ ए फ्रेश फोर्स हैविंग रिप्रेजेन्टेशन आफ आल सेक्सन्स आफ दि पीपुल बैनिंग आल कम्युनल आरगेनाइजेशन ए थारो इन्क्वायरी फार प्रिपेयरिंग ए लिस्ट आफ दोज किल्ड इन दि राइट्स बिकाज दि आफिसियल डिटेल वाज मच बिलो दि ऐक्चुअल नम्बर आफ परसन्स किल्ड, एडीक्वेट रिहैबिलीटेशन आफ दोज अफरूटेड डयूरिंग दि राइट्स ऐन्ड इनक्रीज इन दि क्वान्टम आफ फाइनेन्सिअल एसिस्टैन्स टू दि डिपेन्डन्ट्स आफ दि विक्टिमस।"

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी वहां पहुंचीं, मंजूर अहमद साहब ने एक मेमोरेंडम श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया कि जो लोग मारे गये हैं, उसकी फ्रेश इन्क्वायरी कीजिए और माननीय सेहरा जो कह रहे हैं की सी0 आई0 डी0 जांच उन्होंने कराई, जो कि बिलकुल सत्यता जाहिर करती है। जो वह संख्या बता रहे हैं, वह सही है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं। परसों के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपा है जिसमें मंजूर अहमद का रोल गलत बताया है :

"इन ए लेटर टू मिस्टर शाह नवाज खां, लीडर आफ दि जमात-ए-उलमा हिन्द, हू हैज थ्रिटेन्ड टू स्टार्ट ए मूवमेन्ट डिमांडिंग ए कर्ब आन कम्युनल एलीमेन्टस, मिसेज गांधी सेड दैट देयर वेयर कम्युनल एलीमेन्ट्स इन आल कम्युनिटीज अमगंस्ट हिन्दूज ऐन्ड मुस्लिम इन मेरठ मेनी फील दैट मंजूर अहमद्सइज रोल हैज बीन हार्मफुल" शी ऐडेड।"

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, चाहते क्या हैं आप ?

श्री अध्यक्ष--

कृपया समाप्त कीजिए माननीय शर्मा जी और माननीय मंजूर अहमद बैठिये आप ।

श्री दामोदर शर्मा--

ये सारी साजिश के तहत हुआ है, जिसमें विदेशी ताकतों का हाथ है जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, वही खुद दोषी हैं । आज खुद दोषी हैं ।

(मेजें थपथपाई गयीं)

(शेम-शेम की आवाजें)

शायद वह यह भूल गये हों कि हम श्रीमती इंदिरा गांधी के चरण छूकर ही इस सदन में आये हैं । वह देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं और अल्प संख्यकों की रक्षा कर रही हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त है ।

श्री दामोदर शर्मा--

इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री बाला साहेब देवरस नहीं हैं, न ही होम सेक्रेटरी अटल बिहारी बाजपेयी हैं, जैसा कि मंजूर अहमद ने कहा है । मुख्य मंत्री धर्मनिर्पेक्ष हैं । और धर्मनिर्पेक्ष राज्य की अगुआई कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब कोई चीज नहीं लिखी जायगी । आपका समय समाप्त हुआ । बैठिये आप ।

श्री दामोदर शर्मा--

[* * *]

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर,

रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मआफ
आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है ।

जनाबेआला, फकत 5 मिनट का वक्त इस अहम बहस पर देकर आपने अकलियतों पर अहसान किया है, जाती तौर पर मैं भी इसके लिये आपका अहसानमंद हूं । जैसा मैंने अर्ज किया था हम प्रजातांत्रिक मुल्क में रहते हैं,

---

नोट--[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

**श्री मुहम्मद आजम खां---]

जम्हूरियत के मानने वालों का हमारे देश में मुकम्मल निजाम है । उसके तहत प्रदेश और देश चलता है । चूंकि यह निजाम जिसे हमने बनाया है इसीलिये नामुकम्मल है और नामुकम्मल इस तरह से है कि आये दिन उसमें तब्दीलियां होती रहती हैं । मान्यवर, मैंने अर्ज किया था कि 35 साल होने को आये हमारी सरकार और हमारे निजाम ने जिसमें यह कहा गया था कि अब कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा, नंगा नहीं रहेगा और वह बेआसरा नहीं होगा । किसी मां की गोद सूनी नहीं होगी, किसी की मांग से सिंदूर नहीं नोचा जायगा किसी मजलूम का गला नहीं काटा जायगा । किसी मासूम को नफरत के पैरों तले नहीं रौंदा जायेगा । लेकिन उसके बरअक्स क्या हो रहा है इस देश और इस प्रदेश में ।

चंद तस्वीरे मेरे पास हैं । जो दस्तावेज मेरे पास हैं उसमें तकरीबन 55 लोगों के हलफनामें हैं । जो लोग मारे गये हैं उनकी तस्वीरें हैं जिनकी बेटियों की अस्मतदरी हुयी है जिनके मकान लूटे गये हैं, जलाये गए हैं उनके बयानात हैं । जो जुल्म वहां किये गये हैं उनकी दास्तान है । मुझे मालूम है जब मैं इस कयामत के बारे में कहूंगा तो मुझ पर फिरकापरस्त होने का इल्जाम लगाया जायेगा । मुझ पर पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगाया जायगा और मुझ पर पेट्रो डालर का इल्जाम लगाया जायगा और यह इल्जाम मुझे तसलीम होगा । सिर्फ इसलिये कि मैं सदन में सारी बातों को सच्चाई और जिम्मेदारी से रख सकता हूं, उनको आपको सुना सकता हूं । आप चाहे जो कुछ कहें लेकिन मैं अपनी आवाज व बागेदहल उठाऊंगा, मैं अपनी बात कहूंगा । अगर हमारा दर्द आपके कानों तक नहीं पहुंचेगा तो आप इलाज नहीं कर पायेंगे । आपको इन मासूमों के दर्द के अहसास को अपने दिल में उतारना होगा । मेरा अपील है कि जुल्म करने वालों को जालीम और जुल्म बर्दाश्त करने वालों को मजलूम समझा जाये मैं इस जुबेदा की तस्वीर को आपको दिखाना चाहता हूं ।

(श्री मुहम्मद आजम खां ने तस्वीर को सदन में दिखाया ।)

मैंने कहा था कि तस्वीरे मेरे पास हैं । इस बदनसीब औरत के 6 बेटियां हैं और एक 13 साल का बेटा था । इसके घर में पी० ए० सी० घुसी । सदन में कुछ माननीय विधायक औरतें हैं वह अपने सीने पर हाथ रख कर सोचें और इस दर्द को महसूस करें । जब उस औरत के घर में पी० ए० सी० घुसी तो उसने कहा कि मेरी 6 बेटियों में जो बेटी चाहो ले जाओ लेकिन मेरे 13 साल के बेटे को मत मारो । लेकिन पी० ए० सी० के जवान जो इस मुल्क और सूबे की हिफाजत और हुकूमत की हिफाजत करते हैं मुहाफिज हैं मुल्क की सरहदों के । उन्होंने उसकी बेटियों को नहीं उठाया क्योंकि ऐसी बहुत सी बेटियां उनको दूसरी जगहों से मिल सकती थीं । चूंकि उसके एक ही लड़का था लिहाजा पी० ए० सी० वालों ने उसके लड़के को उसी के सामने गोली मार कर मार डाला और घसीट कर ले गये और जाते वक्त यह कहा कि तुम्हें यह खून धोना होगा । फिरकापरस्ती की हद है । उसका टेपरिकार्ड बयान मेरे पास है ।

आप इजाजत नहीं देंगे, नहीं तो उसको सुनकर यह पता चलता कि यह गरीब मुसलमान औरत किस तरह से जुल्म की शिकार हुई है । पी० ए० सी० वालों ने उससे कहा कि खून धोओ नहीं तो हम तुमारा खून कर देंगे मां ने बेटी की लाश से निकलता हुआ खून रो-रो कर धोया मगर इन्सानियत के अलम बर्दार

मुस्कराते रहे। यह वह मुल्क है जिसके लिए हमने सन् 47 में कुरबानियां दी थीं। हिन्दुस्तान से भागते हुये मुसलमान से मौलाना आजाद ने कहा था मुसलमानों कहां जाते हो रुक जाओ, जामा मस्जिद का तुकुद्दस और कुतुबमीनार को बुलन्दी तुम्हें पुकारती है, मुसलमानों रुक जाओ और भागता हुआ मुसलमान रुक गया। सिर्फ इसलिए कि हिन्दुस्तान में हमको इन्साफ के साथ जीने का मौका मिलने की उम्मीद थी लेकिन उसके बरअक्श अकलियत का कत्ले आम हुआ। क्या यही गांधी जी के ख्वाबों का हिन्दुस्तान है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, इस तरह का भाषण नहीं होना चाहिये।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं यह जानता हूं कि यही वह लोग हैं जिन्हें बर खेर इक्तेरार लेने का दावा है। जिन्होंने मेरठ के फसादात को आग की शक्ल में बदल दिया। मान्यवर, यही वह साजिशी लोग हैं। मैं सत्ता पक्ष से जवाब चाहूंगा। मुझे अफसोस सिर्फ यही है कि आप करते हैं और कराते हैं, हम कहते हैं तो आप हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है उसको सुनते भी नहीं हैं, मुझे अफसोस इस बात का है। आपने वहां पर कत्ल को नहीं देखा, फसाद में किस तरह से टांगें नोच डाली जाती हैं, किस तरह छातियां काटी जाती हैं जिस्म चीरे जाते हैं, जिना होता है और पी० ए० सी० के जवान कत्ल और लूट करते हैं। आपने नहीं देखा है, यह सब हमने देखा है।

मान्यवर, यह एक औरत की तस्वीर है। रसीदन नाम की बेवा औरत की तस्वीर है। इसके सिर्फ एक लड़की थी। इसकी शादी के सिर्फ दो महीने बाद इसका शौहर मर गया। एक लड़की थी। इसने सिर्फ इसलिए शादी नहीं की कि लड़की बड़ी होगी तो वह लड़की का ब्याह करेगी और बेटी होकर भी इसकी जिंदगी का सहारा बनेगी। उस मासूम बदकिस्मत औरत को यह नहीं मालूम था कि वह उस फिरकापरस्त इलाके में रहती है जहां पी० ए० सी० के जवान आयेंगे और कत्ले आम करेंगे। उस औरत की बेटी को, उसके तनहा सहारे को पी० ए० सी० के दस्ते कत्ल कर देंगे। क्या यही आपका जमूहरी निजाम है, मैं सेकुलर ताकतों से पूछता हूं, कांग्रेस सरकार से पूछता हूं। मुल्क की वजीरे आजम मिसेज इंदिरा गांधी से जो उस वक्त बेरुनी मुल्कों के दौरे पर थीं। वह वहां से लौटीं मगर दिल्ली के ऐवान में नहीं आईं। उनके बेटे राजीव गांधी साहब अपना दौरा मुलतवी करके चार्टर प्लेन से ब्रीच कैंडी अस्पताल अमिताभ बच्चन को देखने जाते हैं। मेरठ जो इंदिरा गांधी की नाक के नीचे बसा हुआ है वह वहां नहीं गयीं और जब मोइतर्मा हिन्दुस्तान वापस आयी तो मेरठ में जहां पर लोगों की टांगे चीरी गयी थीं कत्ले आम हुआ था, 67 किलोमीटर के फासले पर मेरठ वजीरे आजम की अमादत से महरुम रहा। उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया और वह ब्रीच कैंडी अस्पताल में एक फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को देखने आयीं अपने घर नहीं गयी मुल्क की हालत नहीं देखी मेरठ नहीं देखा हां एक फिल्म स्टार—को जरूर देखा। अमिताभ बच्चन के लिए तो बड़ी हमदर्दी है। लेकिन मजलूम मुसलमान काबिले हमदर्दी है और नहीं काबिले रहम। मान्यवर, लौटते हो वह उसे देखने गयी। ठीक है बहुत अच्छा किया अमिताभ बच्चन इस मुल्क का रहने

[श्री मुहम्मद आजम खां--]

वाला है, उसकी बीमारी को पूछना वजीरे आजम का अखलाकी फर्ज था। एक तरफ एक शख्स को देखने गयी और दूसरी तरफ हजारों लोग जो पीड़ित थे उनको देखने के लिए नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरी इस तकलीफ का इजहार कैसे हो सकेगा ? अगर मुझे 2 मिनट का भी वक्त और नहीं मिल सकता तो वह हुकुमत अकलियतों की क्या हिफाजत करेगी। मान्यवर, मंजूर साहब ने जो मरने वालों की सूची दी थी, उसके लिए सत्ता पक्ष के लोग ही उन्हें बागी करार दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। आपका समय समाप्त।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरी आखिरी बात सुन लें। यह तस्वीर एक मस्जिद पर गोली चलाने की है। सी० आर० पी० की मेरे पास ये तस्वीर हैं। 132 मरने वाले लोगों की मेरे पास फेहरिस्त है। बासबूत यह मेरे पास मौजूद है। मान्यवर, यह तस्वीरें उन मकानात की हैं जो फसादियों ने मकान जलाये, सी० आर० पी० ने उन्हें बनवाया, इस तरह से सरकार घरों को जलाती है और उसके बाद एक आध घरों को बनाती है। इससे ऐसा मालूम होता है कि यह फसाद प्री प्लान्ड था। मैं यह कह कर इजाजत लूंगा कि अकलियते अपने आप को गैर महफूज समझती हैं और उनका इस हुकुमत पर भरोसा नहीं रहा है।

हयात छीन लो वक्ते खां की हाथों से,
हयात भीख में मिलती नहीं है दीवानों।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

आज जिस विषय पर यह चर्चा चल रही है और जो बात यहां जेरे गौर है, उस पर हम सब चिंतित हैं और दुख से इस मसले पर विचार करना चाहते हैं। लेकिन देखना यह भी पड़ रहा है कि कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरह के दंगा फसाद कराते हैं और फिर कत्ल पर, कफन पर, आंसू बहाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दंगा करते हैं और अपने ख्यालात से आग लगाने की कोशिश करते हैं। देखने में यह आया है कि हम आज जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं, इससे इंकार नहीं कि फसाद नहीं हुआ, फसाद हुआ, इससे भी इंकार नहीं है कि लोग मरे, कुछ माएं अपने बच्चों से बिछड़ गयी। कुछ बीबियां अपने शोहर को न पा सकीं। लेकिन इन्सानियत का काम था कौन ऐसा है इस हाउस में जो इस पर आंसू न बहाये ? कौन ऐसा है जो दर्दनाक घटना के माहोल पर अपने दर्द का इजहार न करे ? बात यह है, मान्यवर, इस मुल्क में जब मिसेज इंदिरा गांधी ने नारा दिया कि जाति पर,

न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, तो इस मुल्क के दुश्मनों ने

(व्यवधान)

कुछ बाहर के और कुछ अन्दर के, उन्होंने एक मिजाज बनाया और वह यह था कि इस मुल्क में मैडम इंदिरा गांधी को वापिसी के बाद जिस नारे पर वह जीत कर आयी हैं, सेक्युलरिज्म के आधार पर जीत कर आयी हैं उनका खंडन करने के लिए साजिश कहां से हुई, बातें कहां पर हुईं और हाथ कहां के हैं।

(व्यवधान)

अगर यह नहीं होता तो मुरादाबाद में, रियासत भाई बैठे हैं, मेरठ में कौर हैं हमारी ताकत–हमारी ताकत हैं अल्प संख्यक, हरिजन भाई और सब लोग। यह फैसला किया गया कि कांग्रेस के आने के बाद झगड़े ऐसे कराये जायें, जो ताकते हैं, सिय सो ताकत, हरिजन और मुसलमान, और आपने देखा कि मेरठ और मुरादाबाद में उन्हीं लोगों में झगड़ा कराया गया। पैसे किसी ने दिये, हाथ किसी का और हथियार किसी और ने दिये है....

(व्यवधान)

एक सदस्य––

आप नाम बतायें:....

श्री खान गुफरान जाहिदी––

आपके साथ बैठे हैं वे लोग। हम मुरादाबाद, मेरठ का मुकाबला नहीं करेंगे कि किस पीरियड में कितने फसाद हुए। हमें तो आश्चर्य इस बात का है कि बावजूद चकबस्ती के फिरकापरस्तों के हाथ इतने मजबूत हो गये कि हमारी तमाम निगरानी के बावजूद फसाद कराये गये। आप अभी चिल्लाते थे कि जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाये, उसका फैसला किया तो उसका भी एतराज हमारे साथी ने कर दिया। हैरतअंगेज बात है....

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं और मानता हूं कि यह फसाद बिलकुल मनसूबाबन्द साजिश के तहत किये गये। आर० एस० एस० का नाम क्यों? आर० एस० एस० के साथ माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने कुछ हमारे मुसलमान भाई भी ले लिये हैं। मैं उन मुसलमान भाईयों को आर० एस० एस० का ही माने लेता हूं जो फसाद कराने के लिए मेरठ पहुंच जाते हैं। राजेन्द्र गुप्ता से कोई एतराज नहीं है मुझे। मुझे उन खयालातों पर एतराज है जो खयालात तकसीम कराते हैं, आपस में मिलने नहीं देते। मुझे किसी जातीय हैसियत से कोई शिकायत नहीं है। आप यह भी देखें, मैडम इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि प्रोडक्शन इयर है, पैदावारी का साल है लेकिन कोई भी पैदावार नहीं हो सकती, कोई भी काम नहीं हो सकता अगर भाई–भाई आपस में लड़ जायेंगे। कुछ कहानी आजम खां साहब ने सुना कर, जो दर्द छिपाना चाहा था, उसी को उभाड़ रहे हैं। जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए कह दिया होता....

(व्यवधान)

[श्री खान गुफरान जाहिदी--]

आप भी अलीगढ़ के हैं, एक साल आप भी भुगते हैं, जिधर कहते हो उधर ही बैठे हो। मैं किसी पर व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहता था। भीखा लाल जी भी समझ लेंगे....

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

मुझे मौका मिला तो मैं भी समझदारी की बात कहूंगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

सरमायादार हाथ लड़ाने का, फसाद कराने का काम करते हैं। वह सरमायादार किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी फिरके के हो सकते हैं।

(व्यवधान)

खैरुल बशर साहब मऊ नाथ भंजन के फसाद के लिए आप ख्यालात भी देखे हैं। मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं, बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज तमाम साजिशों से ट्रिपिल ऐक्शन वर्क किया जा रहा है। एक दवा होती है जो 3 हिस्सों में बंटती है और काम करती है। सब को नहीं कहूंगा, उसमें अच्छे लोग भी हैं लेकिन कुछ साथी, बड़ी होशियारी के साथ स्ट्रेटिजी के साथ, पहले हंगामा करवाते हैं और पुलिस वालों को भी मिलाने की कोशिश करते हैं। फिर हंगामें को व्यापक बनाया। कुछ और रास्ते बना कर ट्रिपिल ऐक्शन करके सरकार और अफसरों के गले से लगाया, आगे गोली चलवायी। यही 3 काम हैं और इसी तीन के लिए यह फसाद तक कराते हैं। इसलिये वह इन्क्वायरी करानी पड़ेगी कि इनको चेक किया जाये। यदि वे मिलेगें तो उनको किसी भी कीमत पर बक्शा न जाये। वे अपोजीशन के हाथों को मजबूत करने के लिये उनका साथ देते हैं। ऐसे लोगों को बर्दास्त नहीं किया जायेगा। इन लफ्जों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष जी एक शेर है :

न पूछ ए दोस्त क्या हिन्दू पे गुजरी, क्या मुसलमां पे,
मुझे बस इतना बता दें कि इन्सानों पे क्या गुजरी।

मान्यवर, मेरठ में जो कुछ हुआ है वह इन्सानियत के नाम पर ऐसा धब्बा है जिससे शर्म से सर झुक जाता है। मेरठ में जो नंगा नाच जम्हूरियत और इन्सानियत के खिलाफ नाचा गया उसकी मिसाल आज हिन्दुस्तान में नहीं मिल सकती। इस तरह की तानाशाही न हिटलर ने की थी और न मुसोलनी ने की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करके दिखा दिया। मैं मुख्य मंत्री जी से उम्मीद कर रहा था कि वह इस पर भाषण देंगे बजाये इसके कि मुख्य मंत्री जी इस पर भाषण दें उन्होंने एक जूनियर मिनिस्टर को खड़ा कर दिया जिनको मामलात की पूरी जानकारी नहीं है। वह खड़े हो गये और कहना शुरू कर दिया।

(व्यवधान)

मान्यवर, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने उन हालात को रखना चाहता हूं, आपसे इजाजत चाहता हूं जिन हालात में मेरठ में मुजरमाना साजिस के तहत पी० ए० सी० और पुलिस ने यह कराया । मन्जूर साहब ने कहा कि पी० ए० सी० का हाथ था । फसाद कराने की पूरी जिम्मेदारी पी० ए० सी० की है । मान्यवर, घरों के अन्दर घुस करके कत्ल किया है 'सनडे' एक मशहूर मैगजीन हिन्दुस्तान की है उसके हवाले से यह कहना चाहता हूं कि किस तरह से मेरठ में क्या क्या हुआ ।...

सिक्सटी सेवेन ईयर ओल्ड अब्दुल रहीम वाज बीटेन सी बैडली ऐज ही केम आउट आफ दी शेखी लाल मसक्यू दैट हिज हैंड्स एन्ड लेग्स वेयर फैक्चर्ड फिफ्टीनाइन ईयर ओल्ड नाजिर वाज फिल्ड बलडेडली व्हाईल ही स्टुड शेट दि डोर आफ हिज हाउस इन मुहल्ला इमलियना दि हाउसेज आफ शरीफ अहमद मुजफ्फर आलम अब्दुल इस्लाम, इकबाल अहमद । शब्बीर अली चुन्ना दिलशाद अब्दुल हलीम, नजीर अहमद, शमता पहलवान, लाजिद एन्ड अली हुसैन वेयर अनली ए फ्यू आफ दि हाउसेज इन चौहट्टा एन्ड भूमियां का पुल हिच वेयर लूटेड एन्ड देन सेट आन फायर बाई दि पी० ए० सी० ।

मैं इसका तरजुमा भी करता हूं । 67 साल के श्री अब्दुल रहीम को जब वह शेखीलाल मसक्यू के पास आया, इस तरह से पीटा कि उसके हाथ और पांव टूट गये और फ्रैक्चर हो गया । 59 साल के नजीर को बिल्कुल ही खड़ा करके मार डाला गया जब वह अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ था । श्री शरीफ अहमद, श्री मुजफ्फर आलम, अब्दुल इसलाम इकबाल अहमद, शब्बीर अली, चुन्ना दिलशाद, अब्दुल हलीम, नजीर अहमद, शमता पहलवान और अली हसन जो कि चौहटा और भूमिया के पुल के पास हैं, के घरों को पी० ए० सी० द्वारा लूटा गया और जला दिया गया । मेरठ में जो कुछ हुआ वह किसी साजिश के मातहत ही हुआ है । वह कौन सी साजिश थी और किसकी साजिश थी ?

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया है अब आप बैठें ।

श्री फखरे आलम--

माननीय मुख्य मंत्री जी आप इसके जिम्मेदार हैं । आपकी सरकार के आंकड़े, पी० ए० सी० के आंकड़े और जो अफसर सुरक्षा देने के लिये होते हैं, आज तक आपने सबके ऊपर क्या कार्यवाही की है ? मैं मतालबा करता हूं कि जो लोग मारे गये हैं उनके वारिसों को पूरा मुआवजा दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ आप बैठें । आगे नोट नहीं किया जायेगा ।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है । आज जरूरत इस बात की है कि हम, इस मजहब से ऊपर आयें सदन के अन्दर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रमोद कुमार—]

बैठे लोग, जो जनता की नुमाइन्दगी करते हैं, दल से ऊपर आयें और देखें कि यह मसला क्या है ? यह एक समस्या है । आज मेरे भाई जो एक दिन इधर बैठे थे, उन्होंने भी इसे झेला है, उनके कार्यकाल में भी दंगा हुआ है । इस प्रदेश में होते हैं और दूसरों में भी होते हैं । अभी हाल में ही एक अखबार ने कहा था कि पाकिस्तान म एक शहर में दो सम्प्रदायों के बीच दंगा हुआ है, तो यह तो एक सामाजिक समस्या है । जरूरत इस बात की है कि किन कारणों से यह दंगा होता है ।

मान्यवर, मेरठ को ही लिया जाय । यह पहला बाक्या नहीं है, यहां 1962 में दंगा हुआ, 1968 में दंगा हुआ, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार जी जब आप की सरकार थी और 1973 में दंगा हुआ, हालत यह है कि दंगा जो होता है उनके पीछे कारण क्या है, उसकी सिर्फ एक वजह है जब सरकार के प्रतिनिधि एक निश्चित घोषणा के साथ और एक निश्चित सिद्धान्त को लेकर जनता के बीच जाते हैं तो वहां कुछ फिरकापरिस्ती लोग बैठे रहते हैं, जिनका न कोई कार्यक्रम है, जिनकी न कोई नीति है और न जिनका कोई सिद्धान्त है वह तो अपनी कुर्सी के लिये इन्सानों की लाश को भी कीमत लगा देते हैं । वही लोग इसके जिम्मेदार हैं । श्री राजेन्द्र गुप्त जी इतफाक करगे । यहीं इस देश में जमशेदपुर में दंगा हुआ, उन्होंने कमीशन बिठाया था । पार्टी के विधायक और जो उनके साथ अन्य माननीय सदस्य हैं । हर चीज के लिये मेरठ का चयन जैसे जगह का चयन, समिति का चयन आदि, हुआ । दिल्ली में चुनाव होने वाला था । यही तो मैं कहता हूं कि जिनकी न कोई नीति है और न कोई सिद्धान्त । दिल्ली, इस मनसूबे को ये देख रहे थे ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग, उनका दल क्या कहता है, भूल गये, वे लोग श्री राज नारायण, श्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि वह साम्प्रदायिक है, उनकी बात सही मिलती है कि वह साम्प्रदायिक है । इतफाक की बात है कि वे साम्प्रदायिकता भूल गये । याद करो उन दिनों को जब तुमने इल्जाम लगाये थे । हम इल्तजा यह करेंगे कि पी० ए० सी० को समाप्त किया जाय इसका पुनर्गठन किया जाय साम्प्रदायिकता के आधार पर । जिस प्रकार की रचना आप कर रहे हैं कि साम्प्रदायिकता के आधार पर एक खास जाति विशेष के लोगों को उसमें बैठा दिया जाय, तो क्या सिविलियन में दंगा कराने में आपका जी नहीं भरा, क्या आप चाहते हैं कि फोर्स के अन्दर भी साम्प्रदायिकता की भावना पैदा की जाय, उसका गठन भी साम्प्रदायिकता के आधार पर किया जाय. . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री प्रमोद कुमार—

मैं बधाई देना चाहता हूं मौजूदा सरकार को कि जो इन्सान की जिन्दगी को तो नहीं वापस कर सकती थी, लेकिन जो इन्सानियत का तकाजा था, वह उसने पूरा किया । आज जरूरत इस बात की है कि सब दल एक साथ बैठें और यह देखें कि कैसे इन हालात पर काबू पाया जा सकता है । अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो गांधी जी की भाषा में कहिए, जिन्ना और सावरकर की भाषा में नहीं ।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सम्बन्ध ऐसी पार्टी से है, जिन्हें कहा जाता है कि इनका न कोई धर्म है, न ये हिन्दू है, न मुसलमान हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं मुझको या मेरी पार्टी को गाली समझकर कहते हैं लेकिन मुझे इससे गर्व होता है। मैं किसी को न तो हिन्दू की नजर से देखता हूं और न मुसलमान की नजर से देखता हूं, और न जाति के आधार पर या सवर्ण या हरिजन की दृष्टि से देखता हूं मैं और मेरी पार्टी सबको इन्सान की नजर से देखती है और यही हमारा सिद्धान्त है।

(विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मैं मेरठ के वाकियात नहीं कहूंगा, केवल दो मौलिक प्रश्नों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां अंग्रेजों ने डिवाइड एण्ड रुल की पालिसी के अन्तर्गत साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। देश के दो टुकड़े हुए--हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बने। पाकिस्तान बन गया। जो साम्प्रदायिकता की भावना से ओत-प्रोत करोड़ों मुसलमान थे, वे पाकिस्तान चले गये। क्या आज हमारे हिन्दुस्तान के बहुमत को यह कहने का अधिकार है कि जो लोग पाकिस्तान चले गये, उनके अलावा जो 8-10 करोड़ मुसलमान हिन्दुस्तान में रह रहे हैं, उनकी स्वामिभक्ति हिन्दुस्तान के बजाय पाकिस्तान के साथ है? अगर ऐसा कहा जाता है तो सरकार को सोचना पड़ेगा और इसे दूषित प्रचार पर रोक लगानी पड़ेगी। इसी भावना से एक प्रक्रिया होती है, मुसलमान भी सोचता है कि अगर हमको अपने देश का वफादार नहीं समझा जाता, हमारे हितों की रक्षा नहीं हो सकती वह सोचता है कि हम भी साम्प्रदायिक आधार पर अपने को गठित करें। तो यह भावना भी गलत है, इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा और साथ ही मुसलमान भाइयों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या देश की एकता की धार से अलग-अलग करके उनके हितों की रक्षा हो सकेगी।

मान्यवर, दंगे हुए जमशेदपुर में हुए, गुजरात में हुए, उड़ीसा में हुए और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हुए। देखने में यही आया है कि इन दंगों को हवा देने का काम कुछ साम्प्रदायिक संगठन तेजी से करते हैं। देश के बहुमत वर्ग के संगठनों की यह भावना है कि वह ही केवल हिन्दुस्तान की रक्षा करेंगे, यह भावना सही नहीं है देश की आजादी की रक्षा करना, उसकी एकता की रक्षा करना आदि प्रश्नों को लेकर एक अलग से संगठन "विश्व हिन्दू परिषद्" के नाम से बनाया गया है, यह सही है कि परिषद् द्वारा जिन उद्देश्यों की घोषणा की जाती है वह ऊपरी तौर पर पवित्र दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे विचार अत्यन्त दूषित हैं। हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या केवल विश्व हिन्दू परिषद् और उसके सदस्य ही रक्षा करना चाहते हैं? क्या यहां का सिख, इसाई हरिजन और मुसलमान देश की आजादी और अखंडता की रक्षा नहीं करना चाहता है। यह जहर है जो ऐसे संगठनों द्वारा फैलाया जाता है जो ऐसी घटनाओं को जन्म देता है। जो हमें और आपको अलीगढ़ में कभी मुरादाबाद और कभी मेरठ के रूप में देखने को मिलती है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जैसा कि हमारे कांस्टीट्यूशन में धर्म-निर्पेक्षता का सिद्धान्त माना गया है और यह कहा जाता है कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। मैं हिन्दू हूं और हिन्दू कहा

[श्री मीखा लाल---]

जाता हूं, एक हरिजन घर में जन्मा हूं, लेकिन जब एक इंसान होने के नाते समाज में समानता का बात आता है तो कुंठित निगाहों से देखा जाता है । ऐसा क्यों होता है । क्या हमें समाज में समानता का स्थान व सम्मान स्थान मांगने का अधिकार नहीं है यदि है तो हम जैसे हरिजन भाइयों को फिर पीटा क्यों जाता है जगह-जगह पर अपमानित क्यों किया जाता है और जब इससे ऊब कर कोई हरिजन धर्म परिवर्तन की बात सोचता है कि जब एक हिन्दू बनकर मंदिर में जाने नहीं दिया है और मुसलमान बनकर मस्जिद में एक साथ जहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं वहां पर खुदा की इबादत करने में समान अधिकार मिलेगा या ईसाई बनकर गिरजे में एक साथ सब को मिलकर ईश्वर की प्रार्थना करने का अधिकार मिलता है तो मैं पूछता हूं कि क्या ऐसी हालत में हमें धर्म परिवर्तन के अधिकार हैं या नहीं ? यदि हैं, तो फिर धर्म परिवर्तन के बाद क्यों पीटा जाता है और क्यों अपमानित किया जाता है ?

(तालियों की गड़गड़ाहट)

इसके लिए सोचना पड़ेगा । यह इस मुल्क की दुर्भाग्य से एक स्थायी समस्या है इसका हल बगैर गहन चिन्तन, दृढ़ विश्वास और संकल्प के निकल नहीं सकता है । अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्थिति दिन पर दिन और बदत्तर होती जायेगी । केवल नारों से कुछ नहीं होता । श्रीमती इंदिरा गांधी सदैव धर्म-निर्पेक्षता की बात कहती हैं और हम भी कहते हैं और कहना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि आजकल स्कूलों में ऐसी पाठ्य पुस्तकें हैं, जिनके द्वारा साम्प्रदायिकता की भावना उजागर की जा रही है, हमारे अबोध बच्चों के दिमाग जो अभी कच्चे हैं इन पाठ्य क्रमों के जरिये साम्प्रदायिकता का जहर भरा जा रहा है । तो मेरा सुझाव है कि जहां पर भी ऐसी पाठ्य-पुस्तकें दिखाई दें, उन पर भी हम सबको सोचना पड़ेगा । इसलिए मात्र एक दूसरे पर लांछन लगाने या आलोचनाएं करके कुछ होने वाला नहीं है । जब तक हम और आप सक्रिय नहीं होंगे और जो लोग या संगठन इस तरह की चिंगारियां भड़काते हैं उन पर सक्रिय रोक नहीं लगाई जायगी तब तक कुछ नहीं होगा । इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं ।

(शोर)

(श्री अध्यक्ष द्वारा नेता सदन को पुकारे जाने पर, व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

मान्यवर, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें, आप आज्ञा देंगे तभी कुछ कहूंगा ।

*श्री रियासत हुसैन---

मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि इस डिबेट में जो अभी चल रही है इस डिबेट में पूरे प्रदेश के ला एन्ड आर्डर का सवाल है, मैं चाहूंगा कि इसको आधे घंटे के लिये समय और बढ़ा दें, कुछ माननीय सदस्यों को मौका मिल चुका है और मैं चाहता हूं कि मुझे भी बोलने का मौका मिल जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कई सदस्य--

नहीं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अब माननीय नेता सदन को बुला लिया है ।

(नेता सदन बोलने के लिये खड़े रहे परन्तु दोनों ओर से व्यवधान रहा ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मुझे इस बात का फक्र है कि मैं 1974 में जनसंघ से लड़ा और तब से मैं इसका सदस्य हूं और यहां मुझ पर आक्षेप किया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । मैं इसको अस्वीकार करता हूं क्योंकि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मुझे इसका स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाय । अगर आपने मुझे अवसर नहीं दिया तो मैं इस हाउस से बाहर चला जाऊंगा ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

व्यवस्था का प्रश्न उठा रहें हैं मान्यवर, अखबारों में दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जो प्रस्ताव रियासत साहब की तरफ से आया है क्या उस पर आपको कुछ कहना है ?

(संसदीय कार्य मन्त्री अपने स्थान पर चुप बैठे रहे ।)

(व्यवधान)

माननीय खैरुल बशर, आप कृपया बैठें । मैंने नेता सदन को बोलने के लिये अनुमति दे दी है, आप कृपया बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं कहना चाहता हूं कि मैं केवल एक जानकारी चाहता हूं कि क्या यह जो चर्चा हो रही है मेरठ के बारे में तो इसे आप समाप्त करके नेता सदन को बुलवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन को बीच में इन्टरवीन करने का अधिकार है और वे इन्टरवीन कर सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

तो क्या इसके बाद हमको और रियासत साहब को बोलने के लिये मौका मिलेगा नेता सदन के बोलने के बाद ?

श्री अध्यक्ष—

चर्चा के लिये जो समय निर्धारित है उस समय तक चर्चा समाप्त हो जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरी पार्टी पर मेरा नाम ले कर मिथ्यारोप लगाया गया है और मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला इसलिये मैं अपनी पार्टी के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री विनोद कुमार तिवारी—

मान्यवर, इन लोगों को (विरोधी दल की ओर इशारा करते हुए) भी निकाल कर बाहर करिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता था कि जब विपक्ष से माननीय भीखा लाल जी बोले तो आशा की गयी कि हमको संयत होकर भाषण करना चाहिये । श्री नरेन्द्र सिंह भी उसी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और वहीं से आते हैं, मैं भी बोलना चाहता था परन्तु यह जानता हूं कि समय कम है और वे बोलना चाहते हैं तो मैंने बोलने की चेष्टा नहीं की । इस अवसर पर उनका इस चर्चा में बोलने का प्रयास होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिये लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया ।

मैं चाहता हूं, चूंकि बहुत से लोग बोलने की इच्छा रखते हैं, आप चाहे 3 मिनट का ही समय दें, लोगों को समय देने का प्रयास करना चाहिए । मेरठ के दंगे पर बहस हो रही है, मैं चाहता हूं कि आधे घंटे के लिए सदन का समय बढ़ा दें उसी में एडजस्ट कर लें । मैं पुनः प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय ।

मुख्य मन्त्री (श्रीपति मिश्र)—

अभी माननीय रियासत हुसैन और माननीय नेता विरोधी दल ने आधे घंटे समय बढ़ाने की बात की है। यों तो इसका समय निर्धारित हो चुका है, लेकिन जब समय बढ़ाने की बात दो नेताओं ने की और आप देख रहे हैं कि हमारे दल के सदस्य समय बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का आदर करते हुए आधे घंटे तो नहीं लेकिन 15 मिनट का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय 15 मिनट और बढ़ा दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे मेरठ की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। आज हमारे लिए दुःख का बिषय है, जो मेरठ में झगड़ा हुआ है, दंगा हुआ है, उस पर सोचना चाहिए और इसी के साथ ही साथ मैं अपने विरोधी पक्ष के भाइयों से यह अनुरोध करूंगा कि वह मेरी बात को सुन लें,

(व्यवधान)

आपको मेरी बात सुनने में क्या परेशानी है। आज उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। यह हमारे लिए दुःख की बात है और आज एक दूसरे पर आरोप लगाये जाते हैं। आप पहले अपने आप को देखें फिर दूसरे को कहें। आज इस मुल्क में विरोधी पार्टियों ने जो षडयन्त्र रचा है यह उसी का नतीजा है कि यहां पर दंगे और झगड़े होते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मुराद बाद में कुछ ऐसे शब्दों को दीवालों पर लिखा गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि ये किस प्रकार से षडयन्त्र कर रहे हैं और आज यहां पर इस तरह की बात करते हैं। एक वातावरण ऐसा बना रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं। हम लोग यहां पर बैठ कर सोचें कि इनको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ठीक नहीं है। हमारे लिए यह सोचने की बात है, जनता ने हमें यहां चुन कर भेजा है कि उनकी जो समस्यायें हैं उनको हल करें न कि शोर मचायें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप सोचें, आखिर यह मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ के झगड़े क्यों होते हैं? अगर आप जनता से मुहब्बत रखते हैं तो इस मसले को मिलजुल कर सोचें। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इन दंगों में दोषी पाये जायें चाहे वह पी० ए० सी० के हों, या पुलिस के हों, उनको दन्ड दिया जाये।

[6.30 बजे अपराह्न से]

सजा दी जाय। इसमें कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि उनको दन्ड न दिया जाय। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, कोई भी बात जजबात में मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि दोनों तरफ से आवेश में बहुत सारी बातें कही गई हैं। मेरठ मेरा शहर है और गत वर्ष सितम्बर, अक्तूबर में वहां पर जो दंगे हुए, उससे पहले भी कई बार मेरठ में दंगे हुए हैं। लेकिन इस बार यह इतना लम्बा दंगा 6 सितम्बर से लेकर अक्तूबर के अन्त तक चलता रहा जिसमें लगभग डेढ़ हजार आदमी जेल गये और मरने वालों की संख्या अभी विवादास्पद है किन्तु जो आंकड़े सरकार देती है उससे कहीं अधिक लोग वहां पर मरे हैं। जैसा कि भाई मंजूर ने कहा हजारों आदमी मेरठ छोड़कर चले गये थे।

मान्यवर, मैंने सन् 1946-47 का दंगा तो नहीं देखा लेकिन निश्चितरूप से मेरठ में इन्सान इन्सान नहीं था और हिन्दू मुसलमानों में बंटा था, सारे इन्सान भयभीत थे। हमारे पार्टी के कुछ ऐसे सदस्य थे, और हमारे पार्टी के जो माइनारिटी कमेटी के सदस्य थे वे भी अपने घरों में दहशत खाते थे। हम उनके घरों में नहीं जा सकते थे और वे हमारे घरों में नहीं आ सकते थे, सभी दहसत में थे। इस बात की कोई कल्पना भी नहीं करता था कि स्थिति यहां तक पहुंच जायेगी। मान्यवर, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। यह सारा झगड़ा दो भागों में बांटा जा सकता है। एक 6 सितम्बर से पहले का और दूसरा 6 सितम्बर के बाद जब वहां पर श्री रामभूल की हत्या की गई, उसके बाद का। मैं साफतौर से कहना चाहता हूं कि अगर जिले का प्रशासन इस बारे में सचेत होता तो झगड़ा होने वाला नहीं था। मार्च, अप्रैल, सन् 1982 से एक मामला सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बराबर उस मसले को पोलिटिकल प्रेसर मिलता रहा। मेरठ में लोक सभा में इनके दल के ही संसद सदस्य थे, विधायक भी इन्हीं के थे जिसकी वजह से उस मामले में बराबर दखल होता रहा। 4/6 गज लम्बी जगह के बारे में यह झगड़ा हुआ। मान्यवर, वहां पर वह न तो मजार है और न मंदिर ही है। राजनीतिक लोगों ने उसे मंदिर और मजार बना कर उसे भड़का दिया।

मान्यवर, 1 सितम्बर तक यहां पर अधिवेशन चला और यहां पर उसके बारे में उस समय चर्चा हुई। अगर मजिस्ट्रेट 146 सी0 आर0 पी0 सी0 में उस मामले को सिविल कोर्ट में भेज देता तो यह झगड़ा शांत हो जाता लेकिन उस पर दबाव पड़ता रहा जिससे इस छोटी सी चीज के ऊपर इतना बड़ा तूफान खडा हो गया। 4 सितम्बर, 1982 को दिल्ली के इमाम बुखारी साहब वहां तशरीफ लाये और उनको वी0 आई0 पी0 ट्रीटमेंट किया गया। कौन होते हैं वे जो उनको बी0 आई0 पी0 ट्रीट किया गया, और सरकिट हाउस में उन्हें ठहराया गया। सारे अधिकारी उनकी खिदमत में लगे रहे। इस बीच श्री रामभूल की हत्या हो गई। उसके बाद हालत खराब थी। मेरठ में जब झगड़ा हुआ तो दोनों जातियों के लोग हिन्दू और मुसलानों की शांति समितियां बनती रही हैं और हमेशा बनती हैं जब-जब ऐसे फसादात् होते हैं। उसमें बड़े-बड़े जाने-माने लोग श्री रघुकुल तिलक और मास्टर सुन्दर लाल आदि जो कि आजादी के लिए कई सालों तक जेलों में रहे, उनको प्रशासन ने शहर में जाने की अनुमति नहीं दी। उनको पास नहीं दिया। हमारे माननीय धर्मवीर सिंह तथा माननीय अब्दुल रसीद साहब को वहां के जिलाधीश श्री शम्भूनाथ ने पास देने के लिए मना कर दिया। मुख्य मंत्री जी का बयान भी यहां से हुआ कि पासेज न दिये जांय। इस तरह से डेढ़ महीने तक यह झगड़ा चलता रहा। इसके बाद 1, 2 तथा 3 अक्तूबर को सारी

रात भर मेरठ के 6 लाख आदमियों के कानों में अल्लाहो अकबर और हरहर महादेव की आवाजें गूंजती रहीं लेकिन शासन सोता रहा। मुख्य मंत्री जो रात में 9 बजे वहां गये चोर की तरह गये और दूसरे दिन सवेरे भाग आये। दुबारा आए लेकिन किसी से कोई तसल्लीबख्श बात नहीं की। अगर वह दो दिन जम कर वहां बैठ जाते तो झगड़े तुरन्त ठीक हो जाते। लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। यह हाल है मेरठ के झगडों की। मंजूर साहब ठीक कहते हैं उन पुलिस अफसरों को सब को तरक्की दे दो। उन सब को नियुक्ति तो सीधे दिल्ली से होती है यहां प्रशासन से पूछा नहीं जाता है। इसमें किसी पोलिटिकल लोगों का इतना हाथ नहीं बल्कि जानबूझ कर प्रशासन ने लापरवाही की और उसकी अयोग्यता से यह झगड़ा हुआ नहीं तो इतना बड़ा कांड होने वाला नहीं था।

श्री अध्यक्ष---

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, आप बहुत संक्षेप में कहेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस समय जो चर्चा हुई उसमें माननीय सदस्यों ने केवल जजबात उभाड़ने की चेष्टा की। यह जो दंगे हो रहे हैं क्या वह भावनाओं को उखाड़ने से बन्द हो जायेंगे इस पर हमें गम्भीरता से सोचना होगा ? मैंने मंजूर साहब की बात बड़ी गम्भीरता से सुनी। उन्होंने राजनीतिक वातावरण पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कब कौन चुनाव जीता कब कौन चुनाव हारा। अगर यह कह दिया जाय कि मंजूर साहब वहां से चुनाव जीते थे और इनकी लोकप्रियता नष्ट हो रही थी इसलिए जानबूझ कर सुनियोजित ढंग से सत्तारूढ़ दल में घुसे हुए साम्प्रदायिक लोगों ने दंगे कराए। तो मैं समझता हूं कि यह गलत नहीं होगा। मैं इसमें कोई दूसरा उदाहरण नहीं देना चाहता हूं मैं उनकी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिन्दुस्तान की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मंजूर साहब की भूमिका एक साम्प्रदायिक व्यक्ति की रही है। मैं इस सम्बन्ध में एक पत्र का हवाला देना चाहता हूं,

(व्यवधान)

पायोनियर अखबार का....

श्री मंजूर अहमद--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

गुप्त जी, बैठ जायं मंजूर साहब व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री मंजूर अहमद--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने अभी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी के बारे में कुछ शब्द कहे। वे पहले अपने गरेबां को देखें। प्रधानमंत्री के बारे में मेरी दरख्वास्त है उसमें पहले वह अपने दल के बारे में बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस पायोनियर अखबार में जो इसी 22 तारीख का है उसमें प्रधानमंत्री का एक पत्र प्रकाशित हुआ है जो उन्होंने शाहनवाज खां को लिखा है । पत्र लम्बा है उसमें मैं नहीं जाता उन्होंने कहा है मैं केवल एक लाइन पढ़ना चाहता हूं "इन मेरठ आई फील दैट मंजूर अहमद्स रोल हैज बीन हार्मफुल" । उन्होंने कहा है कि मेरठ में मंजूर साहब की भूमिका बड़ी ही खतरनाक रही है ।

उसके आगे एक बात और बताना चाहता हूं मेरठ का एक दैनिक प्रभात है उसमें समाचार है कि वहां पर एक धमाका हुआ और पुलिस ने धमाका करने वालों को पकड़ा । जब उनको कोतवाली ले जा रहे थे तो इनके स्वनामधन्य सुपुत्र ने उनको घेर लिया और उन लोगों को छुड़ाने की चेष्टा की । तो यह भूमिका उनकी रही है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, लालबत्ती से कैसे काम चलेगा कितने आरोप लगाये गए हैं उनका जवाब देना है । जो साम्प्रदायिक दंगे हुए उसके लिए आयोग भी बैठाले गए । 1971 में अलीगढ़ में एक श्री बनर्जी आयोग बैठाया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उसने जो फाइंडिंग दी, उसने कहा कि राजनीतिक दल जो साम्प्रदायिक भूमिका निभाते हैं उनको पार्टी में रोकना होगा

(व्यवधान)

मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं । जिस समय वहां पर यह विवाद फरवरी से चालू हुआ, मन्दिर जो विवाद का स्थान था, मरम्मत का मामला आया तो वकील खड़े हो गए और कहा कि मजार है, तो सरकार का कर्त्तव्य क्या नहीं था कि मैजिस्ट्रेट को फैसले के लिए इसको देते ? लेकिन 7 महीने तक विवाद चला और उसके बाद मैजिस्ट्रेट का फैसला हो गया, उसके बाद मोहसिना किदवई गईं और उस मन्दिर को सील कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

जो सदस्य नहीं हैं उनका नाम न लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ठीक है नाम नहीं लूंगा ।

मान्यवर, यदि प्रशासन को सही मानों में काम करने का मौका दिया जाता तो शायद वहां यह विवाद न होता ।

(व्यवधान)

माननीय, मेरी पार्टी का नाम लेना, आर० एस० एस० का नाम लेना तो इनका आसान काम हो गया है । लेकिन आज तक कोई न्यायिक आयोग जो बातें इन्होंने कहीं हैं आर० एस० एस० के खिलाफ उनको साबित नहीं कर पाया है ।

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ में घोर निन्दा करते हुए चाहूंगा कि शासन सभी नेताओं को बिठाकर परामर्श करे जिससे प्रदेश में शांति का माहौल पैदा हो सके ।

श्री मन्जूर अहमद--

माननीय, मैं उत्तर सभी का नहीं देना चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे जो दल हों यदि वह सेकुलेरिज्म और समाजवाद में विश्वास रखते हैं तो उन्हें सोचना होगा कि जब वह माया त्यागी कांड का आन्दोलन चला सकते थे । सैकड़ों घरों को लूटने व सैकड़ों आदमी मारे जायं और बिना गुनाह किए लोगों को गिरफ्तार किया जाये तो इसके बारे में मेरठ इतने बड़े कांड पर आन्दोलन क्यों नहीं चलाया हिन्दुस्तान की जनता को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा । या तो वह यकीन नहीं रखते या फिर समाजवाद का वह ढिंढोरा पीटकर वोट की राजनीति करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य शांत रहें, श्री हुकम सिंह आप बैठ जांय । आप लोग बैठ जायं और आपस में बातें न करें ।

श्री मन्जूर अहमद--

माननीय, मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब आजमगढ़ के वकीलों के कांड में नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है ।

(व्यवधान)

वहां जांच बिठा सकते हैं और लोगों को मुआवजा दे सकते हैं तो मेरठ में जो हजारों निर्दोष व्यक्ति घायल हो गये हैं और जिनके घर बरबाद हो गये हैं उनको भी आजमगढ़ की तरह से मुआवजा दिया जाये और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा दी जाये । मेरठ का एक एस० ओ० लिसाडी गेट ने एक तारीख को 8 व्यक्तियों को कत्ल किया ।

(व्यवधान)

वहां के एस० ओ० और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को वहां से हटाया जाये ।

(मुख्य मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर और श्री खैरुल बशर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें खैरुल बशर साहब, नेता सदन खड़े हो गये हैं, मैंने उनको अब बुला लिया है

(व्यवधान)

आपको उनका आदर करना चाहिए, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ..

(व्यवधान)

आप वातावरण ठीक होने दीजिए ।

श्री खैरुल बशर--

माननीय, मुझे सिर्फ एक मिनट का आप टाइम दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

अब बिलकुल टाइम नहीं है, मैं रियासत साहब को भी नहीं बुला सका हूं ।

(श्री खैरुल बशर के बैठ जाने और मुख्य मंत्री के बोलने का प्रयास करने पर)

एक सदस्य--

श्रीमन्, अब इस चर्चा का समय तो समाप्त हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे अपने विवेक से समय बढ़ाने का अधिकार है, मैंने बढ़ा दिया है ।

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो चर्चा सदन में हुई है, उसके सम्बन्ध में अपने विचार माननीय सदन में रखना चाहता हूं । सदन में हुई किसी चर्चा का उद्देश्य यह होता है कि जो भी घटना या दुर्घटना हुई है, उसको उद्घाटित किया जाए, लेकिन भविष्य में ऐसी बात न हो, उसके सम्बन्ध में सुझाव दिए जायं । मैं अपनी बात कहने के पहले उधर से जो सुझाव आए हैं, विशेषकर माननीय भीखालाल जी का, मैं उनका स्वागत करता हूं ।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि चाहे सही या चाहे गलत और चाहे भ्रम में, इस प्रदेश में किसी भी नागरिक के हृदय में, चाहें वह जिस जाति, धर्म या सम्प्रदाय का हो, किसी किस्म का वास्तविक या वैसा कोई भ्रम न रहे । लेकिन यदि उसको आस्था कमजोर होती है कि हमारी सुरक्षा नहीं होगी, तो हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उसकी गारन्टी करें और अपनी व्यवस्था से अपने प्रशासन से उसको यह समझाने-बुझाने और प्रदर्शित करने का प्रयास करें कि उसे कोई भय नहीं करना चाहिए, उसको पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी । किसी के मन में कोई भ्रम हो तो मैं उस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि शासन उसके प्रति सदा समर्पित है, हर नागरिक को यह विश्वास रहे कि उसकी सुरक्षा उसके हाथ में सुरक्षित है और उसके लिए शासन हर तरह से प्रयत्नशील होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तीसरी बात इसमें यह आती है, इस प्रक्रिया में या घटना में तो मैं नहीं जाता कि साम्प्रदायिक घटनाएं कब, कहां और कितनी हुई, लेकिन यह आज भी समाप्त नहीं हुई हैं, आज भी यह हो रही हैं, कभी ज्यादा कभी कम। यह हमारे प्रदेश और देश के लिए, हम सब लोगों के लिये, जनप्रतिनिधियों के लिए एक चिन्ता और अफसोस का विषय है। उसमें हम सबका सहयोग चाहते हैं। उस दुर्घटना के लिए यह भावना सबमें सुस्थिर हो कि एक घटना मेरठ में हुई, उसके सम्बन्ध में जो जो अपराध हुए हैं या जिनकी रिपोर्ट्स हुई हैं--चाहे व्यक्ति ने किये हों या पुलिस ने किये हों या पी०ए०सी० वालों ने किए हों, हर मामले के मुकदमे दर्ज किये गये हैं, और जिनको अब कुछ वक्ताओं ने बताया है, उन सबका इन्वेस्टीगेशन हो रहा है। इसके बाद उसी समय में एक इन्क्वायरी की भी स्थापना हुई है और वह सारे मुद्दा उस इन्क्वायरी के तहत दिया गया है। इसलिए उस घटना और कर्तव्य के बारे में क्या हुआ है, इसकी विवेचना जब तक जूडिशियल इन्क्वायरी चल रही है, मैं नहीं समझता हूं कि उसके संबंध में कोई बात कही जाय। एक बात कही गयी है और जो बात यहां जांच की हो सकती है, जिसको होना चाहिए कि प्रशासन में जो-जो राजनैतिक अंग हैं, जो चुन के हम लोग आते हैं, मंत्री और मुख्य मन्त्री बन के बैठते हैं, या प्रशासन का कोई अंग जो ब्युरोक्रेसी या नौकर-शाही कहलाता है, उसका कैसा कार्य रहा है और हमने उसमें कार्य करने का प्रयास किया है या नहीं किया है, अच्छा रहा है या बुरा रहा है, इसकी जांच कमीशन करेगा। लेकिन तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या किया। घटना घटी घटना के पहले जो प्रयास हुआ, उसके लिए यहां से आदेश गये, घटना जब घटी 6 को, उसके बाद प्रशासन ने वहां कार्यवाही की।

हमारे यहां के तीन-तीन मन्त्रीगण, गुलाब सेहरा, राम सिंह खन्ना, अब्दुल रहमान खां नश्तर साहब ये बराबर वहां जाते रहे, रात-रात रुकते रहे, रात को और दिन को हर मोहल्ले में गये। हमारी वहां की एम० पी० मोहसिना किदवई भी वहां गयीं। मैं वहां रात को, दिन को, दूसरी बार भी गया और जिन अधिकारियों के संबध में यह सूचना आई कि उनका कार्य ठीक नहीं चल रहा है, अगर उन पर आपत्ति है, उसका स्थानांतरण किया गया और अभी स्थानांतरण के बारे में जो जिक्र किया गया, मुझको उसके बारे में कहने की बात नहीं है। वह प्रशासनिक अधिकारी थे जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर वहां थे, उनको वहां से हटा कर, किसी को चकबन्दी, किसी को दूसरी जगह, किसी को तीसरी जगह पर किया गया, ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर कोई नहीं है। जो वहां से हटाये गये, जो तत्काल ऐक्शन लेने की जगह पर थे, वहां से हटा कर ऐसी जगह रखा गया, जहां जनता से तत्काल उनको बात करने का कोई सम्पर्क नहीं हो सकता है। हर मोहल्ले में रायट एरिया, सहवास स्थान पर मैं स्वतः वहां गया। यही नहीं कि हम लोग गये, यह नहीं कि शासन ने छिपाने की कोशिश की शासन खुद गया, उसके मंत्री गये, मुख्य मन्त्री गये और दिल्ली से जब पार्लियामेंट के मेम्बर्स ने कहा कि हम भी देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो जैसे-जैसे पार्लियामेंट के मेम्बर्स, जिसमें हर पार्टी के मेम्बर्स थे, कम्युनिस्ट, लोकदल, कांग्रेस के, जनसंघ के दूसरी कांग्रेस पार्टी के थे, 16 एम० पी० थे। उसी बीच में जो दंगे की बात चल रही थी, वहां से आये, हमने उनको स्थान दिया, हमने उनको सवारी दिया, हमने उनको जोप दिया कि जहां चाहें जायं और वह सब लौट के यहां से गये। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनमें से किसी का, जो 16 यहांसे लौट के गये थे, किसी का, यह कथन नहीं था कि यह प्रबन्ध नहीं हो रहा है या यह गलती हो रही है।

[श्री श्रीपति मिश्र--]

दो तीन बातें यहां पर कही गयीं, कुछ बातों का उद्धरण इस तरफ से और कुछ बातों का उद्धरण उस तरफ से दिया गया।

मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है मैं इतना कहना चाहता हूं कि घटना घटने के बाद कोई वहां जांचने जाता है, या कोई इन्क्वायरी कमीशन बैठे, बार-बार जब कोई गवाही दे, बात करे, तब तो सत्य का पता हो पाता है, तो अगर गये, और उसके बाद यहां से इस मोहल्ले, उस मोहल्ले, जिससे पूछा उन्होंने कुछ बताया, दो घंटे के सफर के बाद लौट के आये और उसके बाद यह कहा जाये कि वही बात सही है, यह बात सही नहीं होती है। उस वक्त इन्टरेस्टेड लोग जाते हैं, जो मारा जाता है, उसका दम ही नहीं है, वह घर से बाहर ही नहीं जाता। उस वक्त वहां पर बदमाशी करने वाले लोग उसमें शामिल होते हैं। बयान में शामिल होते हैं और रिपोर्ट करने में शामिल होते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रशासन का, चाहे नौकरशाही हो चाहे पुलिस हो या चाहे स्वयं कोई राजनीतिक दल के लोग हों, किसी के बुराई करने पर, अत्याचार करने पर हम उसकी ढ़ाल बनने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ कुछ लोग आवाज उठा दें सिर्फ इसीलिए कंडम करके उनके मारल को गिरा दें यह भी हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। पी० ए० सी० के सिलसिले में कहा गया है। पी० ए० सी० के खिलाफ जो भी आरोप हैं उनकी जांच होगी, जांच हो रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि पी० ए० सी० के लिए हम हर तरह का वह उपाय करने के लिए तैयार हैं जिससे कि ऐसी फोर्स जो हो वह प्रशिक्षित हो। उसके प्रशिक्षण में ऐसा रखा जाय जिससे भेदभाव, जातिपांति, धर्मकर्म इसका भेद न रखकर वह फोर्स काम करे। उसमें शिक्षा का स्तर उठाया जाय, सहनशीलता का स्तर उठाया जाय, तरह-तरह की बातें की जायं। जब सहनशीलता की बात बढ़ेगी तो वह फोर्स अच्छी होगी। लेकिन अगर उस फोर्स का आधार यह मान लिया जाय कि किसी जाति या संप्रदाय के इतने लोग उसमें होंगे तो वह एंटी रायट फोर्स नहीं है, रायट फोर्स होगी।

(मेजों की थपथपाहट।)

उसकी मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए उसको बदलने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। हमारे माननीय सदस्य भोखालाल ने एक बात कही। उसको लाने के लिए, संप्रदाय और जाति की भावना जो है उसको बदलना पड़ेगा, विचारों को बदलना पड़ेगा, प्रशिक्षण को बदलना पड़ेगा। हम इसके लिए तैयार हैं। हम इसको करेंगे। इतमिनान रखें जो बात कही जाती है वह की जाती है।

(मेजों की थपथपाहट।)

मैं एक सवाल करना चाहता हूं इस सिलसिले में हम आप अपने घर में घर के बारे में सोचते हैं कि हम यह काम कर लेंगे वह काम कर लेंगे इस साल हम लड़की की शादी कर लेंगे, घर बना लेंगे, मोटर खरीद लेंगे या फलां काम कर लेंगे। लेकिन चार कामों में क्या आप बता सकते हैं कि चारों को पूरा कर लेते हैं। कुछ काम छूट जाते हैं। तो जो सामर्थ्य होती है उसके अन्दर हम काम करने का प्रयास करते हैं। जब हम घर का वादा पूरा नहीं कर पाते हैं तो पूरे समाज और पूरे देश और प्रदेश के लिये वादा जो करते हैं वह सब पूरे

नही होते। देखना यह है कि जो हम वादा करते हैं उसी दिशा में हम उसी भावना के साथ चल रहे हैं या दूसरा जगह जा रहे हैं। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो देर सबेर हम उसको पूरा करेंगे।

कांग्रेस चाहे, चाहे नहीं, लेकिन कांग्रेस के मन में कुछ ऐसे काम हैं कि कांग्रेस मजबूर है वह धर्म निरपेक्षता, समाजवाद उसके ऊपर उसको विश्वास करना पड़ेगा। कांग्रेस के पास और कुछ नहीं है सिवा धर्म निरपेक्षता और समाजवाद के इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई दूसरी पूंजी नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट)

जिसके पास कोई और पूंजी हो वह कहीं और जाय। कांग्रेस के पास मात्र यही पूंजी है। यह उससे निकल जायगी तो कांग्रेस निकल जायगी। आप हम पर विश्वास करें, हमारा अनुभव है इसलिये हम इसको करेंगे। कोई चाहे करे या न करे हम करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि आप हमको सहयोग दें। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था, किसी तरह से हम नही च हते चाहे जो भी राजनीतिक हत्र हो, चाहे जो भी राजनीतिक घटना हो, चाहे कोई भी दल शासन में आये या जाये हम कांग्रेस के आदमी हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का सदस्य, कांग्रेस का मन्त्री, कांग्रेस का मुख्य मन्त्री यह नही चाहेगा, अपनी हार जीत की परवाह नहीं करेगा कि इन्सानियत पर आघात हो, आदमी मारे जायं। चमत्कार होते रहते हैं मगर इन्सानियत को साबित करना, उसको बल देना यह हम अपना धर्म समझते हैं, अपनी राजनीति समझते हैं और अपना कर्तव्य समझते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

एक बात कहना चाहूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ उदाहरण देने की कोशिश की है, उन उदाहरणों के बारे में मुझे केवल इतना कहना है कि जो उदाहरण आपने दिये हैं और जो यह कहा गया कि हजारों लोग गायब हुए, हजारों लोग मरे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी अगर मरा साबित होगा, किसी को भी अगर ईस दंगे मे चोट लगी होगी या मारा गया साबित होगा और ऐसों को अभी तक कोई मदद नहीं दी गयी है, तो आप उनके बारे में बताइये, उनको मदद दी जायेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

जरूर दी जायेगी।

कुछ ऐसे लोग मेरे पास आये, मैं बात तो बताना चाहता हूं, लेकिन उनका नाम नही बताना चाहता हूं, मुझसे उनकी मुलाकात हुई। बताया कि मुझे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पूछा नहीं, मुझको बुलाया नहीं, मुझसे राय नहीं ली कि दंगा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां शादी नहीं हो रही है, दंगा क्षेत्र में हो रहा है, हमारी सांसें गिर रही हैं, तो हमें शान्त कराना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपस में हमें जात-पात, धर्म को भूलकर भाई चारे से रहना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी न हों। हमें आशा है कि आप सब लोग हमें सहयोग देंगे।

(मद संख्या 12 के लिए श्री राम लाल वर्मा का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब यह मद संख्या 11 समाप्त होता है तथा अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 1 मिनट पर, अगले दिन के 11 बज तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

24-2-1983

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 852 पर ।)

संलग्नक

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित

श्री ऊदल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के

उत्तर का संलग्नक

वाराणसी जनपद में माह जनवरी से जून, 1982 तक सस्ते गल्ले की दुकानों/जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली उचित मूल्य की दुकानों को उपभोगताओं में वितरण हेतु दी गयी वस्तुओं की मात्रा का विवरण :—

वस्तु का नाम	माह जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक दी गयी बस्तुओं की मात्रा
1—मिट्टी का तेल	11,095 किलो लिटर ।
2—चीनी	11,583.7 मि0 टन ।
3—गेहूं	19,989.8 मि0 टन ।
4—चावल	14,568.8 मि0 टन ।
5—रिजल्टेन्ट आटा	9,676 बोरा ।
6—पॉम ऑयल	10,191 टिन ।
7—रेपसीड आयल	2,440 टिन ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 858 पर ।)

नगरपालिका, खैराबाद के ारियों के विरुद्ध मुख्य शिकायतों के विवरण

1—अधिशासो अधिकारी, श्री अनूप कुमार शुक्ल, नगरपालिका, खैराबाद महीने में मुश्किल से 10 दिन पालिका में उपस्थित रहते हैं और शेष दिनों में लखनऊ रहते हैं ।

2—उक्त अधिशासी अधिकारी की पालिका में पोस्टिंग की अवधि में वृक्षा-रोपण हेतु हजारों रुपये का दुरुपयोग किया गया ।

3—अधिशासी अधिकारी अपने निजी क्वार्टर में पालिका से सीधे बिजली का उपभोग मुफ्त में कर रहे हैं ।

4—अधिशासी अधिकारी पालिका से स्कूटर भत्ता प्राप्त कर रहे हैं जबकि अपना स्कूटर लखनऊ में रखते हैं और दूसरे वाहनों पर दौरा करते हैं ।

5—अधिशासी अधिकारी, चुंगी चौकियों का निरीक्षण नहीं करते हैं । चुंगी चौकी, सोहरैया में लगभग चार-पांच सौ रुपये की चोरी हुई किन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई ।

6—उनके सेवाकाल में अनेकों चेक सीतापुर के ठेकेदारों को दी गई हैं जिन पर खजान्ची के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

7—डामर अननुमोदित फर्मों से क्रय किया गया ।

8—अधिशासी अधिकारी पालिका फोन का प्रयोग निजी कालों के लिये करते हैं । फोन कई बार काटा गया है ।

पी0एस0यू0पी0—42 विधान सभा—10-10-83 (पी0/डी0)